VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

मार्च 2024

मासिक समसामयिकी

8468022022 | 9019066066 www.visionias.in

अहमदाबाद | बैंगलोर | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी
हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2025

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- सीसैट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

नोट: ऑनलाइन छात्र हमारे पाठ्यक्रम की लाइव वीडियो कक्षाएं अपने घर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। छात्र लाइव चैट विकल्प के माध्यम से कक्षा के दौरान अपने संदेह और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। वे अपने संदेह और प्रश्न नोट भी कर सकते हैं और दिल्ली केंद्र में हमारे कक्षा सलाहकार को बता सकते हैं और हम फोन/मेल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देंगे।

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

DELHI: 10 अप्रैल, 9 AM | 14 मई, 9 AM

LUCKNOW: 5 जून

BHOPAL: 11 जून

JAIPUR: 23 अप्रैल

JODHPUR: 22 अप्रैल

UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 में चयनित सभी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई

7 in Top 10 | 79 in Top 100 Selections in CSE 2023

from various programs of VISIONIAS

हिन्दी माध्यम में 35+ चयन

53 AIR मोहन लाल
136 AIR अर्पित कुमार
238 AIR विपिन दुबे
257 AIR मनीषा धार्वे
313 AIR मयंक दुबे
517 AIR देवेश पाराशर
541 AIR शिवम अग्रवाल
551 AIR मोहन मंगवा
555 AIR ईश्वर लाल गुर्जर
556 AIR शुभम रघुवंशी
563 AIR अजित सिंह खड्डा
596 AIR के परीक्षित
616 AIR रवि गंगवार
619 AIR भानु प्रताप सिंह
633 AIR मैत्रेय कुमार शुक्ला
642 AIR शशांक चौहान
697 AIR प्रीतेश सिंह राजपूत
747 AIR नीरज धाकड़
758 AIR सोफिया सिद्दीकी
776 AIR पटेल दीप राजेशकुमार
793 AIR अशोक सोनी
798 AIR विनोद कुमार मीणा
816 AIR पवन कुमार
850 AIR भारती साहू
854 AIR सचिन गुर्जर
856 AIR रजनीश पटेल
885 AIR पूरन प्रकाश
913 AIR पायल ग्वालवंशी
916 AIR नीलेश
929 AIR प्रेम सिंह मीणा
941 AIR प्रद्युमन कुमार
952 AIR संदीप कुमार मीणा
954 AIR कर्मवीर नरवदिया
961 AIR अभिषेक मीणा
962 AIR सचिन कुमार
964 AIR नीरज सोंगारा

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance) ____ 5

1.1. समान नागरिक संहिता ____ 5

1.2. नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 ____ 7

1.3. एक राष्ट्र, एक चुनाव ____ 9

1.4. नगरपालिका चुनाव ____ 11

1.5. एस.आर. बोम्मई निर्णय (1994) ____ 13

1.6. छठी अनुसूची ____ 14

1.7. भारत में मंदिरों का विनियमन ____ 17

1.8. सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 ____ 19

1.9. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 21

1.9.1. सदन में वोट और भाषण देने के लिए रिश्वत लेने पर सांसदों-विधायकों को अभियोजन से छूट नहीं: सुप्रीम कोर्ट 21

1.9.2. 'नीति (NITI) फॉर स्टेट्स' प्लेटफॉर्म ____ 22

1.9.3. त्रिपुरा में त्रिपक्षीय समझौता ____ 22

1.9.4. डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम ____ 22

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) ____ 24

2.1. क्वाड ____ 24

2.2. राष्ट्रमंडल ____ 26

2.3. उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन ____ 29

2.4. अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा और कच्चातिवू का मुद्दा ____ 31

2.5. सिंधु जल संधि ____ 33

2.6. भारत-EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता 35

2.7. भारत-भूटान संबंध ____ 38

2.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 41

2.8.1. IPEF की मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित ____ 41

2.8.2. भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा ____ 42

2.8.3. भारत और ब्राज़ील ने पहली '2+2 रक्षा व विदेश मंत्रिस्तरीय वार्ता' आयोजित की ____ 42

2.8.4. ऑपरेशन इन्द्रावती ____ 43

2.8.5. गैस निर्यातक देशों का मंच ____ 43

2.8.6. अफ्रीका क्लब ____ 43

2.8.7. समिट फॉर डेमोक्रेसी ____ 44

2.8.8. टोंकिन की खाड़ी ____ 44

2.8.9. डेरियन गैप ____ 44

2.8.10. ब्लू लाइन ____ 44

3. अर्थव्यवस्था (Economy) ____ 46

3.1. विश्व व्यापार संगठन ____ 46

3.1.1. कृषि एवं खाद्य सुरक्षा ____ 47

3.1.2. मात्स्यिकी सब्सिडी समझौता ____ 48

3.1.3. सीमा-पार विप्रेषण/ रेमिटेंस ____ 49

3.2. डिजिटल एकाधिकार और डिजिटल इकोसिस्टम का विनियमन ____ 50

3.3. मानव विकास रिपोर्ट (HDR) 2023-2024 ____ 53

3.4. घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2022-23 ____ 56

3.5. रिजर्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना ____ 58

3.6. शहरी सहकारी बैंकों के लिए अम्ब्रेला संगठन ____ 61

3.7. प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) ____ 62

3.8. भारत की अनाज भंडारण प्रणाली ____ 64

3.9. कृषि विज्ञान केंद्र ____ 67

3.10. पेटेंट ____ 69

3.11. उत्तर-पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण योजना, 2024 (उन्नति 2024) ____ 73

3.12. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम- 2024 ____ 76

3.13. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 78

3.13.1. भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) का संशोधित विनियामक फ्रेमवर्क ____ 78

3.13.2. प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रूमेंट्स ____ 78

3.13.3. सेबी बोर्ड की बैठक में प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई ____ 78

3.13.4. प्रधान मंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जनकल्याण (पी.एम.-सूरज) पोर्टल ____ 79

3.13.5. प्रोजेक्ट गैया ____ 80

3.13.6. नीति आयोग ने 'वोकल फॉर लोकल' पहल शुरू की80

3.13.7. निवेशक सूचना और विश्लेषण मंच ____ 81

3.13.8. निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (RoDTEP) योजना ____ 81

3.13.9. डिस्कॉम्स की एकीकृत रेटिंग और रैंकिंग ____ 81

3.13.10. वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) की "ई-किसान उपज निधि" शुरू की गई ____ 81

3.13.11. ग्रिड कंट्रोलर ऑफ़ इंडिया लिमिटेड ____ 82

3.13.12. IndiaTex शुरू किया गया ____ 82

3.13.13. विश्व आर्थिक मंच (WEF) के C4IR का हैदराबाद में उद्घाटन किया गया ____ 83

3.13.14. सबरूम लैंड पोर्ट ____ 84

3.13.15. सुदर्शन सेतु ____ 84
3.13.16. सेला टनल ____ 84
4. सुरक्षा (Security) ____ 86
4.1. वामपंथी उग्रवाद ____ 86
4.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 88
4.2.1. ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2023 ____ 88
4.2.2. भारत की पांचवीं पीढ़ी का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ____ 88
4.2.3. गोला-बारूद और मिसाइलों के विनिर्माण के लिए निजी क्षेत्र के पहले प्रतिष्ठान ____ 89
4.2.4. वेरी शॉर्ट-रेंज एयर डिफेंस सिस्टम (VSHORADS) मिसाइल ____ 90
4.2.5. वज्र प्रहरी प्रणाली ____ 90
4.2.6. INS जटायु ____ 90
4.2.7. जूस जैकिंग ____ 90
4.2.8. सुर्ख़ियों में रहे सैन्यअभ्यास ____ 90
5. पर्यावरण (Environment) ____ 92
5.1. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन ____ 92
5.2. बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024 ____ 95
5.3. ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ____ 97
5.4. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ____ 98
5.5. इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस ____ 100
5.6. गंगा नदी डॉल्फिन ____ 101
5.7. शून्य बजट प्राकृतिक कृषि ____ 102
5.8. शहरी जल संकट ____ 104
5.9. संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट ____ 106
5.10. बांध सुरक्षा ____ 108
5.11. क्षेपण मंडल ____ 111
5.12. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 114
5.12.1. "फाइनेंसिंग एग्रो-केमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट (FARM)" कार्यक्रम ____ 114
5.12.2. शहर-विशिष्ट ज़ीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान 115
5.12.3. इथेनॉल 100 ____ 115
5.12.4. प्लैनेटरी बाउंड्रीज़ (ग्रहीय सीमाएं) फ्रेमवर्क ____ 116
5.12.5. रेप्रिज़ेन्टेटिव कॉन्सेंट्रेशन पाथवेज़ ____ 116
5.12.6. नेचर रेस्टोरेशन लॉ ____ 116
5.12.7. पायरोलिसिस ____ 116
5.12.8. अर्थ ऑवर ____ 117
5.12.9. इकोसाइड ____ 117
5.12.10. ओरण भूमि ____ 117
5.12.11. जीवित प्राणी प्रजातियां (रिपोर्टिंग और रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2024 ____ 117
5.12.12. गोल्डन लंगूर ____ 118
5.12.13. मेलानोक्लामिस द्रौपदी (एम.द्रौपदी) ____ 118
5.12.14. स्टार ड्यून्स ____ 118
5.12.15. रेड मड ____ 119
5.12.16. सी-माउंट (समुद्री पर्वत) ____ 119
5.12.17. एंथ्रोपोसीन युग (मानव युग) ____ 119
5.12.18. शिंकुन ला दर्रा ____ 119
5.12.19. ग्रेट लेक्स ____ 119
6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) ____ 121
6.1. लिव-इन रिलेशनशिप ____ 121
6.2. भारत में कुल प्रजनन दर में गिरावट ____ 122
6.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 123
6.3.1. "लैंगिक असमानता सूचकांक (GII) 2022" जारी किया गया ____ 123
6.3.2. संयुक्त राष्ट्र की लैंगिक समानता पर प्रणाली-व्यापी रणनीति ____ 124
6.3.3. समग्र प्रगति कार्ड ____ 124
6.3.4. SWAYAM प्लस प्लेटफॉर्म ____ 125
6.3.5. ऑनलाइन बाल लैंगिक शोषण और दुर्व्यवहार ____ 125
6.3.6. वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक ____ 126
6.3.7. स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग (SGLR) पहल ____ 126
6.3.8. होमोसेप एटम ____ 126
7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology) ____ 128
7.1. इंडिया AI मिशन ____ 128
7.1.1. AI के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक फ्रेमवर्क ____ 130
7.2. घोस्ट पार्टिकल्स ____ 132
7.3. फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ____ 134
7.4. मानव जीनोम अनुक्रमण ____ 138
7.4.1. जीन थेरेपी ____ 140
7.5. सर्वाइकल कैंसर ____ 142
7.6. सबमरीन केबल सिस्टम ____ 143
7.7. उपग्रह आधारित टोल संग्रहण प्रणाली ____ 145
7.8. मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल (MIRV) तकनीक ____ 146

7.9. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 148
7.9.1. एंड-टू-एंड क्वांटम कम्युनिकेशन लिंक स्थापित किया गया ____ 148
7.9.2. पुष्पक नामक रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल (RLV) LEX 02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया ____ 148
7.9.3. तीन महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया ____ 149
7.9.4. कुलशेखरपट्टिनम स्पेसपोर्ट ____ 149
7.9.5. स्पेस-बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन (सखी) ऐप ____ 150
7.9.6. स्टेटियो शिव शक्ति ____ 150
7.9.7. अनकवर कार्यक्रम ____ 150
7.9.8. गर्भिनी-GA2 ____ 150
7.9.9. भारत पेनिसिलिन-G का फिर से उत्पादन शुरू करेगा 151
7.9.10. सांप के काटने से होने वाली क्षति की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना ____ 151
7.9.11. याउंडे घोषणा-पत्र ____ 152
7.9.12. पार्थेनोजेनेसिस ____ 152
7.9.13. अमिट स्याही (मतदाता स्याही) ____ 152
7.9.14. शुष्क बर्फ ____ 152
7.9.15. एस्बेस्टस ____ 153

8. संस्कृति (Culture) ____ 154
8.1. लचित बोरफुकन ____ 154
8.2. जियो-हेरिटेज साइट्स ____ 156
8.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 159
8.3.1. 10 नए उत्पादों को GI टैग मिला ____ 159
8.3.2. मध्य प्रदेश के छह सांस्कृतिक धरोहर स्थल यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किए गए ____ 159
8.3.3. अय्या वैकुंड स्वामीकल ____ 160
8.3.4. नाना जगन्नाथ शंकरसेठ ____ 160
8.3.5. वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ____ 161
8.3.6. शंकराचार्य मंदिर ____ 161
8.3.7. कोचरब आश्रम ____ 161
8.3.8. गोरसम कोरा महोत्सव ____ 162
8.3.9. संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार ____ 162

9. नीतिशास्त्र (Ethics) ____ 163
9.1. खुशहाली ____ 163
9.2. बुनियादी जरूरतें और दुर्लभ संसाधन ____ 165
9.3. धार्मिक विश्वास और वैज्ञानिक प्रगति ____ 167

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) ____ 170
10.1. प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना ____ 170

नोट:

प्रिय अभ्यर्थियों,

करेंट अफेयर्स को पढ़ने के पश्चात् दी गयी जानकारी या सूचना को याद करना और लंबे समय तक स्मरण में रखना आर्टिकल्स को समझने जितना ही महत्वपूर्ण है। मासिक समसामयिकी मैगज़ीन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, हमने निम्नलिखित नई विशेषताओं को इसमें शामिल किया है:

	विभिन्न अवधारणाओं और विषयों की आसानी से पहचान तथा उन्हें स्मरण में बनाए रखने के लिए मैगज़ीन में बॉक्स, तालिकाओं आदि में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है।
	पढ़ी गई जानकारी का मूल्यांकन करने और उसे याद रखने के लिए प्रश्नों का अभ्यास बहुत जरूरी है। इसके लिए हम मैगज़ीन में प्रत्येक खंड के अंत में स्मार्ट क्विज़ को शामिल करते हैं।

	विषय को आसानी से समझने और सूचनाओं को याद रखने के लिए विभिन्न प्रकार के इंफोग्राफिक्स को भी जोड़ा गया है। इससे उत्तर लेखन में भी सूचना के प्रभावी प्रस्तुतीकरण में मदद मिलेगी।
	सुर्ख़ियों में रहे स्थानों और व्यक्तियों को मानचित्र, तालिकाओं और चित्रों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इससे तथ्यात्मक जानकारी को आसानी से स्मरण रखने में मदद मिलेगी।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

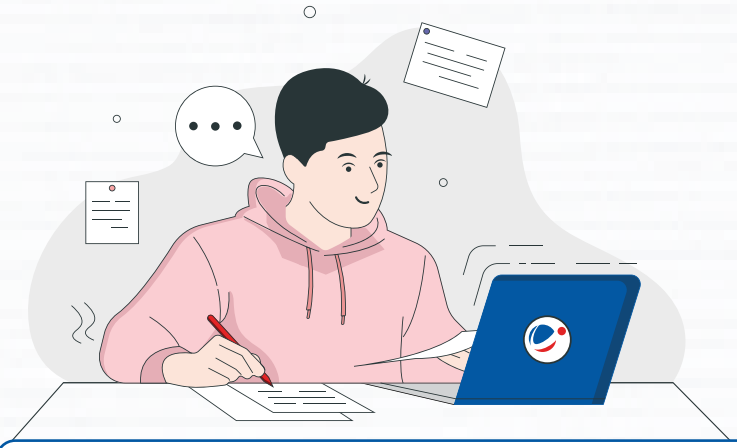

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

UPSC प्रीलिम्स

की तैयारी की स्मार्ट और प्रभावी रणनीति

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के दो पेपर (सामान्य अध्ययन और CSAT) शामिल होते हैं, जो अभ्यर्थी के ज्ञान, उसकी समझ और योग्यता का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं।

यह चरण अभ्यर्थियों को व्यापक पाठ्यक्रम में महारत हासिल करने और बदलते पैटर्न के अनुरूप ढलने की चुनौती देता है। साथ ही, यह चरण टाइम मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन को याद रखने और प्रीलिम्स की अप्रत्याशितता को समझने में भी महारत हासिल करने की चुनौती देता है।

इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने हेतु कड़ी मेहनत के साथ–साथ तैयारी के लिए एक समग्र और निरंतर बदलते दृष्टिकोण की भी आवश्यकता होती है।

तत्काल व्यक्तिगत मेंटरिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

प्रीलिम्स की तैयारी के लिए मुख्य रणनीतियां

तैयारी की रणनीतिक योजना: पढ़ाई के दौरान सभी विषयों को बुद्धिमानी से समय दीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि आपके पास रिवीजन और मॉक प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त समय हो। अपने कमजोर विषयों पर ध्यान दीजिए।

अनुकूल रिसोर्सेज का उपयोग: ऐसी अध्ययन सामग्री चुनिए जो संपूर्ण और टू द पॉइंट हो। अभिभूत होने से बचने के लिए बहुत अधिक कंटेंट की जगह गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए।

PYQ और मॉक टेस्ट का रणनीतिक उपयोग: परीक्षा के पैटर्न, महत्वपूर्ण विषयों और प्रश्नों के ट्रेंड्स को समझने के लिए विगत वर्ष के प्रश्न–पत्रों का उपयोग कीजिए। मॉक टेस्ट के साथ नियमित प्रैक्टिस और प्रगति का आकलन करने से तैयारी तथा टाइम मैनेजमेंट में सुधार होता है।

करेंट अफेयर्स की व्यवस्थित तरीके से तैयारी: न्यूज़पेपर और मैगजीन के जरिए करेंट अफेयर्स से अवगत रहिए। समझने और याद रखने में आसानी के लिए इस ज्ञान को स्टेटिक विषयों के साथ एकीकृत कीजिए।

स्मार्ट लर्निंग: रटने के बजाय अवधारणाओं को समझने पर ध्यान दीजिए, बेहतर तरीके से याद रखने के लिए निमोनिक्स, इन्फोग्राफिक्स और अन्य प्रभावी तरीकों का उपयोग कीजिए।

व्यक्तिगत मेंटरिंग: व्यक्तिगत रणनीतियों, कमजोर विषयों और मोटिवेशन के लिए मेंटर्स की मदद लीजिए। मेंटरशिप स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी मददगार होता है, ताकि आप मेंटल हेल्थ को बनाए रखते हुए परीक्षा पर ठीक से ध्यान केंद्रित कर सकें।

UPSC प्रीलिम्स की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, Vision IAS ने अपना बहुप्रतीक्षित "ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" शुरू किया है। इस प्रोग्राम में नवीनतम ट्रेंड्स के अनुरूप संपूर्ण UPSC सिलेबस को शामिल किया गया है।

इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- UPSC सिलेबस का व्यापक कवरेज
- टेस्ट सीरीज का फ्लेक्सिबल शेड्यूल
- टेस्ट का लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन डिस्कशन और पोस्ट–टेस्ट एनालिसिस
- प्रत्येक टेस्ट पेपर के लिए आंसर–की और व्यापक व्याख्या
- अभ्यर्थी के अनुरूप व्यक्तिगत मेंटरिंग
- ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ इनोवेटिव अस्सेस्मेंट सिस्टम और परफॉरमेंस एनालिसिस
- क्विक रिविजन मॉड्यूल (QRM)

अंत में, एक स्मार्ट स्टडी प्लान, प्रैक्टिस, सही रिसोर्स और व्यक्तिगत मार्गदर्शन को मिलाकर बनाई गई रणनीतिक तथा व्यापक तैयारी ही UPSC प्रीलिम्स में सफलता की कुंजी है।

"ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" के लिए रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने हेतु QR कोड को स्कैन कीजिए

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance)

1.1. समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code: UCC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उत्तराखंड राज्य विधान सभा ने **समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड, 2024 विधेयक** पारित किया। विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने से यह अब कानून बन चुका है।

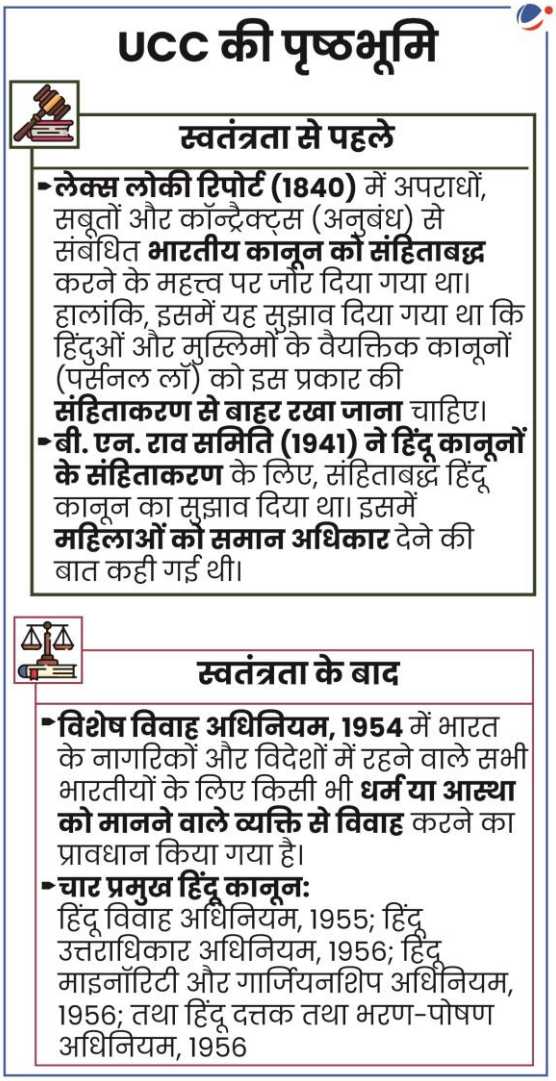

अन्य संबंधित तथ्य

- इस विधेयक के पारित होने से उत्तराखंड **समान नागरिक संहिता (UCC) पर कानून पारित करने वाला देश का पहला राज्य** बन गया है।
  - इसके अलावा, **असम** और **गुजरात** भी **UCC को लागू करने पर काम** कर रहे हैं।
  - **गोवा** भारत का एकमात्र राज्य है जहां पहले से ही सामान्य नागरिक संहिता लागू है। यह UCC से अलग है और **पुर्तगाली नागरिक संहिता[1], 1867** के रूप में मजूद है।

उत्तराखंड में लागू होने वाले UCC के प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र

- **किस पर लागू होगा:** यह कानून उत्तराखंड के **जनजातीय समुदायों (संविधान के भाग XXI के तहत संरक्षित) को छोड़कर,** राज्य के शेष सभी निवासियों पर लागू होगा।
- **विवाह और लिव-इन रिलेशनशिप:** यह कानून राज्य में **लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए एक महीने के भीतर तथा विवाहित लोगों के लिए 60 दिनों के भीतर रिलेशनशिप/ विवाह** का पंजीकरण कराना अनिवार्य बनाता है।

  यह प्रावधान सभी निवासियों पर लागू होगा।
  - हालांकि, **LGBTQIA+ समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा** गया है।
  - यह कानून **शून्य या अमान्य विवाह[2]** और लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा होने वाले **बच्चों को कानूनी मान्यता** प्रदान करता है।
  - **कुछ विवाह संबंधी प्रथाओं का अपराधीकरण:** निकाह-हलाला और तीन तलाक जैसी प्रथाओं पर रोक लगाई गई है।
  - यह कानून **जीवित पति या पत्नी होने के बावजूद दूसरा विवाह (Bigamy) करने पर रोक** लगाता है।
- **विरासत:** यह कानून **पुत्र और पुत्रियों, दोनों के लिए पैतृक संपत्ति में समान अधिकार** का प्रावधान करता है। इस प्रकार, इस कानून के जरिए पहले से चली आ रही **सहदायिक/ हमवारिस प्रणाली (Coparcenary System)** को दरकिनार कर दिया है। अब बिना वसीयत वाली संपत्ति (Intestate succession) भी में पुत्र और पुत्रियों को समान अधिकार प्रदान किया गया है।

UCC के बारे में

- UCC का आशय पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए **एक समान कानून** लागू करने से है। यह समान कानून **सभी धार्मिक समुदायों** के विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने, उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान रूप से लागू होगा।
- वर्तमान में, भारत के **व्यक्तिगत कानून (Personal law)** काफी जटिल एवं अलग-अलग हैं। यहां **प्रत्येक धर्म में अपने विशेष कानूनों का पालन होता है।**

[1] Portuguese Civil Code

[2] Void/ voidable marriage

- **भारत में लागू व्यक्तिगत कानून:**
  - **हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम[3], 1956:** यह कानून हिन्दू, सिख, जैन एवं बौद्ध समुदाय पर लागू होता है।
  - **मुस्लिम पर्सनल लॉ:** यह मुस्लिम समुदाय पर लागू होता है। और
  - **भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम[4], 1925:** यह ईसाई, पारसी और यहूदी समुदाय पर लागू होता है।
  - **विशेष विवाह अधिनियम (SMA)[5]:** इसके तहत अंतरधार्मिक विवाह (Interfaith marriage) को मान्यता दी गई है। इसके अलावा, इसमें मैरिज ऑफिसर द्वारा विवाह के पंजीकरण का भी प्रावधान है।

UCC की सिफारिश करने वाले महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय और समितियां

- **शाहबानो केस (1985):** सुप्रीम कोर्ट ने विशेषकर गुजारा-भत्ता संबंधी मामलों में UCC की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
- **सरला मुद्गल केस (1995):** सुप्रीम कोर्ट ने UCC के माध्यम से सभी धर्मों में लैंगिक समानता स्थापित करने के लिए संसद से कानून पारित करने की सिफारिश की।
- **पाउलो कॉटिन्हो बनाम मारिया लुइज़ा वेलेंटीना परेरा (2019):** सुप्रीम कोर्ट ने समान व्यवस्था रखने के लिए समान कानूनों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
- **विधि आयोग (2018):** अब UCC की जरूरत नहीं है, बल्कि मौजूदा कानूनों में संशोधन करने की जरूरत है।
- **विधि आयोग (2022):** UCC पर सार्वजनिक और धार्मिक लोगों की राय की मांग की गई।

UCC के पक्ष में तर्क

- **इससे संबंधित प्रावधान भारत के संविधान में दिए गए हैं।** राज्य की नीति के निदेशक तत्वों (DPSPs) के तहत **अनुच्छेद 44** में UCC का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य नागरिक मामलों के लिए एक समान कानूनी ढांचे का निर्माण करना है।
- **इससे पंथनिरपेक्षता को बढ़ावा मिलता है।** UCC के लागू होने से **पंथनिरपेक्ष राष्ट्र के सिद्धांतों को बनाए रखा** जा सकेगा। यहां पंथनिरपेक्ष राष्ट्र से तात्पर्य एक ऐसे राष्ट्र से है, जहां धार्मिक मान्यताएं नागरिक मामलों पर लागू नहीं होती हैं।
- **UCC से राष्ट्रीय एकता और एकीकरण को बढ़ावा मिलता है।** UCC निम्नलिखित तरीके से **राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देगी:**
  - धार्मिक और सामुदायिक विभाजनों को समाप्त करके,
  - समान नागरिकता को बढ़ावा देकर और
  - अधिक एकीकृत कानूनी प्रणाली निर्मित करके।
- **इसके लागू होने से लैंगिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा।** UCC को लागू करके कुछ धार्मिक वैयक्तिक (पर्सनल) कानूनों में व्याप्त लैंगिक रूप से **भेदभावपूर्ण प्रथाओं को समाप्त** किया जा सकेगा। इससे लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा मिलेगा।
- **UCC से कानूनों का सरलीकरण संभव हो पाएगा।** UCC विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार आदि से संबंधित **जटिल कानूनों को सरल** बनाएगा।
- **यह व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध करता है।** ऐसे कानूनों को संहिताबद्ध करके निष्पक्षता जैसे सार्वभौमिक सिद्धांत स्थापित किए जा सकते हैं। साथ ही, इससे कानूनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा; न्याय तक पहुंच को बढ़ावा मिलेगा और विवादों को प्रभावी ढंग से हल किया जा सकेगा।

UCC के खिलाफ तर्क

- **विविधता और धार्मिक स्वतंत्रता को खतरा:** UCC को लागू करने से देश के **विविध समुदायों की सांस्कृतिक एवं धार्मिक पहचान कमजोर** हो सकती है। इससे **धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन** हो सकता है। ध्यातव्य है कि **धार्मिक स्वतंत्रता** से जुड़े प्रावधान संविधान के **अनुच्छेद 25** में उल्लिखित हैं।
- **समुदायों के बीच आम सहमति का अभाव:** प्रत्येक समुदाय की कुछ ऐसी विशिष्ट परंपराएं, रीति-रिवाज और धार्मिक कानून होते हैं, जिन्हें वे संरक्षित करना चाहते हैं। इसलिए, सभी समुदायों की **सहमति व समझौते के बिना UCC लागू करने से सामाजिक अशांति पैदा** हो सकती है।
- **संघीय ढांचे के बारे में चिंताओं को बढ़ावा देता है:** कई विशेषज्ञों के अनुसार UCC, राज्यों की विधायी क्षमता का अतिक्रमण कर सकता है। इस अतिक्रमण के कारण, UCC के प्रवर्तन से संविधान के **अनुसूची 7 की प्रविष्टि 5** के तहत सहकारी संघवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन हो सकता है।

आगे की राह

- **आम सहमति हासिल करना:** सरकार को लोगों का समर्थन हासिल करने एवं उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए UCC के संदर्भ में धार्मिक नेताओं एवं सामुदायिक प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारकों के साथ तर्कपूर्ण वार्ता करनी चाहिए।

---

[3] Hindu Succession Act

[4] Indian Succession Act

[5] Special Marriage Act

- **मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता:** सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि UCC को राजनीतिक लाभ के एक साधन के रूप में लागू नहीं किया जाए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका कार्यान्वयन गैर-पक्षपातपूर्ण और समावेशी तरीके से किया जाए।
- **जागरूकता का प्रसार:** यह अत्यावश्यक है कि आम जनता UCC के प्रवर्तन हेतु दिए गए तर्कों और उससे मिलने वाले लाभों को समझे। इसके लिए जरूरी है कि सरकार, नागरिक समाज और मीडिया मिलकर इस दिशा में प्रयास करें।
- **चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाना:** सभी के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए UCC को न्याय, समानता और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों के साथ संरेखित करना चाहिए। इसके लिए मौजूदा व्यक्तिगत कानूनों की समीक्षा करना आवश्यक है।

1.2. नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 {Citizenship (Amendment) Rules, 2024}

सुर्ख़ियों में क्यों?

गृह मंत्रालय ने **नागरिकता नियम, 2009 में संशोधन** किया है और **नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024** को अधिसूचित किया है। ऐसा **नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA)[6], 2019 को लागू** करने के उद्देश्य से किया गया है।

क्या आप जानते हैं?

> भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 11 में संसद** को यह अधिकार दिया गया है कि वह नागरिकता देने एवं उसे समाप्त करने तथा **नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों के लिए कोई भी प्रावधान कर** सकती है।

पृष्ठभूमि

- भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 11** के अनुसार, **संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति** प्राप्त है। संसद ने इसी अनुच्छेद के तहत प्राप्त शक्ति का उपयोग करते हुए **CAA, 2019 को पारित** किया है। दिसंबर, 2019 में इसे राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई थी। हालांकि CAA के लागू होने में देरी की वजह, गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित करने में की गई देरी थी।
- CAA का उद्देश्य प्रवासियों के एक विशेष समूह को नागरिकता प्रदान करना है, भले ही उनके पास **1955 के नागरिकता अधिनियम** के अनुसार यात्रा के वैध दस्तावेज नहीं हैं।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 के बारे में

- इस संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि **जो अवैध प्रवासी निम्नलिखित चार शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें अधिनियम के तहत अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा:**
  - वे **हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई धर्म** से हों;
  - वे **अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश** से आये हों;
  - उन्होंने **31, दिसंबर 2014** को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया हो; तथा
  - वे संविधान की **छठी अनुसूची** में शामिल **असम, मेघालय, मिजोरम** और **त्रिपुरा** के कुछ आदिवासी क्षेत्रों या **'इनर लाइन' परमिट (अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड)** के तहत आने वाले **क्षेत्रों में नहीं आते** हों।

- केंद्र सरकार ने ऐसे प्रवासियों को **पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम[7], 1920** तथा **फॉरेनर्स एक्ट, 1946** और इनके तहत बनाए गए **नियमों या आदेशों** के खिलाफ दंडित करने से छूट दी है।
- उपर्युक्त प्रवासियों के लिए **देशीयकरण (Naturalisation) के जरिए नागरिकता लेने की अवधि 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष** कर दी गई है।
- **ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) पंजीकरण रद्द करने के पांच आधार:** अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार कुछ दशाओं में ऐसे प्रवासियों का OCI पंजीकरण रद्द कर सकती है (इन्फोग्राफिक देखें)।

[6] Citizenship Amendment Act

[7] Passport (Entry into India) Act

नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

पात्रता	• पंजीकरण/ देशीयकरण के तहत भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है: ○ **भारतीय मूल** का व्यक्ति, ○ किसी भारतीय नागरिक से **शादी करने वाली महिला या पुरुष,** ○ भारतीय नागरिक की **नाबालिग संतान,** ○ वह व्यक्ति जिसके **माता-पिता भारतीय नागरिक** के रूप में पंजीकृत हैं, ○ वह व्यक्ति जिसके माता या पिता में से कोई एक **स्वतंत्र भारत की/ का नागरिक** रही/ रहा है, ○ **OCI कार्डधारक** के रूप में पंजीकृत व्यक्ति।
देशीयकरण द्वारा नागरिकता के लिए अन्य पात्रताएं	• नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को आवेदन में दिए गए **विवरण की सत्यता को प्रमाणित करने वाला एक शपथ-पत्र** दाखिल करना होगा। साथ ही, उस आवेदक के चरित्र की गवाही देने के लिए **किसी भारतीय नागरिक द्वारा एक शपथ-पत्र प्रस्तुत** करना होगा। • आवेदक को भारतीय संविधान की **आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध भाषाओं में से किसी एक भाषा का पर्याप्त ज्ञान** होना चाहिए।
राष्ट्रीयता का प्रमाण	• नियमों में मूल देश को साबित करने के लिए **दस्तावेजों की आवश्यकता में छूट** दी गई है। आवेदक अब भारत में प्रवेश के प्रमाण के रूप में **20 अलग-अलग दस्तावेज** प्रस्तुत कर सकते हैं। इन दस्तावेजों में **वीजा, आवासीय परमिट, जनगणना पर्ची, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड** आदि शामिल हैं।
दूसरे देश की नागरिकता का त्याग करना	• आवेदक को एक घोषणा-पत्र भी सौंपना होगा। इसमें इस बात का उल्लेख होगा कि यदि आवेदक का भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंजूर हो जाता है, तो उसके **अपने देश की नागरिकता समाप्त** मानी जाएगी।
प्राधिकारी जिसके पास नागरिकता के लिए आवेदन करना है	• **नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6B के तहत,** नागरिकता के लिए आवेदन **जिला स्तरीय समिति** के माध्यम से **अधिकार प्राप्त समिति (Empowered Committee)** को इलेक्ट्रॉनिक रूप में करना होगा। **जिला स्तरीय समिति** के बारे में केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करेगी। ○ **अधिकार प्राप्त समिति** आवेदन की जांच करेगी और मानदंड पूरा करने पर आवेदक को भारत की नागरिकता प्रदान कर सकती है।

CAA, 2019 और संबंधित नियमों की आवश्यकता क्यों है?

- **मानवाधिकार संबंधी पहलू:** यह अधिनियम **उत्पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान करके** तथा जीवन और स्वतंत्रता के उनके अधिकारों की सुरक्षा करके **मानवाधिकारों के सिद्धांतों** को बरकरार रखता है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाना:** इस अधिनियम का उद्देश्य **अवैध प्रवासियों और उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों** के बीच अंतर स्पष्ट करना है।
- **विभाजन के समय से पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करना:** ज्ञातव्य है कि **पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश** के संविधान **राष्ट्र विशिष्ट धर्म का प्रावधान** करते हैं। इसके परिणामस्वरूप हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के कई लोगों को इन देशों में धर्म के आधार पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है।

उठाई गई चिंताएं

- **देशों का वर्गीकरण:** अन्य पड़ोसी देशों, जैसे- **श्रीलंका (बौद्ध धर्म राजकीय धर्म है)** और **म्यांमार (बौद्ध धर्म की प्रधानता)** के प्रवासियों को शामिल नहीं किया गया है।
- **प्रवासन का आधार:** CAA नियम, 2024 के तहत यह साबित करने या जांचने के लिए कोई फॉर्मूला निर्धारित नहीं किया गया है कि आवेदक को उत्पीड़न या उत्पीड़न के भय से भारत में प्रवेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा था।
- **समानता के अधिकार के उल्लंघन की संभावना:** CAA से मुसलमानों, यहूदियों और अनीश्वरवादियों (Atheists) को बाहर रखने को संविधान के अनुच्छेद 14 व पंथनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन बताया गया है।

- **प्रवेश की तिथि के आधार पर वर्गीकरण:** CAA में प्रवासियों के साथ भारत में उनके प्रवेश की तारीख के आधार पर विभेद किया गया है, यानी क्या उन्होंने 31, दिसंबर 2014 से पहले या उसके बाद भारत में प्रवेश किया था।
- **बाहरी संबंधों पर प्रभाव:** संशोधन का तात्पर्य यह हो सकता है कि **पड़ोसी देशों में बहुसंख्यक समुदाय द्वारा अल्पसंख्यकों का धार्मिक आधार पर उत्पीड़न** किया जा रहा है। इससे संभावित रूप से पड़ोसी देशों के साथ तनाव बढ़ सकता है।

निष्कर्ष

उल्लेखनीय है कि संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों की चिंताओं को दूर करना है। इसलिए, एक व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए मुद्दों का समाधान करना अति आवश्यक है।

1.3. एक राष्ट्र, एक चुनाव (One Nation One Election)

सुर्ख़ियों में क्यों?

"एक राष्ट्र, एक चुनाव" को लेकर केंद्र सरकार द्वारा गठित उच्च-स्तरीय समिति (HLC)[8] ने **राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी** दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस समिति** का गठन सितंबर, 2023 में किया गया था। इस समिति को **"एक राष्ट्र, एक चुनाव" या "लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के एक साथ चुनाव (Simultaneous Elections)"** कराने की संभावनाओं का पता लगाने का कार्य सौंपा गया था।
- समिति ने **लोक सभा, राज्य विधान सभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने** के विचार का समर्थन किया है।

निम्नलिखित ने भी एक साथ चुनाव कराने के विचार का समर्थन किया है:

- **भारतीय विधि आयोग:** विधि आयोग ने 1999 की 170वीं रिपोर्ट, 2015 की 255वीं रिपोर्ट, तथा 2018 की मसौदा रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी।
- **2002 में संविधान के काम-काज की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग:** इस आयोग ने भी देश में एक साथ चुनावों की सिफारिश की थी।
- **2015 में संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट:** इस रिपोर्ट में भी यही सिफारिश की गई थी।
- **नीति आयोग:** आयोग ने अपने वर्किंग पेपर (2017) में एक साथ चुनाव कराने के विचार का समर्थन किया था

एक साथ चुनाव के बारे में

- यह **लोक सभा, सभी राज्य विधान सभाओं और स्थानीय निकायों यानी नगर पालिकाओं एवं पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने** की व्यवस्था है। ऐसा होने पर किसी **विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान** कर सकेंगे।
  - एक साथ चुनाव का आशय यह नहीं है कि **संपूर्ण देश में इन सभी चुनावों के लिए एक ही दिन मतदान हो।**
    - उदाहरण के लिए- इसे मौजूदा व्यवस्था के अनुसार अलग-अलग क्षेत्रों में **चरण-वार तरीके** से आयोजित किया जा सकता है, बशर्ते किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता **एक ही दिन राज्य विधान सभा और लोक सभा, दोनों के लिए मतदान करें।**

एक साथ चुनाव कराने की आवश्यकता क्यों है?

- **आर्थिक लाभ:**
  - एक साथ चुनाव कराने से लोक सभा, राज्य विधान सभाओं और स्थानीय निकायों के अलग-अलग **चुनावों पर जो बार-बार खर्च करना पड़ता है, उससे बचा जा सकेगा।** इससे सरकारी खजाने पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ भी कम हो सकेगा।
  - सरकार के सभी तीन स्तरों पर एक साथ चुनाव कराने से **आपूर्ति श्रृंखला और उत्पादन चक्र में आने वाली रुकावटों से बचा जा सकेगा।** ऐसा इसलिए, क्योंकि **प्रवासी श्रमिकों** को मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए बार-बार छुट्टी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
  - **बार-बार आदर्श आचार संहिता (MCC)[9] लागू करने** से चुनाव वाले राज्य/ राज्यों में केंद्र और राज्य सरकारों के सभी तरह के विकास कार्यक्रम एवं गतिविधियां रुक जाती हैं।
- **गवर्नेंस या प्रशानिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना:** एक साथ चुनाव कराने से प्रशानिक कार्यों के लिए अधिक समय मिल पाएगा। इससे नागरिकों को लोक सेवाओं का वितरण बिना किसी रुकावट के सुनिश्चित हो सकेगा।

[8] High-Level Committee

[9] Model Code of Conduct

- **मतदाता भागीदारी:** बार-बार चुनाव होने के कारण 'मतदाताओं' को थकावट का अनुभव होता है। इससे चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी कम हो जाती है, जो एक प्रमुख समस्या है।
- **न्यायालयों पर कार्य बोझ को कम करना:** एक साथ चुनाव कराने से चुनाव संबंधी अपराधों और विवादों की संख्या में कमी आएगी तथा इससे न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ कम होगा।
- **पहचान की राजनीति को कम करना:** बार-बार होने वाले चुनावों में अक्सर पहचान की राजनीति का उपयोग किया जाता है। इससे जाति और वर्ग विभाजन को बढ़ावा मिलता है तथा सामाजिक एकता बाधित होती है।

एक साथ चुनाव कराने से संबंधित मुद्दे/ समस्याएं और समिति द्वारा की गई सिफारिशें

मुद्दे/ समस्याएं	**समिति का अवलोकन/ सिफारिशें**
एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन करने संबंधी **कानूनी चुनौतियां**	• **इस चुनौती से निपटने के लिए दो चरणों वाली व्यवस्था:** ○ पहले चरण में **लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव एक साथ** कराने पर विचार किया जाना चाहिए। ▪ इसके लिए, एक **संविधान संशोधन विधेयक** प्रस्तुत किया जाएगा। इस विधेयक के जरिए संविधान के **अनुच्छेद 83** (संसद के सदनों की अवधि) और **अनुच्छेद 172** (राज्य विधान मंडल की अवधि) में संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा, संविधान में **अनुच्छेद 82A** को भी जोड़ा जाएगा। ▪ इस संशोधन के लिए **राज्यों के अनुसमर्थन (मंजूरी) की आवश्यकता नहीं** है। ○ दूसरे चरण में **नगर-पालिका और पंचायत चुनाव भी लोक सभा व राज्य विधान सभाओं के चुनावों के सौ दिनों के भीतर** कराने पर विचार किया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए एक और **संविधान संशोधन विधेयक** प्रस्तुत किया जाएगा। ▪ उपर्युक्त व्यवस्था के लिए संविधान में **अनुच्छेद 324A को शामिल** करना होगा। हालांकि, इसके लिए **राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता** होगी। ○ **अनुच्छेद 324A:** नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनावों को एक साथ कराने से संबंधित। ▪ संविधान के **अनुच्छेद 325** में संशोधन किया जाएगा। **एकल मतदाता सूची और मतदाता के एकल फोटो पहचान-पत्र** को सक्षम बनाने के लिए संशोधन किया जाएगा।
त्रिशंकु संसद/ विधान सभा एवं समय से पहले विघटन संबंधी मुद्दे	• **लोक सभा** में त्रिशंकु सदन या अविश्वास प्रस्ताव जैसी **स्थिति उत्पन्न होने पर नए सिरे से चुनाव** कराए जाने चाहिए। हालांकि, ये चुनाव केवल भंग लोक सभा के **शेष कार्यकाल के लिए** ही होने चाहिए। इसी प्रकार, **राज्यों के मामले में,** राज्य विधान सभाओं के लिए नए चुनाव कराए जाएंगे और जब तक उन्हें जल्द भंग नहीं किया जाता, तब तक **उनका कार्यकाल लोक सभा के पूर्ण कार्यकाल के अंत तक जारी** रहेगा। • इस संदर्भ में भी संविधान के **अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172** में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए भी **राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं** होगी।
राज्यों के चुनावों में बदलाव करने से **राज्यों के अधिकारों का हनन होगा**	• रिपोर्ट में संविधान के **अनुच्छेद 327** का उल्लेख करके इस चिंता को दूर करने का प्रयास किया गया है। यह अनुच्छेद **संसद को, संसद के प्रत्येक सदन और राज्य विधान-मंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान** करने का अधिकार देता है। • समिति ने सिफारिश की है कि **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम[10], 1951 में संशोधन करने की आवश्यकता है।** ○ इस कानून की **धाराएं 14 और 15 आम चुनाव के लिए अधिसूचना** से संबंधित हैं। वहीं **भाग IX (जिसमें धारा 147 से 151A शामिल हैं) लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के उप-चुनावों** से संबंधित है।
लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनावों में ताल-मेल (Synchronisation) बिठाना	• समिति ने प्रस्ताव दिया है कि **भारत का राष्ट्रपति** आम चुनाव के बाद लोक सभा की पहली बैठक की तारीख पर **एक अधिसूचना जारी** करे। इस अधिसूचना को चुनाव के समय में ताल-मेल बिठाने के लिए एक निर्धारित तिथि के रूप में तय किया जाना चाहिए। • सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक **कार्यान्वयन समूह का गठन** किया जाना चाहिए।

[10] Representation of the People Act

EVMs व VVPATs सहित लॉजिस्टिक्स और श्रमबल से संबंधित मुद्दे	• **भारतीय निर्वाचन आयोग ने लॉजिस्टिक्स संबंधी व्यवस्था करने के लिए एक योजना बनाई है।** • निर्वाचन आयोग **उपकरणों की खरीद के लिए पहले से अनुमान** लगा सकता है, जैसे- EVMs एवं VVPATs, मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों की तैनाती, अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं करना, आदि।

निष्कर्ष

'उच्च-स्तरीय समिति' का गठन भारत में चुनावों को एक साथ कराने पर सरकार द्वारा गंभीरता से विचार करने को दर्शाता है। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' हेतु व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए हितधारकों के साथ पारदर्शी एवं समावेशी संवाद के माध्यम से चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण है। इन हितधारकों में कानूनी विशेषज्ञ, राज्य सरकारें और अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

चुनावी सुधार के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #58: चुनावी सुधारः प्रभावी लोकतंत्र के लिए एक अप्रोच

1.4. नगरपालिका चुनाव (Municipal Elections)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने **चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव के परिणामों को अमान्य और रद्द** घोषित कर दिया।

नगरपालिका चुनाव के बारे में

- नगरपालिका चुनाव **स्थानीय शहरी निकायों के प्रतिनिधियों का चयन** करने के लिए किए जाने वाले चुनाव हैं।
- **नगर निगमों** के चुनाव, संबंधित राज्य सरकार के विधान-मंडल द्वारा बनाए गए **नगर निगम अधिनियम** के अनुसार होते हैं। हालांकि, नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों के चुनाव संबंधित **नगरपालिका अधिनियम** के अनुसार होते हैं।

नगरपालिकाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- **नगरपालिकाओं की संरचना (अनुच्छेद 243R):** नगरपालिकाओं की सभी सीटें प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नगरपालिका क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से चयनित व्यक्तियों द्वारा भरी जाएंगी।
  - इस उद्देश्य के लिए, **प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित** किया जाएगा, जिन्हें **वार्ड** के नाम से जाना जाएगा।

शहरी स्थानीय निकाय (ULBs)[11] और नगर निगम

- **किसी नगर निगम में तीन प्राधिकरण होते हैं:** परिषद, स्थायी समिति और आयुक्त।
  - **परिषद:** इसमें **पार्षद** शामिल होते हैं। यह निगम की **विचार-विमर्श करने वाली और विधायी शाखा** है। इसका नेतृत्व **मेयर** करता है। उसकी **सहायता के लिए एक डिप्टी मेयर** होता है।
    - हालांकि, मेयर **नाममात्र का प्रमुख** होता है। उसे **शहर के प्रथम नागरिक के रूप में मान्यता** प्राप्त है।
  - **स्थायी समितियां:** ये समितियां परिषद के काम-काज को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाई जाती हैं, जो संख्या में बहुत अधिक होती हैं।
  - **नगर आयुक्त:** यह **परिषद और उसकी स्थायी समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने** के लिए जिम्मेदार होता है।
- भारतीय शहरों में मुख्य रूप से आयुक्त मॉडल यानी **'मुख्य कार्यकारी के रूप में आयुक्त (CACE)[12]' मॉडल** का पालन किया जाता है। यह मॉडल मेयर मॉडल यानी **'प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कार्यकारी मेयर (DEEM)[13]' मॉडल** के विपरीत है।
  - **DEEM मॉडल:** इस मॉडल में **मेयर** अग्रणी होता है और उसके पास व्यापक कार्यकारी शक्तियां होती हैं।
  - **CACE मॉडल:** इस मॉडल में **आयुक्त (Commissioner)** अग्रणी होता है और कार्यकारी शक्तियां उसी के पास होती हैं।
- देश के प्रत्येक राज्य ने अपने यहां नगरपालिकाओं के गठन के लिए कानून बनाया है। यह कानून **नगरपालिकाओं के कार्यों, संरचना, संसाधनों और नागरिक प्रशासन** में उनकी भूमिका तय करता है।

[11] Urban Local Bodies

[12] Commissioner As Chief Executive

[13] Directly Elected Executive Mayor

- **सीटों का आरक्षण (अनुच्छेद 243T):** इसमें संबंधित नगरपालिका अधिनियमों के अनुसार **पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और अन्य समूहों** के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी।
- **नगरपालिकाओं का कार्यकाल (अनुच्छेद 243U):** प्रत्येक नगरपालिका अपने **प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तारीख से पांच वर्ष** तक बनी रहेगी।
    - नई नगरपालिका के गठन के लिए अगले चुनाव का आयोजन नगरपालिका की अवधि समाप्त होने से पहले किया जाना अनिवार्य है।
    - यदि नगरपालिका को **5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले** भंग कर दिया जाता है, तो नई नगरपालिका के गठन के लिए **चुनाव का आयोजन उसे भंग किए जाने की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर कराना** अनिवार्य है।
- **राज्य निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 243ZA):** यह नगरपालिकाओं के लिए **मतदाता सूची तैयार** करता है। साथ ही, **नगरपालिकाओं के सभी चुनावों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण** करता है।

निष्पक्ष और समय पर नगरपालिका चुनावों की आवश्यकता क्यों?

- **'फर्स्ट-माइल' कनेक्ट:** नगरपालिकाएं अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, क्योंकि पार्षद **नागरिकों के 'फर्स्ट-माइल' निर्वाचित प्रतिनिधियों** के रूप में कार्य करते हैं।
    - **भारत के 4,700 से अधिक शहरों में 87,000 से अधिक पार्षद हैं, जो प्रत्येक वार्ड में औसतन 4,300 से अधिक नागरिकों** का प्रतिनिधित्व करते हैं। पार्षद, वार्ड का एक निर्वाचित प्रतिनिधि होता है।
- **जमीनी स्तर की समस्याओं का समाधान करना:** समय पर चुनाव करवाने से स्थानीय कार्रवाई सुनिश्चित होगी, जो **21वीं सदी की मानव विकास संबंधी प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। इन प्राथमिकताओं में पर्यावरण की सुरक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, लैंगिक समानता और रोजगार एवं आजीविका** शामिल हैं।
- **फंड/ वित्त-पोषण का कुशल उपयोग:** उदाहरण के लिए- निर्वाचित पार्षदों की भूमिका **15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल हेतु नगरपालिकाओं के लिए आवंटित 26,000 करोड़ रुपये के फंड** के उपयोग में महत्वपूर्ण है।

नगरपालिका चुनाव संबंधी चुनौतियां

- **समय से चुनाव नहीं होना: सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022)** मामले में सुप्रीम कोर्ट के विशेष निर्देश के बावजूद राज्य सरकारें शहरी स्थानीय सरकारों के लिए समय पर चुनाव नहीं करा रही हैं।
    - 2015 से 2021 तक सभी राज्यों में **1,500 से अधिक नगरपालिकाओं में निर्वाचित परिषदें नहीं** थीं।
- **परिषद के गठन में देरी:** चुनाव के बाद भी परिषदों का गठन नहीं हो पाता है। इसके कारण मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समितियों के चुनाव में भी देरी होती है।
    - कर्नाटक में, 11 नगर निगमों में से अधिकांश में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद निर्वाचित परिषदों के गठन में 12-24 महीने की देरी पाई गई थी।
- **परिसीमन और आरक्षण:** कई बार राज्य सरकार परिसीमन प्रक्रिया में देरी करती है। इसके कारण परिषद के चुनावों में विलंब होता है।
    - अधिकांश राज्यों में वार्डों के परिसीमन की शक्ति; परिषद के लिए सीटों के आरक्षण संबंधी शक्ति; तथा मेयर/ अध्यक्ष, डिप्टी मेयर/ उपाध्यक्षों और वार्डों के पदों के लिए सीटों की रोटेशन नीति निर्मित करने की शक्ति राज्य सरकार के पास होती है।
        - तीन राज्यों **(केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल) ने अपने-अपने राज्य निर्वाचन आयोग** को वार्डों के परिसीमन का अधिकार प्रदान किया है।
- **मेयर के कार्यकाल में अनियमितता:** भारत में, **आठ सबसे बड़े शहरों में से पांच शहरों सहित देश के 17 प्रतिशत शहरों में मेयर के कार्यकाल की अवधि पांच वर्ष से कम है।**
    - **मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समितियों** का कार्यकाल **पांच वर्ष से कम होने के कारण बार-बार चुनाव** होते हैं।
    - मेयर, चाहे **प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित** किए गए हों, दोनों स्थिति में यह पद राज्य सरकारों की प्रभुत्व की स्थिति से **प्रभावित** होते हैं।
- **राज्य निर्वाचन आयोग के पास शक्ति का अभाव:** राज्य निर्वाचन आयोग वार्ड की सीमाओं के परिसीमन को पूरा करने और महिलाओं के साथ-साथ वंचित समुदायों के लिए आरक्षण को अधिसूचित करने हेतु राज्य सरकारों पर निर्भर हैं।

- **मतदाताओं की उदासीनता:** नगरपालिका चुनावों में मतदान प्रतिशत लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनावों की तुलना में लगातार कम हो रहा है।
    - उदाहरण के लिए- 2020 में दिल्ली विधान सभा में 62.59 प्रतिशत मतदान हुआ था। यह स्थानीय परिषद चुनावों की तुलना में 11.85 प्रतिशत अधिक था।

आगे की राह

- **राज्य निर्वाचन आयोगों को सशक्त बनाना:** इन आयोगों को मजबूत करने और उन्हें पूरी चुनाव प्रक्रिया में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका देने से समय पर, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नगरपालिका चुनाव सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।
    - राज्य निर्वाचन आयोगों को मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समितियों के चुनाव में शामिल किया जा सकता है।
- **परिसीमन की शक्ति:** प्रत्येक राज्य में वार्ड परिसीमन और आरक्षण प्रक्रिया के संचालन की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग या एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग के पास होनी चाहिए।
- **एकल मतदाता सूची:** उच्च स्तरीय समिति के सुझाव के अनुसार, एक साथ चुनाव कराने के लिए सरकार के सभी तीन स्तरों हेतु एक ही मतदाता सूची तैयार करनी चाहिए। इससे अलग-अलग एजेंसियों के कार्यों में डुप्लीकेशन और निरर्थकता की समस्या में कमी आएगी।

1.5. एस.आर. बोम्मई निर्णय (1994) (S.R. Bommai Judgement: 1994)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की पीठ द्वारा दिए गए **एस. आर. बोम्मई निर्णय (1994) के 30 वर्ष पूरे** हुए।

क्या आप जानते हैं?

> **अनुच्छेद 356** का पहली बार इस्तेमाल 1951 में किया गया था। उस समय विधान सभा में स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद **पंजाब सरकार को बर्खास्त** कर दिया गया था।

एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (UOI) वाद, 1994 के निर्णय के बारे में

- **वर्ष 1989** में केंद्र सरकार ने संविधान के **अनुच्छेद 356 के तहत कर्नाटक में एस. आर. बोम्मई की सरकार को बर्खास्त** कर दिया था और वहां **राष्ट्रपति शासन** लगा दिया था।
- इस केस की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की **नौ जजों की पीठ** ने संविधान के **अनुच्छेद 356 के दायरे** को निर्धारित किया था। साथ ही, कोर्ट ने इस **अनुच्छेद के उपयोग पर लगे कुछ प्रतिबंधों को परिभाषित** भी किया था।

अनुच्छेद 356 के बारे में

- राज्य आपातकाल को **राष्ट्रपति शासन** या **संवैधानिक आपातकाल** के रूप में भी जाना जाता है। संविधान में इस स्थिति के लिए **'आपातकाल' शब्द का उपयोग नहीं** किया गया है।
- **अनुच्छेद 356, भारत शासन अधिनियम, 1935** की **धारा 93** से प्रेरित है।
- **राष्ट्रपति शासन घोषित करने का आधार:** किसी राज्य के **राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार** पर या अन्यथा, यदि **राष्ट्रपति को यह समाधान** हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें **उस राज्य की सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषित करने की उद्घोषणा** जारी कर देता है।
- **वैधता:** राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को **दो माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित** किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा इसे **स्वतः समाप्त** माना जाएगा। यह उद्घोषणा जारी करने की तारीख से **छह माह** तक लागू रहती है।
    - उद्घोषणा को **एक वर्ष से अधिक विस्तार** की अनुमति केवल राष्ट्रीय सुरक्षा आपातकाल की स्थिति में ही दी जाती है या यदि चुनाव आयोग प्रमाणित करे कि अभी विधान सभा चुनाव कराना मुश्किल है।
    - राष्ट्रपति शासन की अधिकतम सीमा **तीन वर्ष** है।

एस. आर. बोम्मई वाद में उठे मुख्य प्रश्न

- पहला, क्या **राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा न्यायसंगत** (न्यायिक समीक्षा के अधीन) थी?
- दूसरा, अनुच्छेद 356 के तहत **राष्ट्रपति की शक्तियों का दायरा और सीमाएं** क्या हैं?
    - संविधान इस बात पर मौन है कि **संवैधानिक तंत्र की विफलता क्या है?**
        - इस कारण इस प्रावधान के दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है।
- तीसरा, यदि **संसद द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद भी कोर्ट राष्ट्रपति शासन की घोषणा को अवैध ठहरा दे, तो इसके क्या परिणाम होंगे?**

बोम्मई निर्णय और निर्धारित किए गए प्रमुख सिद्धांत

- **न्यायिक समीक्षा:** सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की उद्घोषणा पर्याप्त आधारों पर न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
  - जिन **तथ्यों** के आधार पर राष्ट्रपति को यह **समाधान** होता है कि संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी है, कोर्ट उन तथ्यों की **जांच** कर सकता है।
  - यदि उद्घोषणा **दुर्भावनापूर्ण** है या पूरी तरह से **अप्रासंगिक या असंगत आधार** पर बेस्ड है, तो सुप्रीम कोर्ट या संबंधित हाई कोर्ट उस उद्घोषणा को **रद्द** कर सकता है।
- **राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमाएं:** निर्णय में यह निष्कर्ष निकाला गया कि किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति पूर्ण नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा **अपनी उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित होने के बाद ही अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए।**
  - तब तक राष्ट्रपति विधान सभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित करके ही विधान सभा को निलंबित कर सकता है।
- **राष्ट्रपति शासन के अमान्य होने के परिणाम:**
  - संबंधित राज्य की **मंत्रिपरिषद और विधान सभा दोनों को बहाल** किया जाना चाहिए।
  - उद्घोषणा के प्रवर्तन की अवधि के दौरान किए गए **कार्यों, पारित आदेशों और कानूनों की वैधता अप्रभावित** रहेगी।
- **अन्य प्रमुख टिप्पणियां:**
  - सत्तारूढ़ दल को प्राप्त समर्थन का निर्धारण करने में **शक्ति परीक्षण (फ्लोर टेस्ट) की सर्वोच्चता निर्धारित की गई।**
  - अनुच्छेद 356 का उपयोग केवल तभी उचित है **जब संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, न कि प्रशासनिक तंत्र।**
  - **सरकारिया आयोग की रिपोर्ट (1988)** के आधार पर, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सूचीबद्ध किया कि अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का उपयोग कहां उचित या अनुचित हो सकता है।
    - **उचित उपयोग का उदाहरण:** यदि केंद्र सरकार के संवैधानिक निर्देश की राज्य सरकार द्वारा अवहेलना की जाती है (अनुच्छेद 365)।
    - **अनुचित उपयोग का उदाहरण:** यदि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को अपने राज्य के शासनात्मक कार्यों में संशोधन या सुधार करने संबंधी पूर्व चेतावनी दिए बिना सीधे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। इसमें उस स्थिति को शामिल नहीं किया गया है जहां राष्ट्रपति शासन लगाने की अति आवश्यकता हो।
  - **पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्र और संघवाद** हमारे संविधान की मूलभूत विशेषताएं हैं और ये संविधान के मूल ढांचे का भी हिस्सा हैं।
    - **पंथनिरपेक्षता को परिभाषित करने का प्रयास किया गया:** कोर्ट के अनुसार, यह **धार्मिक सहिष्णुता के निष्क्रिय दृष्टिकोण से कहीं अधिक** है। यह सभी **धर्मों के प्रति समान व्यवहार की एक सकारात्मक अवधारणा** है।

एस.आर. बोम्मई निर्णय के प्रभाव

- **अनुच्छेद 356 का कम उपयोग: जनवरी, 1950 से मार्च, 1994 के बीच** राष्ट्रपति शासन **100 बार यानी वर्ष में औसतन 2.5 बार** लगाया गया था। जबकि, **1995 से 2021** के बीच **केवल 29 बार** ही राष्ट्रपति शासन लगाया गया।
- **संघवाद को मजबूत करना:** इस निर्णय ने **अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा को राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों को कम** किए बिना न्यायोचित ठहराया। इस प्रकार **शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को कम किए बिना देश के संघवाद को मजबूत किया।**

निष्कर्ष

1994 के बाद से बोम्मई मामले को कई बार दोहराया गया। इससे यह देश के राजनीतिक इतिहास में सबसे अधिक उद्धृत/ दोहराने वाले फैसलों में से एक बन गया था। जैसे-जैसे देश में केंद्र-राज्य संबंधों की जटिलता और शासन में पंथनिरपेक्षता की भूमिका बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे एस. आर. बोम्मई मामले में स्थापित सिद्धांत संघवाद और बहुलवाद के संवैधानिक आदर्शों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण बनते जा रहे हैं।

1.6. छठी अनुसूची (Sixth Schedule)

सुर्ख़ियों में क्यों?

लद्दाख को भारतीय संविधान की **छठी अनुसूची** के तहत **जनजातीय क्षेत्र** के रूप में मान्यता देने के लिए वहां के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- गृह मंत्रालय ने तर्क दिया है कि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है, जो एक जटिल प्रक्रिया है।
- लद्दाख के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान, केंद्रीय गृह मंत्री ने क्षेत्र में अनुच्छेद 371 जैसी सुरक्षा देने का प्रस्ताव रखा था।

छठी अनुसूची के बारे में

- **छठी अनुसूची** यानी संविधान के **अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1)** के तहत **असम, मेघालय, त्रिपुरा** और **मिजोरम** में **जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन** संबंधी प्रावधान किए गए हैं।

छठी अनुसूची के प्रावधान

- ये प्रावधान इन **चार राज्यों** के राज्यपालों को अपने-अपने राज्य में **स्वायत्त जिला परिषदें (ADCs)**[14] और **स्वायत्त प्रादेशिक परिषदें (ARCs)**[15] गठित करने का अधिकार देते हैं।
  - **ADC की संरचना:** ADCs में अधिकतम **30 सदस्य** होते हैं। इनमें से **चार राज्यपाल द्वारा नामित** किए जाते हैं, जबकि शेष **चुने** जाते हैं।
    - हालांकि, **बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद** एक अपवाद है। इसमें **अधिकतम 46 सदस्य** हो सकते हैं।
  - **ARC: यदि किसी स्वायत्त जिले में अलग-अलग अनुसूचित जनजातियां हैं,** तो राज्यपाल उनके द्वारा बसाए गए क्षेत्र या क्षेत्रों को **स्वायत्त क्षेत्रों** में विभाजित कर सकता है।

अनुच्छेद 371 के तहत संरक्षण

- संविधान के **अनुच्छेद 371 से अनुच्छेद 371-J** तक, कुछ राज्यों के लिए "विशेष प्रावधान" किए गए हैं।
- इसके तहत कुछ धार्मिक और सामाजिक समूहों को राज्य एवं केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बिना अपने मामलों पर स्वायत्त तरीके से निर्णय लेने की अनुमति मिलती है।

- **छठी अनुसूची ने ADCs और ARCs को निम्नलिखित "विधायी, कार्यकारी एवं न्यायिक" शक्तियां प्रदान की है:**

शक्ति	विषय
विधायी शक्ति	**नियम बनाना:** • **भूमि**, **वन प्रबंधन** (आरक्षित वन के अलावा), झूम खेती और प्रमुख या मुखिया की नियुक्ति के संबंध में। • **संपत्ति का उत्तराधिकार, विवाह व तलाक** और सामाजिक प्रथा के संबंध में। • संबंधित अनुसूचित जिले में अनुसूचित जनजाति के निवासियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा **साहूकारी का कार्य या व्यापार** के विनियम और नियंत्रण के संबंध में।
कार्यकारी शक्ति	• जिलों में प्राथमिक विद्यालयों, औषधालयों, बाजारों, पशु तालाबों, मत्स्य पालन, सड़कों, सड़क परिवहन और जलमार्गों की स्थापना या प्रबंधन करने की शक्ति प्राप्त है। • परिषदों को **प्राथमिक विद्यालयों में भाषा और शिक्षा के तरीके को निर्धारित करने के लिए भी अधिकृत** किया गया है।
न्यायिक शक्ति	• इन्हें **ग्राम और जिला परिषद न्यायालयों के गठन का अधिकार** प्राप्त है। • परिषद न्यायालयों के मुकदमों या मामलों पर **हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर किसी अन्य अदालत का अधिकार क्षेत्र नहीं** होता है। • हालांकि, इन परिषद न्यायालयों को **मृत्युदंड या पांच या अधिक वर्षों के कारावास से दंडनीय अपराधों वाले मामलों पर निर्णय लेने की शक्ति नहीं** दी गई है।
वित्तीय शक्तियां	• अपनी-अपनी परिषद के लिए **बजट तैयार करने का अधिकार।** • **भू-राजस्व का आकलन करने व एकत्र करने और व्यवसायों, व्यापारों आदि पर कर लगाने** का अधिकार दिया गया है। • उन्हें अपने **अधिकार-क्षेत्र में खनिजों के निष्कर्षण के लिए लाइसेंस या पट्टा देने की शक्ति** दी गई है।

[14] Autonomous District Councils

[15] Autonomous Regional Councils

पांचवी और छठी अनुसूची

विशेषताएं	पांचवी अनुसूची	छठी अनुसूची
कहां लागू	यह भारत के किसी भी राज्य के कुछ जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है (वर्तमान में 10 राज्यों में)	यह भारत के चार पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है
प्रशासन	जनजातीय सलाहकार परिषद (Tribal Advisory Council: TAC)	जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद
प्रशासनिक शक्ति	राज्यों की विधान सभा का गठन होने के कारण TAC के पास सीमित शक्तियां हैं, जो अधिकतर कार्यकारी हैं	परिषद को कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियों सहित व्यापक शक्तियां प्राप्त है। ये सभी शक्तियां संविधान से प्राप्त हुई हैं
मुख्य कार्य	जनजातीय अधिकारों की सुरक्षा पर बल देना	स्वशासन पर अधिक बल
पेसा (PESA) अधिनियम, 1996	लागू है	लागू नहीं है

छठी अनुसूची में शामिल होने पर लद्दाख को मिलने वाले लाभ

- **स्थानीय मुद्दों का समाधान करना:** ADCs से लद्दाख के विशेष मुद्दों (जैसे- पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन प्रबंधन और सतत विकास पद्धतियों) का समाधान किया जा सकता है।
- **भूमि अधिकार:** लद्दाख को भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 35A** के माध्यम से पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के हिस्से के रूप में समान स्वायत्तता प्राप्त थी। हालांकि, इस अनुच्छेद को 2019 में निरस्त कर दिया गया था।
  - इसलिए, छठी अनुसूची जनजातीय समुदायों के भूमि संबंधी और वन अधिकारों की रक्षा करेगी तथा उन्हें अलगाव से बचाएगी।
- **परंपराओं के संरक्षण के लिए उपाय:** लद्दाख की अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक रीति-रिवाजों को मान्यता मिलेगी। साथ ही, उन्हें कानूनी रूप से संरक्षित भी किया जाएगा।
- **संसाधन प्रबंधन:** ADCs का **अपने अधिकार-क्षेत्र के भीतर खनिज संसाधनों** पर अधिक नियंत्रण होगा। इससे वे उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकेंगी।
- **रोजगार के अवसर:** लद्दाख के लोगों के लिए **सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण बढ़ाया** जा सकेगा। इससे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा देने से जुड़े मुद्दे

- **वित्तीय व्यवहार्यता:** स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) की स्थापना और संचालन के लिए महत्त्वपूर्ण वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है।
- **अंतर-सामुदायिक गतिशीलता:** छठी अनुसूची के दायरे में लेह में बहुसंख्यक बौद्ध और कारगिल में बहुसंख्यक मुस्लिम समुदायों के हितों को संतुलित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी सरोकार:** लद्दाख की संवेदनशील सीमावर्ती अवस्थिति इस चिंता को जन्म देती है कि यदि लद्दाख को अधिक स्वायत्तता दी गई, तो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर लद्दाख व केंद्र के बीच समन्वय में जटिलता आ सकती है।

निष्कर्ष

लद्दाख के प्रतिनिधियों, राजनेताओं और केंद्र सरकार को शामिल करते हुए आपसी संवाद शुरू करना महत्वपूर्ण है। लद्दाख के विकास की कुंजी एक ऐसा समाधान खोजने में निहित है, जो व्यापक राष्ट्रीय ढांचे पर विचार करते हुए लद्दाख की विशिष्ट पहचान और आकांक्षाओं का सम्मान करता हो। सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए खुला संचार और अन्य विकल्प तलाशने की जरूरत है।

1.7. भारत में मंदिरों का विनियमन (Temple Regulation in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कर्नाटक विधान सभा ने राज्य के मंदिरों को विनियमित करने के उद्देश्य से **कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती (संशोधन) (HRI&CEA)[16] विधेयक, 2024** पारित किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस विधेयक के द्वारा **"कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1997"** में संशोधन किया जाना है।
- इस विधेयक में यह निर्धारित किया गया है कि **जिन मंदिरों का वार्षिक राजस्व 1 करोड़ रुपये से अधिक** है, उस मामले में **राज्य सरकार उन मंदिरों को प्राप्त आय का 10 प्रतिशत** और **जिन मंदिरों का वार्षिक राजस्व 10 लाख रुपये से अधिक है, उनकी आय का 5 प्रतिशत** संग्रह करेगी।
    - इससे पहले, 5 लाख से 10 लाख रुपये के बीच की वार्षिक आय वाले मंदिरों को अपनी निवल आय का 5 प्रतिशत **कॉमन पूल फंड** में अंशदान करना होता था। हालांकि, 10 लाख रुपये से अधिक आय वाले मंदिर अपनी निवल आय का 10 प्रतिशत अंशदान करते थे।
- इस विधेयक में प्रस्तावित किया गया है कि आवंटित धन का उपयोग **अर्चकों (पुजारियों) के कल्याण और उन मंदिरों के विकास के लिए किया जाएगा, जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम** है।

औपनिवेशिक काल में मंदिरों का विनियमन

- **धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1863:** इस अधिनियम को मंदिरों की देख-रेख हेतु स्थानीय समितियों की स्थापना के लिए पारित किया गया था।
- **मद्रास हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1925:** इस अधिनियम में बोर्ड आयुक्तों को मंदिरों के प्रबंधन की निगरानी करने हेतु अधिक शक्तियां प्रदान की गई है।

मंदिरों को विनियमित करने के लिए संवैधानिक और संस्थागत ढांचा

- **अनुच्छेद 25(1):** यह अनुच्छेद **धार्मिक स्वतंत्रता** प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 25(2):** यह अनुच्छेद **कुछ धार्मिक मामलों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप** को वैधता प्रदान करता है। यह अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राज्य धार्मिक आचरण से जुड़े क्रियाकलापों के विनियमन के लिए कानून बना सकता है या धार्मिक संस्थानों को विनियमित कर सकता है।
- **अनुच्छेद 26:** यह अनुच्छेद **धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान** करता है। हालांकि, ये धार्मिक कार्य लोक व्यवस्था, नैतिकता और लोक स्वास्थ्य के अधीन ही संपन्न किए जा सकते हैं।
- **अनुसूची VII के तहत सूची III (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि 28:** यह प्रविष्टि संघ और राज्य विधान-मंडल, दोनों को **"धर्मार्थ कार्यों और धर्मार्थ संस्थाओं, धर्मार्थ एवं धार्मिक बंदोबस्ती[17] तथा धार्मिक संस्थाओं"** पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करती है।
- **हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (HR&CE)[18]:** देश में अलग-अलग राज्यों ने संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के माध्यम से धार्मिक संस्थाओं को विनियमित करने के लिए विधायी एवं विनियामकीय फ्रेमवर्क्स लागू किए हैं।
- **हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती आयोग (1960):** इस आयोग ने यह मत प्रकट किया था कि मंदिरों में कुप्रशासन को रोकने के लिए सरकार का मंदिरों पर नियंत्रण होना आवश्यक है।

---

[16] Hindu Religious Institutions and Charitable Endowments (Amendment) Bill

[17] Charitable and religious endowments

[18] Hindu Religious & Charitable Endowments

मंदिरों पर राज्य (यानी सरकार) का नियंत्रण: पक्ष और विपक्ष में तर्क

पक्ष में तर्क	विपक्ष में तर्क
• **सामाजिक सुधार:** राज्य ने विनियमन के जरिए सार्वजनिक मंदिरों को अधिक समावेशी बनाकर और मंदिरों की प्रथाओं के संचालन में भेदभाव को समाप्त करके वंशानुगत पुरोहितवाद को चुनौती दी है। • **वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व:** मंदिरों के प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप से कुछ समूहों के ऐतिहासिक प्रभुत्व को चुनौती दी गई है। इस प्रकार अन्य समूहों के प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित किया गया है। ○ उदाहरण के लिए- तमिलनाडु ने HRI&CEA अधिनियम के तहत मंदिर के न्यासी बोर्ड में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व को अनिवार्य बनाया है। • **कुशल मंदिर प्रबंधन:** धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम मंदिर की संपत्ति के सुव्यवस्थित प्रशासन और संरक्षण को सुनिश्चित करता है। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करता है कि मंदिर की संपत्ति या फंड्स का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया जाए। • **सामुदायिक कल्याण:** राज्य अपनी निगरानी से यह सुनिश्चित करता है कि मंदिर के धन का उपयोग स्थानीय आबादी को लाभ पहुंचाने वाली सामुदायिक कल्याण संबंधी गतिविधियों में किया जाए।	• **पंथनिरपेक्षता का उल्लंघन:** राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करके पंथनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जबकि यह सिद्धांत राज्य को धार्मिक मामलों से अलग करता है। • **असमान विनियमन:** आलोचकों का कहना है कि हिंदू मंदिरों के विनियमन पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि अन्य धार्मिक संस्थान काफी हद तक स्वायत्त बने हुए हैं। • **ऑपरेशनल स्वायत्तता में कमी:** राज्य के हस्तक्षेप से मंदिर की पूजा पद्धति और धार्मिक अनुष्ठान के मौलिक चरित्र एवं मूल्य कमजोर हुए हैं। ○ उदाहरण के लिए- चिदंबरम मामले (2014) में, सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर की पारंपरिक स्वायत्तता को संरक्षित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए दीक्षितरों (पुजारी समुदाय) को ही मंदिर का प्रबंधन करने की अनुमति दी थी। • **सांस्कृतिक पूंजी की हानि:** संरक्षण हेतु निम्नस्तरीय प्रयासों के कारण ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण मंदिर संरचनाओं को नुकसान पहुंचा है। जैसा कि 2017 में यूनेस्को के फैक्ट-फाइंडिंग मिशन ने ऐसे नुकसान को सार्वजनिक तौर पर उजागर किया था। मिशन ने प्राप्त साक्ष्यों को मद्रास हाई कोर्ट में प्रस्तुत कर उन्हें सार्वजनिक किया था। • **पर्यटन की संभावनाओं को नुकसान:** मंदिर को मिलने वाले फंड्स का उपयोग राज्य द्वारा अन्य गतिविधियों में भी किया जाता है। इससे मंदिर की अवसंरचना में निवेश करने के लिए वित्त अपर्याप्त रह जाता है। • **आदिवासी और देशज समुदाय:** राज्य का नियंत्रण होने पर राज्य आदिवासी समुदायों के पूजा स्थलों के विशिष्ट/ अनूठे रीति-रिवाजों और परंपराओं के प्रति संवेदनशील नहीं हो सकता है।

आगे की राह

- **धार्मिक और प्रशासनिक क्षेत्र (Domain) का पृथक्करण:** धार्मिक क्षेत्र और प्रशासनिक (लौकिक) क्षेत्र से संबंधित कार्यों में शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण होना चाहिए।
- **मंदिर नेटवर्क संरचना:** मंदिरों को उनके आकार के आधार पर **तीन श्रेणियों** में वर्गीकृत किया जा सकता है। मंदिरों को **हब एंड स्पोक मॉडल** के आधार पर समूहबद्ध किया जा सकता है। इसके तहत बड़े और प्रशासनिक रूप से मजबूत मंदिर क्षेत्र में स्थित छोटे मंदिरों को समर्थन प्रदान करते हैं।
- **सुशासन के सिद्धांत:** मंदिरों के विविध कार्यों का प्रबंधन करने के लिए **राज्य-स्तरीय मंदिर प्रशासन बोर्ड** का गठन किया जा सकता है। इस बोर्ड में राज्य स्तर के अधिकारी ही शामिल होने चाहिए। इस बोर्ड को **मंदिर प्रबंधन समिति (TMC) और मंदिर स्तरीय ट्रस्ट** (जिसमें पुजारी, स्थानीय लोग आदि शामिल हों) द्वारा सहायता प्राप्त होनी चाहिए।
  - **हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1991** में एक मंदिर प्रशासन बोर्ड के गठन का भी प्रावधान किया गया है।

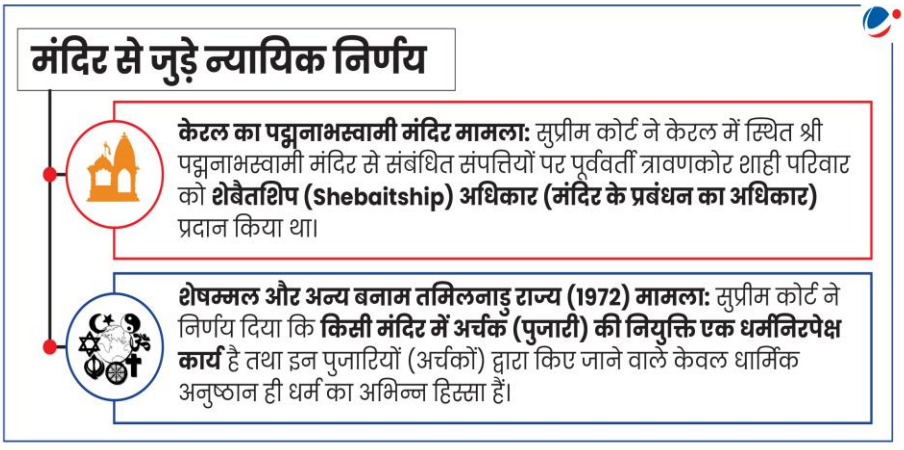

- **स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV):** मंदिरों के विकास के लिए **मंदिर विकास और संवर्धन निगम (TDPC)** का गठन किया जा सकता है। इसके द्वारा सभी मंदिरों के पर्यटन, मंदिरों की नेटवर्किंग, अनुसंधान और प्रकाशन को बढ़ावा देने, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण आदि से संबंधित विकास कार्य किए जा सकते हैं।
- **सर्वोत्तम पद्धतियों का पालन:** भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु **केरल में देवस्वओम** (भगवान की संपत्ति) की अवधारणा एक आदर्श मॉडल है।

1.8. सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 {The Cinematograph (Certification) Rules, 2024}

सुर्ख़ियों में क्यों?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने **सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2023** के तहत **सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024** अधिसूचित किए हैं। नए नियम **सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 1983** की जगह पर लाए गए हैं।

भारत में फिल्म प्रमाणन

- फिल्म प्रमाणन, **फिल्म प्रीव्यू की प्रक्रिया का अंतिम चरण** है। दूसरे शब्दों में, यह फिल्म के रिलीज़ होने से पहले उसकी समीक्षा करना है। **इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - किसी विशेष फिल्म या फिल्म के सार्वजनिक रूप से प्रसारण की अनुमति न देने का निर्णय; या
  - फिल्म के कुछ दृश्यों को हटाने और/ या संशोधनों के साथ अनुमति देना; या
  - कम-से-कम फिल्मों का उचित वर्गीकरण करना।
- **सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952** के प्रावधानों के तहत, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC)[19] की स्थापना गई है। इसका मुख्यालय **मुंबई** में है। इसका मुख्य कार्य **फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को विनियमित** करना है। इसके कई क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं।
  - CBFC, **सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय** है।
  - **इसके 9 क्षेत्रीय कार्यालय हैं:** मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, नई दिल्ली, कटक और गुवाहाटी।
- **CBFC यह भी सुनिश्चित करता है कि-**
  - फिल्म के पड़ने वाले **समग्र प्रभाव को ध्यान में रखते हुए फिल्म की संपूर्ण समीक्षा** की जाए;
  - फिल्मों की अवधि और देश के मौजूदा मानकों एवं फिल्म से संबंधित लोगों को ध्यान में रखते हुए फिल्म की जांच की जाए, बशर्ते कि फिल्म दर्शकों की नैतिकता को भ्रष्ट न करती हो।
- **एस. रंगराजन आदि बनाम पी. जगजीवन राम वाद (1989)** में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिल्म लोगों को फिल्म में दिखाई गई कहानी के अनुरूप सोचने और वैसे ही कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा, फ़िल्में किताबों आदि के पन्नों पर छपे शब्दों की तुलना में अधिक ध्यान में रहती हैं और लंबे समय तक स्मृति में बनी रहती हैं।
  - इसलिए, फिल्म प्रसारण से पूर्व उचित प्रतिबंधों द्वारा प्रमाणीकरण करना न केवल वांछनीय है, बल्कि आवश्यक भी है।

फ़िल्म प्रमाणन की श्रेणियां

श्रेणी	प्रमाणित दर्शक
U	सबके लिए और बिना किसी प्रतिबंध के
आयु-आधारित तीन श्रेणियों में UA श्रेणी: • सात वर्ष (UA 7+) • तेरह वर्ष (UA 13+) • बारह वर्ष की बजाय, सोलह वर्ष (UA 16+)	बिना किसी प्रतिबंध के, लेकिन माता-पिता या अभिभावकों के मार्गदर्शन में देख सकते हैं
A	केवल वयस्क (18 या अधिक आयु) के लिए
S	केवल किसी पेशेवर या किसी वर्ग के सदस्यों के लिए

[19] Central Board of Film Certification

सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

- **पदावधि:** CBFC के सदस्यों का कार्यकाल केंद्र सरकार निर्धारित करेगी।
- **महिलाओं का प्रतिनिधित्व:** CBFC में **महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व** दिया गया है। अब बोर्ड में **एक-तिहाई सदस्य महिलाएं** होंगी। यह प्रयास किया जाएगा कि **बोर्ड के आधे सदस्य महिलाएं** हों।
- **अध्यक्ष की अस्थायी अनुपस्थिति:** अध्यक्ष के अनुपस्थित होने पर केंद्र सरकार बोर्ड के सदस्यों में से किसी सदस्य को अस्थायी रूप से अध्यक्ष के पद हेतु नामित कर सकती है। सदस्य अध्यक्ष के सभी कार्यों का निर्वहन तब तक करेगा/ करेगी जब तक कि अध्यक्ष पुनः अपना कार्यभार नहीं संभाल लेता।
- **सलाहकार पैनल का गठन:** केंद्र सरकार बोर्ड के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एक सलाहकार पैनल का गठन करेगी।
- **बेहतर दक्षता:** प्रमाणन की दक्षता में **निम्नलिखित प्रकार से सुधार किया जा सकता है:**
  - फिल्म प्रमाणन की प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करके, और
  - पूर्ण डिजिटल प्रक्रियाओं को अपनाकर सभी लेन-देन में लगने वाले समय को खत्म करके।
    - यह फिल्म प्रमाणन की प्रक्रिया को **डिजिटल युग के लिए सुव्यवस्थित और आधुनिक** बनाएगा।
- **UA के वर्गीकरण को आगे बढ़ाना:** मौजूदा UA[20] श्रेणी को तीन और आयु-आधारित श्रेणियों में उप-वर्गीकृत करना (इन्फोग्राफिक देखें)।
  - इस उप-वर्गीकरण से यह सुनिश्चित होगा कि युवा दर्शकों को उनकी **आयु के अनुरूप कंटेंट** से अवगत करवाया जाए। यह कदम **स्वैच्छिक** होगा।
- **प्रायोरिटी के आधार पर स्क्रीनिंग का प्रावधान:** कई बार फिल्म निर्माताओं फिल्म के रिलीज होने की घोषणा CBFC की मंजूरी से पहले ही कर देते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए प्रायोरिटी के आधार पर CBFC ओर ओर से स्क्रीनिंग का प्रावधान किया जा रहा है।
  - इससे **'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस'** को भी बढ़ावा मिलेगा।
- **टेलीविजन के लिए फिल्म की श्रेणी में बदलाव:** किसी फिल्म को टेलीविजन पर प्रसारित करने के लिए उसे एडिट करना होगा और एडिटेड फिल्म के लिए फिर से प्रमाणन लेना होगा। ऐसा इसलिए, क्योंकि केवल **"गैर-निषिद्ध सार्वजनिक प्रदर्शन श्रेणी[21]"** की फिल्में ही टेलीविजन पर दिखाई जा सकती हैं।
- **प्रमाण-पत्रों की स्थायी वैधता:** पहले फिल्म प्रमाणन **10 वर्षों** के लिए वैध होता था। अब इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि फिल्म प्रमाणन की वैधता **अनिश्चित काल** के लिए होगी।

सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2023 के अन्य प्रमुख प्रावधान

- यह अधिनियम फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और उनके अनधिकृत प्रदर्शन पर रोक लगाता है। साथ ही, इसे **कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध** बनाया गया है।
- यह अधिनियम **भारत संघ बनाम के. एम. शंकरप्पा वाद (2000) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के अनुरूप अधिनियम की धारा 6(1) को निरस्त करता है।** इस वाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि केंद्र, CBFC द्वारा पहले से प्रमाणित फिल्मों के लिए फिर से समीक्षा करने की शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है।

भारत में फिल्म प्रमाणन से संबंधित मुद्दे/ समस्याएं:

- **ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म:** CBFC के पास **ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाले कंटेंट को विनियमित करने का अधिकार नहीं है।**
- **सेंसरशिप और कंटेंट प्रतिबंध:** अत्यधिक सेंसरशिप संभावित रूप से कलात्मक स्वतंत्रता और रचनात्मक अभिव्यक्ति में बाधा डाल सकती है।
- **प्रमाणन में देरी:** CBFC के समक्ष प्रमाणन के लिए प्रस्तुत की जाने वाली फिल्मों की संख्या अधिक होती है। इसके परिणामस्वरूप, समय पर और कुशल तरीके से फिल्मों को प्रमाणित करने को लेकर CBFC की क्षमता के बारे में चिंता व्यक्त की जाती है।
- **ऑनलाइन पायरेसी से निपटने में विफल:** देश में फिल्म प्रमाणन **ऑनलाइन पायरेसी की जटिलताओं** को दूर करने में विफल रहा है। इसके परिणामस्वरूप, **मिररिंग सर्वर** जैसी कमियां/ खामियां रह जाती हैं।

[20] Unrestricted with Caution/ सावधानी के साथ गैर-निषिद्ध

[21] Unrestricted Public Exhibition category

- यह विदेशों में होने वाली **फिल्म पायरेसी की घटनाओं** का समाधान नहीं करता है।
- **कानूनी चुनौतियां:** अदालत में कई बार प्रमाणन प्रक्रिया को चुनौती दी गई है।
  - हाल ही में, 'आदिपुरुष' नामक फिल्म के सर्टिफिकेट को रद्द करने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस फिल्म पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।

निष्कर्ष:

हालांकि, सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 में प्रक्रियाओं का सुव्यवस्थित संचालन और विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व करना एक सकारात्मक कदम है, फिर भी सेंसरशिप, कंटेंट पर नियंत्रण आदि को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। रचनात्मक स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करना प्रमुख चुनौती बना हुआ है।

अन्य संबंधित तथ्य

- हाल ही में, **सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय** ने श्रवण और दृष्टि बाधित दिव्यांगजनों के लिए सिनेमाघरों में फीचर फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान सुलभता संबंधी मानकों से जुड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- यह पहल **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप है।** यह अधिनियम दिव्यांगजनों की फिल्मों तक पहुंच सहित सूचना और संचार में उनकी सार्वभौमिक पहुंच एवं समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कार्रवाई को अनिवार्य बनाता है।

1.9. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

1.9.1. सदन में वोट और भाषण देने के लिए रिश्वत लेने पर सांसदों-विधायकों को अभियोजन से छूट नहीं: सुप्रीम कोर्ट {No Parliamentary Immunity For Taking Bribes: Supreme Court (SC)}

- हाल ही में, **सीता सोरेन बनाम भारत संघ वाद (2024)** में सात न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने **पी.वी. नरसिम्हा राव मामले (1998)** में दिए गए अपने निर्णय को **रद्द** कर दिया है।
  - सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया निर्णय में स्पष्ट किया है कि कानून निर्माता सदन में भाषण/ वोट के लिए रिश्वत लेने के मामले में अभियोजन से छूट का दावा नहीं कर सकते।
- **निर्णय से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नज़र:**
  - **रिश्वत के लिए उन्मुक्ति नहीं है:** रिश्वत लेने के आरोपी सांसद/ विधायक संविधान के **अनुच्छेद 105 और 194 के तहत अभियोजन से किसी भी तरह की उन्मुक्ति का दावा नहीं** कर सकते। इसका मतलब है कि उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
    - संविधान के **अनुच्छेद 105(2)** में यह प्रावधान किया गया है कि **संसद में सांसदों द्वारा कही गई किसी बात या डाले गए वोट के संबंध में उनके खिलाफ किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।**
    - संविधान के **194(2)** में यह प्रावधान किया गया है कि **विधान-मंडल में विधायकों द्वारा कही गई किसी बात या डाले गए वोट के संबंध में उनके खिलाफ किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं** की जाएगी।
  - **दोहरा परीक्षण (Two-fold test):** एक सांसद/ विधायक द्वारा विशेषाधिकार का दावा निम्नलिखित दोहरे परीक्षण द्वारा निर्धारित होगा:
    - दावा किया गया विशेषाधिकार **सदन के सामूहिक कामकाज से जुड़ा** होना चाहिए, और
    - इसकी आवश्यकता एक **विधि-निर्माता के अनिवार्य कर्तव्यों के निर्वहन के कार्य से संबंधित** होनी चाहिए।
  - **क्रिमिनल कोर्ट्स का अधिकार क्षेत्र:** क्रिमिनल कोर्ट्स को विधि-निर्माताओं के खिलाफ रिश्वतखोरी के मामलों की सुनवाई से केवल इसलिए बाहर नहीं रखा गया है कि उनके द्वारा सुनवाई को सदन अवमानना या अपने विशेषाधिकार का उल्लंघन मान सकती है।
  - **संसदीय विशेषाधिकारों का दायरा:** संसदीय विशेषाधिकार का उद्देश्य विधि-निर्माताओं को बिना किसी भय के **"बोलने" और "मतदान करने"** की सुरक्षा प्रदान करना है। मतदान करने संबंधी सुरक्षा वाला प्रावधान निम्नलिखित पर भी समान रूप से लागू होता है-
    - राज्य सभा चुनाव और
    - राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव।

पी.वी. नरसिम्हा राव बनाम राज्य वाद (1998) के बारे में

- इस मामले में आरोप लगाए गए थे कि **झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों ने 1993 में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सरकार के पक्ष में मत देने के लिए रिश्वत** ली थी।

- इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के पांच-न्यायाधीशों की एक पीठ ने 3:2 बहुमत से अपना निर्णय सुनाया था। निर्णय के अनुसार, **संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के तहत सांसद व विधायक को प्राप्त कानूनी उन्मुक्ति संसद व विधान-मंडल में किसी भी भाषण या वोट देने के लिए रिश्वत के आरोप में आपराधिक मुक़दमे से भी संरक्षण** प्रदान करती है।

1.9.2. 'नीति (NITI) फॉर स्टेट्स' प्लेटफॉर्म ('NITI For States' Platform)

- सरकार ने **'नीति फॉर स्टेट्स'** प्लेटफॉर्म शुरू किया है।
  - यह एक व्यापक डिजिटल पहल है। इसे राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को उनके राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।
- **प्लेटफॉर्म की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र:**
  - यह बहुमूल्य संसाधनों के लिए **केंद्रीकृत रिपॉजिटरी की सुविधा** प्रदान करेगा। इन संसाधनों में **सर्वोत्तम पद्धतियां, नीतिगत दस्तावेज, डेटासेट और नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट्स/ स्टडी पेपर्स** शामिल हैं।
  - **बहुभाषा में उपलब्ध:** यह **22 मुख्य भारतीय भाषाओं और 7 विदेशी भाषाओं में उपलब्ध** होगा।
  - **क्षमता निर्माण:** इस पर अलग-अलग प्रशासनिक स्तरों (ब्लॉक, जिला और राज्य) पर अधिकारियों के लिए तैयार **डिजिटल प्रशिक्षण मॉड्यूल** होगा।
  - **विशेषज्ञ सहायता:** अग्रणी संस्थानों के साथ साझेदारी के माध्यम से विशेष मार्गदर्शन उपलब्ध होंगे। इससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने में मदद मिलेगी।

1.9.3. त्रिपुरा में त्रिपक्षीय समझौता (Tripartite Agreement in Tripura)

- **भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार और द इंडीजीनियस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायन्स (TIPRA) तथा अन्य हितधारकों** ने एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इस समझौते का उद्देश्य **त्रिपुरा के देशज लोगों** के इतिहास, भूमि संबंधी व राजनीतिक अधिकारों, आर्थिक विकास, पहचान, संस्कृति तथा भाषा से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान सौहार्दपूर्ण ढंग से करना है।
- समझौते के तहत **पारस्परिक रूप से सहमत बिंदुओं को लागू करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह/ समिति का भी गठन** किया जाएगा। इसके अलावा, सभी हितधारकों को किसी भी प्रकार के **विरोध/ आंदोलन का सहारा लेने से दूर रहने का निर्देश** दिया गया है।

1.9.4. डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम {Digital Criminal Case Management System (CCMS)}

- गृह मंत्रालय (MHA) ने एक विशिष्ट 'डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम' (CCMS) प्लेटफॉर्म शुरू किया है।
- नव विकसित डिजिटल CCMS को **राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)** ने डिजाइन किया है।
  - यह एक **यूजर-फ्रेंडली; उपयोग में लाने में आसान और अनुकूलन योग्य ब्राउज़र-आधारित सॉफ्टवेयर** है। इसे **राज्य पुलिस बलों** की उनके द्वारा जांच और अभियोजन में मदद करने के लिए विकसित किया गया है।
- **डिजिटल CCMS का महत्त्व:**
  - इसकी मदद से **NIA कर्मी आतंकवाद और संगठित अपराध के मामलों में बेहतर समन्वय कर पाएंगे।** इससे न्याय दिलाने में सुधार होगा।
  - इससे राज्य पुलिस बलों को **जांच के दौरान प्राप्त डेटा को व्यवस्थित व एकीकृत करने और डिजिटल बनाने में सहायता मिलेगी।** इस तरह के डेटा में केस के दस्तावेज़; निष्कर्ष के तौर पर प्राप्त डेटा; एकत्रित साक्ष्य; न्यायालय में प्रस्तुत चार्जशीट आदि शामिल हैं।
  - यह प्रणाली राज्य पुलिस के आतंकवाद-रोधी दस्तों सहित केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच **मजबूत सहयोग को बढ़ावा** देगी।
  - **इसके कुछ अन्य लाभ निम्नलिखित हैं:**
    - जांच में मानकीकरण लाएगा,
    - आतंकवाद से संबंधित डेटा के संकलन को सुव्यवस्थित करेगा,
    - देश भर में संवेदनशील और जटिल मामलों में सजा देने की दर में सुधार करेगा इत्यादि।
  - यह प्रणाली NIA और राज्य पुलिस बलों की **भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय सुरक्षा संहिता** जैसे नए आपराधिक कानूनों को लागू करने से जुड़ी तैयारियों में सहायता प्रदान करेगी।
- इसके अतिरिक्त, **गृह मंत्रालय ने 'संकलन/ SANKALAN'** ऐप भी शुरू किया है। यह **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा नए आपराधिक कानूनों का एक संग्रह** है।

- इसे पुराने और नए आपराधिक कानूनों के बीच एक सेतु के रूप में **डिजाइन** किया गया है। इसके माध्यम से नए **आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त** की जा सकेगी।
- यह **प्रणाली ऑफलाइन मोड में भी काम करेगी** और दूर-दराज के क्षेत्रों में अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

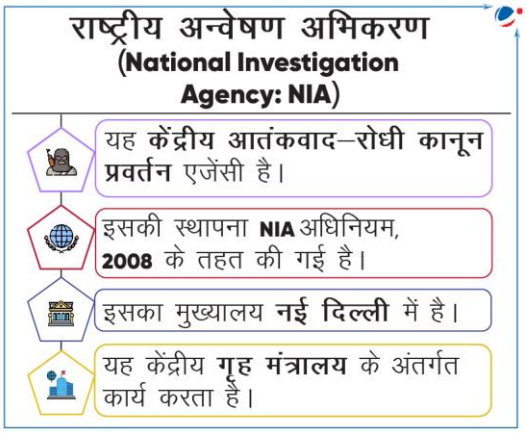

SMART QUIZ

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **राजव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

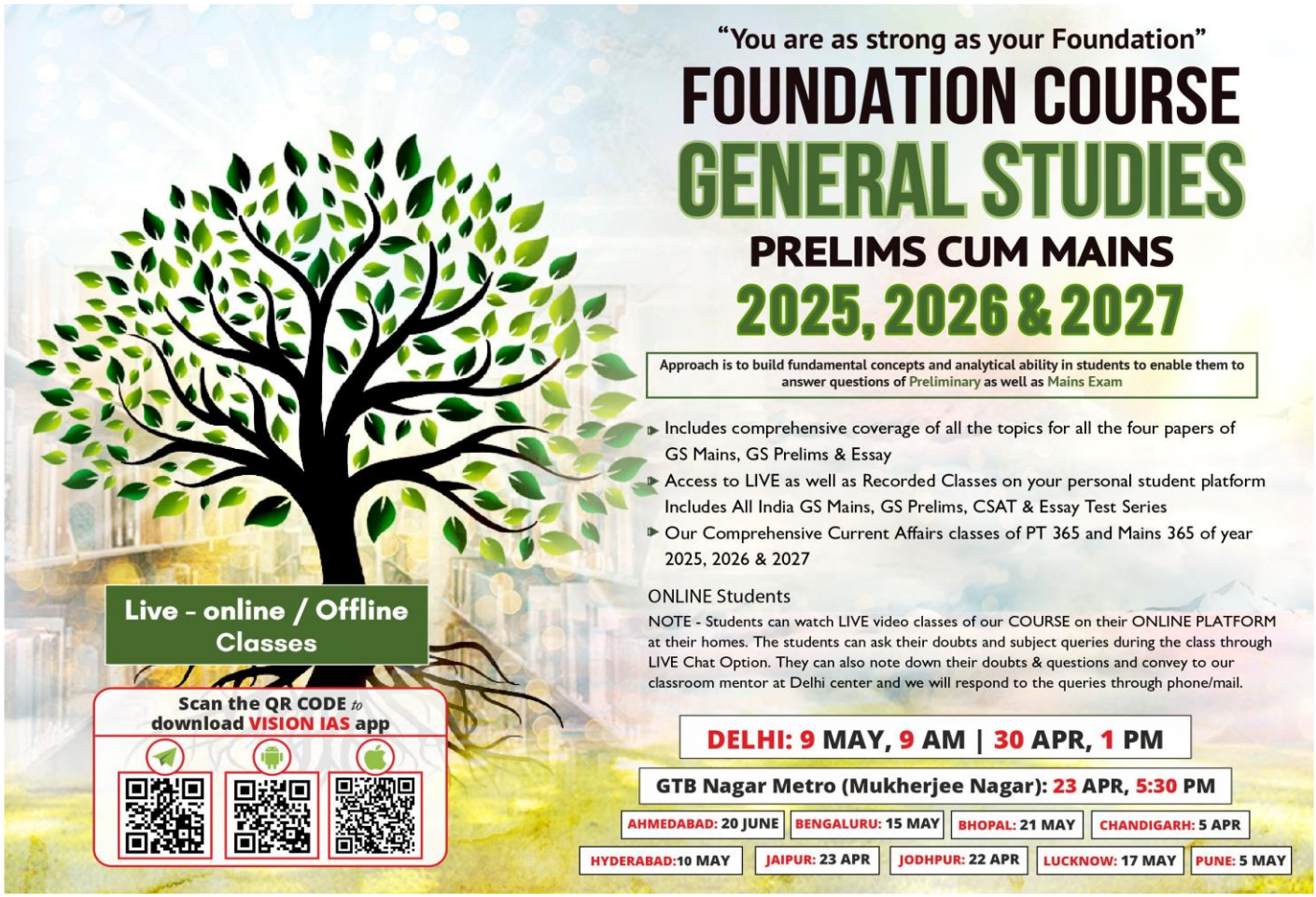

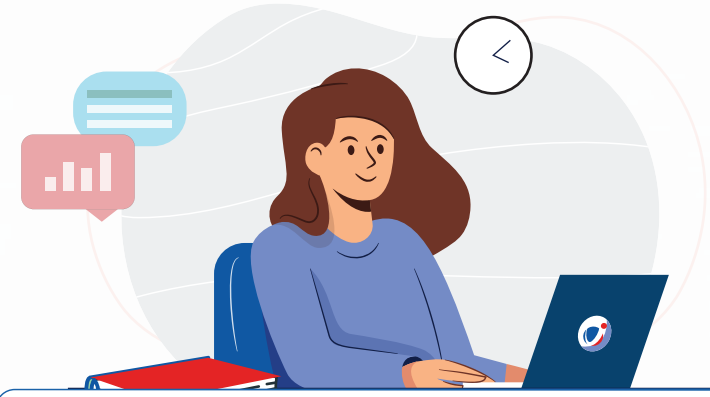

CSAT में महारत: UPSC प्रीलिम्स के लिए एक रणनीतिक रोडमैप

UPSC प्रीलिम्स सिविल सेवा परीक्षा का पहला एवं अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चरण है। प्रीलिम्स एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रकार के दो पेपर होते हैं: सामान्य अध्ययन (GS) और सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट (CSAT)। ये दोनों पेपर अभ्यर्थियों के ज्ञान, समझ और योग्यता का आकलन करते हैं।

पिछले कुछ सालों में CSAT पेपर के कठिन हो जाने से इसमें 33% का क्वालीफाइंग स्कोर प्राप्त करना भी कई अभ्यर्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। अतः इस पेपर को क्वालीफाइ करने के लिए अभ्यर्थियों को टाइम मैनेजमेंट के साथ–साथ CSAT में कठिनाई के बढ़ते स्तर के साथ सामंजस्य बिठाना और GS पेपर के साथ संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। साथ ही, इसमें गुणवत्तापूर्ण प्रैक्टिस मटेरियल से भी काफी मदद मिलती है। ये सारी बातें एक सुनियोजित रणनीति के महत्त्व को रेखांकित करती हैं।

इंस्टैंट पर्सनलाइज्ड मेंटरिंग के लिए **QR कोड को स्कैन करें**

CSAT की तैयारी के लिए रणनीतिक रोडमैप

शुरुआत में स्व–मूल्यांकन: सर्वप्रथम पिछले वर्ष के CSAT के पेपर को हल करके हमें अपना मूल्यांकन करना चाहिए। इससे हमें अपने मजबूत एवं कमजोर पक्षों की पहचान हो सकेगी और हम उसी के अनुरूप अपनी तैयारी में सुधार कर सकेंगें।

स्टडी प्लान: अधिकतम अंक प्राप्त कर सकने वाले टॉपिक पर फोकस करते हुए एवं विश्वसनीय अध्ययन स्रोतों का चयन कर, एक व्यवस्थित स्टडी प्लान तैयार करें।

रेगुलर प्रैक्टिस एवं पोस्ट–टेस्ट एनालिसिस: पिछले वर्ष के पेपर एवं मॉक टेस्ट को हल करके तथा उनका विश्लेषण करके हम एग्जाम के पैटर्न एवं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इससे परिचित हो सकते हैं। इस अप्रोच से CSAT के व्यापक सिलेबस को प्रभावी ढंग से कवर करने के लिए एक बेहतर रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी।

व्यक्तिगत मेंटरशिप प्राप्त करें: CSAT की बेहतर तैयारी के लिए अपने अनुरूप रणनीति विकसित करने हेतु मेंटर से जुड़ें। इससे आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकेंगे और साथ ही फोकस्ड एवं संतुलित तैयारी कर पाएंगे।

रीजनिंग: क्लॉक, कैलेंडर, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, डायरेक्शन, ब्लड–रिलेशन, कोडिंग–डिकोडिंग एवं सिलोगिज़्म जैसे विभिन्न प्रकार टॉपिक के प्रश्नों का अभ्यास करके अपने तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाएं।

एग्जाम के पैटर्न को समझने एवं प्रश्नों को हल करने के लिए स्टेप–बाय–स्टेप अप्रोच को विकासित करने पर ध्यान केंद्रित करें।

गणित एवं बेसिक न्यूमेरेसी: बेसिक कॉन्सेप्ट के रिवीजन एवं रेगुलर प्रैक्टिस के जरिए मूलभूत गणितीय अवधारणाओं पर अपनी पकड़ को मजबूत करें।

तेजी से कैल्कुलेशन करने के लिए शॉर्टकट और मेंटल मैथ टेक्निक का उपयोग करें।

रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन: नियमित रूप से अखबार पढ़कर अपनी पढ़ने की गति और समझ में सुधार करें। समझ बढ़ाने के लिए पैराग्राफ को संक्षेप में लिखने का अभ्यास करें और उसमें निहित मुख्य विचारों का पता लगाएं।

VisionIAS के CSAT क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़कर अपनी CSAT की तैयारी को मजबूत बनाएं। इस कोर्स को अभ्यर्थियों में बेसिक कॉन्सेप्ट विकसित करने और उनकी प्रॉब्लम–सॉल्विंग क्षमताओं एवं क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कोर्स की मुख्य विशेषताएं हैं– ऑफ़लाइन/ ऑनलाइन और रिकॉर्ड की गई कक्षाएं, वन–टू–वन मेंटरिंग सपोर्ट और ट्यूटोरियल्स के जरिए नियमित प्रैक्टिस। यह आपको CSAT में महारत हासिल करने की राह पर ले जाएगा।

रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए **QR कोड को स्कैन करें**

हमारे **ऑल इंडिया CSAT टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम** के साथ अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, जिसमें शामिल हैं:

- UPSC CSAT के सिलेबस का विस्तार से कवरेज
- वन–टू–वन मेंटरिंग
- फ्लेक्सिबल टेस्ट शेड्यूल और इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम
- प्रत्येक टेस्ट पेपर की विस्तार से व्याख्या
- लाइव ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन टेस्ट डिस्कशन एवं पोस्ट टेस्ट एनालिसिस

VisionIAS से जुड़कर सिविल सेवाओं में शामिल होने की अपनी यात्रा शुरू करें, जहां हमारी विशेषज्ञता और सपोर्ट सिस्टम से आपके सपने पूरे हो सकते हैं।

अहमदाबाद | बैंगलोर | भोपाल | चंडीगढ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. क्वाड (QUAD)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने **"स्ट्रेंथ यू.एस.-ऑस्ट्रेलिया-इंडिया-जापान कोऑपरेशन[22]"** या **"स्ट्रेंग्थेनिंग द क्वाड एक्ट[23]"** को पारित किया।

अधिनियम के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

इस अधिनियम का उद्देश्य क्वाड (QUAD) के चारों सदस्यों के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करना है, ताकि एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी, लचीले एवं सुव्यवस्थित हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। **इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित हेतु प्रावधान किए गए हैं:**

- **क्वाड अंतर-संसदीय कार्य समूह[24]:** इसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के बीच घनिष्ठ सहयोग को आसान बनाने के लिए स्थापित किया जाएगा।
- **वार्षिक बैठकों और समूह के नेतृत्व के लिए दिशा-निर्देश** जारी किए जाएंगे।
- अमेरिका का विदेश मंत्री क्वाड से जुड़े घटनाक्रमों के बारे में अपडेट देगा और निम्नलिखित मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने की रणनीति भी प्रस्तुत करेगा:
  - किसी भावी वैश्विक महामारी का सामना करने हेतु क्षमता-निर्माण करना,
  - नवोन्मेषी आधुनिक प्रौद्योगिकियों का संयुक्त रूप से विकास करना, तथा
  - आर्थिक सहयोग और एकीकरण को मजबूत करना।

क्वाड्रीलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग (QUAD/ क्वाड) के बारे में

- क्वाड **समान विचारधारा वाले चार देशों का एक अनौपचारिक मंच** है। इसमें **संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया** और **जापान** शामिल हैं।
- **उद्देश्य:** यह सदस्य देशों को **वैश्विक कल्याण** के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करने पर जोर देता है। यह एक ऐसे **खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद-प्रशांत** (Indo-Pacific) का समर्थन करता है, जो **समृद्ध और मजबूत** हो।
- **कार्य:** क्वाड के व्यावहारिक कार्य को **निम्नलिखित 6 कार्य-क्षेत्रों पर "सिक्स लीडर्स लेवल वर्किंग ग्रुप्स"** के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है।

कार्य-क्षेत्र	उठाए गए कदम
जलवायु	• अनुसंधान और विकास को सुविधाजनक बनाने तथा एनर्जी ट्रांजिशन का समर्थन करने के लिए **स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पहल[25]** की घोषणा की गई है। • हिंद-प्रशांत क्षेत्र में पूर्व चेतावनी प्रणालियों एवं जलवायु संबंधी आंकड़ों तक पहुंच बढ़ाने के लिए **क्वाड क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन पैकेज (Q-CHAMP)** नामक एक पहल शुरू की गई है।

[22] Strengthen US-Australia-India-Japan Cooperation

[23] Strengthening the Quad Act

[24] Quad Intra-Parliamentary Working Group

[25] Clean Energy Supply Chains Initiative

महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियां	• प्रशांत महासागर क्षेत्र में पहला **ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क (Open RAN)** को स्थापित करने के लिए पलाऊ के साथ सहयोग की घोषणा की गई है। • रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए निजी क्षेत्रक के नेतृत्व वाले **क्वाड इन्वेस्टर्स नेटवर्क (QUIN)** शुरू किया गया है।
साइबर	• **क्वाड जॉइंट प्रिंसिपल फॉर सिक्योर सोफ्टवेयर** और **क्वाड जॉइंट प्रिंसिपल फॉर साइबर सिक्योरिटी ऑफ़ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर** जारी किए गए हैं। इनका उद्देश्य साइबर खतरों के विरुद्ध सुरक्षा को मजबूत करना है।
स्वास्थ्य सुरक्षा साझेदारी	• क्वाड देशों ने क्वाड वैक्सीन साझेदारी को और अधिक **व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा साझेदारी** में विकसित करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्वाड देशों एवं विभिन्न भागीदारों के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना है।
आधारभूत अवसंरचना	• **क्वाड इन्फ्रास्ट्रक्चर फेलोशिप प्रोग्राम:** इसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्य से जुड़े 1,800 से अधिक व्यवसायियों को गुणवत्तापूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर के डिजाइन व निर्माण के लिए सशक्त बनाने हेतु शुरू किया गया है। • हिंद-प्रशांत क्षेत्र में केबल सिस्टम को मजबूत करने के लिए **क्वाड पार्टनरशिप फॉर केबल कनेक्टिविटी एंड रेजिलिएंस** शुरू किया गया है।
अंतरिक्ष	• **अर्थ ऑब्जर्वेशन वाले सैटेलाइट डेटा** और उनके विश्लेषण कार्यों का आदान-प्रदान किया जा रहा है। इससे देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रति बेहतर तरीके से अनुकूलित होने, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने तथा महासागर और समुद्री संसाधनों का प्रबंधन करने में सहायता मिलेगी।

भारत के लिए क्वाड का महत्त्व

- **हिंद-प्रशांत में भारत की सक्रिय भागीदारी:** क्वाड के माध्यम से, भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकता है। वैश्विक समुद्री व्यापार का **आधा हिस्सा** इसी क्षेत्र से संपन्न होता है। यह क्षेत्र दुनिया की सकल घरेलू उत्पाद में 60 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है। साथ ही, हिंद-प्रशांत क्षेत्र भारत के लिए रणनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है।
- **एक्ट ईस्ट को बढ़ावा:** क्वाड गठबंधन ने भारत को पूर्वी एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा, क्वाड के चलते भारत को अपने रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ-साथ समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने, आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति व स्थिरता को बढ़ावा देने में भी मदद मिली है।
- **रक्षा गतिविधियां:** ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत की रक्षा और सुरक्षा साझेदारियां देश की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में सहायक हैं।
- **सहयोग के विविध क्षेत्र:** उदाहरण के लिए- ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए **आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (SCRI)**[28] शुरू करने की घोषणा की है।
- **द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना:** क्वाड की पृष्ठभूमि में 'समान विचारधारा वाले' देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत किया जा सकता है। भारत एवं क्वाड देशों के मध्य सूचना साझाकरण समझौते, हथियारों के आदान-प्रदान संबंधी समझौते एवं रक्षा संबंध द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने में काफी मददगार हो सकते हैं।
- **आर्थिक लाभ:** क्वाड भारत को आर्थिक लाभ भी प्रदान करेगा। चीन पर निर्भरता के कारण कुछ समय पहले ही आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान आया था। ऐसे में क्वाड भारत को निवेश के लिए एक पसंदीदा स्थान बना सकता है।

क्वाड के अन्य पहल

- **इंडो-पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस (IPMDA) कार्यक्रम:** यह हिंद महासागर क्षेत्र, दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र में समुद्री एजेंसियों को समुद्री गतिविधियों पर रियल टाइम में व लागत प्रभावी जानकारी प्रदान करता है।
- **STEM[26] फेलोशिप:** इसे STEM क्षेत्र में अग्रणी अगली पीढ़ी के लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है।
- **क्वाड डेट मैनेजमेंट रिसोर्स पोर्टल:** इसे असंधारणीय ऋण वित्त-पोषण के मुद्दे से निपटने के लिए विकसित किया गया है।
- **क्वाड पार्टनरशिप ऑन HADR[27]: HADR** भारत के नेतृत्व में शुरू की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य भविष्य में घटित होने वाली आपदाओं के मामले में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में त्वरित और प्रभावी सहायता प्रदान करना है।

[26] Science, Technology, Engineering, and Mathematics/ विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित

[27] Humanitarian Assistance and Disaster Relief/ मानवीय सहायता और आपदा राहत

[28] Supply Chain Resilience Initiative

क्वाड के समक्ष मौजूद चुनौतियां

- **पूरी तरह से संस्थागत नहीं:** अपने वर्तमान स्वरूप में, क्वाड अपेक्षाकृत कम संस्थागत बना हुआ है। यह कोई **सुरक्षा मंच या व्यापार समूह नहीं है।** यह स्थिति इसकी विश्वसनीयता और प्रभाव को कम कर सकती है।
- **शीत-युद्ध की मानसिकता:** चीन ने क्वाड कूटनीति की आलोचना करते हुए इसे **"शीत-युद्ध की मानसिकता"** और **"एशियाई नाटो"** स्थापित करने का प्रयास बताया है।
- **अद्वितीय चरित्र:** क्वाड के उद्देश्य को आसियान (ASEAN), पैसेफिक आइलैंड फोरम और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) जैसे अन्य क्षेत्रीय समूहों से अलग परिभाषित करना कठिन साबित हुआ है।
- **अन्य समस्याएं:** अपने प्रयासों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ावा देने में असमर्थता के लिए क्वाड की आलोचना की जाती है। उदाहरण के लिए- क्वाड "800 मिलियन कोविड-19 वैक्सीन खुराक" वितरित करने का वादा पूरा नहीं कर सका।

क्वाड से जुड़ी भारत की चिंताएं

- **विभिन्न मोर्चों पर चीन के साथ फिर से तनाव होने की संभावना:** क्वाड सदस्यों में भारत एकमात्र देश है जो चीन के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। इससे भारत के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य हो जाता है कि क्वाड सिर्फ एक चीन-विरोधी समूह बनकर न रह जाए।
- **भारत का संतुलित दृष्टिकोण:** भारत ने ऐसे देशों या संगठनों के साथ भी साझेदारी को बढ़ावा देना जारी रखा है, जो तथाकथित क्वाड विरोधी हैं, जैसे कि SCO (शंघाई सहयोग संगठन) और ब्रिक्स।
- **अन्य भागीदारों पर प्रभाव:** क्वाड में भारत की भागीदारी बढ़ने से अन्य महत्त्वपूर्ण भागीदार, जैसे- रूस और ईरान भारत से दूर हो सकते हैं।

आगे की राह

- **क्षेत्रीय समृद्धि पर ध्यान देना:** क्वाड हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता हेतु एक महत्वपूर्ण फोर्स के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में समावेशी व नियम-आधारित व्यवस्था का विकास करना है। इसे हासिल करने के लिए, क्षेत्रीय समृद्धि में इसके योगदान पर स्पष्टता और सुरक्षा मामलों पर लचीलापन आवश्यक है।
- **क्षेत्र में मौजूदा संगठनों को बढ़ाना:** क्वाड को अन्य संगठनों को खत्म या प्रतिस्थापित करने के बजाय, अलग-अलग बहुपक्षीय या क्षेत्रीय संगठनों को बढ़ावा देने और आपसी सहयोग के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए।
- **अन्य भागीदारों को शामिल करना:** क्वाड को क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने की आवश्यकता है। इसके लिए क्वाड क्षेत्रीय साझेदारों के हितों एवं प्राथमिकताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए।
- **स्पष्टता और अस्पष्टता को संतुलित करना:** क्वाड को पारंपरिक सुरक्षा चिंताओं (जैसे- संभावित चीनी सैन्य कार्रवाई) पर विशेष ध्यान देने के बजाय चीन के साथ सीधे टकराव के जोखिम को कम करने पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए क्वाड साझा हितों के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।

2.2. राष्ट्रमंडल (The Commonwealth)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, लंदन घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। ज्ञातव्य है कि 26 अप्रैल, 1949 को लंदन घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसी के साथ **आधुनिक राष्ट्रमंडल की स्थापना** हुई थी।

क्या आप जानते हैं?

- राष्ट्रमंडल के सदस्य देश **प्रत्येक महाद्वीप** में हैं और **प्रत्येक महासागर के कई तटीय देश** भी इसके सदस्य हैं।
- **नाउरू (Nauru),** राष्ट्रमंडल का **सबसे छोटा सदस्य देश है,** जबकि भारत **सबसे अधिक जनसंख्या वाला सदस्य देश** है।
- **विश्व के शीर्ष 20 उभरते शहरों में से आधे शहर** राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों के हैं।
- राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाले नवीनतम चार देश **मोजाम्बिक, रवांडा, गैबॉन** और **टोगो** कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश **नहीं** रहे थे।

राष्ट्रमंडल के बारे में

- **राष्ट्रमंडल क्या है:** यह अधिकांशतः ब्रिटिश उपनिवेश के अधीन रहे **राष्ट्रों का एक स्वैच्छिक संघ** है। ये देश लोकतंत्र, व्यापार, जलवायु परिवर्तन आदि मुद्दों पर आपस में सहयोग करते हैं।
- **उत्पत्ति:**
  - **ब्रिटिश राष्ट्रमंडल देश: 1926 के इम्पीरियल कॉन्फ्रेंस** में, ब्रिटेन और डोमिनियन स्टेटस वाले देश (अर्ध-स्वतंत्र देश) **ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर** एक समुदाय के **समान सदस्यों** के रूप में जुड़ने हेतु सहमत हुए थे। डोमिनियन स्टेटस वाले देश ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा रखते थे, लेकिन ब्रिटेन का उन देशों पर शासन नहीं था।
  - **भारत की स्वतंत्रता (1947):** स्वतंत्रता के बाद भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र बन गया, लेकिन वह राष्ट्रमंडल का सदस्य भी बने रहना चाहता था।
  - **लंदन घोषणा-पत्र (1949) को अपनाया गया:** इसके तहत घोषणा की गई कि गणतंत्र एवं अन्य देश, राष्ट्रमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। इसके बाद, **आधुनिक राष्ट्रमंडल की स्थापना** की गई।
    - शुरुआत में, इसमें **भारत सहित आठ सदस्य** शामिल थे।

- **वर्तमान सदस्य:** इसमें **भारत** सहित 56 सदस्य शामिल हैं।
- **कार्य**: राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों (CHOGM)[29] की **बैठक प्रत्येक दो वर्ष में एक बार** होती है। इस बैठक में प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है और अंत में शिखर सम्मेलन मुख्य आउटकम के रूप में एक आधिकारिक विज्ञप्ति या डॉक्यूमेंट जारी किया जाता है। इसकी **हालिया बैठक 2022 में रवांडा में हुई थी।**
  - CHOGM की अगली बैठक **अक्टूबर, 2024 में एपिया (समोआ)** में आयोजित होने की घोषणा की गई है।
- **संगठनात्मक संरचना:**

संगठन	उद्देश्य	मुख्यालय
राष्ट्रमंडल सचिवालय (The Commonwealth Secretariat: CS)	संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सदस्य देशों को सहायता प्रदान करना	लंदन
कॉमनवेल्थ फाउंडेशन (CF)	लोकतंत्र और विकास में जनता की भागीदारी को बढ़ावा देना	लंदन
कॉमनवेल्थ लर्निंग (COL)	ओपन लर्निंग और डिस्टेंस एजुकेशन का समर्थन करना	बर्नाबी, कनाडा

- **अन्य महत्वपूर्ण जानकारी:**
  - राष्ट्रमंडल का अपना **कोई चार्टर, संधि या संविधान नहीं** है।
  - सभी सदस्यों को **समान** दर्जा मिला है और निर्णय **सर्वसम्मति** से लिए जाते हैं।
  - सदस्य देश **राष्ट्रमंडल के प्रमुख/ अध्यक्ष का चयन** करते हैं।
  - **मानवाधिकारों के उल्लंघन करने वाले सदस्य देशों का निलंबन** हो सकता है। जैसा कि- फिजी, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया और मालदीव के मामलों में देखा गया है।
  - **राष्ट्रमंडल खेल (Commonwealth Games)** एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है। इसका आयोजन प्रत्येक चार वर्ष में किया जाता है। इस प्रतियोगिता में राष्ट्रमंडल देशों के एथलीट भाग लेते हैं।

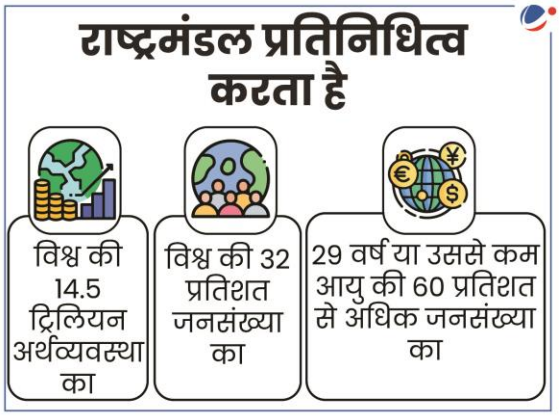

राष्ट्रमंडल की प्रमुख पहलें

- **लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना: राष्ट्रमंडल के सिद्धांतों का घोषणा-पत्र (1971)** और **हरारे राष्ट्रमंडल घोषणा-पत्र (1991)** जैसे समझौतों ने इन मूल्यों को बढ़ावा देने के प्रति राष्ट्रमंडल देशों की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है।
- **राष्ट्रमंडल चार्टर (2012):** इसमें विधि का शासन जैसे **16 प्रमुख साझा सिद्धांतों** को शामिल किया गया है। इसके प्रति सभी सदस्य देशों ने प्रतिबद्धता दिखाई है।
- **रंगभेद को समाप्त करने में भूमिका:** राष्ट्रमंडल के प्रयास और समर्थन से दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को खत्म करने में मदद मिली थी।
- **विकास कार्यों में भागीदारी:** राष्ट्रमंडल देशों में विकास पहलों और आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित पहलें शुरू की गई हैं:
  - तकनीकी सहयोग के लिए राष्ट्रमंडल कोष (The Commonwealth Fund for Technical Co-operation: CFTC),
  - राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति आयोग (Commonwealth Scholarships Commission), और
  - विदेशी विकास सहायता (Overseas Development Assistance)।
- **युवाओं को सशक्त बनाना:** यह एकमात्र अंतर-सरकारी संगठन है, जिसके पास एक समर्पित युवा कार्यक्रम है। इसका नाम कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम (CYP) है।
- **राष्ट्रमंडल साइबर घोषणा-पत्र (2018):** इसमें सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा डिजिटल अधिकारों की रक्षा करने के लिए **साइबर स्पेस के विकास का समर्थन** किया गया है।

[29] Commonwealth Heads of Government

- **राष्ट्रमंडल सचिवालय की हिंसक उग्रवाद रोधी यूनिट[30]:** इसकी स्थापना 2017 में की गई थी। यह सदस्य देशों को हिंसक उग्रवाद से निपटने के लिए अपनी राष्ट्रीय रणनीतियों को विकसित करने में सहायता प्रदान करता है।
- **राष्ट्रमंडल जलवायु परिवर्तन पहल:** इसमें कॉमनवेल्थ क्लीन ओशन एलायंस, कॉमनवेल्थ ब्लू चार्टर प्रोजेक्ट, कॉमनवेल्थ क्लाइमेट फाइनेंस एक्सेस हब आदि शामिल हैं।

राष्ट्रमंडल के साथ भारत के संबंध

- भारत **राष्ट्रमंडल का सबसे बड़ा सदस्य देश** है। राष्ट्रमंडल की कुल आबादी में से लगभग 60 प्रतिशत आबादी भारत में निवास करती है।
- भारत राष्ट्रमंडल में **चौथा सबसे बड़ा योगदानकर्ता** देश है। इसके अलावा, भारत CFTC, कॉमनवेल्थ फाउंडेशन, कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम और COL में भी योगदान करता है।
- भारत ने **नई दिल्ली** में **1983 में राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन[31]** और **2010** में **राष्ट्रमंडल खेलों** की मेजबानी की थी।
- 2018 में **इंडिया-यू.एन. डेवलपमेंट फंड** के अधीन **कॉमनवेल्थ सब-विंडो** (5 वर्षों में 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की स्थापना की गई थी। यह सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने और जलवायु कार्रवाई से संबंधित परियोजनाओं के लिए राष्ट्रमंडल सदस्यों को अनुदान-सहायता प्रदान करने के लिए है।

क्या राष्ट्रमंडल वर्तमान समय में प्रासंगिक है?

- **पक्ष में तर्क:**
  - **चुनावों पर नज़र रखने के लिए मिशन:** 1967 से अब तक राष्ट्रमंडल ने **लगभग 40 देशों** में चुनावों की निगरानी तथा पारदर्शी और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने हेतु **140 मिशन** भेजे हैं। ये मिशन इसलिए भेजे जाते हैं, ताकि **लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता को बनाए रखा जा सके।**
  - **सदस्यों की बढ़ती संख्या:** टोगो और गैबॉन (ये दोनों ब्रिटिश उपनिवेश नहीं थे) जैसे नए सदस्यों के जुड़ने से यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रमंडल सहयोग और संवाद का एक बेहतर मंच है।
  - **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) का समर्थन:** राष्ट्रमंडल SDGs को लागू करने, विशेष रूप से **शांति और विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाले लक्ष्य 16** के प्रति प्रतिबद्ध है।
  - **व्यापार:** राष्ट्रमंडल देशों में व्यापारिक भागीदारों के लिए द्विपक्षीय लागत गैर-सदस्य देशों की तुलना में **औसतन 21 प्रतिशत कम** है।
  - **साझा अनुभवों के माध्यम से एकता:** अच्छे साझा संबंध, भाषा (अंग्रेजी), साझे ऐतिहासिक संबंध और लोगों के बीच मजबूत संबंध राष्ट्रमंडल देशों के बीच एकता और सहयोग को बढ़ावा देते हैं।
- **विपक्ष में तर्क:**
  - आलोचकों का कहना है कि इसका **अस्तित्व ही उपनिवेशवाद को वैधता प्रदान करता** है। एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में सदस्य देशों को संयुक्त राष्ट्र, आसियान और अन्य संगठनों से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर ध्यान देना चाहिए।
  - **समकालीन वैश्विक मुद्दों का समाधान करने में कम प्रासंगिक:** उदाहरण के लिए- कोरोना महामारी के दौरान, सदस्य देशों को सहायता प्रदान करने में यह प्रभावी नहीं था।
  - **मेजबान देश के संबंध में विवाद:** CHOGM की मेजबानी के लिए रवांडा का चयन करना एक प्रश्न खड़ा करता है। रवांडा पर उसके मानवाधिकार रिकॉर्ड संबंधी चिंताओं के कारण यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है।
  - **सदस्यों के बीच सामंजस्य का अभाव:** रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान चल रहे यू.एन. वोटिंग में रूस की निंदा करने के लिए नौ राष्ट्रमंडल देशों ने भाग नहीं लिया।
  - **फंडिंग संबंधी रुकावट/ बाधाएं:** राष्ट्रमंडल की अंतर्राष्ट्रीय नौकरशाही को सीमित वित्तीय सहायता इसकी प्रभावशीलता को बाधित करती है। ब्रिटेन मुख्य रूप से द्विपक्षीय आधार पर इसे फंड उपलब्ध कराता है और इसके सचिवालयी काम-काज के लिए विशेष फंडिंग नहीं करता है।

निष्कर्ष

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने, व्यापार और पीपल-टू-पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाने के लिए राष्ट्रमंडल नेटवर्क का लाभ उठाना चाहिए। यह दीर्घकालिक विकास एवं समृद्धि के लिए आवश्यक है।

---

[30] Commonwealth Secretariat Countering Violent Extremism (CVE) Unit

[31] Commonwealth Summit: CHOGM

2.3. उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (North Atlantic Treaty Organization: NATO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो/ NATO) ने अपने गठन के **75 वर्ष** पूरे किए। साथ ही, **स्वीडन** आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल होने वाला **32वां** सदस्य बन गया है।

नाटो के बारे में

- इसकी स्थापना **उत्तरी अटलांटिक संधि, 1949** से हुई थी। इसे **वाशिंगटन संधि** भी कहा जाता है। **इसकी स्थापना के मूल उद्देश्य निम्नलिखित हैं:**
  - द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तत्कालीन सोवियत संघ के विस्तारवाद को रोकना,
  - यूरोप में राष्ट्रवादी सैन्यवाद को फिर से उभरने से रोकना, और
  - यूरोप का राजनीतिक एकीकरण करना।
- **मुख्यालय:** ब्रुसेल्स (बेल्जियम)
- **स्वरूप:** नाटो **32 सदस्य देशों का एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है।** इसमें **30 यूरोपीय देश और उत्तर अमेरिका के दो देश (संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा)** शामिल हैं। इस संगठन को **सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत** पर स्थापित किया गया है।
  - **अनुच्छेद 5:** इसमें **सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत का प्रावधान है।** इसमें उपबंध किया गया है कि नाटो के किसी एक सदस्य देश के खिलाफ हमला सभी सदस्य देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा।
    - अभी तक, **अनुच्छेद 5 को सिर्फ एक बार लागू** किया गया है। 2001 में 9/11 के हमलों को ध्यान में रखते हुए **संयुक्त राज्य अमेरिका** ने अनुच्छेद 5 को लागू किया था।
- **इसके 12 संस्थापक सदस्य देश हैं-** बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्ज़मबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।
  - 2023 में, **फिनलैंड नाटो का 31वां** सदस्य बना था।
  - 2022 में **यूक्रेन ने नाटो की सदस्यता के लिए औपचारिक रूप से आवेदन** किया था और उसे 2023 में **विनियस शिखर सम्मेलन** में आश्वासन प्राप्त हुआ था।
  - **यूरोपीय संघ के वे सदस्य जो नाटो का हिस्सा नहीं हैं:** ऑस्ट्रिया, साइप्रस, आयरलैंड और माल्टा।

- **स्वरूप:** नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच जुड़ाव का विशिष्ट माध्यम है। यह एक **ट्रांस-अटलांटिक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन** है। यह सदस्य देशों को रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में परामर्श एवं सहयोग करने तथा बहुराष्ट्रीय संकट-प्रबंधन कार्यों को एक साथ संचालित करने में सक्षम बनाता है।
- **वित्त-पोषण:** संगठन के संचालन आने वाले **खर्चों को पूरा करने में प्रत्येक सदस्य देश योगदान** करता है। यह योगदान सकल राष्ट्रीय आय से प्राप्त एक **लागत-साझाकरण सूत्र**[32] पर आधारित है।
- **नाटो भागीदारी:** नाटो ने 40 से अधिक गैर-सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंध स्थापित किए हैं। इन्हें नाटो भागीदार कहा जाता है। ये संबंध निम्नलिखित संरचनाओं के माध्यम से बनाए रखे जाते हैं:
  - **शांति के लिए भागीदारी (PfP)**[33]**:** यह **यूरो-अटलांटिक क्षेत्र** के देशों के साथ एक **द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम** है। इसमें **रूस सहित 18 भागीदार देश** शामिल हैं। हालांकि, **बेलारूस और रूस** के साथ भागीदारी वर्तमान में निलंबित है।
  - **भूमध्यसागरीय संवाद:** यह भूमध्यसागरीय क्षेत्र के देशों के लिए एक कार्यक्रम है।
  - **इस्तांबुल सहयोग पहल:** यह पहल मध्य-पूर्व क्षेत्र के देशों के लिए है।

[32] Cost-share formula

[33] Partnership for Peace

- **अंतर्राष्ट्रीय संगठन:** नाटो संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और यूरोप में सुरक्षा एवं सहयोग संगठन (OSCE)[34] के साथ सहयोग करता है।

- **2022 रणनीतिक अवधारणा:** नाटो ने इसे अपने शिखर सम्मेलन 2022 में अपनाया था। यह एक मार्गदर्शक दस्तावेज़ है, जो **उभरती सुरक्षा संबंधी वास्तविकता** को दर्शाता है।
  - यह दस्तावेज़ **रूस को सदस्य देशों की सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर और प्रत्यक्ष खतरा मानता है,**
  - इसमें यूरोपीय हितों के अतिक्रमण के लिए **पहली बार चीन का उल्लेख** किया गया है और
  - अन्य चुनौतियों में **आतंकवाद, साइबर और हाइब्रिड खतरे, समुद्री सुरक्षा** आदि को शामिल करता है।

नाटो की प्रमुख उपलब्धियां

- **शीत युद्ध के दौरान:** शीत युद्ध के दौरान नाटो ने शीत युद्ध की तनावपूर्ण स्थिति में शांति बनाए रखने और युद्ध की स्थिति को शांत बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाई थी।
- **शीत युद्ध के बाद:** नाटो ने फाउंडिंग एक्ट के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच द्विपक्षीय चर्चा को प्रोत्साहित किया था।
- **यूक्रेन युद्ध:** नाटो ने यूक्रेन में रूसी कार्रवाई की सार्वजनिक रूप से निंदा की है और नाटो के सदस्य देशों एवं सहयोगियों ने यूक्रेन को पर्याप्त सहायता प्रदान की है।
- **समुद्री सुरक्षा:** नाटो का **ऑपरेशन सी गार्जियन** भूमध्य सागर में एक सुरक्षित और संरक्षित समुद्री पर्यावरण बनाए रखने में योगदान देता है।
- **मानवीय सहायता:** उदाहरण के लिए, 2023 में तुर्किये में विनाशकारी भूकंप के हजारों पीड़ितों के लिए नाटो ने अस्थायी आश्रय स्थल स्थापित किए थे।

पूर्वी यूरोप में नाटो के विस्तार के बारे में

- सोवियत संघ ने **1955 में 7 अन्य पूर्वी यूरोपीय कम्युनिस्ट देशों** के साथ अपना स्वयं का सैन्य गठबंधन बनाकर नाटो के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। इस गठबंधन को **'वारसा संधि'** नाम दिया गया था।
- लेकिन **1991 में सोवियत संघ के पतन** के बाद, वारसा संधि वाले कुछ देश नाटो के सदस्य बन गए थे। इनमें **हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया** आदि शामिल हैं।
- नाटो की **'खुले द्वार की नीति' (नाटो संधि का अनुच्छेद 10)** किसी भी यूरोपीय देश को नाटो में शामिल होने की अनुमति देती है। हालांकि, यह देश **"उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा" को बढ़ाने वाला और उसमें योगदान देने वाला** होना चाहिए।

नाटो के पूर्व की ओर विस्तार के प्रभाव

- **रूस और पश्चिमी देशों के बीच अविश्वास का सृजन:** रूस इस विस्तार को एक आक्रामक कदम के रूप में देखता है। उसके अनुसार यह विस्तार दशकों के सुरक्षा सहयोग को समाप्त करने का एक प्रयास है। इसके अलावा, नाटो का यह कदम रूस को चीन और ईरान के साथ पश्चिम-विरोधी गठबंधन बनाने पर विचार करने के लिए बाध्य करता है।
- **क्षेत्र में विसैन्यीकरण की विपरीत प्रवृत्ति:** नए नाटो सदस्यों को पश्चिमी कमान संरचना के साथ एकीकृत होने के लिए भारी धनराशि देने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार, इस धनराशि को उत्पादक क्षेत्रकों की बजाये सैन्य खर्च के लिए उपयोग किया जाएगा।
- **यूरोप में मौजूदा विभाजन को तीव्र करना:** कुछ देशों को अन्य संगठनों से पहले अपने समूह में शामिल करके, नाटो अत्यधिक समृद्ध उत्तरी यूरोप और अल्प समृद्ध दक्षिणी यूरोप के मध्य तथा पूर्वी यूरोप व पूर्व सोवियत संघ के देशों के बीच पहले से मौजूद विभाजन को तेज कर देगा।
- **यूरोप में सैन्यीकरण में वृद्धि:** रूस यूरोप में नाटो के विस्तार को अस्थिरता पैदा करने वाले कारक के रूप में देखता है। इस धारणा के कारण रूस की ओर से महत्वपूर्ण विरोध हुआ है, जिसमें सैन्य हस्तक्षेप की संभावना भी शामिल है। जैसा कि जॉर्जिया में उसके कार्यों और यूक्रेन में चल रहे तनाव से पता चलता है।

नाटो के समक्ष प्रमुख चुनौतियां

- **वित्त-पोषण की समस्या:** 2006 में, नाटो के रक्षा मंत्री ने इस प्रतिबद्धता पर सहमति व्यक्त की थी कि सदस्य देशों के सकल घरेलू उत्पाद का 2 प्रतिशत नाटो रक्षा के लिए आवंटित किया जाएगा। हालांकि, नाटो के अधिकांश सदस्य देश इस प्रतिबद्धता को पूरा नहीं करते हैं।
- **दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद:** पूरे यूरोप में दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद का प्रसार हो रहा है। साथ ही, नाटो और यूरोपीय संघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रति भी असंतोष बढ़ रहा है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका की यूरोप की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता:** पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस गठबंधन के मूल्य पर सवाल उठाया था और कहा था कि क्या अमेरिका को अनुच्छेद 5 की प्रतिबद्धता का सम्मान करना चाहिए।

[34] Organization for Security and Co-operation in Europe

- **रूसी आक्रामकता:** नाटो ने रूस को पूर्व में विस्तार न करने का एक अनौपचारिक आश्वासन दिया था। हालांकि, इसके बावजूद भी सोवियत संघ के पतन के नाटो ने कई पूर्व सोवियत देशों को संगठन में शामिल किया है। इससे नाटो और रूस के बीच विश्वास में कमी आई है। इसके अलावा, इससे तनाव और आक्रामकता की संभावनाओं को बढ़ावा मिला है।
- **चीन का बढ़ता प्रभाव:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति तथा यूरोप के औद्योगिक और तकनीकी आधार के समक्ष खतरा उत्पन्न करने वाला उसका आर्थिक एवं तकनीकी फुटप्रिंट नाटो के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करता है।

निष्कर्ष

नाटो को जटिल भू-राजनीतिक वास्तविकताओं से निपटने और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं स्थिरता के स्तंभ के रूप में अपनी भूमिका को बनाए रखना होगा। इसके लिए नाटो को नवाचार, लोचशीलता और रणनीतिक दूरदर्शिता की एक व्यापक रणनीति को अपनाना होगा।

अन्य संबंधित शब्दावली

- **प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी (MNNA)**[35] के दर्जे संबंधी प्रावधान अमेरिकी कानून में किए गए हैं। यह दर्जा प्राप्त विदेशी भागीदारों को रक्षा व्यापार और सुरक्षा सहयोग के क्षेत्रों में कुछ लाभ प्रदान किए जाते हैं।
  - वर्तमान में **18 देश** MNNA के रूप में नामित हैं। इन देशों में **ब्राजील, मिस्र, इजरायल, जापान, पाकिस्तान, फिलीपींस, कतर, साउथ कोरिया, थाईलैंड** आदि शामिल हैं।
    - **भारत को MNNA का दर्जा प्राप्त नहीं है।**
- **नाटो प्लस-5:** यह **अमेरिका, नाटो देशों और पांच साझेदार देशों** को एक मंच पर लाने वाला एक सुरक्षा गठबंधन है। ये पांच साझेदार देश हैं: **ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजरायल और साउथ कोरिया।**
  - इसे **2019** में औपचारिक रूप दिया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य **नाटो के वैश्विक भागीदारों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाता** देना है। इस समूह की स्थापना चीन के बढ़ते खतरे के संदर्भ में की गई है।

2.4. अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा और कच्चातिवू का मुद्दा (International Maritime Boundary Line And Kachchatheevu Issue)

सुर्ख़ियों में क्यों?

श्रीलंका के मछुआरों ने श्रीलंका के जल क्षेत्र में अवैध तरीके से मछली पकड़ने को लेकर भारतीय मछुआरों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। श्रीलंकाई मछुआरों के अनुसार भारतीय मछुआरों ने श्रीलंका के लिए निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL)[36] का उल्लंघन किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **इस समस्या के तीन परस्पर जुड़े हुए पहलू हैं:** कच्चातिवू द्वीप को लेकर दोनों देशों के बीच असहमति; श्रीलंकाई जलक्षेत्र में भारतीय मछुआरों द्वारा अवैध मत्स्यन; तथा मछली पकड़ने में उपयोग होने वाले बड़े ट्रॉलर्स (जिनसे पर्यावरण को हानि पहुंचती है)।
- इसके विपरीत, भारतीय मछुआरों का मानना है कि वे कच्चातिवू के आस-पास केवल अपने पारंपरिक समुद्री क्षेत्रों में मछली पकड़ रहे हैं। श्रीलंका अनावश्यक रूप से उनके ऊपर **अपने क्षेत्राधिकार वाले समुद्र में घुसपैठ** का आरोप लगाता है।
- भारतीय मछुआरों ने यह भी कहा है कि **जलवायु परिवर्तन और भारतीय IMBL में मत्स्य भंडार की कमी** ने उन्हें समुद्र में दूर तक जाने के लिए बाध्य किया है।
- इससे पहले 2023 में भी श्रीलंका की नौसेना ने श्रीलंकाई जलक्षेत्र में अवैध मत्स्यन के लिए 35 ट्रॉलर्स के साथ **240 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार** किया था।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) के बारे में

- भारत-श्रीलंका ने **1974 के समुद्री सीमा समझौते द्वारा IMBL को पाक जलडमरूमध्य में सीमांकित** किया था।
- इसे समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS)[37] के सिद्धांतों के आधार पर सीमांकित किया गया था।

---

[35] Major Non-NATO Ally

[36] International Maritime Boundary Line

[37] United Nations Convention on the Law of the Sea

- UNCLOS के अनुसार, समुद्री सीमाओं को अक्सर समान दूरी के सिद्धांत के आधार पर परिभाषित किया जाता है। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि **किसी देश की समुद्री सीमा को उसके पड़ोसी देश के तटीय क्षेत्रों से समान दूरी पर एक मध्य रेखा का पालन** करना चाहिए।
- यह सीमा प्रत्येक देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ)[38], प्रादेशिक सागर[39] और अन्य समुद्री क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए स्थापित की गई है। इससे **समुद्री क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों एवं संघर्षों को रोकने में मदद** मिलती है।

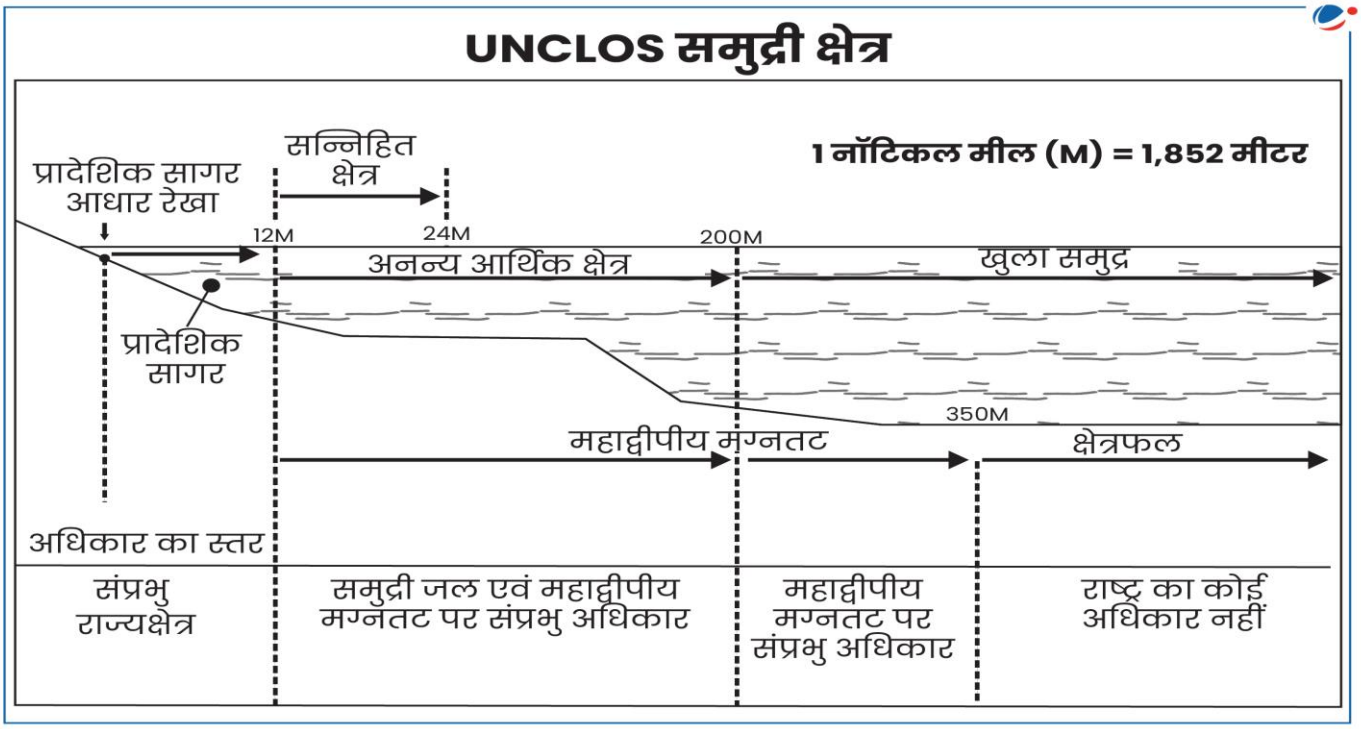

[38] Exclusive Economic Zone

[39] Territorial waters

कच्चातिवू द्वीप का मुद्दा

- **कच्चातिवू और वेज बैंक (Wadge Bank) के बारे में**
  - कच्चातिवू श्रीलंका की समुद्री सीमा रेखा के भीतर समुद्र में **285 एकड़ का एक क्षेत्र** है।
  - यह **रामेश्वरम के उत्तर-पूर्व और श्रीलंका के डेल्फ़्ट द्वीप के दक्षिण-पश्चिम** में अवस्थित है।
  - इसका निर्माण 14वीं सदी के **ज्वालामुखी उद्गार** से हुआ था। इसकी लंबाई 1.6 कि.मी. है और इसकी चौड़ाई केवल 300 मीटर है।
  - **वेज बैंक विश्व में मछली पकड़ने के सबसे समृद्ध जलीय क्षेत्रों में से एक** है। यह **कच्चातिवू द्वीप की तुलना में समुद्र में कहीं अधिक सामरिक अवस्थिति में है।**
- UNCLO के अनुच्छेद 15 में दो देशों के मध्य समुद्री सीमाओं को निर्धारित करने के लिए मध्य रेखा (Median line) का उपयोग करने से छूट प्रदान की गई है। यह संबंधित देशों को आपसी सहमति से समुद्री सीमा तय करने की अनुमति देता है।
- **1974 में भारत और श्रीलंका के बीच हुए समझौते** ने इस छूट के तहत एक आपस में सहमत समुद्री सीमा स्थापित की। परिणामस्वरूप, कच्चातिवू द्वीप श्रीलंका के समुद्री सीमा क्षेत्र में आ गया।
  - भारतीय मछुआरों को केवल आराम करने, जाल सुखाने और वार्षिक सेंट एंथनी चर्च उत्सव के लिए कच्चातिवू पर जाने की अनुमति दी गई थी।
- बाद में, **दोनों देशों के बीच 1976 में हुए समझौते के तहत कन्याकुमारी के पास अवस्थित वेज बैंक पर भारत को संप्रभु** अधिकार देकर समुद्री सीमा तय की गई।
  - विशिष्ट परिस्थितियों में सीमित संख्या को छोड़कर, श्रीलंकाई मत्स्यन जहाजों को वेज बैंक में मछली पकड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया था।

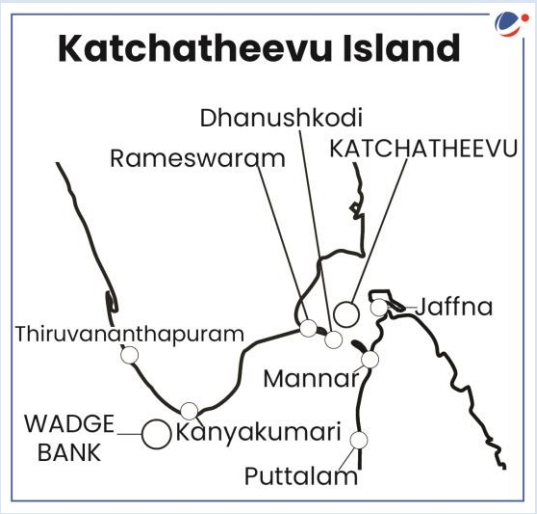

2.5. सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty: IWT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने **रावी नदी पर शाहपुर कंडी बैराज** के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया है। इसके जरिए भारत ने **रावी नदी के जल प्रवाह को पाकिस्तान की ओर जाने से रोक** दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **सिंधु जल संधि** के तहत **रावी** नदी के जल पर **भारत** का पूर्ण अधिकार है।
- अभी तक, रावी नदी का कुछ जल **माधोपुर हेडवर्क्स** के से होकर पाकिस्तान की ओर बह जाता था।
- अब, शाहपुर कंडी बांध परियोजना के पूरा होने से, भारत 1,150 क्यूसेक जल को **जम्मू-कश्मीर, पंजाब व राजस्थान** की ओर प्रवाहित करेगा। इससे इन क्षेत्रों में **कृषि कार्य के लिए अतिरिक्त जल उपलब्ध** होगा। साथ ही, **बांधों से जल विद्युत के उत्पादन** की संभावना भी बढ़ेगी।
- शाहपुर कंडी बैराज **पंजाब के पठानकोट जिले में रावी नदी** पर निर्मित एक बांध है। यह एक **बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का हिस्सा** है। इसमें **206 मेगावाट** की कुल स्थापित क्षमता वाली **दो जल विद्युत परियोजनाएं** शामिल हैं।

शाहपुर कंडी बैराज की पृष्ठभूमि

- **1979 में पंजाब और जम्मू-कश्मीर ने एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर** किए थे। इस समझौते के तहत **पंजाब सरकार द्वारा रणजीत सागर बांध (थीन बांध) और शाहपुर कंडी बांध** का निर्माण किया जाना था।
- **रणजीत सागर बांध** का निर्माण कार्य वर्ष 2000 में पूरा हुआ था।
- **शाहपुर कंडी बैराज परियोजना की आधारशिला 1995** में रखी गई थी। हालांकि, जम्मू-कश्मीर और पंजाब की सरकारों के बीच कई विवाद होने के कारण यह परियोजना **साढ़े चार वर्ष** से अधिक समय तक निलंबित रही।

सिंधु जल संधि (IWT) के बारे में

- **उत्पत्ति:** IWT पर **1960 में भारत और पाकिस्तान ने हस्ताक्षर** किए थे। इस संधि के लिए **विश्व बैंक ने मध्यस्थता** की थी। इसके अलावा, **विश्व बैंक** इस संधि में एक **हस्ताक्षरकर्ता** भी है।
- **उद्देश्य:** यह संधि सिंधु नदी प्रणाली के जल के उपयोग से संबंधित **दोनों देशों के अधिकारों एवं दायित्वों को निर्धारित और सीमित** करती है।
- **जल उपयोग संबंधी अधिकारों के लिए प्रावधान:**
  - **पूर्वी नदियों- सतलज, ब्यास और रावी** का पूरा जल **भारत को आवंटित** किया गया है। साथ ही, **भारत इन नदियों के जल का बिना किसी रोक के उपयोग** कर सकता है।
  - **पश्चिमी नदियों- सिंधु, झेलम और चिनाब** का जल **ज्यादातर पाकिस्तान को आवंटित** किया गया है।

- हालांकि, कुछ मामलों में **भारत को पश्चिमी नदियों के जल का सशर्त उपयोग करने की अनुमति** है। भारत इन नदियों के जल का उपयोग **सिंचाई, परिवहन** और **विद्युत उत्पादन** के कार्यों में कर सकता है।

- **कार्यान्वयन:** इस संधि को लागू करने के लिए **स्थायी सिंधु आयोग**[40] का गठन किया गया है:
  - **स्थायी सिंधु आयोग** के लिए दोनों देश एक-एक आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। इस आयोग का उद्देश्य आपसी संचार के लिए एक चैनल बनाए रखना है।
  - आयोग को **वर्ष में कम-से-कम एक बार बारी-बारी से भारत और पाकिस्तान में बैठक** करना अनिवार्य है।
- **विवादों को समाधान के लिए तंत्र:** IWT **3 चरणीय विवाद समाधान तंत्र** प्रदान करती है।
  - **चरण 1: स्थायी सिंधु आयोग-** यह संधि के कार्यान्वयन से संबंधित प्रश्नों का समाधान करता है।
  - **चरण 2: तटस्थ विशेषज्ञ-** ये जल बंटवारे पर अनसुलझे प्रश्नों/ मतभेदों के निपटान में मदद करते हैं। इन्हें **विश्व बैंक** द्वारा नियुक्त किया जाता है। इनके निर्णय बाध्यकारी होते हैं।
  - **चरण 3: कोर्ट ऑफ़ आर्बिट्रेशन (CoA)**[41]**-** यदि तटस्थ विशेषज्ञ मतभेदों का निपटान करने में विफल रहते हैं, तो विवाद CoA के पास चला जाता है। यह **सात सदस्यीय मध्यस्थता अधिकरण** है, जो बहुमत के आधार पर अपनी प्रक्रियाओं और निर्णयों को निर्धारित करता है।

    - तटस्थ विशेषज्ञ और CoA चरण पारस्परिक रूप से अलग-अलग हैं। यहां एक प्रक्रिया को दूसरी प्रक्रिया पर वरीयता नहीं दी जा सकती है। किसी विशेष विवाद के समाधान के लिए एक समय में इनमें से केवल एक का ही उपयोग किया जा सकता है।

संधि से जुड़े हुए मुद्दे

- **पाकिस्तान द्वारा भारतीय परियोजनाओं का लगातार विरोध:** विरोध मुख्य रूप से इस मुद्दे पर किया जाता है कि क्या ये परियोजनाएं संधि में उल्लिखित **तकनीकी मानदंडों का पालन** करती हैं या नहीं। **झेलम नदी पर किशनगंगा जलविद्युत परियोजना** और **चिनाब नदी पर रतले जलविद्युत परियोजना पर पाकिस्तान का विरोध** ऐसे ही मुद्दे को व्यक्त करता है।
- **न्यायिक समाधान पर मतभेद:** भारत **तटस्थ विशेषज्ञ** के माध्यम से मतभेदों का समाधान चाहता है। **तटस्थ विशेषज्ञ संधि की मूल भावना की व्याख्या** करते हैं। वहीं पाकिस्तान ने **स्थायी मध्यस्थता न्यायालय** (PCA)[42] के पास जाने का विकल्प चुना है, जो **संधि की अक्षरशः व्याख्या** करता है।
  - PCA ने **जुलाई, 2023** में भारत की चिंताओं को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया था और **बिना किसी अपील के दोनों पक्षों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी** निर्णय दे दिया था। हालांकि, भारत ने PCA के फैसले को मानने से इनकार कर दिया।
- **तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंध:** यह संधि भारत-पाकिस्तान के आपसी संबंधों से भी प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए- पाकिस्तान द्वारा राज्य प्रायोजित आतंकवाद के लगातार उपयोग के कारण **स्थायी सिंधु आयोग के आयुक्तों के बीच अर्द्ध-वार्षिक वार्ता निलंबित** कर दी गई थी।
- **जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:** जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा और अपवाह के पैटर्न, तीव्रता एवं समय चक्र में परिवर्तन आया है। IWT में जलवायु परिवर्तन के कारण जल उपलब्धता में हुए संभावित बदलावों पर ध्यान नहीं दिया गया है। ज्ञातव्य है कि इन बदलावों से न्यायसंगत जल आवंटन सुनिश्चित करने में इस संधि की प्रभावकारिता कम हो जाती है।
- **थर्ड-पार्टी गारंटर के माध्यम से संघर्ष का समाधान करने का तरीका:** विश्व बैंक IWT का गारंटर है और नदी के जल प्रवाह में अवैध हस्तक्षेप से संबंधित किसी भी मुद्दे की रिपोर्ट करने के लिए नदी के बहाव वाले निचले इलाके में आने वाले देश (भारत या पाकिस्तान कोई भी) पर निर्भर है। हालांकि, यह जानने का कोई निश्चित तरीका नहीं है कि क्या वास्तव में अवैध हस्तक्षेप हुआ है या यह केवल जलवायु परिवर्तन के कारण किसी विशेष मौसम में कम जल प्रवाह का मामला है।
- **नियमित आधार पर डेटा को साझा नहीं किया जाता है:** संधि में यह प्रावधान किया गया है कि नदियों से संबंधित डेटा को नियमित आधार पर साझा किया जाएगा। नदी बेसिन में होने वाले उतार-चढ़ाव को समग्र रूप से समझने के लिए जल प्रवाह से संबंधित डेटा को साझा करना बहुत जरूरी है।
- **संधि की तकनीकी प्रकृति:** संधि के प्रावधान अत्यधिक तकनीकी प्रकृति के हैं, जिनकी विविध और व्यापक व्याख्या करनी आवश्यक हो जाती है।

---

[40] Permanent Indus Commission

[41] Court of Arbitration

[42] Permanent Court of Arbitration

आगे की राह

- **IWT को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इस पर पुनर्विचार करना:**
  - जल विशेषज्ञों का मानना है कि IWT का मसौदा तैयार करते समय **तकनीकी प्रगति को ध्यान में नहीं रखा गया था।** अतः दोनों देशों को तकनीकी प्रगति पर विचार करने की आवश्यकता है।
  - **अंतर्राष्ट्रीय जल कानून से संबंधित सिद्धांतों को शामिल करना: न्यायसंगत और उचित उपयोग[43] तथा नो हार्म रूल (NHR)** जैसे अंतर्राष्ट्रीय जल कानून से संबंधित सिद्धांत दोनों देशों के बीच मौजूद मतभेदों को समाप्त करने में मदद कर सकते हैं।
- **दोनों पक्षों के सिंधु जल आयुक्तों को सशक्त बनाया जाना चाहिए,** ताकि वे एक साथ काम करने और **राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना** तर्कसंगत निर्णय लेने में सक्षम हो सकें। दोनों पक्षों के बीच नियमित बैठकें और किसी परियोजना के डिज़ाइन एवं अपवाह से जुड़े डेटा को साझा करने से भविष्य की समस्याओं का समाधान करने में मदद मिल सकती है।
- मुख्य नदियों एवं उनकी सहायक नदियों में लंबे समय तक जल प्रवाह सुनिश्चित करना चाहिए। इसके लिए जल संचयन और प्रबंधन पद्धतियों में सुधार जैसे अनुकूल उपायों को लागू करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इससे जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान किया जा सकेगा।
- पारदर्शिता एवं व्यावहारिक वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए **ओपन डेटा पॉलिसी** को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

अंतर्राष्ट्रीय जल कानून से संबंधित सिद्धांत

- ये सिद्धांत **हेलसिंकी नियम, 1966** और **यू.एन. वाटरकोर्स कन्वेंशन, 1997** पर आधारित हैं।
  - **यू.एन. वाटरकोर्स कन्वेंशन:** यह सार्वभौमिक तौर पर स्वीकृत **साझे ताजा जल संसाधनों** को गवर्न (प्रशासित) करने वाला एकमात्र कन्वेंशन है।
    - **यू.एन. वाटरकोर्स कन्वेंशन** का पूरा नाम है- यू.एन. कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ़ द नॉन-नेविगेशनल यूजेज ऑफ़ इंटरनेशनल वाटरकोर्स (UN Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses)।
- **इंटरनेशनल वाटरकोर्स** प्राकृतिक या कृत्रिम जल मार्ग होता है जिसके होकर पानी बहता है और जिसके कुछ हिस्से विभिन्न देशों में स्थित होते हैं। नदी, भूमिगत जलधारा आदि वाटरकोर्स के उदाहरण हैं।
  - यह सिद्धांतों और नियमों का एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है, जिन्हें **विशिष्ट इंटरनेशनल वाटरकोर्स की विशेषताओं के अनुरूप लागू और समायोजित** किया जा सकता है।
- **न्यायसंगत उपयोग का सिद्धांत:** यह सिद्धांत **प्रत्येक बेसिन राष्ट्र** को अपने राज्यक्षेत्र के भीतर लाभकारी उपयोग के लिए **जल संसाधनों के उचित और न्यायसंगत दोहन का अधिकार** देता है।
  - यह साझा संप्रभुता और अधिकारों की समानता पर आधारित है। इसका अर्थ यह है कि जरूरी नहीं कि जल का बंटवारा समान रूप से हो।
- **गंभीर रूप से नुकसान न पहुंचाने का दायित्व या नो हार्म रूल (NHR):** किसी भी राष्ट्र को अपने क्षेत्राधिकार में वाटरकोर्स का इस तरह से उपयोग करने की अनुमति नहीं है, जिससे नदी बेसिन में अवस्थित अन्य राष्ट्रों या उनके पर्यावरण को गंभीर रूप से क्षति पहुंचे।
- **अन्य प्रमुख सिद्धांत:**
  - अधिसूचना, परामर्श और वार्ता के सिद्धांत;
  - वाटरकोर्स की स्थिति के संबंध में डेटा और जानकारी के आदान-प्रदान की जिम्मेदारी;
  - विवादों का शांतिपूर्ण समाधान; आदि।

2.6. भारत-EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (India-EFTA Trade And Economic Partnership Agreement)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA)[44]** ने **"व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते (TEPA)"** पर हस्ताक्षर किए हैं।

[43] Equitable and Reasonable Utilisation

[44] European Free Trade Association

अन्य संबंधित तथ्य

- इस समझौते में **14 अध्याय** शामिल हैं। यह समझौता **वस्तुओं से संबंधित बाजार पहुंच, उत्पत्ति के नियम (Rules of origin), सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपाय, निवेश प्रोत्साहन, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)** आदि पर केंद्रित है।
- **भारत ने पहली बार, EFTA के सदस्यों के साथ कोई FTA संपन्न** किया है।

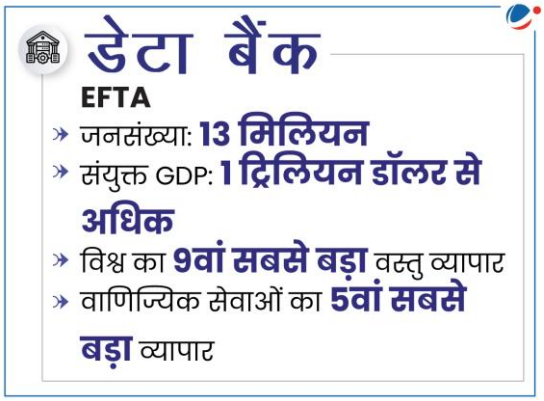

यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के बारे में

- यह एक **अंतर-सरकारी संगठन** है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना और इसे मजबूत करना है।
- **इसके वर्तमान सदस्य हैं: आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड।**
  - ये देश **यूरोपीय संघ (EU) का हिस्सा नहीं** है।
- इसे **स्टॉकहोम कन्वेंशन द्वारा 1960** में स्थापित किया गया था। तब इसके **7 संस्थापक सदस्य थे-** ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्वीडन और स्विट्जरलैंड।

भारत-EFTA व्यापार संबंध

- **कुल वस्तु/ पण्य व्यापार:** 2023 में EFTA देशों और भारत के बीच 22.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का कुल पण्य व्यापार हुआ था।
  - **भारत आयात करता है:** प्राकृतिक मोती, कीमती पत्थर, धातु आदि। इनकी व्यापार में हिस्सेदारी **81.7 प्रतिशत** है।
  - **भारत निर्यात करता है:** कार्बनिक रसायन, मोती, कीमती पत्थर, धातु आदि।
- **EFTA के सदस्यों में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार: स्विट्जरलैंड** सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है, इसके बाद **नार्वे** का स्थान आता है।
  - **सोने के आयात** के कारण भारत का **स्विट्जरलैंड के साथ व्यापार घाटा** बना हुआ है।

TEPA के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **उद्देश्य:** EFTA के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
  - EFTA **निवेश को बढ़ावा** देने के हेतु प्रतिबद्ध है। इसके तहत अगले **15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)** लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  - इन निवेशों के माध्यम से भारत में **1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार के सृजन** का लक्ष्य रखा गया है।
- **कानूनी प्रतिबद्धता:** अब तक के सभी **मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) में पहली बार इस समझौते में लक्ष्य-आधारित निवेश** को बढ़ावा देने और **रोजगार के सृजन** के बारे में कानूनी प्रतिबद्धता जताई गई है।
- **पारस्परिक मान्यता समझौता[45]:** TEPA में नर्सिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट जैसी **"पेशेवर सेवाओं में पारस्परिक मान्यता समझौतों"** के प्रावधान शामिल हैं।
- **प्रशुल्क में कटौती:** EFTA ने अपनी **92.2 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर प्रशुल्क (Tariff) को हटाने** का प्रस्ताव किया है। यह भारत के **99.6 प्रतिशत निर्यात** को कवर करेगा।
- **बाजार तक पहुंच:** EFTA के बाजारों में भारत के **100 प्रतिशत गैर-कृषि उत्पादों को प्रवेश** दिया जाएगा। साथ ही, **प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों (PAP)[46]** पर प्रशुल्क में रियायत दी जाएगी।
- **IPR से संबंधित प्रतिबद्धताएं:** TEPA में बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित प्रतिबद्धताएं **"ट्रिप्स (TRIPS)[47]"** मानकों के अनुरूप हैं। यह IPR की सुरक्षा के प्रति EFTA की उच्च स्तर की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

---

[45] Mutual Recognition Agreements

[46] Processed Agricultural Products

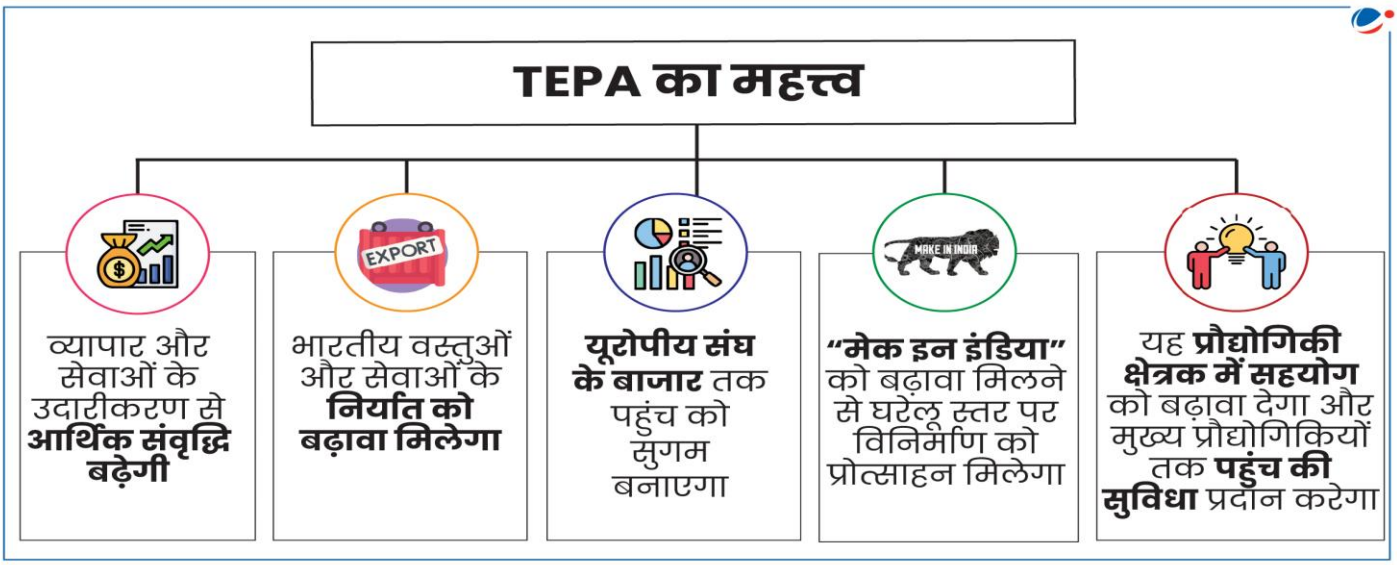

TEPA से जुड़े चिंताजनक मुद्दे

- **डेटा विशिष्टता (Data Exclusivity): EFTA के देश** डेटा एक्स्क्लुसिविटी संबंधी प्रावधान को लागू करने पर जोर दे रहे हैं। उनका कहना है कि इससे **घरेलू जेनेरिक दवा निर्माताओं** को प्रीक्लिनिकल टेस्ट्स एवं क्लिनिकल ट्रायल के डेटा का उपयोग करने से **रोका** जा सकेगा।
  - **भारत पहले ही डेटा एक्स्क्लुसिविटी संबंधी प्रावधानों को अस्वीकार** कर चुका है।
- **व्यापार प्रशुल्क से जुड़े मुद्दे:** भारत ने **कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रकों को प्रशुल्क कटौती से बाहर** रखा है। इसके कारण EFTA देशों में विवाद पैदा हो गया है।
  - **डेयरी, सोया, कोयला और संवेदनशील कृषि उत्पादों को अपवर्जन सूची (Exclusion list) में रखा** गया है। इस सूची में शामिल उत्पादों पर **कोई प्रशुल्क रियायत प्रदान नहीं** की जाएगी।
- **EFTA को अधिक व्यापार लाभ:** भारत ने अगले **10 वर्षों में कई वस्तुओं पर प्रशुल्क में महत्वपूर्ण रूप से कटौती** करने के लिए सहमति दी है, जबकि EFTA देशों में पहले से ही **प्रशुल्क बहुत कम** है।
  - भारत द्वारा निर्यात से अधिक आयात करने के कारण भारत के लिए **व्यापार घाटा (Trade gap) काफी बढ़** सकता है।
- **निवेश दायित्व से संबंधित बाधाएं:** TEPA के तहत भारत के पास EFTA देशों को दी गई प्रशुल्क संबंधी रियायतों को **18 वर्ष के बाद ही रद्द करने का विकल्प** है, वह भी तब जब वे FDI से जुड़ी अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहते हैं।

इन चिंताओं का समाधान करना और समझौते का प्रभावी कार्यान्वयन संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भविष्य में भारत और EFTA के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए सहयोग के अतिरिक्त क्षेत्रों की भी रूपरेखा तैयार की जा सकती है।

भविष्य में सहयोग के संभावित क्षेत्र

- **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs)[48] को शामिल करना:** ऐसी पहलें तैयार करना, जो **MSMEs को व्यापारिक भागीदार बनने और वैश्विक बाजार का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित** करें।
- **व्यवसायियों को आकर्षित करना:** दोनों पक्ष व्यवसायियों को समझौते के मुख्य बिंदुओं, प्रशुल्क में कटौती और नए बाजार के अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित कर सकते हैं।
- **नवाचार और संधारणीयता:** स्वच्छ प्रौद्योगिकियों, नवीकरणीय ऊर्जा और संधारणीय कार्य पद्धतियों सहित अलग-अलग क्षेत्रों में सहयोग एवं समर्थन करना।

---

[47] बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू

[48] Micro, Small, and Medium Enterprises

व्यापार समझौतों के प्रकार

- **अर्ली हार्वेस्ट स्कीम:** अर्ली हार्वेस्ट स्कीम वस्तुतः व्यापार करने वाले दो भागीदार देशों के मध्य **FTA से पहले किया जाने वाला एक कॉन्ट्रैक्ट** होता है। यह स्कीम **FTA/ CECA[49]/ CEPA** वार्ताओं के समापन से पहले व्यापार करने वाले दो देशों में **प्रशुल्क उदारीकरण के लिए कुछ उत्पादों की पहचान** करने में मदद करती है। यह मुख्य रूप से विश्वास उत्पन्न करने की दिशा में अपनाया जाने वाला एक कदम है।
- **तरजीही व्यापार समझौता (PTA)[50]:** इसमें दो या दो से अधिक भागीदार देश **टैरिफ लाइनों की स्वीकृत संख्या पर प्रशुल्क कम करने** पर सहमत होते हैं। उदाहरण के लिए, भारत-मर्कोसुर तरजीही व्यापार समझौता।
- **मुक्त व्यापार समझौता (FTA):** FTA दो या दो से अधिक देशों या व्यापारिक गुटों के मध्य स्थापित किया जाने वाला एक व्यापारिक समझौता है। इसे मुख्य रूप से **व्यापार की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं या दोनों पर आरोपित सीमा शुल्कों और गैर-प्रशुल्क बाधाओं को कम करने या समाप्त करने** के लिए संपन्न किया जाता है, उदाहरण के लिए- **भारत-श्रीलंका FTA**
- **व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA)[51]:** इसमें प्रशुल्क में कमी/ उसे समाप्त करने के साथ-साथ विनियामकीय मुद्दों को कवर करने वाले समझौते शामिल होते हैं।
  - उदाहरण के लिए- **भारत ने साउथ कोरिया और जापान के साथ CEPA पर हस्ताक्षर** किए हैं।
- **कस्टम यूनियन (CU):** कस्टम यूनियन के तहत, भागीदार देश एक-दूसरे के साथ **शून्य शुल्क पर व्यापार** कर सकते हैं। हालांकि, वे अन्य देशों के साथ **समान प्रशुल्क** बनाए रख सकते हैं। उदाहरण के लिए- **यूरोपीय संघ, दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ (SACU)** आदि।
- **साझा बाजार (Common Market):** साझा बाजार मुख्य रूप से सीमा शुल्क संघ का ही एक रूप है। इसमें सदस्यों के बीच **श्रम और पूंजी की मुक्त आवाजाही** को सुविधाजनक बनाने**, तकनीकी मानकों में सामंजस्य स्थापित करने** आदि के लिए कुछ प्रावधानों को शामिल किया जाता है। इसका एक अच्छा उदाहरण यूरोपीय साझा बाजार है।

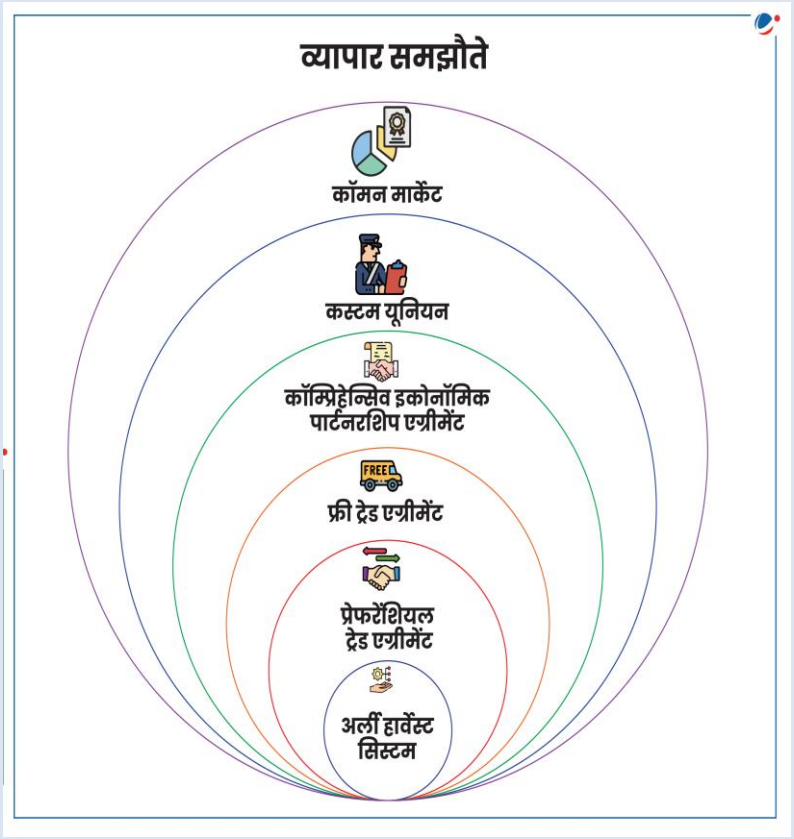

2.7. भारत-भूटान संबंध (India-Bhutan Relation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने भूटान की राजकीय यात्रा की। इस यात्रा के दौरान भारत के प्रधान मंत्री को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, **'ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो[52]'** से सम्मानित किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- **"ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो"** सम्मान भारत-भूटान के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत बनाने में भारत के प्रधान मंत्री के योगदान को मान्यता प्रदान करता है। इसके अलावा, इस सम्मान से भारतीय प्रधान मंत्री के जन-केंद्रित नेतृत्व को भी पहचान मिली है।
- यह **भारत के वैश्विक शक्ति के रूप में उदय को भी मान्यता प्रदान** करता है।

[49] कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट

[50] Preferential Trade Agreement

[51] Comprehensive Economic Partnership Agreement

[52] Order of the Druk Gyalpo

- भारतीय प्रधान मंत्री यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी प्रधान मंत्री हैं।
- **यात्रा के दौरान किए गए अन्य प्रमुख विकासात्मक समझौते/ कार्य:**
  - **ऊर्जा, अंतरिक्ष** जैसे क्षेत्रकों में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत अगले पांच वर्षों में भूटान को **वित्तीय सहायता के रूप में 10,000 करोड़ रुपये** प्रदान करेगा।
  - दोनों देशों ने कनेक्टिविटी में सुधार के लिए **कोकराझार-गेलेफू और बनारहाट-समत्से नामक दो रेल लिंक स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन** पर सहमति प्रकट की है।
  - दोनों पक्षों को उम्मीद है कि **2024 में 1020 मेगावाट की पुनात्सांगछू-II जलविद्युत परियोजना** चालू हो जाएगी।

भारत और भूटान के बीच सहयोग के क्षेत्र

- **कूटनीति:** भारत और भूटान के बीच संबंधों का मूल आधार **1949 में हस्ताक्षरित "मित्रता और सहयोग की संधि"** है। इस संधि को **2007** में फिर से नवीकृत किया गया था।
- **व्यापार:**
  - भारत, आयात स्रोत और एक निर्यात गंतव्य के रूप में **भूटान का शीर्ष व्यापारिक भागीदार है।** व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है।
  - भारत, **भूटान में निवेश करने वाला अग्रणी देश है।** भूटान में होने वाले कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का 50 प्रतिशत भारत निवेश करता है।
  - **व्यापार, वाणिज्य और पारगमन समझौता, 2016:** इसके तहत दोनों देशों के बीच एक **मुक्त व्यापार व्यवस्था** की शुरुआत की गई है।
- **विकास संबंधी भागीदारी:**
  - 2023-24 के बजट के अनुसार भूटान, भारत से प्राप्त **बाह्य सहायता का सबसे बड़ा लाभार्थी** रहा है।
  - भूटान ने **2034 तक 'उच्च आय'** वाला राष्ट्र बनने का निर्णय लिया है। भारत **'ब्रांड भूटान' और 'भूटान बिलीव'** की अवधारणा को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
- **कनेक्टिविटी:** भूटान, एक अंतर्राष्ट्रीय शहर **(गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी)** बनाने की योजना बना रहा है। यह शहर भूटान की सीमा को **असम** से जोड़ेगा।
- **जलविद्युत परियोजना:** भारत ने भूटान में **चार प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं** का निर्माण किया है। ये परियोजनाएं हैं- **कुरिछू, ताला, चुखा और मांगदेछु।** ये चारों परियोजनाएं भारत को विद्युत की आपूर्ति कर रही हैं।
  - 2022 में **मांगदेछु** जलविद्युत परियोजना को भूटान को सौंप दिया गया था। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता **720 मेगावाट** है।
- **सांस्कृतिक संबंध:**
  - **बौद्ध धर्म** दोनों देशों को समान विचारधाराओं के आधार पर जोड़ता है।
  - 2003 में **भारत-भूटान फाउंडेशन** की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक क्षेत्र में लोगों के बीच आदान-प्रदान को बढ़ाना है।
- **सुरक्षा:**
  - **भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल (MTRAT)[54] स्थायी रूप से पश्चिमी भूटान में स्थित** है। यह **रॉयल भूटान आर्मी** को सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है।

भूटान के बारे में: (राजधानी- थिम्पू)

- **भौगोलिक अवस्थिति:**
  - यह **पूर्वी हिमालय** में अवस्थित भारत और चीन के बीच एक **भू-आबद्ध देश** है।
  - यह **भारत के चार राज्यों के साथ 699 किलोमीटर लंबी** खुली सीमा साझा करता है। ये चार राज्य हैं- **असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम।**
- **भौगोलिक विशेषताएं: भूटान में बहने वाली सभी नदियां** दक्षिण की ओर बहती हैं और ये नदियां आकर भारत में **ब्रह्मपुत्र नदी में मिल** जाती हैं।
- **अन्य प्रमुख तथ्य:**
  - भूटान **विश्व का पहला कार्बन नेगेटिव देश है।**
  - भूटान **सकल घरेलू उत्पाद (GDP)** की बजाय **सकल राष्ट्रीय खुशहाली (GNH)[53] को प्रोत्साहित करने के अपने दर्शन** के लिए जाना जाता है।

[53] Gross National Happiness

[54] Military Training Team

- भारत के सीमा सड़क संगठन (BRO) ने **'दंतक (DANTAK)' परियोजना** के तहत भूटान में अधिकांश सड़कों का निर्माण किया है।

- **सहयोग के लिए शुरू की गई नई पहलें:**
  - भूटान में **RuPay और BHIM** ऐप की शुरुआत की गई है। ये पहलें **डिजिटल डुकुल** जैसी कई प्रौद्योगिकी संबंधी पहलों पर सहयोग करने के लिए आरंभ की गई हैं।
  - इसरो और भूटान की अंतरिक्ष एजेंसी ने संयुक्त रूप से **'भारत-भूटान SAT'** उपग्रह को विकसित किया है। इसे इसरो ने लॉन्च किया है।
  - भारत, भूटान के **स्कूलों में STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) शिक्षकों की कमी** को पूरा करने में भी भूटान की मदद कर रहा है।
  - **वैक्सीन मैत्री** पहल के तहत, भारत ने भूटान को **कोविशील्ड** वैक्सीन की 5.5 लाख डोजेज उपहार में दी थीं। कोविशील्ड वैक्सीन मेड-इन इंडिया वैक्सीन है।

भारत के लिए भूटान का महत्त्व

- **भू-सामरिक महत्त्व:** भूटान, **चीन और भारत** दोनों के साथ सीमा साझा करता है। भूटान की इस सामरिक अवस्थिति के कारण यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है।
- **आर्थिक महत्त्व:** भूटान में **जल विद्युत संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध** हैं। ये संसाधन भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण हैं।
- **पर्यावरणीय सहयोग:** दोनों देश **हिमालयी पारिस्थितिकी-तंत्र को साझा** करते हैं। इसलिए, दोनों देश **पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन** पर एक साथ कार्य कर सकते हैं।
- **सार्क (SAARC) और बिम्सटेक (BIMSTEC) के भीतर क्षेत्रीय एकीकरण** के लिए भूटान के साथ घनिष्ठ संबंध बहुत जरूरी है।

भारत-भूटान संबंधों में प्रमुख चुनौतियां

- **जलविद्युत व्यापार में समस्याएं:** भारत ने पूर्व में **विद्युत खरीद नीति** में बदलाव किए थे। भारत द्वारा **पुनात्सांगछू-I और पुनात्सांगछू-II** जैसी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए **विद्युत प्रशुल्क देने में देरी** हुई है। इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच **निष्पक्ष रूप से वार्ता** नहीं हो पाई है।
- **सक्रिय उग्रवादियों/ विद्रोहियों के लिए छुपने का स्थान:** भारत के यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA), नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोस (NDFB) जैसे पूर्वोत्तर के विद्रोही संगठन छुपने के लिए भूटान चले जाते हैं।
- **BBIN पहल:** पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण भूटान ने **बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौते** को रोक दिया है।
- भारत पहले भूटान को **60:40 मॉडल (60% अनुदान-40% ऋण)** पर वित्तीय सहायता दे रहा था, लेकिन अब यह सहायता **30:70 मॉडल** पर दी जा रही है। इससे भूटान पर वित्तीय बोझ बढ़ गया है।
- **चीन की उपस्थिति:** भूटान-चीन के बीच **डोकलाम सीमा विवाद** भारत के लिए चिंता की बात है।

आगे की राह

- **आर्थिक गतिविधियों में विविधता लाना:** दोनों देशों द्वारा फिनटेक, स्पेस टेक और बायोटेक जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाकर भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है।
  - भारत को भूटान के सकल राष्ट्रीय खुशहाली (GNH) दर्शन के अनुरूप **भूटान के सेवा क्षेत्रक में सतत निवेश** करने की आवश्यकता है।
  - भारत को भूटान के साथ अपने संबंधों को घनिष्ठ बनाने और **चीन के साथ भूटान की बढ़ती भागीदारी को प्रतिसंतुलित करने के लिए गेलेफू परियोजना** एक अवसर के रूप में लाभ उठाना चाहिए।
- **चीन के साथ ट्राइलोग (Trilogue/ त्रिपक्षीय बातचीत) की शुरुआत:** संवाद के नए माध्यमों को शुरू करने से सीमा विवादों के संबंध में बढ़ रही अनिश्चितताओं को कम किया जा सकता है।
- **दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों में सुधार:** बौद्ध धर्म और पर्यटन संबंधी अन्य गतिविधियों को प्रोत्साहित करके **सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी** को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- **सुरक्षा संबंधी उपाय:** दोनों देशों के बीच संपर्क बिंदु (Contact points) स्थापित करना। इसके अलावा, आतंकवादी संगठनों के संबंध में जानकारी को रियल टाइम पर साझा करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना।

भारत-भूटान-चीन ट्रायंगल

यह ट्रायंगल भूटान के साथ भारत के घनिष्ठ संबंधों, भूटान में चीन के बढ़ते प्रभाव, चीन के साथ भूटान के सीमा विवाद और भारत-चीन के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता के कारण **भू-राजनीतिक गतिशीलता की जटिलता** को दर्शाता है।

भूटान में चीन का बढ़ता प्रभाव

- **आर्थिक प्रभाव: भूटान के व्यापार में चीन की हिस्सेदारी लगभग एक-चौथाई से अधिक है।**
  - **चीनी स्वामित्व वाली कई कंपनियां** भूटान में अलग-अलग **अवसंरचनात्मक परियोजनाओं** में शामिल हैं, जैसे- **चूखा और पुनात्सांगछू जैसी जलविद्युत परियोजनाएं।**

- चीन, भूटान में फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने, मोबाइल नेटवर्क का विस्तार करने और इंटरनेट एक्सेस पॉइंट्स स्थापित करने का काम करके **टेलीकॉम क्षेत्रक पर अपना प्रभुत्व** बनाए हुए है।

- **क्षेत्रीय मजबूती:** चीन, उत्तरी भूटान में **जकारलुंग और पासमलुंग** तथा पश्चिमी भूटान में **डोकलाम पठार के क्षेत्रों पर अपना** दावा करता है। यह बाह्य दबाव के प्रति भूटान की कमजोर स्थिति को दर्शाता है।
  - चीन ने **डोकलाम के पास पांगडा नाम से एक नया गांव** बसाया है।
  - 2020 से चीन द्वारा भूटान के त्राशीगंग नामक पूर्वी जिले में स्थित **सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य** के 650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दावा कर रहा है।
- **राजनीतिक कूटनीति:** अक्टूबर, 2023 में **भूटान के विदेश मंत्री ने पहली बार चीन की यात्रा** की थी। चूंकि भूटान और चीन के बीच कोई **राजनयिक संबंध नहीं** है, इसलिए इस यात्रा को एक अभूतपूर्व यात्रा के तौर पर देखा गया था।
  - इस यात्रा के दौरान, **दोनों देशों के बीच सीमा के परिसीमन और सीमांकन के लिए एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर** किए गए थे। यह समझौता दोनों देशों के बीच **संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम** साबित हो सकता है।

भूटान में चीन की बढ़ती भूमिका का भारत पर प्रभाव

- **भारत के सुरक्षा हितों के लिए खतरा:** भूटान-चीन के बीच **डोकलाम सीमा समझौते** पर वार्ता चल रही है। यह भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि डोकलाम भारत के **सिलीगुड़ी गलियारे** के करीब है, जो **पूर्वोत्तर को शेष भारत से जोड़ता** है।
  - **सिलीगुड़ी कॉरिडोर को 'चिकन नेक'** के नाम से भी जाना जाता है। यह **नेपाल, भूटान और बांग्लादेश** के जंक्शन पर स्थित है।
- **भू-राजनीतिक निहितार्थ:** भूटान में चीन की बढ़ती उपस्थिति **क्षेत्रीय भू-राजनीतिक संतुलन और गतिशीलता** में तनाव पैदा कर सकती है। इससे संभावित रूप से **भारत और चीन के बीच तनाव बढ़** सकता है।
  - 2017 में, **डोकलाम ट्राई-जंक्शन** में भारतीय थल सेना और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच **सैन्य गतिरोध बढ़** गया था।
  - यदि **चीन की पहुंच का विस्तार डोकलाम तक होता है तो चीन को भारत के पूर्वोत्तर हिस्से पर बढ़त** मिल जाएगी। ज्ञातव्य है कि चीन भारत के **अरुणाचल प्रदेश** पर अपना दावा करता है।
- **भारत के प्रभाव का कम होना:** भूटान के चीन के साथ घनिष्ठ संबंध से भूटान की **"भारत समर्थक पारंपरिक विदेश नीति"** प्रभावित हो सकती है।

2.8. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

2.8.1. IPEF की मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित (Ministerial Meeting of IPEF Held)

- केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (IPEF) की मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया।
- **बैठक के मुख्य परिणामों पर एक नज़र:**
  - **"स्वच्छ अर्थव्यवस्था पिलर" के तहत नए प्रयास की घोषणा की गई:**
    - इसमें **चार नए कोआपरेटिव वर्क कार्यक्रम** शामिल हैं। ये कार्यक्रम **कार्बन बाजार, स्वच्छ बिजली, स्वच्छ ऊर्जा अपनाने से नियोजन (Employment) के स्वरूप में बदलाव और सतत विमानन ईंधन** पर केंद्रित हैं।
    - **IPEF कैटेलिटिक कैपिटल फंड पर विवरण:** इसे IPEF से जुड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जलवायु संबंधी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए निजी निवेश विकास समूह के सहयोग से स्थापित किया गया है।
  - **बैठक में संपन्न प्रमुख समझौतों के टेक्स्ट का विवरण**

समझौते	टेक्स्ट का विवरण
IPEF पर समझौता	• **दो मंत्री-स्तरीय निकायों की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिनकी प्रति वर्ष बैठक होगी:** ○ **IPEF परिषद:** यह नए सदस्यों के प्रवेश सहित IPEF समझौतों और फ्रेमवर्क के सामूहिक परिचालन को प्रभावित करने वाले मामलों पर विचार करेगी; और ○ **संयुक्त आयोग:** इसका कार्य पिलर II-IV के तहत कार्य की निगरानी करना होगा।
स्वच्छ अर्थव्यवस्था या क्लीन इकॉनमी समझौता	• **समझौते के दायरे को परिभाषित** किया गया है। • स्वच्छ अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए प्रयासों को बढ़ाने हेतु IPEF के भागीदार देशों के **देशज लोगों को प्रयासों में भागीदार बनाने का आह्वान** किया गया है। • ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में **परमाणु ऊर्जा और असैन्य परमाणु सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका** को मान्यता दी गई है।
फेयर इकॉनमी समझौता	• समझौते के **दायरे को परिभाषित** किया गया है। • यह स्पष्ट किया गया है कि यह समझौता **भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCAC) तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNTOC)** सहित किसी भी अन्य समझौते के तहत शामिल किसी पक्षकार के अधिकारों या दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगा। • UNCAC के अनुसार घोषित अपराधों से प्राप्त आय की **पहचान करने, फ्रीज़ करने और जब्ती के**

	लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया गया है।

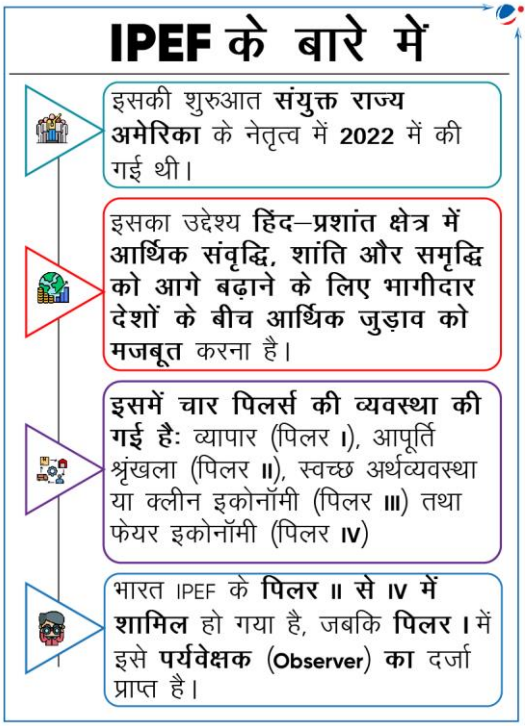

2.8.2. भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (India-Middle East Europe Economic Corridor: IMEC)

- कैबिनेट ने "भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) पर UAE के साथ अंतर-सरकारी फ्रेमवर्क समझौते (IGFA)" को मंजूरी दी।
- **IGFA के उद्देश्य हैं:** द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना तथा **बंदरगाह, समुद्री व लॉजिस्टिक्स क्षेत्रकों में भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच संबंधों को और मजबूत** करना।
  - इसमें **IMEC के विकास के लिए भविष्य में संयुक्त निवेश और सहयोग की संभावनाओं की तलाश** करना भी शामिल है।
- **भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) के बारे में:**
  - यह एक **प्रस्तावित ट्रांजिट नेटवर्क** है। इसका उद्देश्य **एशिया, यूरोप और मध्य-पूर्व का एकीकरण** करना है।
    - IMEC में **रेलमार्ग, जहाज-रेल पारगमन नेटवर्क (सड़क और समुद्र) तथा सड़क परिवहन मार्ग (व नेटवर्क)** शामिल होंगे।
  - IMEC की स्थापना के लिए नई दिल्ली में आयोजित **G20 शिखर सम्मेलन** में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस MoU पर **भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी और इटली** ने हस्ताक्षर किए थे।
- **IMEC का महत्त्व:**
  - **समृद्धि को बढ़ाना:** यह **ऊर्जा और डिजिटल संचार के बेहतर प्रवाह** के माध्यम से संभव है।
    - IMEC के भागीदार देशों की **संयुक्त GDP दुनिया की कुल GDP का लगभग 40 प्रतिशत** है।
  - यह **चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के लिए एक प्रति-संतुलनकारी (जवाबी) विकल्प है।**
  - यह **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को और अधिक लचीला** बनाएगा।
  - यह **भारत और यूरोप के बीच व्यापार को गति देने तथा भारत की अरब देशों के साथ रणनीतिक संबंध बेहतर करने** में मदद करेगा।
- **IMEC के समक्ष चुनौतियां:**
  - क्षेत्र की **भू-राजनीति जटिल है।** वर्तमान **इजरायल-हमास संघर्ष** इसका एक उदाहरण है।
  - **वित्तीय लागत के संबंध में** भागीदार देशों में **प्रतिबद्धता की कमी** देखी गई है।

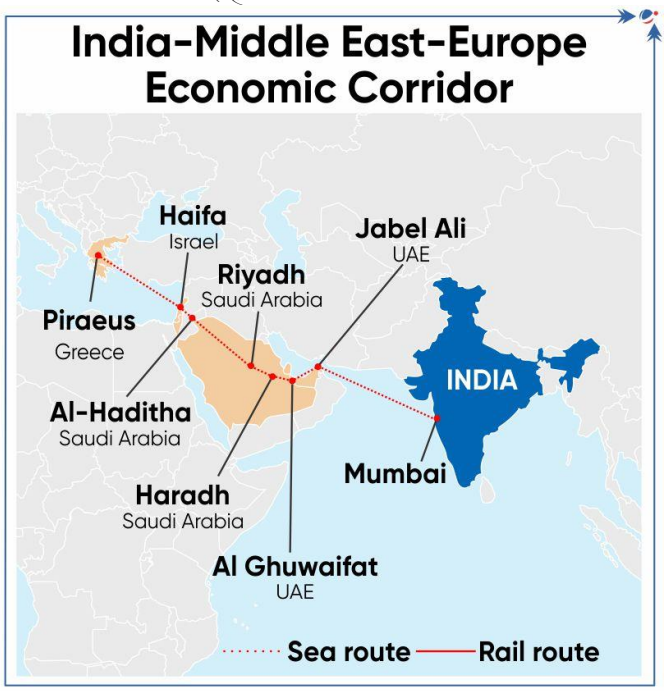

नोट: *IMEC के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, कृपया मासिक समसामयिकी मैगजीन के सितंबर, 2023 संस्करण का आर्टिकल 2.1.2. का संदर्भ लें।*

2.8.3. भारत और ब्राज़ील ने पहली '2+2 रक्षा व विदेश मंत्रिस्तरीय वार्ता' आयोजित की (India and Brazil Hold First '2+2' Ministerial Dialogue)

- पहली 2+2 वार्ता में दोनों देशों ने **ऊर्जा, क्रिटिकल खनिज, प्रौद्योगिकी और आतंकवाद-रोधी क़दमों में सहयोग बढ़ाने** के तरीकों पर चर्चा की।

- **2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता, दो देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की एक बैठक** होती है। इसमें वे परस्पर हित के मुद्दों पर चर्चा करते हैं।
    - भारत **संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान** जैसे देशों के साथ 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ताओं में शामिल होता रहा है।
- **भारत-ब्राज़ील द्विपक्षीय संबंध:**
    - **राजनीतिक संबंध:** दोनों देश **2006 से रणनीतिक साझेदार** हैं।
    - **बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग:** दोनों देश **संयुक्त राष्ट्र, G20, ब्रिक्स, IBSA जैसे मंचों पर** एक-दूसरे को सहयोग करते हैं।
        - **IBSA भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका** का समूह है।
        - **G4 ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान** का एक समूह है। ये देश **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सीटों के लिए एक-दूसरे का समर्थन** करते हैं।
        - ब्राज़ील **भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में शामिल** हुआ है।
        - ब्राज़ील ने भारत को **मर्कोसुर (MERCOSUR) के साथ घनिष्ठ सहयोग** स्थापित करने में भी मदद की है। मर्कोसुर **दक्षिण अमेरिका का एक क्षेत्रीय व्यापारिक समूह** है।
    - **व्यापार:** 2021 में भारत, ब्राज़ील का **पांचवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार** देश था।
    - **अंतरिक्ष:** 2021 में इसरो ने **ब्राज़ील का उपग्रह अमेजोनिया-1** लॉन्च किया था।
    - **सुरक्षा:** रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए **2020 में संयुक्त वक्तव्य व कार्य योजना** पर हस्ताक्षर किए गए थे।
    - **जैव-ईंधन में सहयोग:** ब्राज़ील **विश्व में जैव-ईंधन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक** है। यह भारत के नेतृत्व वाली पहल **"ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस (GBA)"** में भी शामिल हुआ है।
- **व्यापार निगरानी तंत्र; राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) स्तर पर रणनीतिक वार्ता** जैसे मंच मौजूदा मुद्दों को हल करके आपसी संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

2.8.4. ऑपरेशन इन्द्रावती (Operation Indravati)

- भारत ने ऑपरेशन इंद्रावती की शुरुआत की है। इसके तहत **भारत हैती से अपने नागरिकों को निकालकर डोमिनिकन रिपब्लिक पहुंचा** रहा है।
- इस ऑपरेशन के तहत **12 भारतीय लोगों** को सुरक्षित निकाला गया है।
- गौरतलब है कि हैती में **आपातकाल लागू** है। आपातकाल की घोषणा इस माह की शुरुआत में कुछ सशस्त्र समूहों द्वारा **पोर्ट-ऑ-प्रिंस में देश की सबसे बड़ी जेल पर हमला** करने के बाद की गई थी।

2.8.5. गैस निर्यातक देशों का मंच (Gas Exporting Countries Forum: GECF)

- GECF का **7वां शिखर सम्मेलन अल्जियर्स घोषणा-पत्र** अपनाने के साथ संपन्न हुआ।
    - इस घोषणा-पत्र का लक्ष्य **"प्राकृतिक गैस का एक वहनीय एवं विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल करना तथा सतत प्राकृतिक गैस प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना है।"**
- **GECF के बारे में:**
    - GECF एक अंतर-सरकारी संगठन है। यह गैस के **उत्पादकों व उपभोक्ताओं के बीच सार्थक संवाद के लिए एक तंत्र** का निर्माण करता है। इसके माध्यम से विश्व में **गैस बाजार की स्थिरता सुनिश्चित** करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
    - **विज़न:** समावेशी और सतत विकास के लिए प्राकृतिक गैस को एक महत्वपूर्ण संसाधन बनाना।
    - **सदस्य:**
        - **पूर्ण सदस्य:** अल्जीरिया, बोलीविया, मिस्र, इक्वेटोरियल गिनी, ईरान, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, रूस, त्रिनिदाद, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला। भारत न तो इसका **सदस्य** है और न ही इसका **पर्यवेक्षक** है।
        - **पर्यवेक्षक सदस्य:** अंगोला, अज़रबैजान, इराक, मलेशिया, मॉरिटानिया, मोजाम्बिक, पेरू और सेनेगल।
- इसके सदस्य देश **विश्व के 69% गैस भंडार, बाजार में बिकने वाली गैस का 39% और वैश्विक गैस निर्यात के 40% हिस्से** का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- GECF के सदस्य देश सामूहिक रूप से **विश्व के आधे से अधिक (51%) LNG का निर्यात** करते हैं।

2.8.6. अफ्रीका क्लब (Africa Club)

- अफ्रीकी संघ ने अपने **37वें शिखर सम्मेलन में अफ्रीका क्लब** की स्थापना की है। अफ्रीका क्लब को **अलायन्स ऑफ अफ्रीकन मल्टीलेटरल फाइनेंसियल इंस्टीट्यूशन्स (AAMFIs)** भी कहा गया है।

- **अफ्रीका क्लब के बारे में**
  - यह **अफ्रीकी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों (AMFIs) का गठबंधन** स्थापित करेगा। इसका उद्देश्य वैश्विक और महाद्वीपीय वित्तीय संस्थानों की मौजूदा संरचना में कमियों को दूर करना है।
  - इसका एक अन्य उद्देश्य **नवीन वित्तीय साधन** प्रस्तुत करना तथा ऋण के प्रबंधन पर चर्चाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना है।
  - **मुख्य सदस्य:** अफ्रीकन एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक, ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीका फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अफ्रीकन री-इन्स्योरेन्स कॉर्पोरेशन आदि।
  - इसकी सदस्यता **अफ्रीका के सभी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के लिए खुली** है।

2.8.7. समिट फॉर डेमोक्रेसी (Summit For Democracy)

- हाल ही में, प्रधान मंत्री ने समिट फॉर डेमोक्रेसी के **तीसरे संस्करण** को संबोधित किया।
- **समिट फॉर डेमोक्रेसी के बारे में:**
  - **उत्पत्ति:** 'समिट फॉर डेमोक्रेसी', **अमेरिकी राष्ट्रपति की एक पहल है।** इस पहल की शुरुआत दिसंबर 2021 में की गई थी। यह **लोकतंत्र से जुड़े अनुभव साझा करने** और एक-दूसरे के उदाहरणों से सीख लेने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है।
  - **उद्देश्य:** इसके उद्देश्य **लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना, मानवाधिकारों की रक्षा करना और वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में तेजी लाना** है।
  - **प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर डेमोक्रेटिक रिन्यूअल:** इसे पहले **"समिट फॉर डेमोक्रेसी"** आयोजन के दौरान शुरू किया गया था। यह पहल लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए **प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने; स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने; स्वतंत्र मीडिया** आदि का समर्थन करती है।
    - **संयुक्त राज्य अमेरिका** भी इस पहल के लिए **वित्तीय सहायता** प्रदान करता है।

2.8.8. टोंकिन की खाड़ी (Gulf of Tonkin)

- **चीन ने टोंकिन की खाड़ी में बेस लाइन रेखांकित** की है। चीनी भाषा में टोंकिन की खाड़ी को **'बेइबू खाड़ी'** कहा जाता है।
  - संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (UNCLOS), 1982 के तहत **बेस लाइन का उपयोग प्रादेशिक जल और अनन्य आर्थिक क्षेत्रों (EEZs) की सीमा** निर्धारित करने के लिए किया जाता है।
- टोंकिन की खाड़ी **उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी चीन** के पास अवस्थित है।
  - **चीन और वियतनाम, दोनों ही दक्षिण चीन सागर पर अपना-अपना दावा** करते रहे हैं, इसके बावजूद भी वे इस **खाड़ी में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए** रखे हुए हैं।
  - **रेड नदी** इसी खाड़ी में मिल जाती है। यह नदी **चीन और वियतनाम** से होकर बहती है।

2.8.9. डेरियन गैप (Darien Gap)

- डेरियन गैप **अवैध आप्रवासन के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे तेजी से सीमा-पार करने वाले मार्ग** के रूप में उभरा है।
  - **दक्षिण अमेरिका से उत्तरी अमेरिका** में गैर-कानूनी रूप से प्रवेश करने के लिए **इस मार्ग का उपयोग** किया जाता है।
- **डेरियन गैप के बारे में**
  - यह गैप **उत्तरी कोलंबिया और दक्षिणी पनामा को जोड़ता** है।
  - यह **पनामा स्थल-संधि (Isthmus)** का हिस्सा है।
    - **स्थल-संधि वास्तव में भूमि का एक संकरा भाग** होता है। इसके दोनों ओर जल होता है तथा यह भाग दो बड़े भूखंडों को जोड़ता है।
  - यह एक **उष्ण और आर्द्र** क्षेत्र है। यहां **उष्णकटिबंधीय वर्षावन, मैंग्रोव दलदल और क्लाउड फॉरेस्ट वनस्पति के साथ कम ऊंचाई वाली पर्वत श्रेणियां (उष्णकटिबंधीय पर्वतीय क्षेत्र) मौजूद** हैं।

2.8.10. ब्लू लाइन (Blue Line)

- **लेबनान** में अमेरिकी दूत ने इस बात पर जोर दिया है कि **शांति और सुरक्षा की गारंटी के लिए ब्लू लाइन पर यथा-स्थिति को बदलना** होगा।
- **ब्लू लाइन के बारे में:**
  - **इजरायल और लेबनान** को अलग करने वाली **कोई आधिकारिक सीमा नहीं** है। यह ब्लू लाइन से तय होती है।

- ○ इसे **2000 में संयुक्त राष्ट्र ने निर्धारित** किया था। यह **नीले बैरल्स** से निर्मित है और **भूमध्य सागर से पूर्व में गोलान हाइट्स** तक विस्तारित है।
- ○ इसका उद्देश्य **लेबनान के दक्षिण से इजरायली सेना की वापसी की पुष्टि** करना था।
- **नोट:** ब्लू लाइन **यूएन सिस्टम स्टाफ कॉलेज** द्वारा बनाया गया एक **लर्निंग इकोसिस्टम** भी है।

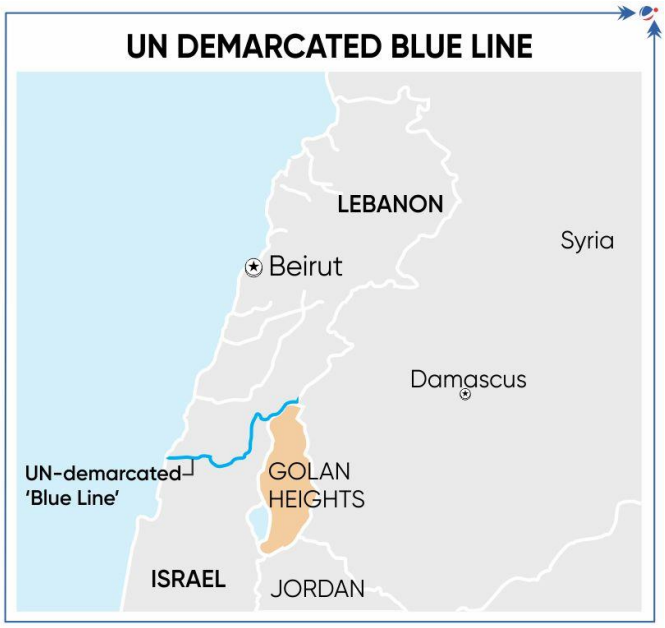

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अंतर्राष्ट्रीय संबंध** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

न्यूज़ टुडे

"न्यूज टुडे" डेली करेंट अफेयर्स की एक संक्षिप्त प्रस्तुति है। इस डॉक्यूमेंट की मदद से न्यूज-पेपर को पढ़ना काफी आसान हो जाता है और इससे अभ्यर्थी दैनिक घटनाक्रमों के बारे में अपडेट भी रहते हैं। इससे अभ्यर्थियों को कई अन्य तरह के लाभ भी मिलते हैं, जैसे:

किसी भी न्यूज़ से जुड़े घटनाक्रमों के बारे मे बेहतर समझ विकसित करने के लिए

न्यूज पढ़ने का एक ऐसा नजरिया विकसित करने के लिए, जिससे अभ्यर्थी आसानी से समझ सकें हैं कि न्यूज पेपर्स में से कौन-सी न्यूज पढ़नी है

टेक्निकल टर्म्स और न्यूज़ से जुड़े जटिल कॉन्सेप्ट्स के बारे में सरल समझ विकसित करने के लिए

न्यूज़ टुडे डॉक्यूमेंट की मुख्य विशेषताएं

- स्रोत: इसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, न्यूज़ ऑन ए.आई.आर., इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, द मिंट जैसे कई स्रोतों से न्यूज को कवर किया जाता है।
- भाग: इसके तहत 4 पेज में दिन-भर की प्रमुख सुर्ख़ियों, अन्य सुर्ख़ियों और सुर्ख़ियों में रहे स्थल एवं व्यक्तित्व को कवर किया जाता है।
- प्रमुख सुर्ख़ियां: इसके तहत लगभग 200 शब्दों में पूरे दिन की प्रमुख सुर्ख़ियों को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें हालिया घटनाक्रम को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अन्य सुर्ख़ियां और सुर्ख़ियों में रहे स्थल/ व्यक्तित्व: इस भाग के तहत सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण टर्म, संरक्षित क्षेत्र और प्रजातियों आदि को लगभग 90 शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है।

न्यूज़ टुडे वीडियो की मुख्य विशेषताएं

- प्रमुख सुर्ख़ियां: इसमें दिन की छह सबसे महत्वपूर्ण सुर्ख़ियों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। इससे आप एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण न्यूज को खोजने में आपना कीमती समय बर्बाद किए बिना मुख्य घटनाक्रमों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।
- सुर्ख़ियों में रहे स्थल/ व्यक्तित्व: इसमें सुर्ख़ियों में रहे एक महत्वपूर्ण स्थल या मशहूर व्यक्तित्व के बारे में बताया जाता है।
- स्मरणीय तथ्य: इस भाग में चर्चित विषयों को संक्षेप में कवर किया जाता है, जिससे आपको दुनिया भर के मौजूदा घटनाक्रमों की जानकारी मिलती रहती है।
- प्रश्नोत्तरी: प्रत्येक न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन के अंत में MCQs भी दिए जाते हैं। इसके जरिए हम न्यूज पर आपकी पकड़ का परीक्षण करते हैं। यह इंटरैक्टिव चरण आपकी लर्निंग को ज्ञानवर्धक के साथ-साथ मज़ेदार भी बनाता है। इससे आप घटनाक्रमों से जुड़े तथ्यों आदि को बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं।
- रिसोर्सेज: वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में "न्यूज़ टुडे" के PDF का लिंक दिया जाता है। न्यूज़ टुडे का PDF डॉक्यूमेंट, न्यूज टुडे वीडियो के आपके अनुभव को और बेहतर बनाता है। साथ ही, MCQs आधारित प्रश्नोत्तरी आपकी लर्निंग को और मजबूत बनाती है।

रोजाना 9 PM पर न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन देखिए

न्यूज टुडे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

न्यूज़ टुडे क्विज़ के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation: WTO)

विश्व व्यापार संगठन (WTO)

WTO के बारे में

WTO एक **अंतरराष्ट्रीय संगठन** है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सभी सदस्य देशों के लाभ के लिए ओपन ट्रेड को सुगम बनाना है। यह राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से संबंधित एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है।

स्थापना	WTO का गठन	मुख्यालय	सदस्य
1 जनवरी, 1995	उरुग्वे दौर (1986-1994) की वार्ताओं से	जिनेवा, स्विट्जरलैंड	**166** (कोमोरोस और तिमोर-लेस्ते सहित; फ़रवरी, 2024) **भारत WTO का संस्थापक सदस्य है**

उद्देश्य

इसका उद्देश्य अपने सदस्य देशों की मदद करना है जिससे कि वे व्यापार का इस्तेमाल करके लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठा सकें, रोजगार के अवसर पैदा कर सकें और लोगों का जीवन बेहतर बना सकें।

संगठनात्मक संरचना

मंत्रिस्तरीय सम्मेलन	जनरल काउंसिल
यह WTO का **निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय** है। सामान्य तौर पर इसकी **बैठक प्रत्येक दो वर्ष में** होती है।	• यह जिनेवा स्थित WTO का निर्णय लेने वाला निकाय है। **यह WTO के कार्यों को पूरा करने के लिए नियमित रूप से बैठक करता है।** • जनरल काउंसिल की बैठक **विवाद निपटान निकाय** और **ट्रेड पॉलिसी रिव्यु बॉडी** के रूप में भी होती है।

कार्य

WTO के **व्यापार समझौतों** की देख-रेख करना	**व्यापार वार्ताओं** हेतु एक मंच के रूप में कार्य करना	**व्यापार संबंधी विवादों** का निपटारा करना	**देशों की व्यापार संबंधी नीतियों** की निगरानी करना	विकासशील देशों को **तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण** प्रदान करना

WTO द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट

वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट	वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू	ग्लोबल ट्रेड आउटलुक	WTO ऐन्यूअल रिपोर्ट

WTO की कुछ हालिया प्रमुख उपलब्धियां

2014: **एग्रीमेंट ऑन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट यानी सरकारी खरीद समझौते (GPA)** का संशोधित रूप लागू हुआ।

2015: 1.3 ट्रिलियन डॉलर का ऐतिहासिक **सूचना प्रौद्योगिकी समझौता** सम्पन्न हुआ।

2017:
- किफायती दवाओं तक गरीब देशों की पहुंच को सुगम बनाने के लिए **ट्रिप्स/ TRIPS (बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू) समझौते में संशोधन** किया गया।
- WTO का **ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट** लागू हुआ।

पिछले 5 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC)

MC 9-बाली, 2013	MC 10-नैरोबी, 2015	MC 11-ब्यूनस आयर्स, 2017	MC 12-जिनेवा, 2022	MC 13 अबू धाबी, 2024 (नवीनतम)

सबसे गंभीर चुनौतियां

- **विकासशील और विकसित देशों के बीच आम सहमति:** WTO के सदस्य देश कृषि उत्पादों पर नए नियमों पर सहमत नहीं हो पाए हैं। यह विकासशील और विकसित देशों के बीच परस्पर विरोधी हितों को उजागर करता है।
- **निष्क्रिय विवाद निपटान प्रणाली (DSS):** अपीलीय निकाय अब सक्रिय नहीं है और विवाद निपटान प्रणाली भी बाधित हो गई है, क्योंकि 2016 में अमेरिका ने नई नियुक्तियों को बाधित करना शुरू कर दिया था।
- **अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध:** विश्व की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और WTO के सदस्यों देशों (अमेरिका और चीन) के बीच खराब व्यापार संबंध भी WTO पर दबाव डालते हैं।

विश्व व्यापार संगठन से जुड़े ज्वलंत मुद्दों *जैसे कि खाद्य सुरक्षा, मत्स्य सब्सिडी और सीमा-पार रेमिटेंस पर आगे के आर्टिकल्स में विस्तार से चर्चा की गई है।*

3.1.1. कृषि एवं खाद्य सुरक्षा (Agriculture and Food Security)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व व्यापार संगठन (WTO) का **13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC13)** संयुक्त अरब अमीरात के **अबू धाबी** में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में **पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग (PSH)** से जुड़े मुद्दे का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। गौरतलब है कि भारत इस मुद्दे के स्थायी समाधान की मांग करता रहा है।

पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग नीति के बारे में

- **उद्देश्य:** पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग के तहत सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)[55] पर अनाज खरीदती है। भारत सरकार भी, पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग के तहत MSP पर किसानों से अनाज खरीदती है, उनका भण्डारण करती है तथा गरीबों को सब्सिडी आधारित मूल्य पर **उचित मूल्य की दुकानों** के जरिए वितरित करती है।
- **डी मिनिमिस (De Minimis) सीमाएं:** विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के अनुसार, किसी देश का कुल सब्सिडी बिल, उस देश के फसल उत्पादन के मूल्य से **विकासशील देशों के मामले में 10%** और **विकसित देशों के मामले में 5%** से अधिक नहीं होना चाहिए।
  - वर्तमान में, **इसकी गणना 1986-88 के संदर्भ मूल्य (Reference price) के आधार पर की जाती है।**

पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग पर देशों के बीच मतभेद

- **विकासशील देश:** भारत और कई अन्य विकासशील देश सब्सिडी की **डी मिनिमिस** सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही, वे सरकारी खरीद के लिए किसानों को दी जाने वाली **मूल्य समर्थन सब्सिडी** की गणना के लिए **फॉर्मूले में बदलाव की मांग** कर रहे हैं।
- **विकसित देश:** अधिकांश विकसित देशों का मानना है कि पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग की व्यवस्था बाजार को विकृत करती है। ये देश कृषि वस्तुओं के निर्यात पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध के खिलाफ हैं।

पीस क्लॉज और भारत का रुख

- **पीस क्लॉज: बाली (इंडोनेशिया)** में आयोजित **नौवें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC9)** में WTO ने खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग के अंतरिम समाधान के रूप में "पीस क्लॉज" का प्रावधान किया था। इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि जब तक इस मामले में कोई स्थायी समाधान नहीं निकल जाता, तब तक किसी अकस्मात स्थिति में यदि कुल कृषि सब्सिडी **डी मिनिमिस सीमा** से अधिक हो जाती है, तो भी विकासशील देशों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
  - उदाहरण के लिए- वित्त वर्ष 2022-23 में भारत में धान का उत्पादन मूल्य 52.8 बिलियन डॉलर था। इसी वित्त वर्ष में किसानों को 6.39 बिलियन डॉलर की सब्सिडी दी गई। इसका मतलब है कि धान सब्सिडी, उत्पादन के कुल मूल्य का **12 प्रतिशत** थी। यह WTO द्वारा निर्धारित 10 प्रतिशत की सब्सिडी सीमा से अधिक थी। इसलिए, भारत ने **पीस क्लॉज़** का इस्तेमाल करके WTO को इसके बारे में सूचित किया।
  - **"पीस क्लॉज़"** को WTO के 11 वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC11) तक जारी रखा जाना था। हालांकि, सदस्य देशों के बीच सर्वसम्मति नहीं बन पाने के कारण इसे अभी तक जारी रखा गया है।
- **भारत की मांग:** भारत पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग की समस्या का **स्थायी समाधान** चाहता है।
  - स्थायी समाधान के रूप में, भारत ने खाद्य सब्सिडी सीमा की गणना के लिए **फॉर्मूले में बदलाव** करने जैसे उपाय सुझाए हैं।

[55] Minimum Support Price

पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग का स्थायी समाधान भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग का स्थायी समाधान भारत और अन्य विकासशील देशों के लिए कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इससे **खाद्य भंडारण से जुड़े कार्यक्रमों के लिए उच्च सब्सिडी को कानूनी मान्यता मिल जाएगी।** इसके अलावा, **गरीब और वल्नरेबल किसानों के हितों की रक्षा होगी** और **देश में खाद्य सुरक्षा जरूरतों का ध्यान** रखा जा सकेगा।

3.1.2. मात्स्यिकी सब्सिडी समझौता (Fisheries Subsidies Agreement)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व व्यापार संगठन (WTO) का **13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC13)** मात्स्यिकी सब्सिडी पर अंकुश लगाने वाले किसी स्थायी समाधान पर पहुंचे बिना ही संपन्न हो गया। गौरतलब है कि मात्स्यिकी सब्सिडी देने से फ्लीट द्वारा क्षमता से अधिक मछली मारने यानी **असंधारणीय मत्स्यन (ओवरकैपेसिटी)** तथा फिश स्टॉक की उपलब्धता और जनन क्षमता की तुलना में अधिक मत्स्यन **(ओवर फिशिंग)** जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।

मात्स्यिकी सब्सिडी पर WTO समझौता

- **जिनेवा पैकेज:** इस समझौते को 2022 में जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में आयोजित WTO के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में **'जिनेवा पैकेज'** नाम से अपनाया गया था।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य उन हानिकारक सब्सिडी पर अंकुश लगाना है जिन्हें दुनिया भर में मत्स्य स्टॉक में हुई व्यापक कमी का प्रमुख कारक माना जा रहा है।
- **अभी तक स्वीकृति नहीं:** इस समझौते के लागू होने के लिए WTO के दो-तिहाई सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। मार्च, 2024 तक इसे अभी भी **39 देशों से स्वीकृति नहीं** मिली थी।
  - **भारत इस समझौते का हिस्सा नहीं है।**
- **लाभ:** यह समझौता निम्नलिखित रूप में समुद्री मत्स्य स्टॉक और मात्स्यिकी की संधारणीयता पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा:
  - इसके लागू होने से **अवैध, असूचित और अनियंत्रित (IUU)[56] मात्स्यिकी सब्सिडी** पर अंकुश लग सकता है।
  - मात्स्यिकी सब्सिडी पर रोक लगाने से अत्यधिक दोहन के शिकार मत्स्य स्टॉक को बचाने में मदद मिलेगी।
  - इससे खुले समुद्र (हाई सी) में अनियंत्रित मात्स्यिकी पर दी जाने वाली सब्सिडी पर प्रतिबंध लगेगा।
- **विशेष और विभेदक व्यवहार (S&DT)[57]:** S&DT के तहत, विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों **(LDCs)[58]** को इस समझौते के लागू होने की तारीख से नई व्यवस्था को अपनाने के लिए 2 साल का समय दिया गया है।

भारत की मांगें

- **PPP और CBDR-RC:** भारत का कहना है कि जिन देशों ने अतीत में भारी मात्स्यिकी सब्सिडी दी है और जो मत्स्य स्टॉक में कमी के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें **'प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत (PPP)[59]'** तथा **'सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों एवं संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC)[60]'** के आधार पर सब्सिडी को कम करने का अधिक दायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए।
  - विकासशील देशों के मछुआरा समुदाय की आजीविका और विकास आवश्यकताओं की सुरक्षा के लिए समझौते में विशेष और विभेदक उपचार (S&DT) भी शामिल होना चाहिए।

---

[56] Illegal, unreported and unregulated

[57] Special and Differential Treatment

[58] Least Developed Countries

[59] Polluter pay principle

[60] Common but differentiated responsibilities and respective capabilities

- **अपने जलक्षेत्र से अधिक दूर के जलक्षेत्र में मत्स्यन में शामिल देशों पर रोक:** भारत ने सदस्य देशों से आग्रह किया है कि उन्हें अपने अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ)[61] से बाहर अधिक दूर के जल क्षेत्र में मत्स्यन या मात्स्यिकी गतिविधियों में शामिल देशों द्वारा मात्स्यिकी पर दी जा रही सब्सिडी पर कम-से-कम 25 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिबंध लगा देना चाहिए।
- **विकासशील देशों और लघु अर्थव्यवस्थाओं को छूट:** इन देशों को अपने मात्स्यिकी क्षेत्रक को सब्सिडी प्रदान करने की छूट दी जानी चाहिए।

मात्स्यिकी सब्सिडी पर भारत के रुख का आधार

- मात्स्यिकी क्षेत्रक के विकास और उसमें विविधता लाने तथा मछुआरों की **खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी देना जरूरी** है।
- **आबादी का बड़ा हिस्सा मात्स्यिकी पर निर्भर:** भारत में 10 करोड़ से अधिक मछुआरे हैं। इनमें लगभग 61% मछुआरे अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।
- **विकासशील देशों में बहुत कम "प्रति व्यक्ति सब्सिडी":** उदाहरण के लिए- इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भारत सबसे कम मात्स्यिकी सब्सिडी देने वाले देशों में शामिल है।
    - साथ ही, भारत सहित अधिकांश विकासशील और छोटे देश, अत्याधुनिक मात्स्यिकी तकनीक वाले समृद्ध देशों की तरह अविवेक पूर्ण तरीके से मत्स्य संसाधनों का दोहन नहीं कर रहे हैं।

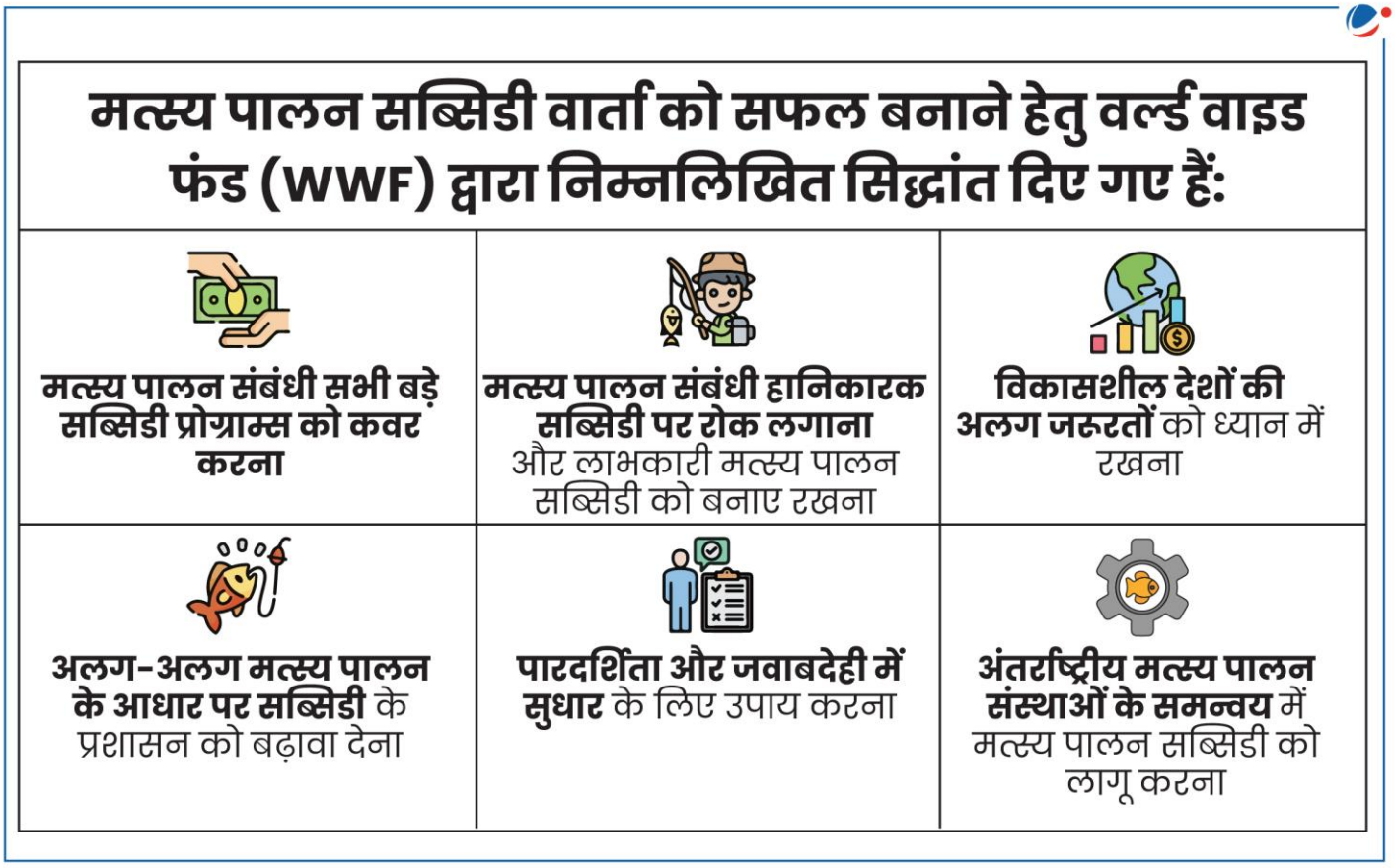

3.1.3. सीमा-पार विप्रेषण/ रेमिटेंस (Cross-Border Remittances)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने विश्व व्यापार संगठन के **13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC13)** में **सीमा-पार रेमिटेंस भेजने की लागत को कम करने के लिए** एक प्रस्ताव का ड्राफ्ट पेश किया। हालांकि, इस प्रस्ताव को **"अबू धाबी मंत्रिस्तरीय घोषणा-पत्र"** में शामिल **नहीं** किया गया।

[61] Exclusive Economic Zone

भारत के प्रस्ताव से संबंधित मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:

- **रेमिटेंस की प्राप्ति:** 2023 में 860 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल रेमिटेंस में से, 669 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 78%) निम्न और मध्यम आय वाले देशों को प्राप्त हुआ।
  - विदेशों से प्राप्त रेमिटेंस का विशेष रूप से गरीब देशों सहित विकासशील देशों में सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है।
- **रेमिटेंस की लागत:** वैश्विक स्तर पर रेमिटेंस की लागत भेजे जाने वाले रेमिटेंस का **लगभग 6.18%** है। यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDG) में इसे 3% तक सीमित रखने के टारगेट से काफी अधिक है।
- **भारत ने रेमिटेंस लागत में कमी करने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की है:**
  - डिजिटल माध्यम से फंड ट्रांसफर को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए;
  - इंटरऑपरेबल सिस्टम को बढ़ावा देने की आवश्यकता है;
  - प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए;
  - नियमों को आसान बनाने की जरूरत है; और
  - रेमिटेंस भेजने के बदले लिए जाने वाले शुल्क में पारदर्शिता बढ़ानी चाहिए।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड द्वारा वीटो:** भारत के इस प्रस्ताव का संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड विरोध कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन देशों में स्थित बैंकों के माध्यम से ही उच्च लागत वाले रेमिटेंस भेजे जाते हैं। इससे उन बैंकों को अच्छी-खासी आय प्राप्त हो जाती है।

विदेशों से प्राप्त होने वाले रेमिटेंस की लागत में कमी करने से होने वाले लाभ

- **अधिक रेमिटेंस की प्राप्ति:** रेमिटेंस लागत में कमी आने से विकासशील देशों में रेमिटेंस प्राप्ति में वृद्धि हो सकती है। इससे रेमिटेंस प्राप्त करने वाले परिवारों के व्यक्तिगत उपभोग व्यय में वृद्धि हो सकती है।
  - विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत को 2023 में सबसे अधिक 125 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त हुआ। हालाँकि, रेमिटेंस की लागत लगभग 7-8 बिलियन डॉलर थी।
- **आर्थिक संवृद्धि:** रेमिटेंस भेजने की लागत में कमी से व्यापार और व्यावसायिक दक्षता में भी वृद्धि हो सकती है। साथ ही, सीमा-पार भुगतान व्यय को कम करके समग्र आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा मिल सकता है।
- **UPI को विश्व में स्वीकार्य बनाने में मदद:** रेमिटेंस की लागत में कमी होने से UPI से लेन-देन को अत्यधिक प्रोत्साहन मिलेगा। UPI भारत में पेमेंट के मामले में डिजिटल क्रांति साबित हुई है। भूटान, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में इसकी अनुमति मिलने से इसका व्यापक प्रसार होगा।
  - इससे भारत के बैंकों को, जो डिजिटल भुगतान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपना प्रभाव स्थापित करने में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष

वैसे, भारत के प्रस्ताव पर WTO के सदस्यों के बीच आम सहमति बनने और फिर उसे लागू करने में समय लग सकता है, लेकिन इस बीच भारत को व्यक्तियों एवं व्यवसायों के लिए विदेशों में फंड ट्रांसफर करना या वहां से फंड प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रयास करना चाहिए।

Scan the QR code to know more about **India and WTO.**

Weekly Focus #24: India and World Trade Organization (WTO)

3.2. डिजिटल एकाधिकार और डिजिटल इकोसिस्टम का विनियमन (Digital Monopolies And Regulation Of Digital Ecosystem)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने गूगल द्वारा अपने **प्ले स्टोर** से कुछ एप्लिकेशन (ऐप्स) को हटाने पर कड़ा विरोध दर्ज किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **क्या था मामला:** गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक ने **गूगल ऐप मार्केटप्लेस शुल्क** का भुगतान न करने पर भारत की 10 टेक कंपनियों को नोटिस भेजा था।
- **गूगल का निर्णय:** शुल्क भुगतान नहीं करने के बहाने, कुछ ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया गया यानी डी-लिस्ट कर दिया गया। इससे गूगल और डीलिस्टेड ऐप्स की मूल कंपनियों के बीच टकराव शुरू हो गया।
- **सरकार की प्रतिक्रिया:** MeitY ने कहा कि वह ऐप्स की डी-लिस्टिंग की अनुमति नहीं देगी। साथ ही, सरकार ने गूगल द्वारा अपनी **वर्चस्व स्थिति के दुरुपयोग** एवं **डिजिटल एकाधिकार स्थापित करने** का मुद्दा भी उठाया।

डिजिटल एकाधिकार क्या है?

- **डिजिटल एकाधिकार (Digital Monopoly):** यह वह स्थिति है जब कोई एकल **कंपनी या प्लेटफ़ॉर्म** अपने उत्पाद से संबंधित डिजिटल इकोसिस्टम और बाजार पर **वर्चस्व बनाए रखती** है।
    - **इस तरह की कंपनियों के उदाहरण हैं:** गूगल, अमेजन, फेसबुक, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियां।

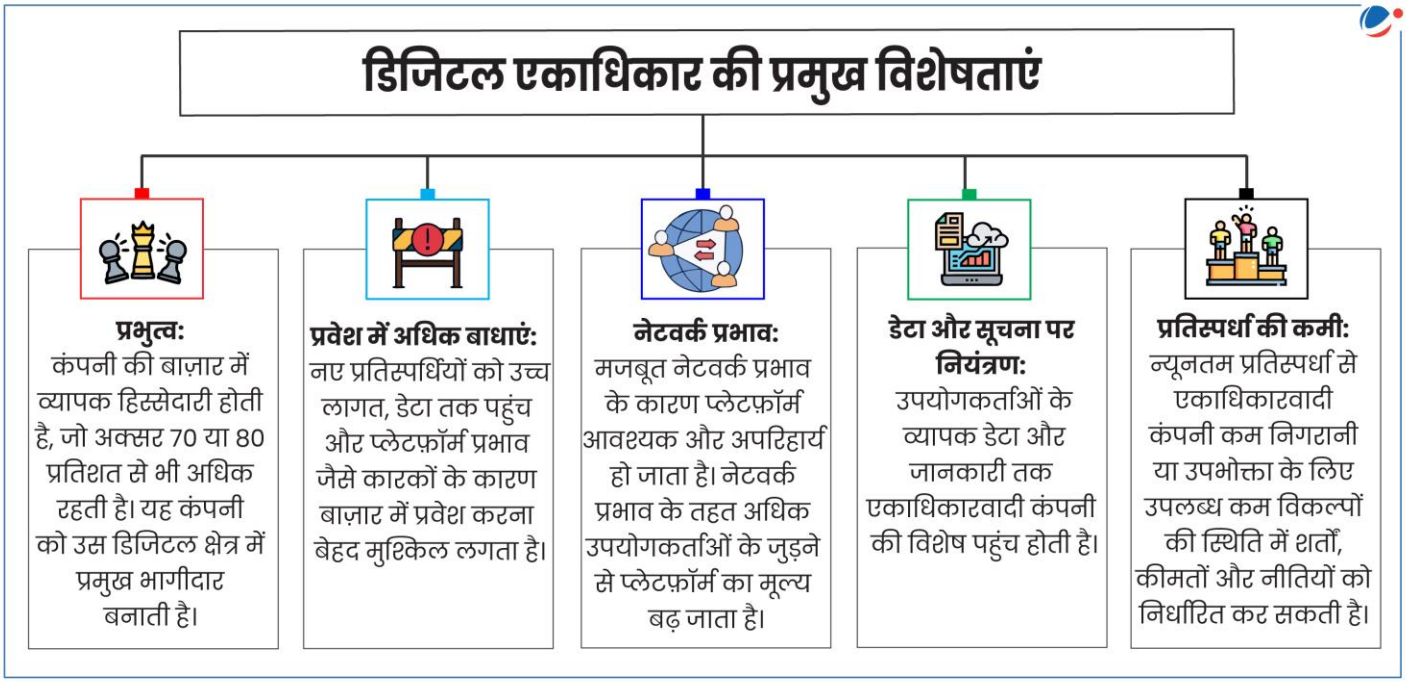

डिजिटल एकाधिकार से कौन-से खतरे उत्पन्न हो सकते हैं?

डिजिटल एकाधिकार वाली कंपनियां प्रतिस्पर्धा-रोधी कार्यों[62] में शामिल हो सकती हैं। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही, उपभोक्ताओं की पसंद एवं हित भी प्रभावित हो सकते हैं। **प्रतिस्पर्धा-रोधी कुछ प्रमुख गतिविधियां निम्नलिखित हैं:**

- **एंटी-स्टीयरिंग:** इसमें कुछ ऐसी विशिष्ट गतिविधियां अपनाई जाती हैं जो व्यावसायिक यूजर्स और उपभोक्ताओं को किसी अन्य यानी थर्ड पार्टी की सेवा का उपयोग करने से रोका जाता है। उदाहरण के लिए- ऐप स्टोर अपने खुद के पेमेंट सिस्टम का उपयोग करना अनिवार्य कर सकता है।
- **प्लेटफॉर्म न्यूट्रैलिटी/ सेल्फ-प्रीफेरेंसिंग:** इसके तहत एक डिजिटल एंटरप्राइज अपने प्लेटफॉर्म पर अपने उत्पादों को प्राथमिकता देता है। इससे हित-संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है।
- **एडजेंसी/ बंडलिंग और टाइंग:** इसके तहत कोर या आवश्यक सेवाओं के साथ पूरक सेवाएं भी जोड़ दी जाती हैं और यूजर्स को ये पूरक सेवाएं खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है।

[62] Anti-Competitive Practices - “the ACPs”

- **डेटा का उपयोग:** उपभोक्ताओं की पसंद-नापसंद जानने के लिए यानी प्रोफाइलिंग के लिए व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग किया जाता है। इससे व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को टारगेट करने वाली सेवाएं व उत्पाद पेश करने में मदद मिलती है, लेकिन इससे निजता के उल्लंघन का खतरा भी बढ़ जाता है।
- **मूल्य निर्धारण/ भारी छूट:** इसके तहत प्रतिस्पर्धियों को बाहर करने के लिए प्रीडेटरी प्राइसिंग की नीति अपनाई जाती है या जानबूझकर कीमतों को लागत मूल्य से कम रखा जाता है।
- **विशेष प्रकार का गठजोड़:** व्यावसायिक यूजर्स या विक्रेताओं के साथ विशिष्ट समझौते किए जाते हैं। इस प्रकार, उन्हें अन्य कंपनियों के साथ डील करने से रोका जाता है। उदाहरण के लिए- एप्पल आईफोन पर थर्ड-पार्टी एप्लीकेशन के इंस्टॉलेशन को प्रतिबंधित किया गया है।

भारत में डिजिटल इकोसिस्टम का विनियमन

- **प्रतिस्पर्धा अधिनियम[63], 2002:** इसके उद्देश्यों में शामिल हैं- बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और इसे बनाए रखना तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। प्रतिस्पर्धा अधिनियम **प्रतिस्पर्धा के विनियमन के लिए दो अप्रोच अपनाता है:**
  - **एक्स-पोस्ट अप्रोच:** इसके तहत प्रतिस्पर्धा-रोधी समझौता संपन्न होने और प्रभुत्व का दुरुपयोग होने के बाद इनकी जांच की जाती है।
  - **एक्स-एंटे अप्रोच:** समझौता करने के इच्छुक पक्षकारों को लेन-देन समझौता को अधिसूचित करना होता है और इसके बारे में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)[64] को सूचित करना और उससे मंजूरी लेना आवश्यक होता है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम[65], 2000:** यह भारत में डिजिटल इकोसिस्टम के अलग-अलग पहलुओं को प्रशासित करने वाला प्राथमिक कानून है।
  - हालांकि, यह कानून जब बनाया गया था तब इंटरनेट अपने विकास के शुरुआती चरण में था। इसलिए, यह आज की चुनौतियों का समाधान करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है।
- **क्षेत्रक-विशेष नियम:** केंद्र सरकार अलग-अलग क्षेत्रकों में समय-समय पर उत्पन्न होने वाले मुद्दों के समाधान के लिए नियम जारी करती रहती है, जैसे- सोशल मीडिया (आई.टी. नियम) और ई-कॉमर्स (उपभोक्ता संरक्षण नियम) आदि।
  - **डिजिटल मीडिया** और **ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म्स** को विनियमित करने के लिए **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम[66] 2021** बनाया गया है।

भारत में डिजिटल इकोसिस्टम के विनियमन में सुधार की आवश्यकता क्यों है?

- **विनियामकीय संस्थाओं में सामंजस्य का अभाव:** भारत में डिजिटल इकोसिस्टम **कई विनियामक संस्थाओं** और एजेंसियों द्वारा शासित होता है। इससे संपूर्ण डिजिटल इकोसिस्टम के प्रभावी तरीके से विनियमन में बाधा आती है।
- **विनियामकीय संस्थाओं को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है:** डिजिटल इकोसिस्टम में जटिल मुद्दों की प्रभावी ढंग से निगरानी और समाधान करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों, डेटा विश्लेषण की क्षमताओं, संसाधनों इत्यादि का अभाव है।
- **नवाचार एवं विनियमन में संतुलन:** अत्यधिक प्रतिबंधात्मक नियम डिजिटल इकोसिस्टम के विकास को बाधित कर सकते हैं, जबकि शिथिल नियमों से एकाधिकार को बढ़ावा मिल सकता है।
- **नियमों को लागू करने की चुनौतियां:** चूंकि, डिजिटल कंपनियों का कारोबार एक साथ कई देशों में फैला होता है, ऐसे में वे अलग-अलग देशों के नियम-कानूनों को तेजी से अपनाकर इससे बचने का तरीका ढूंढ लेती हैं।

डिजिटल एकाधिकार को रोकने के लिए भारत की पहलें

- **उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020:** यह कानून ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मार्केटप्लेस के कार्यों को प्रशासित करने के लिए बनाया गया है। इन नियमों का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा-रोधी गतिविधियों को रोकना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और उपभोक्ता हितों की रक्षा करना है।

---

[63] Competition Act

[64] Competition Commission of India

[65] Information Technology Act

[66] Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules

- **प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023:** इस संशोधन के जरिए हाई-वैल्यू वाले और डेटा के मामले में समृद्ध कंपनियों के विलय/ अधिग्रहण के लिए विलय अधिसूचना संबंधी सीमा[67] और डील वैल्यू पर ऊपरी सीमा तय की गई है। इसका आशय है कि किसी विलय या सौदे में शामिल लेन-देन की राशि तय सीमा से अधिक होने पर CCI की मंजूरी लेनी पड़ेगी। इसका मुख्य उद्देश्य भविष्य में डिजिटल एकाधिकार को रोकना है।
    - **भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)** डिजिटल प्लेटफॉर्म्स द्वारा प्रतिस्पर्धा-रोधी गतिविधियों की भी जांच करता है और उनके खिलाफ कार्रवाई करता है।
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम[68], 2023:** यह कुछ बड़ी टेक कंपनियों के पास डेटा संकेंद्रण को रोकने के लिए डेटा के महत्त्व पर जोर देता है और इस हेतु प्रावधान करता है।
- **प्रस्तावित डिजिटल इंडिया एक्ट (DIA):** इसमें सोशल मीडिया वेबसाइट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-आधारित प्लेटफॉर्म्स और ई-कॉमर्स कंपनियों सहित अलग-अलग डिजिटल कंपनियों को विनियमित करने का प्रस्ताव किया गया है।
- **नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क नीति का मसौदा:** इसका उद्देश्य सभी सरकारी निकायों में गैर-व्यक्तिगत और गुमनाम डेटा के लिए मानकीकृत डेटा प्रबंधन और सुरक्षा तंत्र का निर्माण करना है।

आगे की राह (डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून, 2024 पर गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर)

- **एक्स-एंटे उपायों के साथ एक डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम बनाना चाहिए:** अभी अधिकांश मामलों में प्रतिस्पर्धा रोधी समझौतों या गतिविधियों के सामने आने के बाद जांच की जाती है। इसके बदले में प्रस्तावित कानून में वित्तीय विश्लेषण का एक ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जो ऐसी गतिविधियों या कार्यों का पूर्वानुमान कर सके।
- **प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण डिजिटल मध्यवर्ती (SIDIs)[69] व्यवस्था शुरू करना:** कुछ बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की पहचान करके उन्हें SIDIs के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इनके लिए एक्स-एंटे नियम और दायित्व तय किए जाने चाहिए।
- **विलय पर नियंत्रण की व्यवस्था में सुधार:** विलय संबंधी सौदों को **CCI से मंजूरी अनिवार्य करने के लिए सौदे में शामिल राशि की ऊपरी सीमा तय होनी चाहिए।** विलय का आकलन करते समय सौदे के मूल्य में डेटा और नवाचार जैसे गैर-मूल्य फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना चाहिए।
- **भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को सशक्त बनाना:** डिजिटल डोमेन में प्रतिस्पर्धा संबंधी चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए CCI की संस्थागत क्षमता और विशेषज्ञता को और बढ़ाने की आवश्यकता है।
- CCI, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) जैसे **अलग-अलग विनियामक प्राधिकरणों** के बीच **बेहतर तालमेल सुनिश्चित** करने पर ध्यान देना चाहिए।
- डिजिटल प्रतिस्पर्धा विनियमन हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विश्व के बेहतरीन नियम अपनाने को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

3.3. मानव विकास रिपोर्ट (HDR) 2023-2024 {Human Development Report (HDR) 2023-2024}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम **(UNDP)[70]** ने **मानव विकास रिपोर्ट (HDR) 2023-2024** जारी की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है: **"ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक: रीइमेजिनिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड[71]"।**

HDR के बारे में

- **जारी करने वाली संस्था:** UNDP द्वारा इस रिपोर्ट को 1990 से प्रतिवर्ष जारी किया जाता है।
- **उद्देश्य:** मानव विकास को प्रभावित करने वाली प्रमुख वैश्विक चुनौतियों की जांच-पड़ताल करना और उनके बारे में सिफारिशें करना।
- **मानव विकास सूचकांक (HDI)[72]:** यह 1990 से लगातार प्रकाशित हो रहा है। यह सूचकांक मानव विकास रिपोर्ट का प्रमुख आधार है।

---

[67] Merger notification thresholds

[68] Digital Personal Data Protection Act

[69] Systemically Important Digital Intermediaries

[70] United Nations Development Programme

[71] Breaking the Gridlock: Reimagining cooperation in a polarised world

मानव विकास सूचकांक (HDI) के बारे में

- **HDI क्या है:** यह मानव विकास के लिए एक सांख्यिकीय माप विधि है। इसका उपयोग मानव विकास के 3 मूलभूत आयामों (Basic dimensions) में किसी देश की उपलब्धि को मापने के लिए किया जाता है। **ये मूलभूत आयाम हैं:**
  - दीर्घायु और स्वस्थ जीवन (Long and healthy life),
  - ज्ञान (Knowledge), तथा
  - सम्मानजनक जीवन स्तर (Decent standard of living)।
- **HDI मान की गणना कैसे की जाती है?**
  - HDI मान चार संकेतकों में देश के स्कोर को एकत्रित करके ज्ञात किया जाता है। इन संकेतकों को आयाम सूचकांकों के आधार पर 0 और 1.0 के बीच की एकल संख्या में संकलित किया जाता है (इन्फोग्राफिक देखें)।
- **HDI का विकास किसने किया:** पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल-हक।
- **महत्त्व:** इसका उपयोग देश की सरकारें अपनी अलग-अलग नीतियों को प्राथमिकता देने में कर सकती हैं।
  - उदाहरण के लिए- यदि दो देशों की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI)[73] लगभग समान है, तो HDI यह बताने में मदद कर सकता है कि किन वजहों से मानव विकास के मानकों पर उनके प्रदर्शन अलग-अलग हैं।

---

[72] Human Development Index

[73] Gross National Income

- **HDI की कमियां: HDI मानव विकास के केवल कुछ पहलुओं के बारे में** ही बताता है। यह **असमानता, गरीबी, मानव सुरक्षा, सशक्तीकरण जैसे विषयों को शामिल नहीं करता** है।
    - वहीं, HDR जीवन के अन्य पहलुओं का आकलन करने के लिए समग्र सूचकांक प्रदान करता है। इसमें लैंगिक असमानता या नस्लीय भेदभाव जैसे असमानता के मुद्दे भी शामिल हैं।

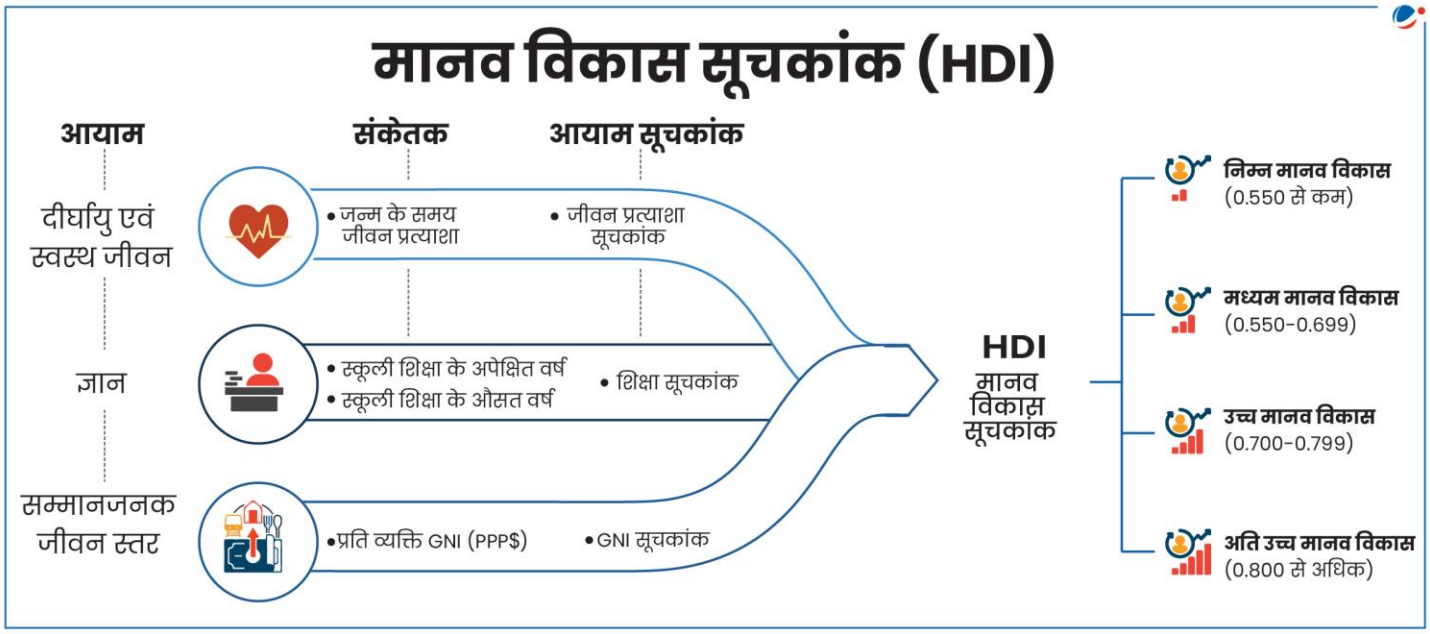

HDR 2023-2024 में भारत की स्थिति

- **HDI:** भारत की HDI रैंकिंग में सुधार हुआ है। 2021 में भारत 135वें स्थान पर था, जो सुधरकर 2022 में 134वां हो गया। वहीं 2018 में भारत 130वें स्थान पर था।
- **HDI स्कोर:** भारत का स्कोर 2021 के 0.633 से बढ़कर 2022 में 0.644 हो गया।
- **जन्म के समय जीवन प्रत्याशा:** 2021 के 67.2 वर्ष से बढ़कर 2022 में 67.7 वर्ष हो गई।
- **स्कूली शिक्षा के प्रत्याशित वर्ष:** 2021 के 11.9 वर्ष से बढ़कर 2022 में 12.6 वर्ष हो गए।
- **स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष:** यह 2022 में बढ़कर 6.57 वर्ष हो गए हैं।
- **प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय:** 2021 की तुलना में 2022 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी हुई है, जो 6,542 डॉलर से बढ़कर 6,951 डॉलर हो गई।
- **श्रेणी:** भारत को मानव विकास की मध्यम श्रेणी में रखा गया है।
- **पड़ोसी देशों के साथ तुलना:** भारत की रैंकिंग चीन (75), श्रीलंका (78), मालदीव (87), भूटान (125) और बांग्लादेश (129) से भी नीचे है।
    - भारत की रैंकिंग म्यांमार (144), नेपाल (146), पाकिस्तान (164) और अफगानिस्तान (182) से बेहतर है।

HDR 2023-2024 में वैश्विक स्थिति

- **मानव विकास सूचकांक (HDI):** वर्ष 2022 में कुल 193 देशों की रैंकिंग की गई। इनमें **स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर** है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः **नॉर्वे** एवं **आइसलैंड** हैं।
    - **असमान रिकवरी:** अमीर देशों में मानव विकास का उच्च स्तर देखा गया है, जबकि दुनिया के आधे सबसे गरीब देश कोविड महामारी संकट से पहले की विकास स्थिति को प्राप्त करने में पिछड़े हुए हैं।
    - **आर्थिक संकेंद्रण:** वस्तुओं के वैश्विक व्यापार के लगभग 40 प्रतिशत हिस्से पर तीन या उससे कम देशों का वर्चस्व है।
- **मानव विकास में बढ़ती असमानता:** अमीर और गरीब देशों के बीच **असमानताओं को लगातार कम करने में हुई प्रगति रुक गई है** और **यह असमानता बढ़ने लगी** है।

- **लोकतांत्रिक विरोधाभास की प्रवृत्ति में वृद्धि:** इस विरोधाभास के साथ-साथ शक्तिहीनता की भावना और सरकारी निर्णयों में भागीदारी की कमी से राजनीतिक ध्रुवीकरण व अंतर्मुखी नीतियों को बढ़ावा मिला है।
    - लोकतांत्रिक विरोधाभास (Democracy Paradox) का अर्थ है कि **देश की आबादी लोकतंत्र के बारे में सकारात्मक विचार रखती है लेकिन लोकतंत्र को कमजोर करने वाले नेताओं का समर्थन** करती है।

मानव विकास का मापन करने वाले अन्य प्रमुख सूचकांक

सूचकांक	मापन	भारत का प्रदर्शन
लैंगिक असमानता सूचकांक (Gender Inequality Index: GII)	GII 3 प्रमुख आयामों के आधार पर लैंगिक असमानताओं का मापन करता है। ये आयाम हैं- **जनन स्वास्थ्य, सशक्तीकरण** और **श्रम बाजार।**	2022 में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। भारत 2022 में **108वें स्थान पर** पहुंच गया, जबकि 2021 में **122वें स्थान** पर था।
बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Multidimensional Poverty Index: MPI)	MPI **विकासशील देशों में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर** में **लोगों के** विविध अभावों (Deprivations) को मापता है।	**2021 में** भारत में **230 मिलियन से अधिक** लोग **बहुआयामी गरीबी से जूझ रहे** थे।
लैंगिक विकास सूचकांक (Gender Development Index: GDI)	GDI **लैंगिक आधार पर HDI में असमानताओं** को मापता है।	भारत में महिलाओं और पुरुषों के बीच HDI संबंधी उपलब्धियों में समानता का स्तर कम है। **HDI उपलब्धियों के मामले पुरुष, महिलाओं से 10 प्रतिशत बेहतर स्थिति में हैं।**
असमानता-समायोजित मानव विकास सूचकांक (Inequality-adjusted Human Development Index: IHDI)	IHDI में असमानता से संबंधित दो मापन शामिल हैं- **IHDI और असमानता के कारण HDI में समग्र हानि।**	IDHI में **भारत की रैंकिंग 140वीं है। रैंकिंग में 6 स्थानों की गिरावट** दर्ज की गई है।
ग्रहीय दबाव-समायोजित मानव विकास सूचकांक (Planetary pressures-adjusted Human Development Index: PHDI)	यह एंथ्रोपोसीन युग (मानवजनित गतिविधियों) में पृथ्वी पर दबाव को **HDI के साथ समायोजित करता है।** ऐसा दो पीढ़ियों के बीच असमानता से जुड़ी चिंताओं को शामिल करने के लिए किया जाता है।	**भारत 127वें स्थान पर है। भारत के PHDI और** HDI स्कोर में **3 प्रतिशत का अंतर है।**

3.4. घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2022-23 {Household Consumption Expenditure Survey (HCES) 2022-23}

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय **(NSSO)**[74] ने 10 वर्षों के अंतराल के बाद **HCES 2022-23** जारी किया है। इससे पहले, उपभोग व्यय सर्वेक्षण **2011-12** में जारी किया गया था।

घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) के बारे में

- **उद्देश्य:** इस सर्वेक्षण का आयोजन परिवारों द्वारा **वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए** किया जाता है।
- **संचालन करने वाली संस्था:** यह सर्वेक्षण NSSO द्वारा नियमित अंतराल पर किया जाता है। NSSO, **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय** (MoSPI) के तहत स्थापित एक संस्था है।

[74] National Sample Survey Office

- शुरुआत में, 1950-51 से प्रत्येक वर्ष NSSO द्वारा HCES का आयोजन किया जाता था। हालांकि, 26वें राउंड के बाद से, यह सर्वेक्षण **लगभग 5 वर्षों में 1 बार आयोजित** किया जाने लगा। गौरतलब है कि 2017-18 के सर्वेक्षण को सरकार ने 'डेटा गुणवत्ता' में कमी का हवाला देते हुए खारिज कर दिया था।

- **HCES की उपयोगिता:** सर्वेक्षण से प्राप्त **डेटा परिवारों के उपभोग और व्यय पैटर्न, जीवन स्तर और रहन-सहन** को समझने में मदद करते हैं।
  - ये डेटा सकल घरेलू उत्पाद (GDP), गरीबी स्तर और उपभोक्ता मूल्य आधारित मुद्रास्फीति जैसे कई **महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों की समीक्षा** में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

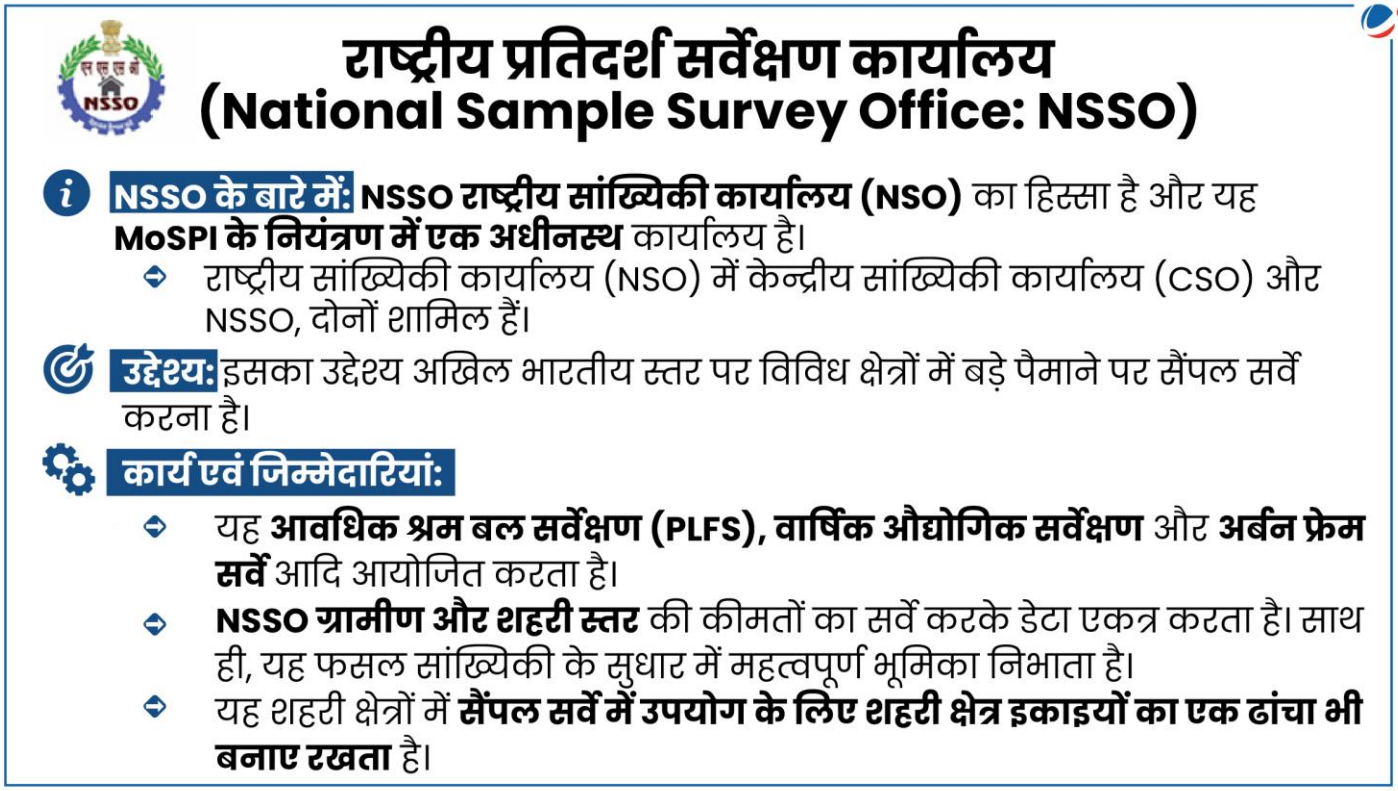

HCES 2022-23 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **समग्र रुझान (Trend):** औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय **(MPCE)**[75] में **1999-2000 से बढ़ोतरी** जारी है। पिछले सर्वेक्षण के बाद से **ग्रामीण क्षेत्रों में यह लगभग 2.6 गुना और शहरी क्षेत्रों में 2.5 गुना बढ़ गया** है।
  - **ग्रामीण-शहरी विभाजन:** औसत MPCE **ग्रामीण भारत में 3,773 रुपये** और **शहरी भारत में 6,459 रुपये** है।
  - **अमीर-गरीब विभाजन:** ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 5% सबसे अमीर व्यक्ति, सबसे गरीब 5% व्यक्ति की तुलना में क्रमशः लगभग 8 गुना (ग्रामीण) और 10 गुना (शहरी) अधिक खर्च करते हैं।
- **राज्य-वार अंतर:** राज्यों में, MPCE **सिक्किम में सबसे अधिक** और **छत्तीसगढ़ में सबसे कम** है। केंद्रशासित प्रदेशों में, MPCE **चंडीगढ़ में सबसे अधिक** है और **लद्दाख में सबसे कम** है।
  - **नौ राज्यों में** MPCE **राष्ट्रीय औसत से कम है:** ये राज्य हैं- उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार, मेघालय, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम।
- **कृषक परिवारों का MPCE: कृषक परिवारों का उपभोग व्यय** 3,702 रुपये है। ऐसा पहली बार है जब कृषक परिवारों का उपभोग व्यय**,** ग्रामीण औसत (3,773 रुपये) से कम हुआ है।

[75] Monthly Per Capita Consumption Expenditure

- हालांकि, कृषक परिवारों के **MPCE और समग्र ग्रामीण परिवारों के औसत उपभोग व्यय के बीच का अंतर पिछले कुछ वर्षों से कम** हो रहा है।

- **वंचित वर्गों के बीच उपभोग व्यय:** ग्रामीण क्षेत्रों में **अनुसूचित जनजातियों (STs)** का **MPCE सबसे कम है।** ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरा सबसे कम MPCE **अनुसूचित जातियों (SCs)** का है। इन दोनों वंचित समुदायों का MPCE **ग्रामीण औसत से कम है।**
  - शहरी क्षेत्रों में, **अनुसूचित जातियों** का MPCE सबसे कम है। इसके बाद **अनुसूचित जनजातियों** और अन्य पिछड़े वर्गों (OBCs) का स्थान है। शहरी क्षेत्रों में इन तीनों वर्गों का MPCE, शहरी औसत MPCE से कम है।
- **खाद्य पर व्यय:** वर्ष 1999-2000 के सर्वेक्षण से शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों के परिवारों का **खाद्य पर व्यय का हिस्सा धीरे-धीरे कम** हो रहा है जबकि **गैर-खाद्य वस्तुओं पर उपभोग व्यय का हिस्सा बढ़ता जा रहा** है।
  - साथ ही, परिवार अब **अनाज और दालों की बजाय उच्च मूल्य वाले व पशु आहार एवं बागवानी उत्पादों पर अधिक खर्च कर रहे हैं।**

गौरतलब है कि HCES 2022-23 सर्वेक्षण में अलग-अलग सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के तहत परिवारों को **मुफ्त में प्राप्त और खपत वाली वस्तुओं की मात्रा के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए एक अलग प्रावधान भी शामिल किया गया था।**

3.5. रिजर्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना (Reserve Bank - Integrated Ombudsman Scheme: RB-IOS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक ने लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 जारी की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह एकीकृत लोकपाल योजना (RB-IOS), 2021 के तहत रिजर्व बैंक द्वारा जारी **पहली विशिष्ट (Stand-alone) रिपोर्ट** है।
- इसके तहत एक वर्ष के दौरान RBI लोकपाल के 22 कार्यालयों (ORBIOs)[76], केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र **(CRPC)**[77] तथा संपर्क केंद्र (कांटेक्ट सेंटर) की गतिविधियों का उल्लेख किया गया है।

क्या आप जानते हैं?

> यदि आपको किसी बीमा कंपनी अथवा बीमा ब्रोकर के खिलाफ शिकायत करनी है, तो आप **बीमा लोकपाल (Insurance Ombudsman)** के पास शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
>
> - इसे विनियमित करने वाले प्राथमिक कानून हैं- **बीमा लोकपाल नियम, 2017** और **बीमा लोकपाल (संशोधन) नियम, 2023**
>
> इसके अलावा, **PFRDA (सब्सक्राइबर के शिकायत का निवारण) विनियम, 2015** के तहत **पेंशन से जुड़ी सेवाओं की शिकायतों के निवारण हेतु एक लोकपाल का प्रावधान** किया गया है।

लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **शिकायतें:** वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ORBIOs और CRPC के पास लगभग 7 लाख शिकायतें दर्ज कराई गईं। यह संख्या 2021-22 की तुलना में **68.24% अधिक** है।
- **शिकायत का तरीका:** कुल प्राप्त शिकायतों में से लगभग **85.64%** शिकायतें **डिजिटल मोड** में प्राप्त हुई हैं।
- **निपटान दर:** वित्त वर्ष 2022-23 में ORBIOs में प्राप्त 98% शिकायतों का निपटारा किया गया। औसत टर्न अराउंड टाइम (TAT) 33 दिन था। इसका आशय है कि शिकायत के दर्ज होने के औसतन 33 दिनों में निपटारा किया गया।
  - अधिकतर सुनवाई/ विचार योग्य शिकायतों (57.48%) का निपटारा ORBIOs द्वारा **आपसी समझौते/ सुलह/ मध्यस्थता** के जरिए किया गया।
- **विनियमित संस्थाएं (Regulated Entities: REs):** ORBIOs के पास दर्ज कुल शिकायतों में से सर्वाधिक यानी 83.78% बैंकों के खिलाफ प्राप्त हुई थी।

[76] Offices of the RBI Ombudsman

[77] Centralized Receipt and Processing Centre

शिकायतों की संख्या बढ़ने के प्रमुख कारण

- विनियमित संस्थाओं में धोखाधड़ी को प्रभावी तरीके से रोकने वाले तंत्र का अभाव है। कई बार ग्राहकों की संवेदनशील जानकारी अनधिकृत लोगों को प्राप्त हो जाती है। इन वजहों से **अनधिकृत/ डिजिटल धोखाधड़ी से जुड़े लेन-देन की घटनाओं में लगातार वृद्धि** हो रही है।
- **फेल्ड ट्रांजैक्शन की धनराशि को वापस अकाउंट में आने में काफी वक्त लगता है।**
- लागू ब्याज दर, लोन को समय से पहले चुकाने (फोरक्लोजर) और अन्य लागू शुल्कों से जुड़े नियमों एवं शर्तों के बारे में विनियमित संस्थाएं/ DLAs (डिजिटल लेंडिंग ऐप्स) ग्राहकों को सही जानकारी नहीं देते हैं। इस वजह से भी शिकायतों की संख्या बढ़ रही है।
- **पेंशन संबंधी मुद्दों के समाधान** के लिए पर्याप्त और बैंक-स्तरीय केंद्रीकृत तंत्र का अभाव है।
- बैंक के बोर्ड द्वारा मंजूर नीतियों में स्पष्टता नहीं होने के कारण डिपॉजिट अकाउंट्स में **मिनिमम बैलेंस नहीं रखने के चलते बैंक ग्राहकों से शुल्क** वसूल करते हैं। इस तरह के शुल्क के खिलाफ ग्राहक शिकायत दर्ज कराते हैं।
- ग्राहक और विनियमित संस्थाओं के बीच सूचनाओं के सही तरीके से आदान-प्रदान नहीं होने से उत्पादों की **क्रॉस सेलिंग** (कुछ अतिरिक्त उत्पाद भी बेचना) की जाती है या गलत वित्तीय उत्पाद बेच दिया जाता है।
- क्रेडिट इनफार्मेशन कंपनियों (CICs) के पास **अपडेटेड क्रेडिट जानकारी की रिपोर्ट सौंपने में अधिक देरी** होने से गलत क्रेडिट रिपोर्ट बन जाती है। इसके खिलाफ भी ग्राहक शिकायत करते हैं।

रिजर्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना (RB-IOS), 2021 के बारे में

- **पृष्ठभूमि:** RB-IOS को **RBI के वैकल्पिक शिकायत निवारण (AGR)[78] फ्रेमवर्क** के रूप में 2021 में आरंभ किया गया था। RB-IOS का प्रमुख कार्य RBI के तहत विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों का शीघ्र और लागत प्रभावी तरीके से समाधान करना है।
- **मौजूदा योजनाओं का एकीकरण:** इसमें **RBI की पहले की निम्नलिखित तीन लोकपाल योजनाओं** को एकीकृत किया गया है:
  - बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006;
  - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018; और
  - डिजिटल लेन-देन के लिए लोकपाल योजना, 2019
- **गठन:** यह योजना RBI द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949; RBI अधिनियम, 1934 और भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम[79], 2007 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तैयार की गई है।
- **उद्देश्य:** इस योजना का उद्देश्य RBI की विनियमित संस्थाओं (REs) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों का नि:शुल्क समाधान प्रदान करना है।
  - यह योजना RBI लोकपाल तंत्र के अधिकार-क्षेत्र को तटस्थ बनाकर **'एक राष्ट्र एक लोकपाल'** के विज़न का समर्थन करती है।
- **कवरेज:** यह योजना निम्नलिखित विनियमित संस्थाओं को कवर करती है:
  - सभी **वाणिज्यिक बैंक,** क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक तथा 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक के जमा आकार वाले गैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक।
  - ऐसी सभी **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां** (हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को छोड़कर) जो जमा स्वीकार करने या ग्राहक से लेनदेन के लिए अधिकृत हैं तथा जिनकी परिसंपत्ति का आकार 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक है।
  - **भुगतान प्रणाली (पेमेंट सिस्टम्स) के सभी भागीदार।**
  - **क्रेडिट इनफार्मेशन कंपनियां (CICs)।**
- **लोकपाल की नियुक्ति:** RBI अपने एक या अधिक अधिकारियों को लोकपाल और उप-लोकपाल के रूप में नियुक्त कर सकता है। इनका कार्यकाल एक बार में अधिकतम तीन वर्ष होता है।

[78] Alternate Grievance Redress

[79] Payment and Settlement Systems Act

- **शिकायतों का निपटान:** वर्तमान में शिकायतों का निवारण/ निर्णयन **RBI लोकपाल के 22 कार्यालयों (ORBIOs)** के साथ-साथ **केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र (CRPC)**[80] द्वारा किया जाता है।

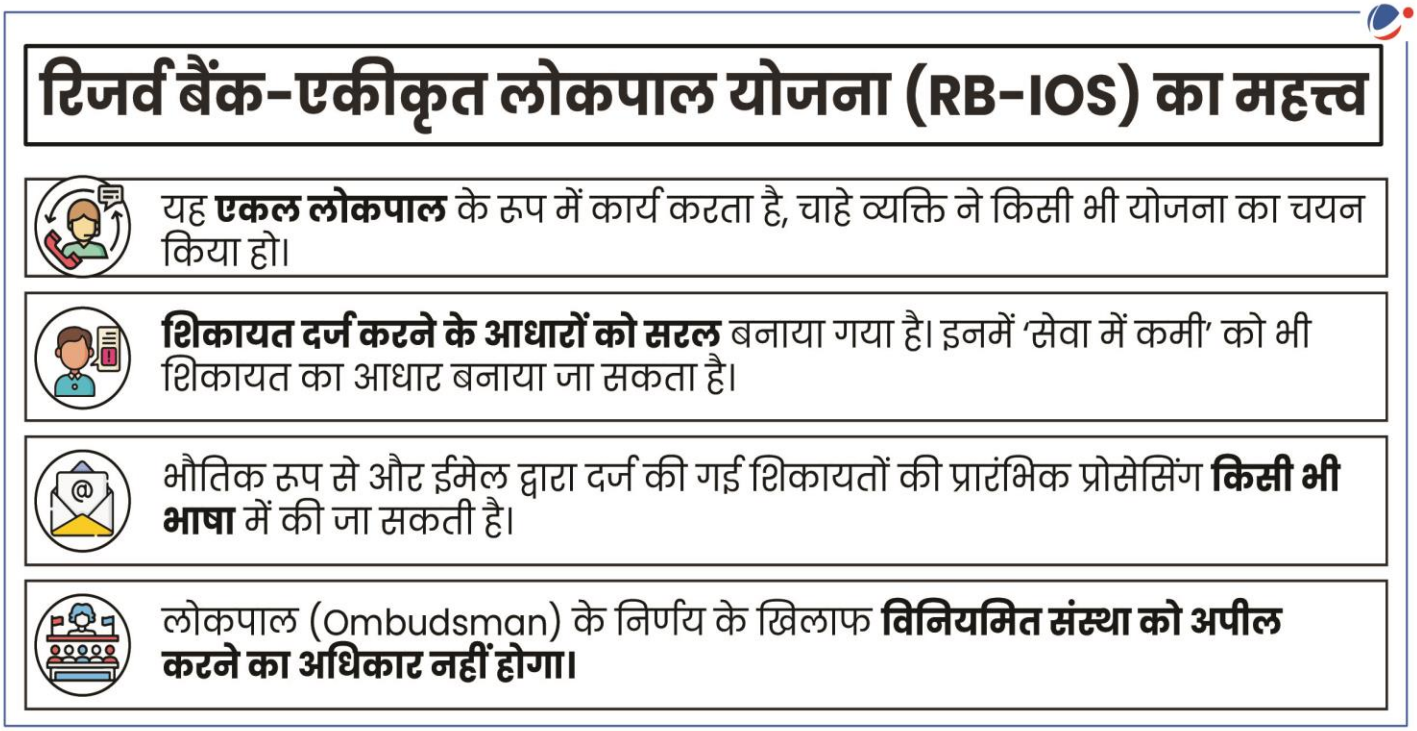

आगे की राह

- **उत्कर्ष 2.0:** RBI की मध्यम-अवधि रणनीतिक फ्रेमवर्क (उत्कर्ष 2.0) ने उपभोक्ता संरक्षण और शिकायत निवारण तंत्र में सुधार करने के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों की पहचान की है:
  - ग्राहक सेवा पर RBI के मौजूदा विनियामक दिशा-निर्देशों की **समीक्षा की जानी चाहिए तथा इन्हें समेकित और अपडेट किए जाने की आवश्यकता है।**
  - अलग-अलग विनियमित संस्थाओं पर लागू **आंतरिक लोकपाल योजनाओं** की समीक्षा करनी चाहिए और उन्हें एकीकृत करना चाहिए।
  - स्थानीय भाषाओं में ग्राहकों को सुविधा प्रदान करने के लिए दो अतिरिक्त स्थानों पर **रिजर्व बैंक संपर्क केंद्र**[81] स्थापित करने की जरूरत है। ये डिजास्टर रिकवरी और व्यवसाय निरंतरता की सुविधा भी प्रदान करेंगे।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** RBI कई कार्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेने की संभावनाओं का पता लगा सकता है। इन कार्यों में शिकायतों का बेहतर वर्गीकरण, निर्णय लेने में सहायता और ग्राहकों को बेहतर सेवा देना शामिल हैं।
  - उदाहरण के लिए- अमेरिका का उपभोक्ता वित्तीय संरक्षण ब्यूरो **नए तरीकों को डिजाइन करने के लिए वित्तीय स्थिति डेटा सर्वेक्षण में शामिल होकर डेटा संग्रह** करता है।
- **मानकीकरण:** विनियमित संस्थाओं को RBI लोकपाल से प्राप्त इनपुट के आधार पर **शिकायत निवारण के लिए एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)**[82] तैयार करनी चाहिए।
- **समीक्षा:** विनियमित संस्थाओं की शिकायत प्रबंधन प्रणाली (CMS)[83] को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि सभी ख़ारिज शिकायतें बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के सीधे आंतरिक लोकपाल के पास पहुंच जाएं।

---

[80] Centralised Receipt and Processing Centre

[81] Reserve Bank Contact Centre

[82] Standard Operating Procedure

[83] Complaint Management System

3.6. शहरी सहकारी बैंकों के लिए अम्ब्रेला संगठन (UCBS) {Umbrella Organisation (UO) For Urban Cooperative Banks}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) के लिए एक अम्ब्रेला संगठन **राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड (NUCFDC)**[84] का गठन किया है।

NUCFDC के बारे में

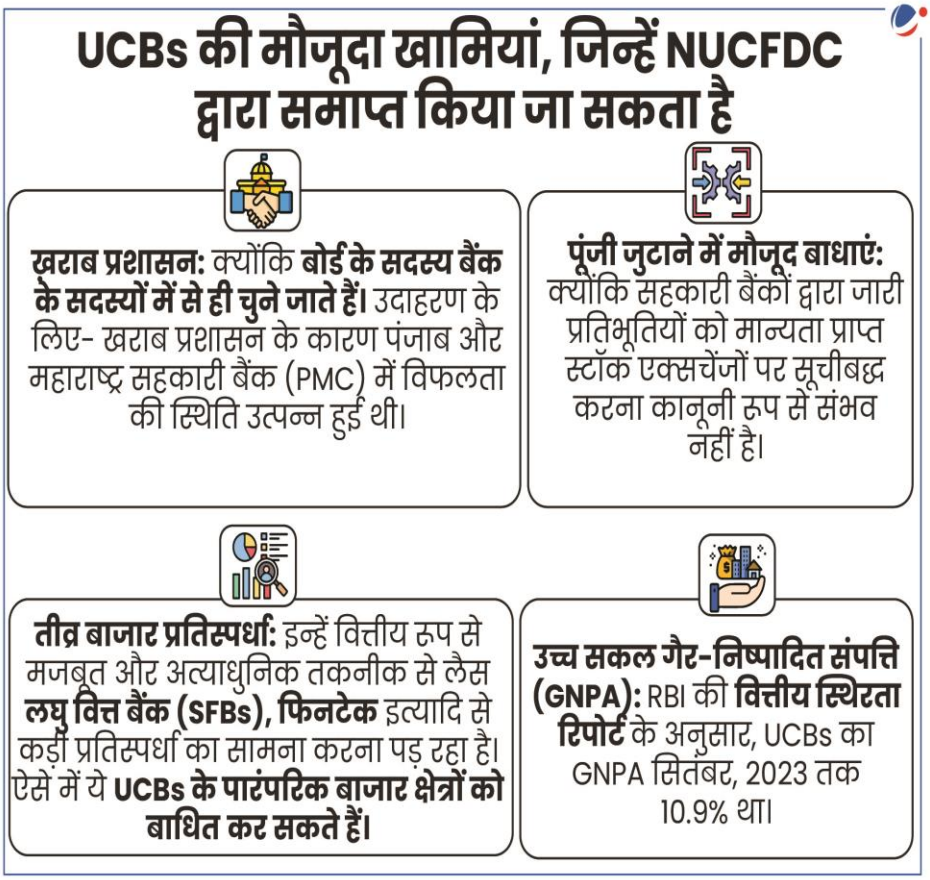

- **पृष्ठभूमि:**
  - **2006: श्री एन.एस. विश्वनाथन** की अध्यक्षता में गठित भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के एक कार्य-समूह ने **सर्वप्रथम भारत के UCB क्षेत्रक के लिए एक अम्ब्रेला संगठन** की आवश्यकता पर बल दिया था।
  - **2009: श्री वी.एस. दास** की अध्यक्षता में गठित RBI के एक कार्य-समूह ने **राष्ट्रीय स्तर** के एक अम्ब्रेला संगठन (NUCFDC जैसा) के गठन की सिफारिश की थी।
  - **2019:** RBI ने NUCFDC के गठन हेतु **नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड (NAFCUB)** को विनियामकीय मंजूरी प्रदान की (इन्फोग्राफिक देखें)।
- **NUCFDC की आवश्यकता क्यों है?**
  - UCBs की समस्याओं को हल करने के लिए अम्ब्रेला संगठन एक गेटवे के रूप में कार्य कर सकता है (इन्फोग्राफिक देखें)।
  - RBI की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट (2021) के अनुसार, अम्ब्रेला संगठन **लघु आकार के UCBs के विलय की जगह एक विकल्प** प्रदान करता है।
    - गौरतलब है कि इकोनॉमी ऑफ स्केल में सुधार लाने के लिए विलय का तरीका अपनाया गया था क्योंकि एक ही क्षेत्र में अधिक UCBs के होने से प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी जिससे इन बैंकों की आर्थिक लभप्रदता प्रभावित होती थी।
  - **एन.एस. विश्वनाथन समिति** के अनुसार, अम्ब्रेला संगठन इस क्षेत्रक में जनता और जमाकर्ताओं के भरोसा को बढ़ाने के लिए **एकमात्र दीर्घकालिक समाधान** प्रतीत होता है।
- **वैश्विक उदाहरण: संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा** और **फ्रांस जैसे देशों में सहकारी बैंकों** की अच्छी-खासी संख्या है। इन देशों में UCBs को **क्रेडिट यूनियन** की संज्ञा दी गई है। साथ ही, इन देशों में सहकारी बैंक आपस में एक-दूसरे से गहन रूप से नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। ये अम्ब्रेला संगठन (UO) नामक एक शीर्ष संस्था के तहत संचालित होते हैं।
  - भारत में, अम्ब्रेला संगठन की सहायता से लगभग **1,502 UCBs को अधिक सशक्त और आधुनिक** बनाया जा सकेगा।

[84] National Urban Cooperative Finance and Development Corporation Limited

- **वैधानिक स्थिति:**
  - **NUCFDC** एक अम्ब्रेला संगठन है। यह **RBI** के साथ **टाइप II गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-गैर जमा स्वीकारकर्ता** (NBFC-ND)[85] के रूप में **पंजीकृत** है।
    - **टाइप II** NBFC-ND लोगों से जमा (पब्लिक फंड्स) स्वीकार करती है या स्वीकार करने का इरादा रखती है और/ या यह ग्राहकों से लेनदेन करती है या लेन-देन करने का इरादा रखती है।
    - इसके विपरीत, **टाइप I NBFC-ND न तो लोगों से फंड्स स्वीकार करती है** न ही ऐसा इरादा रखती है, और न ही ग्राहक से लेन-देन करती है या लेन-देन करने का इरादा रखती है।
  - **NUCFDC** को UCB क्षेत्रक के लिए **स्व-विनियामक संगठन के रूप में कार्य करने की** अनुमति दी जाएगी।

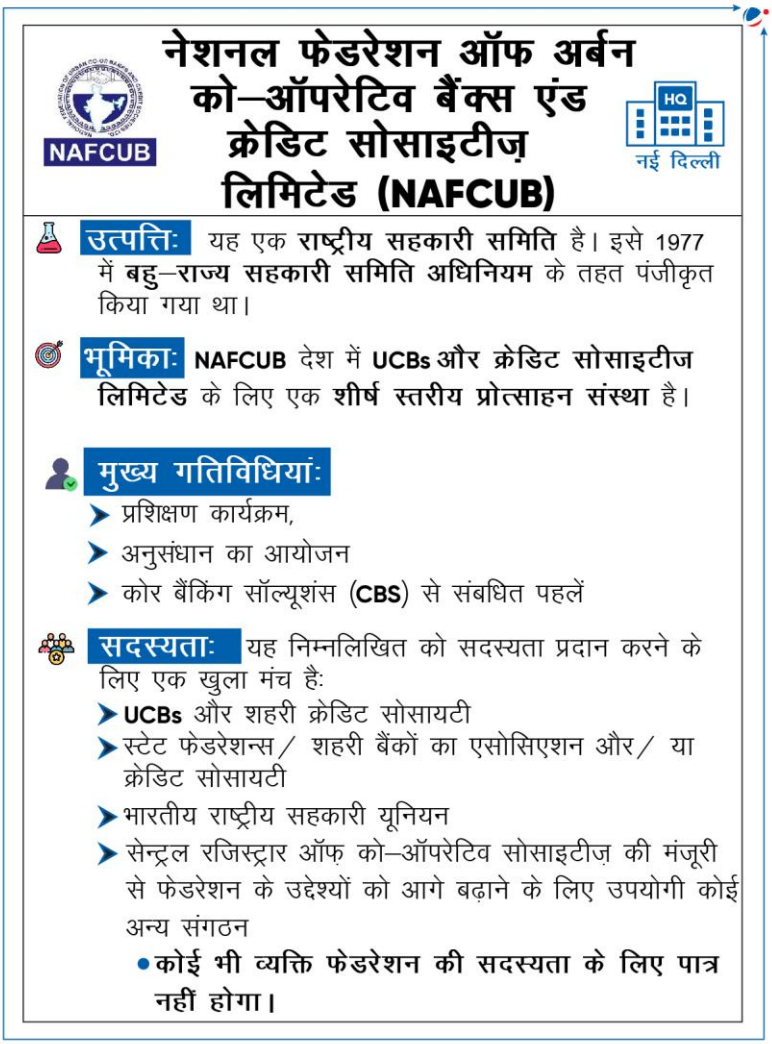

NUCFDC के प्रमुख कार्य

- **तरलता और पूंजी सहायता प्रदान करना:** यह पूंजी जुटाकर **300 करोड़ रुपये के पूंजी आधार** तक पहुंचने का लक्ष्य रखे हुआ है ताकि जरुरत पड़ने पर UCBs की सहायता की जा सके।
  - NUCFDC, UCBs को **फंड प्रबंधन** और अन्य परामर्श सेवाएं भी प्रदान कर सकता है।
- **विनियामक संबंधी नियमों के पालन को आसान बनाना:**
  - यह लघु बैंकों को **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949** के नियमों का पालन करने हेतु तैयार करने में मदद करेगा।
  - यह **UCBs और विनियामक संस्थाओं के बीच विचार-विमर्श** को आसान बनाएगा।
- **एक साझा प्रौद्योगिकी मंच विकसित करना:** NUCFDC, UCBs को अपेक्षाकृत कम लागत पर **अपनी सेवाओं का दायरा बढ़ाने** में मदद करेगा।

3.7. प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) (Primary Agricultural Credit Societies: PACS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

देश भर में **पैक्स (PACS)** के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए कई पहलें आरंभ की गई हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- **पैक्स के विस्तार के लिए पहल:** गोदामों और अन्य कृषि-अवसंरचनाओं के निर्माण के लिए **500 नए पैक्स की आधारशिला** रखी गई है।
- **पैक्स के आधुनिकीकरण के लिए पहलें:**
  - देश भर में **18,000 पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन** किया गया है।

[85] Non- Banking Financial Company-Non deposit

- **"पैक्स के कम्प्यूटरीकरण"** के लिए एक **केंद्र प्रायोजित परियोजना** शुरू की गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत, **सरकार का लक्ष्य चालू अवस्था वाले 63,000 पैक्स को कम्प्यूटरीकृत** करना है।
- इससे पैक्स के **काम-काज में दक्षता आएगी, ऋणों के शीघ्र वितरण में मदद मिलेगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी।**

- सहकारिता मंत्रालय ने **राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD)**[86] का उद्घाटन किया है।
  - NCD का मुख्य कार्य **सहकारी क्षेत्रक के बारे में सभी तरह की जानकारी,** जैसे- राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में सहकारी समितियों की संख्या आदि के बारे में सूचना प्रदान करना है।

पैक्स के बारे में

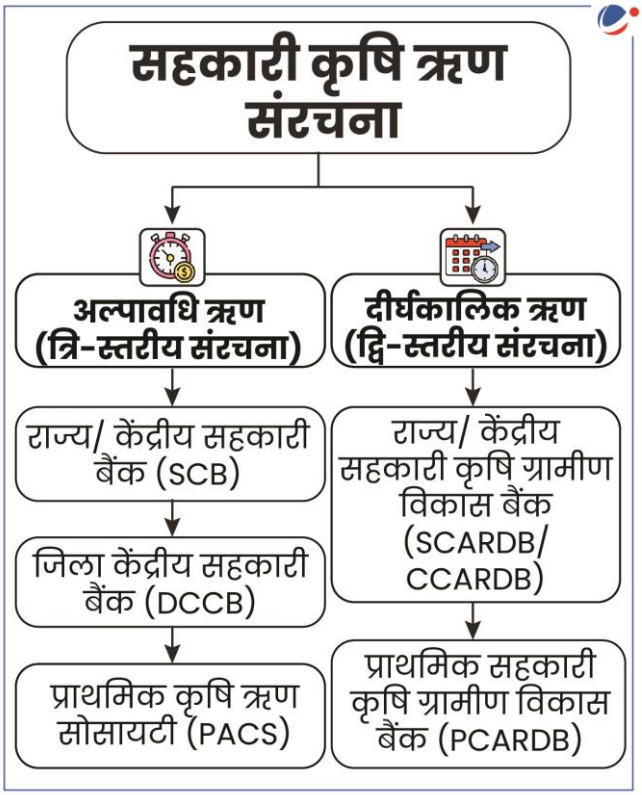

- **परिभाषा:** पैक्स **सहकारी ऋण संरचना** में **जमीनी स्तर की शाखाएं** हैं। ये मुख्यतः **अल्पावधि वाले ऋणों का वितरण** करते हैं (इन्फोग्राफिक्स देखें)।
- **विनियमन:**
  - देश भर के पैक्स **सहकारी समिति अधिनियम** के तहत पंजीकृत हैं। संबंधित राज्य के **सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार (RCS)**[87] इनके काम-काज की देख-रेख करता है।
    - **SCBs/ DCCBs**[88] भी संबंधित राज्य के राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत होते हैं। इन्हें **RBI विनियमित** करता है।
    - हालांकि, पैक्स को **बैंकिंग विनियमन अधिनियम**[89]**, 1949** के दायरे से बाहर रखा गया है। इन्हें **RBI विनियमित नहीं** करता है।
- **पुनर्वित्त:** इन्हें **DCCBs और SCBs** के माध्यम से नाबार्ड (NABARD) द्वारा पुनर्वित्त किया जाता है।
- **कार्य:**
  - ये मुख्य रूप ग्रामीणों को अल्पावधि वाले ऋण प्रदान करते हैं और उनसे ऋण की पुनर्वसूली करते हैं।
  - ये सदस्य किसानों को **बीज, उर्वरक** और **कीटनाशक** भी उपलब्ध कराते हैं।
- **महत्त्व: वित्तीय समावेशन** में पैक्स की भूमिका महत्वपूर्ण है।
  - देश में सभी संस्थाओं (बैंकों आदि) द्वारा दिए गए KCC[90] ऋणों में **पैक्स का हिस्सा 41%** है। इसके अलावा, 2022 के डेटा के अनुसार, पैक्स के माध्यम से दिए गए KCC ऋणों में से 95% ऋण **लघु और सीमांत किसानों** को दिए गए हैं।
- **वर्तमान स्थिति: देश भर में 63,000 से अधिक पैक्स चालू अवस्था में हैं।**

पैक्स के सामने आने वाली समस्याएं

- **अवसंरचना: डिजिटल अवसंरचना के अभाव** (जैसे- कम्प्यूटरीकृत एकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनेट कनेक्टिविटी की खराब स्थिति आदि) के चलते पैक्स का काम-काज सुव्यवस्थित रूप से नहीं चल पाता है। इससे पैक्स के प्रति जनता का विश्वास भी कम हो जाता है।
- **वित्तीय समस्या:** अधिकांश पैक्स **अपर्याप्त पूंजी, जमा के निम्न स्तर** और **उच्च गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA)** की समस्या से भी ग्रस्त हैं।
  - **ऋण माफी योजनाओं** और **ब्याज छूट योजनाओं** का भी **पैक्स की बैलेंस शीट** पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

---

[86] National Cooperative Database

[87] Registrar of Cooperative Societies

[88] राज्य सहकारी बैंक (State Cooperative Banks) / जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (District Central Cooperative Banks

[89] Banking Regulation Act

[90] किसान क्रेडिट कार्ड

- **मानव संसाधन:** पैक्स के सदस्यों के बीच प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी और अपर्याप्त प्रबंधकीय कौशल उनके काम-काज को प्रभावित करते हैं।
- **गवर्नेंस:** पैक्स का प्रबंधन स्थानीय स्तर पर **निर्वाचित सदस्यों** द्वारा किया जाता है। इसके चलते राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ जाता है।
  - गवर्नेंस संबंधी कई अन्य मुद्दे भी हैं, जैसे- **पारदर्शिता का अभाव, अपर्याप्त जवाबदेही तंत्र से पैक्स की प्रभावशीलता में कमी,** आदि।
- **क्षेत्रीय असमानता:** पैक्स बड़े पैमाने पर पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों (जैसे- महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आदि) में केंद्रित हैं।

पैक्स को मजबूत करने वाली अन्य पहलें

- **पैक्स द्वारा नए किसान उत्पादक संगठनों (FPOs)[91] का गठन:** राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)[92] के सहयोग से पैक्स द्वारा **1,100 अतिरिक्त FPOs का गठन किया जाएगा।**
- **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC):** इसे 1963 में स्थापित किया गया था। **NCDC** प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की सहकारी समितियों के वित्त-पोषण के लिए राज्य सरकारों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है।
- **पैक्स के व्यवसाय पोर्टफोलियो में विविधता लाना:**
  - **पैक्स को बहुउद्देशीय बनाने के लिए मॉडल उप-नियम:** इसके तहत पैक्स को 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियां करके अपने व्यवसाय में विविधता लाने में सक्षम बनाया जा रहा है। इन गतिविधियां में डेयरी, मत्स्य पालन, फूलों की खेती, गोदामों की स्थापना आदि शामिल हैं।
  - **'प्रधान मंत्री किसान समृद्धि केंद्र' के रूप में पैक्स:** इसका उद्देश्य किसानों को एक ही दुकान पर उर्वरक, कीटनाशक और अन्य कृषि इनपुट्स प्रदान करना है।
  - **'प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र' के रूप में पैक्स:** इसका उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों के लिए **जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।**
  - पैक्स को **कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs)** के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाया जा रहा है।

आगे की राह

- **प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना:** पैक्स स्तर पर **सामान्य लेखा प्रणाली (CAS)[93]** और **प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS)**[94] को अपनाने से पैक्स के काम-काज में पारदर्शिता आएगी। इसके अलावा, पैक्स को तकनीकी और अन्य सहायता सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से सामान्य केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।
  - इसके अलावा, पैक्स को **मोबाइल बैंकिंग** और **ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स** आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- **वित्तीय मजबूती:** एक **जोखिम-आधारित ऋण मॉडल प्रस्तुत** करना चाहिए और NPA की समस्या के समाधान के लिए प्रभावी रिकवरी उपाय लागू करने चाहिए।
  - वित्त-पोषण के बाह्य स्रोतों तक पहुंच प्रदान कर, व्यापार पोर्टफोलियो में विविधता लाकर पैक्स का पूंजी आधार बढ़ाया जाना चाहिए।
- **मानव संसाधन:** क्षमता-निर्माण कार्यक्रम लागू करने की आवश्यकता है। साथ ही, कुशल कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए उन्हें बेहतर वेतन और करियर में प्रगति के अवसर प्रदान करना चाहिए।
- **गवर्नेंस में सुधार:**
  - **पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियमित लेखा-परीक्षण और सख्त प्रकटीकरण मानदंड** लागू करने की जरूरत है।
  - **पैक्स को अनुचित राजनीतिक प्रभाव से बचाने** और उनकी स्वायत्त कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने से जुड़े उपाय लागू करने चाहिए।

3.8. भारत की अनाज भंडारण प्रणाली (India's Grain Storage System)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधान मंत्री ने **'सहकारी क्षेत्रक में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना'** हेतु एक पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इसे 11 राज्यों में 11 पैक्स यानी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACSs)[95] के लिए शुरू किया गया है।

---

[91] Farmer Producer Organizations

[92] National Cooperative Development Corporation

[93] Common Accounting System

[94] Management Information System

सहकारी क्षेत्रक में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के बारे में

- **संबंधित मंत्रालय:** सहकारिता मंत्रालय (MoC)
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **पैक्स (PACSs) के स्तर पर विकेन्द्रीकृत भंडारण सुविधाएं** स्थापित करना है। साथ ही, इसके उद्देश्यों में अन्य **कृषि अवसंरचनाओं,** जैसे- गोदामों, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, प्रसंस्करण यूनिट्स आदि की स्थापना करना भी शामिल है।
- **पैक्स को होने वाले लाभ: पैक्स** गोदामों/ भंडारण सुविधाओं के निर्माण और अन्य कृषि अवसंरचनाओं की स्थापना के लिए **सब्सिडी तथा ब्याज छूट का लाभ** उठा सकते हैं।
- **विभिन्न योजनाओं के साथ कन्वर्जेन्स या एकीकरण** (इन्फोग्राफिक देखें)।
- **योजना को लागू करने वाली प्रमुख एजेंसियां:**
  - **FCI** (भारतीय खाद्य निगम/ Food Corporation of India),
  - **CWC** (केंद्रीय भंडारण निगम/ Central Warehousing Corporation),
  - नाबार्ड के सहयोग से **NCDC** (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/ National Cooperative Development Corporation),
  - नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (NABCONS),
  - **NBCC** (राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम/ National Buildings Construction Corporation)।
- **कार्यान्वयन या लागू किया जाना:**
  - **अंतर-मंत्रालयी समिति (IMC)[96]: सहकारिता मंत्रालय** के नेतृत्व में, **अंतर-मंत्रालयी समिति** अग्रलिखित कार्य करेगी: विभिन्न योजनाओं के साथ कन्वर्जेन्स या एकीकरण के लिए पहचानी गई योजनाओं के दिशा-निर्देशों/ कार्यान्वयन पद्धतियों में संशोधन करना।
  - **राष्ट्र स्तरीय समन्वय समिति (NLCC)[97]:** यह समिति योजना को समग्र तरीके से लागू करने के लिए उत्तरदायी होगी।
  - **राज्य स्तर: राज्य सहकारी विकास समिति (SCDC)[98]** और **जिला सहकारी विकास समिति (DCDC)[99]** को इस योजना को राज्य स्तर पर लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

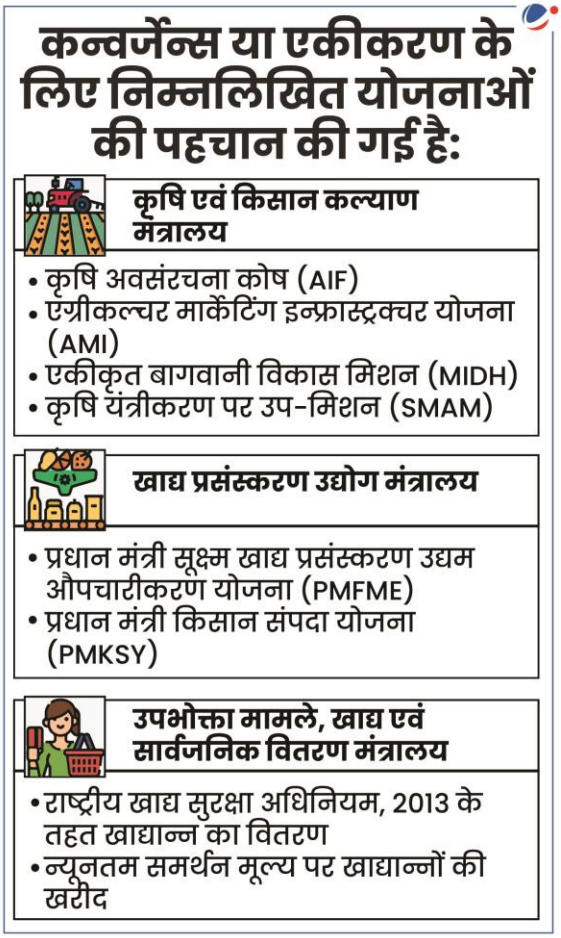

भारत में अनाज भंडारण प्रणाली

- **लघु किसानों द्वारा भंडारण:** उत्पादित खाद्यान्न का लगभग 60-70% हिस्सा घरेलू स्तर पर विभिन्न स्वदेशी और **पारंपरिक भंडारण** संरचनाओं, जैसे- मोराई, मिट्टी की कोठी आदि का उपयोग करके भंडारित किया जाता है।
- **सरकारी भंडारण एजेंसियां:**
  - **भारतीय खाद्य निगम (FCI):** इसे 1965 में संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। FCI देश में खाद्यान्न भंडारण के लिए मुख्य एजेंसी है।
    - यह **देश भर में खाद्य भंडारण डिपो** संचालित करता है। इसमें साइलो, गोदाम और कवर और प्लिंथ (CAP) संरचनाएं भी शामिल हैं।

---

[95] Primary Agricultural Credit Societies

[96] Inter-Ministerial Committee

[97] National Level Coordination Committee

[98] State Cooperative Development Committee

[99] District Cooperative Development Committee

- **केंद्रीय भंडारण निगम (CWC):** इसे **भंडारण निगम अधिनियम, 1962** के तहत कृषि उपज और अन्य अधिसूचित वस्तुओं के भंडारण के लिए स्थापित किया गया था।
- **राज्य भंडारण निगम:** इसे राज्यों में संबंधित राज्य भंडारण अधिनियमों के तहत कुछ वस्तुओं के भंडारण को विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया है।

- **निजी एजेंसियां:** FCI **निजी स्वामियों** से भंडारण क्षमता किराए पर भी लेती है।
- **अन्य हितधारक:** वेयरहाउस विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (WDRA)[100], रेलवे और राज्यों के नागरिक आपूर्ति विभाग भी अनाज प्रबंधन में शामिल होते हैं।

बेहतर अनाज भंडारण प्रणाली की आवश्यकता क्यों?

- **खाद्य सुरक्षा:** भारत की बढ़ती आबादी के लिए खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु एक मजबूत खाद्य भंडारण नेटवर्क जरूरी है। साथ ही, यह लगभग 81 करोड़ लोगों को कवर करने वाले **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम[101], 2013** को लागू करने के लिए भी जरूरी है।
- **फसल की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना:** अनाज भंडारण के पारंपरिक तरीकों से फसल की कटाई के बाद होने वाले नुकसान (सूक्ष्मजीवों, चूहों आदि के कारण) को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सका है। इसके कारण **कुल खाद्यान्न का लगभग 10% हिस्सा** खराब हो जाता है।
- **मूल्य स्थिरीकरण:** सरकारी गोदामों में रखे खाद्य भंडार सरकार को **बाजार में हस्तक्षेप करने और मूल्यों को स्थिर रखने** में सक्षम बनाते हैं।
- **किसानों की आय दोगुनी करने में सहायक:** अनाज भंडारण के लिए किफायती सुविधाओं का प्रयोग करके **किसान अपनी उपज की उचित कीमत न मिलने तक उसका भंडारण** कर सकते हैं। यह **किसानों को मूल्य अस्थिरता से बचाता है** और उन्हें अपने सरप्लस अनाज को निर्यात करने की भी सुविधा प्रदान करता है।
- **ऋण तक पहुंच को बढ़ावा:** गोदाम में भंडारित अनाज की रसीद के आधार पर किसान ऋण ले सकते हैं। इससे किसानों को संस्थागत ऋण की मुख्यधारा में लाने में मदद मिल सकती है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** खाद्य सुरक्षा **आर्थिक और सामाजिक स्थिरता** को बढ़ावा देती है।

अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए अन्य पहल

- **भंडारण (विकास और विनियमन) अधिनियम[102], 2007:** इसके तहत **वेयरहाउस विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (WDRA)** की स्थापना का प्रावधान किया गया है। **WDRA** को पंजीकृत गोदामों के नेटवर्क के जरिए सभी वस्तुओं के लिए **नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद (NWR)[103]** प्रणाली स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है।
- **e-NWRs:** इसे **WDRA द्वारा 2017** में शुरू किया गया था।
  - वेयरहाउस रसीद एक **लिखित या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज** होता है जो किसी वेयरहाउसमैन (Warehouseman) या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जारी किया जाता है। यह दस्तावेज वेयरहाउसमैन के स्वामित्व वाली वस्तुओं को छोड़कर, **भंडारण केंद्र में रखी गई वस्तुओं** की रसीद का प्रमाण होता है।
- **निजी उद्यमी गारंटी (PEG)[104] योजना:** इसका उद्देश्य निजी भागीदारी के जरिए खाद्य भंडारण क्षमता को बढ़ाना है।
- **खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन पर राष्ट्रीय नीति, 2000:** इसका उद्देश्य भंडारण एवं ट्रांजिट घाटे को कम करना और आधुनिक तकनीक को अपनाने पर बल देना है।
- **ग्रामीण भंडारण योजना:** यह ग्रामीण क्षेत्रों में गोदामों के निर्माण, नवीकरण और विस्तार के लिए शुरू की गई एक योजना है।
- **पी.एम. किसान संपदा योजना:** इसे कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं, विशेष पैकेजिंग यूनिट्स, भंडारण केंद्रों आदि के विकास के लिए शुरू किया गया है।

---

[100] Warehouse Development Regulatory Authority

[101] National Food Security Act

[102] Warehousing (Development and Regulation) Act

[103] Negotiable Warehouse Receipt

[104] Private Entrepreneur Guarantee

भारत में अनाज भंडारण से जुड़ी चुनौतियां

- **अवैज्ञानिक भंडारण:** लगभग 80% हैंडलिंग और गोदाम सुविधाएं मशीनों से लैस नहीं हैं। साथ ही, खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुओं की लोडिंग, अनलोडिंग और हैंडलिंग के लिए पारंपरिक व मैनुअल तरीकों का उपयोग किया जाता है।
- **सीमित भंडारण क्षमता:** FAO[105] के सांख्यिकीय डेटा के अनुसार, भारत में खाद्यान्न उत्पादन 311 MMT (मिलियन मीट्रिक टन) के आस-पास है, जबकि भारत में कुल भंडारण क्षमता केवल 145 MMT ही है। इसका मतलब यह है कि 166 MMT खाद्यान्न के लिए भंडारण सुविधा का अभाव है।
- **अधिशेष बफर स्टॉक:** FCI बफर स्टॉकिंग मानदंडों से कहीं अधिक बफर स्टॉक रखता है।
- **अधिक परिवहन लागत:** मौजूदा गोदाम एक-दूसरे से अधिक दूरी पर स्थित हैं, जिससे उन तक पहुंचने में अधिक परिवहन लागत आती है। इससे दूर-दराज के किसान गोदामों का प्रयोग करने से हतोत्साहित होते हैं।
- **भंडारण में निजी निवेश की कमी:** निजी क्षेत्रक भंडारण सुविधाओं में निवेश करने में झिझकता है। जमीन की पर्याप्त उपलब्धता न होना और निर्माण से पहले कई रेगुलेटरी लाइसेंस जैसी चुनौतियां निवेश में बाधा बनती हैं।

भारत की अनाज भंडारण प्रणाली में सुधार के लिए आगे की राह

- **शांता कुमार समिति की सिफारिशें:**
  - **वैज्ञानिक भंडारण पद्धतियों को अपनाना:** कवर एंड प्लिंथ (CAP) भंडारण तरीके को धीरे-धीरे समाप्त किया जाना चाहिए। ढुलाई की उच्च लागत के कारण होने वाले घाटे को कम करने और तीव्र आवागमन के लिए अनाज की ढुलाई हेतु धीरे-धीरे कंटेनर के उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
  - **FCI को लचीला बनाना:** ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) और निर्यात बाजारों में काम करने के लिए FCI को अधिक व्यवसाय उन्मुख बनाने तथा अधिक अनुकूल बनाने की आवश्यकता है।
    - **OMSS-डोमेस्टिक** का आशय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा निर्धारित मूल्यों पर **ई-नीलामी के जरिए खुले बाजार में खाद्यान्न (गेहूं और चावल) की बिक्री** करने से है।
  - **निजी क्षेत्रक की भागीदारी:** FCI के पुराने पारंपरिक भंडारण सुविधाओं को निजी क्षेत्रक और अन्य स्टॉकिंग एजेंसियों की मदद से साइलो (Silos) में परिवर्तित किया जा सकता है।
- **अशोक दलवई समिति की सिफारिशें:**
  - **भंडारण सुविधाओं का विकेंद्रीकरण:** प्रत्येक राज्य को भंडारण केंद्र तथा अन्य संबंधित अवसंरचना हेतु योजना बनाते समय प्रत्येक जिले की स्थानीय जरूरतों और कृषि पद्धतियों पर ध्यान देना चाहिए।
    - **फार्मगेट पर नुकसान को कम करना:** परिवहन लिंक के साथ ग्राम स्तर पर एकत्रीकरण इकाइयों (जैसे- आधुनिक पैक-हाउस और पूलिंग पॉइंट) के निर्माण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
  - कुशल भंडारण के साथ-साथ अंतिम-उपभोक्ताओं तक किफायती तरीके से कृषि वस्तुओं को पहुंचाने हेतु कृषि क्षेत्र में एकीकृत लॉजिस्टिक प्रणालियों[106] को बढ़ावा देना चाहिए।

3.9. कृषि विज्ञान केंद्र (Krishi Vigyan Kendras)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)**[107] ने **कृषि विज्ञान केंद्र (KVK)** की स्थापना का स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया।

---

[105] Food and Agriculture Organization/ खाद्य और कृषि संगठन

[106] Integrated agri-logistics systems

कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) के बारे में

- KVKs का लक्ष्य **कृषि और उससे संबद्ध उद्यमों में स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकी मॉड्यूल** का मूल्यांकन करना है।
    - KVKs भारत में **जिला स्तर पर एकमात्र ऐसे संस्थान हैं** जो कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों में तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं।
    - KVKs **राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (NARS)**[108] के अभिन्न अंग हैं।
        - भारत में **ICAR** राष्ट्रीय स्तर पर और **राज्य कृषि विश्वविद्यालय** राज्य स्तर पर कार्य करते हुए NARS का हिस्सा हैं। ये **कृषि अनुसंधान और शिक्षा के विकास में प्रमुख भागीदार हैं।**
    - KVKs कृषि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्ञान एवं संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। साथ ही, ये केंद्र राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (NARS) को कृषि विस्तार प्रणाली व किसानों से जोड़ रहे हैं।
        - **कृषि विस्तार** को कृषि सलाहकार सेवाओं के रूप में भी जाना जाता है। यह कृषि उत्पादकता बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा बढ़ाने, ग्रामीण आजीविका में सुधार करने और कृषि को गरीबी कम करने वाली आर्थिक गतिविधि के रूप में बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
    - वर्तमान में, **भारत में 731 KVKs का नेटवर्क** मौजूद है। इन्हें **11 कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान (ATARI)**[109] **क्षेत्र** के अंतर्गत स्थापित किया गया था।
- **वित्त पोषण:**
    - **KVKs** का 100% वित्त-पोषण केंद्र द्वारा किया जाता है।
    - **KVKs** राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, ICAR के संस्थानों, कृषि क्षेत्रक में काम करने वाले सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के अंतर्गत काम करते हैं।
- **अन्य जानकारी:**
    - **डॉ. मोहन सिंह मेहता समिति** को 1973 में ICAR द्वारा नियुक्त किया गया था। इस समिति ने देश में कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) की स्थापना का विचार पेश किया था।
    - **1974 में पहला KVK तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (TNAU), कोयंबटूर** के अंतर्गत **पुडुचेरी** में स्थापित किया गया था।

कृषि विस्तार सेवाओं में चुनौतियां

- **सीमित पहुंच और उपलब्धता:** KVKs द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की पहुंच विशेष रूप से दूर-दराज और सीमांत क्षेत्रों के किसानों तक बहुत कम है।
- **लघु और सीमांत किसानों पर कम ध्यान:** नेटवर्क की कमी के कारण लघु किसानों को उनका इनपुट सबसे अंत में मिलता है।
- **अपर्याप्त अवसरंचना:** कई KVKs में आवश्यक अवसरंचना का अभाव है, जैसे- सुसज्जित प्रयोगशालाएं, प्रशिक्षण सुविधाएं, आदि।
- **ज्ञान और कौशल में अंतर:** कृषि विज्ञान केंद्रों के ज्यादातर कर्मचारियों के ज्ञान और कौशल में अंतर दिखता है। यह अंतर विशेष रूप से जलवायु-स्मार्ट कृषि, सटीक खेती और डिजिटल प्रौद्योगिकियों जैसे उभरते क्षेत्रकों में अधिक देखने को मिलता है।

[107] Indian Council of Agricultural Research

[108] National Agricultural Research System

[109] Agricultural Technology Application Research Institute

कृषि विस्तार सेवाओं में KVKs की भूमिका

- **ऑन-फार्म परीक्षण:** विभिन्न कृषि प्रणालियों के तहत नई कृषि प्रौद्योगिकियों की काम करने की क्षमता का आकलन करने के लिए KVKs द्वारा फ़ील्ड परीक्षण किया जाता है।
- **फ्रंटलाइन डेमॉन्स्ट्रेशन:** इसके तहत किसानों और कृषि विस्तार से जुड़े कर्मचारियों के सामने नवीनतम कृषि तकनीकों की क्षमता का प्रदर्शन किया जाता है, ताकि प्रौद्योगिकी को अपनाने में तेजी लाई जा सके।
  - सर्वेक्षणों से पता चलता है कि **KVK के 97.33% डेमो-किसानों** को गैर-डेमो किसानों की तुलना में **धान की खेती का अच्छा ज्ञान** है।
- **परामर्श सेवाएं:** KVKs किसानों को कृषि के विभिन्न पहलुओं जैसे कि फसल पैटर्न, कीट नियंत्रण, फसल कटाई के बाद की तकनीक आदि पर आवश्यक जानकारी और परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं।
- **प्रशिक्षण:** KVKs जिले के किसानों को अपडेट करने के लिए नियमित तौर पर कृषि अनुसंधान में हुई नवीनतम प्रगति के साथ-साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं।
- **बीज और रोपण सामग्री का उत्पादन:** KVKs किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज और रोपण सामग्री वितरित करने के लिए उनका उत्पादन करते हैं।
- **संसाधन और ज्ञान केंद्र:** कृषि विज्ञान केंद्र कृषि अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक, निजी और स्वयंसेवी क्षेत्रक की पहलों का समर्थन करते हुए कृषि प्रौद्योगिकी संसाधन तथा ज्ञान के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं।

निष्कर्ष

KVKs के समक्ष आने वाली संसाधन संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए बजटीय आवंटन को बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही, समर्पित मानव संसाधन के द्वारा **संसाधनों के आधार को भी और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है।** इसके अलावा, सुसज्जित प्रयोगशालाओं, डेमॉन्स्ट्रेशन फार्म और प्रशिक्षण सुविधाओं को शामिल कर **अवसंरचना को अपग्रेड** करना चाहिए। ऐसा करने से KVKs की गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने की क्षमता में सुधार हो सकता है।

3.10. पेटेंट (Patents)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** के अंतर्गत आने वाले उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)[110] ने **पेटेंट (संशोधन) नियम[111], 2024** अधिसूचित किए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- **पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024** को **पेटेंट अधिनियम, 1970** के तहत अधिसूचित किया गया है।
  - पेटेंट अधिनियम, 1970 की **धारा 159** केंद्र सरकार को इस कानून को लागू करने और पेटेंट गतिविधियों को विनियमित करने हेतु नियम बनाने का अधिकार देती है।
- **पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024** के जरिए **पेटेंट नियम, 2003** में संशोधन किया गया है।
  - संशोधन का उद्देश्य इंवेंटर्स या अन्वेषकों (Inventors) और क्रिएटर्स (रचनात्मक व्यक्तियों) के लिए अनुकूल माहौल बनाकर **नवाचार को बढ़ावा** देना है।

---

[110] Department for Promotion of Industry and Internal Trade

[111] Patents (Amendment) Rules

पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024 के मुख्य प्रावधान

- **सर्टिफिकेट ऑफ इनवेंटरशिप:** नए **'सर्टिफिकेट ऑफ इनवेंटरशिप'** की शुरुआत की गई है। इसके द्वारा **पेटेंट किए गए आविष्कार में इंवेंटर्स के योगदान को चिन्हित** किया जाएगा।
- **समय-सीमा:** नए नियमों के जरिए पेटेंट परीक्षण के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने की समय-सीमा घटा दी गई है। पहले यह सीमा 48 माह थी, अब यह घटाकर 31 माह कर दी गई है।
    - विदेशी आवेदन दाखिल करने से संबंधित विवरण को प्रस्तुत करने की समय-सीमा को छह महीने से घटाकर तीन महीने कर दिया गया है।
- **नवीनीकरण शुल्क: पेटेंट नवीनीकरण शुल्क में 10% की कमी** की गई है। हालांकि, शुल्क में कमी का यह लाभ इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कम-से-कम 4 वर्ष की अवधि के लिए अग्रिम भुगतान करने पर ही दिया जाएगा।
- **पेटेंट के क्रियान्वयन संबंधी विवरण दाखिल करने की आवृत्ति:** इसे प्रत्येक वित्त वर्ष में एक बार से घटाकर प्रत्येक तीन वित्त वर्ष में एक बार कर दिया गया है।

पेटेंट से संबंधित कन्वेंशन/ संधियां

- **पेरिस कन्वेंशन (1883):** यह औद्योगिक संपदा अधिकारों (पेटेंट सहित) के संरक्षण से संबंधित **पहला प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौता** है।
- **पेटेंट सहयोग संधि[112] (1970):** यह **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट फाइलिंग प्रणाली** स्थापित करने वाली एक संधि है।
- **बुडापेस्ट संधि (1977):** यह संधि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय डिपॉजिटरी प्राधिकरण में सूक्ष्मजीवों को जमा करने का प्रावधान करती है, ताकि इससे संबंधित पेटेंट प्रक्रिया को पूरा किया जा सके।
- **भारत** उपर्युक्त सभी का हिस्सा है।

पेटेंट और पेटेंट संबंधी गवर्नेंस के बारे में

- पेटेंट एक विशेष **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)[113]** होता है। यह किसी ऐसे आविष्कार (एक उत्पाद या प्रक्रिया) के लिए दिया जाता है, जो कुछ करने का एक नया तरीका प्रदान करता है या किसी समस्या का नया तकनीकी समाधान प्रदान करता है।
- पेटेंट प्राप्त करने हेतु, पेटेंट आवेदन में आविष्कार संबंधी तकनीकी जानकारी **जनता के लिए प्रकट की जानी** चाहिए।
- **पेटेंट संरक्षण** का मतलब है कि पेटेंट मालिक की सहमति के बिना आविष्कार का व्यावसायिक रूप से उत्पादन, उपयोग, वितरण, आयात या बिक्री दूसरों द्वारा नहीं किया जा सकता है।
- पेटेंट **प्रादेशिक अधिकार** के दायरे में आता है, जो केवल उस देश या क्षेत्र में लागू होता है जहां पेटेंट दायर किया गया है और दिया गया है।
- **किसी आविष्कार के पेटेंट योग्य होने के लिए मानदंड:**
    - यह **नया** होना चाहिए।
    - इसमें कोई न कोई **इंवेंटिव स्टेप** अवश्य शामिल होना चाहिए।
    - **औद्योगिक उपयोग** के लायक होना चाहिए।
    - यह उन आविष्कारों की श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आना चाहिए, जिन्हें संबंधित क्षेत्राधिकार के तहत पेटेंट के दायरे से बाहर रखा गया है।

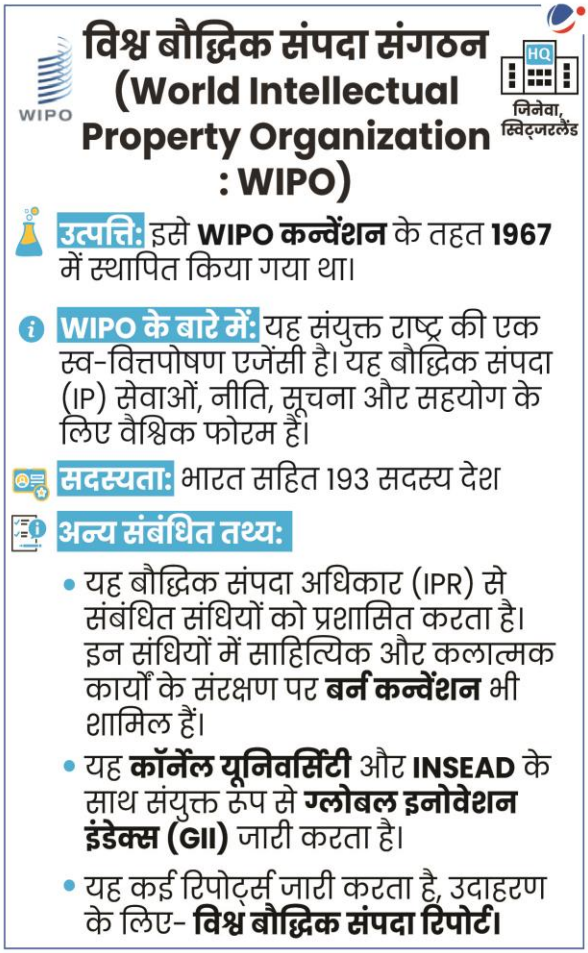

पेटेंट का विनियमन

वैश्विक स्तर पर

- **विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)[114]** पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों

[112] Patent Cooperation Treaty

[113] Intellectual Property Right

[114] World Intellectual Property Organization

(IPR) को नियंत्रित करता है।

- **WIPO** पेटेंट से संबंधित कन्वेंशन और संधियों को लागू करने का काम-काज देखता है (बॉक्स देखें)।

- 1994 में **विश्व व्यापार संगठन (WTO)** के एक समझौते के रूप में **ट्रिप्स** यानी **बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू (TRIPS)**[115] पर हस्ताक्षर किए गए थे।
  - यह विश्व में बौद्धिक संपदा पर सबसे व्यापक बहुपक्षीय समझौता है।
  - यह ज्ञान और क्रिएटिविटी के व्यापार को सुगम बनाने तथा बौद्धिक संपदा संबंधी व्यापार विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारत में

- भारत में, पेटेंट अधिनियम, 1970 के जरिए पेटेंट का विनियमन किया जाता है। **इंडियन पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट, 1911** को निरस्त करने के लिए यह कानून बना था।
  - इसमें अब तक **तीन बार (1999, 2002 और 2005) संशोधन** किया गया है।
  - WTO के **ट्रिप्स (TRIPS) समझौते** का पालन सुनिश्चित करने के लिए उक्त अधिनियम को 2005 में संशोधित किया गया था।
    - इस संशोधन के बाद भारत को प्रक्रिया पेटेंट (Process Patent) से **उत्पाद पेटेंट (Product Patent) की व्यवस्था को अपनाना पड़ा।** इस संशोधन के तहत दवा, कृषि रसायन आदि क्षेत्रों में **प्रोडक्ट पेटेंट** को लागू करना पड़ा।
- पेटेंट अधिनियम, 1970 के अनुसार, **पेटेंट की अवधि 20 वर्ष** होगी।
- वहीं, इस कानून के अनुसार, भारत में कुछ चीजों का पेटेंट **नहीं** कराया जा सकता है, जैसे कि-
  - पौधे या जानवर या उनका कोई भी हिस्सा;
  - बीज, उनकी किस्में और प्रजातियां;
  - पौधों और पशुओं के उत्पादन या प्रवर्धन (Propagation) के लिए अनिवार्य जैविक प्रक्रियाएं, आदि।

भारत में पेटेंट से जुड़े मुद्दे/ चुनौतियां

- **बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (IPAB)**[116] **का खत्म होना:** इसे **ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम, 2021** के तहत समाप्त कर दिया गया था। **IPAB** के कार्यों को वाणिज्यिक न्यायालयों और उच्च न्यायालयों को सौंपा गया है।
  - बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) से जुड़े जटिल मुद्दों को संभालने वाले एक विशेष ट्रिब्यूनल को खत्म करने से बौद्धिक संपदा के मामलों में **अपीलों से निपटने में समस्या** आ सकती है।
- **पेटेंट की एवरग्रीनिंग:** इसमें कंपनियां दवा पर **पेटेंट अवधि बढ़ाने के लिए फॉर्मूलेशन में मामूली बदलाव** करती हैं, जिससे और अधिक समय तक दवा पर उनका **एकाधिकार बना रहता है।**
- **अनिवार्य लाइसेंसिंग की अनुमति देना:** इसमें, सरकार किसी अन्य को **पेटेंट धारक की सहमति के बिना** पेटेंट उत्पाद या प्रक्रिया का उपयोग करने की अनुमति देती है या पेटेंट-संरक्षित आविष्कार का खुद इस्तेमाल करने की योजना बनाती है। उदाहरण के लिए- एक जेनेरिक दवा कंपनी को **नेक्सैवैर** (कैंसर की एक दवा) का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस प्रदान करना।
  - ट्रिप्स समझौते में एक तरह से छूट के तौर पर **अनिवार्य लाइसेंसिंग (Compulsory licensing)** का प्रावधान है।
- **लंबी प्रक्रिया:** चीन और USA में एक आवेदन का निपटारा करने में औसतन 20-21 महीने लगते हैं, जो भारत में लगने वाले समय का लगभग 1/3 है।
- **जनसंख्या के अनुपात में कम पेटेंट फाइलिंग:** भारत ने **प्रति एक मिलियन जनसंख्या पर 34.4 पेटेंट** दर्ज किए, जबकि साउथ कोरिया द्वारा 4,037, जापान द्वारा 2,579 और USA द्वारा 1,806 पेटेंट दर्ज किए गए।
- **अन्य:** पर्याप्त श्रमबल का अभाव, प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के लिए निश्चित समय-सीमा का अभाव, आदि।

---

[115] Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

[116] Intellectual Property Appellate Board

भारत में पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम

- **राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नीति-2016: इसमें शामिल हैं:**
  - **स्टार्ट-अप्स बौद्धिक संपदा संरक्षण (SIPP)**[117] को सुगम बनाने के लिए एक योजना शुरू की गई है, ताकि स्टार्ट-अप्स द्वारा पेटेंट आवेदन दाखिल करने को प्रोत्साहित किया जा सके।
  - इसमें कुछ खास श्रेणी के आवेदकों के लिए परीक्षण प्रक्रिया को तेज करने का प्रावधान है, ताकि जल्द-से-जल्द पेटेंट मिल सके। इसमें शामिल हैं:
    - स्टार्ट-अप्स
    - लघु उद्योग
    - महिला इंवेंटर्स
  - **राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (NIPAM)**[118]**:** यह शैक्षणिक संस्थानों में बौद्धिक संपदा संबंधी जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है।
  - **पेटेंट फैसिलिटेशन प्रोग्राम**[119] को नए रूप में तैयार किया गया है, ताकि पेटेंट कराने योग्य आविष्कारों को खोजा जा सके और पेटेंट दाखिल करने तथा प्राप्त करने में पूरी वित्तीय, तकनीकी एवं कानूनी सहायता प्रदान की जा सके।
  - स्टार्ट-अप्स, MSMEs और **शैक्षणिक संस्थानों** के लिए पेटेंट फाइलिंग को प्रोत्साहित करने के लिए **फाइलिंग शुल्क में कमी** की गई है।
  - **IP मित्र:** इसे एक्सटेंडेड स्कीम फॉर फेसिलिटेटिंग स्टार्ट-अप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन (SIPP) के तहत **पेटेंट, ट्रेडमार्क और डिजाइन** के क्षेत्र में **स्टार्ट-अप्स** के लिए शुरू किया गया है।
- **अन्य:**
  - **बौद्धिक संपदा** के क्षेत्र में **उत्कृष्टता केंद्र** की स्थापना की गई है।
  - आवेदनों की प्रोसेसिंग को मैनुअल से कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में बदलाव करते हुए IP कार्यालयों का आधुनिकीकरण किया गया है।
  - **बौद्धिक संपदा** से संबंधित सूचनाओं का बेहतर प्रबंधन किया जा रहा है और मजबूत सार्वजनिक इंटरफेस का निर्माण किया गया है।

निष्कर्ष

किसी देश के आर्थिक विकास में पेटेंट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मजबूत पेटेंट सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए IPAB आदि की पुनः स्थापना जैसी पहलें शुरू की जा सकती हैं। साथ ही, अकादमियों/ संस्थानों तथा औद्योगिक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि देश में पेटेंट दाखिल करने की संख्या में वृद्धि हो सके।

संबंधित सुर्ख़ियां

अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा (IP) सूचकांक[120]

- **USA चैम्बर ऑफ कॉमर्स** ने अपने अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का 12वां संस्करण जारी किया है।
  - इस सूचकांक में शीर्ष देश USA, यू.के और फ्रांस हैं।
  - भारत की स्थिति 55 अर्थव्यवस्थाओं में से **42** पर बनी हुई है, जो अपरिवर्तित है।
- यह सूचकांक वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII)[121] से अलग है।
  - वैश्विक नवाचार सूचकांक को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO), कॉर्नेल विश्वविद्यालय और INSEAD द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है।

---

[117] Start-Ups Intellectual Property Protection

[118] National Intellectual Property Awareness Mission

[119] Patent Facilitation Programme

[120] International Intellectual Property (IP) Index

[121] Global Innovation Index

- वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में से **40वें स्थान पर** है।

ट्रेड सीक्रेट्स और आर्थिक जासूसी (Trade Secrets and Economic Espionage)

- विधि आयोग ने **व्यापार रहस्य यानी ट्रेड सीक्रेट्स और आर्थिक जासूसी** पर अपनी **289वीं रिपोर्ट** प्रकाशित की है।
- इससे पहले, 2017 में, विधि कार्य विभाग[122] और विधायी विभाग[123] ने विधि आयोग को इस मामले में एक संदर्भ भेजा था, ताकि ट्रेड सीक्रेट कानून और आर्थिक जासूसी कानून को लागू करने की संभावना का पता लगाया जा सके।
- **ट्रेड सीक्रेट्स:** ऐसी गोपनीय व्यावसायिक जानकारी जिसे बेचा जा सकता है या जिसका लाइसेंस लिया जा सके, ट्रेड सीक्रेट्स कहलाती है। यह बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) के क्षेत्र में अपेक्षाकृत नया है।
- **आर्थिक जासूसी:** किसी अन्य देश को लाभ पहुंचाने के लिए घरेलू कंपनियों और सरकारी संस्थाओं से गोपनीय जानकारी को जानबूझकर हासिल करने का कार्य **आर्थिक जासूसी** कहलाता है। यह आर्थिक, औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रकृति का हो सकता है।

- **ट्रेड सीक्रेट और आर्थिक जासूसी पर कानून बनाने की आवश्यकता क्यों?**
  - सीमा-पार उद्योगों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सहयोग को सक्षम बनाना।
  - MSMEs और स्टार्ट-अप्स के क्रिएटिव संसाधनों और बौद्धिक पूंजी की रक्षा करना।
  - रक्षा, परमाणु, दूरसंचार आदि जैसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और क्षेत्रों को आर्थिक जासूसी से बचाना।
  - आपसी समन्वय में काम नहीं कर रहे मौजूदा कानूनी ढांचे को मजबूत करने के लिए, ताकि निश्चितता और कानूनों का बेहतर पालन सुनिश्चित हो सके।
- **मुख्य सिफारिशें:**
  - ट्रेड सीक्रेट और आर्थिक जासूसी के लिए अलग-अलग कानून बनाए जाने चाहिए।
    - हालांकि, वाणिज्यिक जासूसी प्रस्तावित ट्रेड सीक्रेट अधिनियम के दायरे में आएगा।
  - ट्रेड सीक्रेट की व्यापक परिभाषा प्रदान करना, ताकि न्यायिक व्याख्या संभव हो सके। इससे उभरते पहलू और उद्योग भी इस कानूनी ढांचे के भीतर फिट हो सकेंगे।
  - व्हिसलब्लोअर (Whistle Blowers), अनिवार्य लाइसेंसिंग और सरकारी उपयोग आदि के लिए अपवाद का प्रावधान होना चाहिए।

3.11. उत्तर-पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण योजना, 2024 (उन्नति 2024) {Uttar Poorva Transformative Industrialization Scheme, 2024 (UNNATI 2024)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने "उत्तर-पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव औद्योगीकरण योजना (उन्नति/ UNNATI), 2024" को मंजूरी प्रदान की।

पूर्वोत्तर भारत में औद्योगीकरण की वर्तमान स्थिति

- **विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs)[124]:** पूर्वोत्तर यानी उत्तर-पूर्व क्षेत्र में 5 SEZs को औपचारिक स्वीकृति प्राप्त है, जिनमें से 4 को अधिसूचित किया गया है। हालांकि, **वर्तमान में कोई भी SEZ चालू अवस्था में नहीं** है।
- **स्थानीय या विशिष्ट उद्योग:**
  - **हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योग:** यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे बड़ी असंगठित आर्थिक गतिविधियों में से एक है। यह उद्योग **ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण आबादी के लिए रोजगार** सृजित करता है।

[122] Department of Legal Affairs

[123] Legislative Department

[124] Special Economic Zones

- **बांस उद्योग:** भारत में बांस स्टॉक का लगभग **2/5वां** हिस्सा पूर्वोत्तर क्षेत्र में केंद्रित है।
- **रबर उद्योग: त्रिपुरा,** रबर का मुख्य उत्पादन केंद्र है। भारतीय रबर बोर्ड ने त्रिपुरा को केरल के बाद **'सेकेंड रबर कैपिटल ऑफ इंडिया'** घोषित किया है।

- **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs):** पूर्वोत्तर क्षेत्र में MSMEs की संख्या भारत के कुल MSMEs का केवल 2.98 प्रतिशत है। यहां के कुल रोजगार में MSMEs की हिस्सेदारी मात्र 2.62 प्रतिशत है।
  - पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम में MSMEs की संख्या सर्वाधिक है। इसके बाद त्रिपुरा और मेघालय का स्थान आता है।
- **कनेक्टिविटी:**
  - **सड़क कनेक्टिविटी:** पूर्वोत्तर क्षेत्र में **राष्ट्रीय राजमार्ग** की कुल लंबाई 16,125 किलोमीटर के आस-पास है।
  - **अंतर्देशीय जलमार्ग (Inland waterways): राष्ट्रीय जलमार्ग (NW)[125]-2** पूरी तरह से विकसित हो चुका है। इसका विस्तार ब्रह्मपुत्र नदी पर बांग्लादेश सीमा से असम के सदिया तक है। इसके अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र के 20 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है।
    - हालांकि, इनमें 18 जलमार्गों का विकास हो पाएगा या नहीं, इसके लिए उचित आकलन का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है।
- **अंतर्राष्ट्रीय अवसंरचनात्मक परियोजनाएं:** कई अंतर्राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजनाओं को अलग-अलग चरणों में पूरा किया जा चुका है या उन पर काम चल रहा है। इनमें शामिल हैं-
  - **भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग[126]**
  - **कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट**
  - **भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग[127]**
  - **बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल मोटर वाहन समझौता[128]**

"उन्नति (UNNATI)-2024" के बारे में

- **मंत्रालय:** यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)** के अधीन **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- **उद्देश्य:** पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में उद्योगों का विकास एवं रोजगार सृजन करना।
- **वित्तीय परिव्यय (Financial Outlay):** उन्नति 2024 की अधिसूचना की तारीख से अगले 10 वर्षों तक के लिए 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के वित्त का प्रावधान किया गया है। साथ ही, इसके लिए **8 वर्ष** की एक प्रतिबद्ध देयता भी शामिल है (इन्फोगाफिक देखें)।
- **नोडल एजेंसी:** उत्तर-पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड (NEDFi)[129] प्रोत्साहन राशि के वितरण के लिए नोडल एजेंसी होगी।
- **भाग:** इसे दो भागों में बांटा गया है:
  - **भाग A:** इसके तहत **पात्र इकाइयों को कुल परिव्यय का 97 प्रतिशत तक** प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इसके निम्नलिखित **तीन घटक** हैं-
    - पूंजी निवेश प्रोत्साहन **(CII)[130]**,
    - केंद्रीय ब्याज सहायता **(CIS)[131],** और
    - विनिर्माण एवं सेवा-से संबद्ध प्रोत्साहन **(MSLI)[132]**

शब्दावली को जानें

प्रतिबद्ध देयताएं (Committed liabilities): यह किसी सप्लाई आर्डर/ जारी किए गए कॉन्ट्रैक्ट आदि का मूल्य होता है, जिसका अभी तक भुगतान नहीं किया गया हो।

---

[125] National Waterway

[126] India- Myanmar-Thailand Trilateral Highway

[127] India-Bangladesh Protocol Route

[128] Bangladesh-Bhutan-India-Nepal Motor Vehicles Agreement: BBIN-MVA

[129] North-Eastern Development Financial Corporation Limited

[130] Capital Investment Incentive

[131] Central Interest Subvention

[132] Manufacturing & Services Linked Incentive

- **भाग B:** इसके तहत योजना के **कार्यान्वयन और संस्थागत व्यवस्था** के लिए कुल परिव्यय का 3 प्रतिशत प्रदान किया जाएगा।

- **विशेषताएं:**
  - **पात्रता:** सभी नई औद्योगिक इकाइयां और अपने काम-काज का विस्तार करने वाली इकाइयां संबंधित प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी।
  - **उत्पादन या काम-काज की शुरुआत:** सभी पात्र औद्योगिक इकाइयों को पंजीकरण की अनुमति के बाद से 4 वर्षों के भीतर उत्पादन या काम-काज (परिचालन) शुरू करना होगा।
  - **जिलों को दो क्षेत्रों (Zones) में वर्गीकृत किया गया है:**
    - जोन A- औद्योगिक रूप से विकसित जिले, और
    - जोन B- औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले
  - **फंड का आवंटन:** भाग A के परिव्यय का **60 प्रतिशत** 8 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, जबकि **शेष 40% फर्स्ट-इन-फर्स्ट-आउट (FIFO)** आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
- **कवरेज:** इसे **दो सूचियों** में विभाजित किया गया है-
  - **नकारात्मक सूची: विनिर्माण क्षेत्रक (गैर-पात्र उद्योग),** और
  - **सकारात्मक सूची: सेवा क्षेत्रक (पात्र उद्योग)**
- **कार्यान्वयन रणनीति:** राज्यों के सहयोग से DPIIT इस योजना को लागू करेगा।

उन्नति (UNNATI) के तहत प्रोत्साहन तंत्र और पात्रता मानदंड

प्रोत्साहन तंत्र	विवरण	पात्रता के लिए मानदंड
पूंजी निवेश प्रोत्साहन (CII)	इसके तहत उन पात्र व्यवसायों को विशेष वित्तीय लाभ प्रदान किया जाना है जो या तो नए हैं या जो अपने काम-काज का विस्तार कर रहे हैं।	• स्थायी भौतिक परिसंपत्तियों में **विनिर्माण क्षेत्रक** के लिए न्यूनतम निवेश **1 करोड़ रुपये** और सेवा क्षेत्रक इकाइयों के लिए **न्यूनतम निवेश 50 लाख रुपये** निर्धारित किया गया है। • **सूक्ष्म उद्योगों** के लिए विनिर्माण और सेवा क्षेत्रक, दोनों के लिए न्यूनतम निवेश सीमा **50 लाख रुपये** निर्धारित की गई है।
केंद्रीय ब्याज सहायता (CIS)	इसके तहत नई और अपने काम-काज का विस्तार करने वाली, दोनों इकाइयों के पात्र व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।	• पात्र व्यवसाय **विनिर्माण क्षेत्रक** के लिए योग्य संयंत्र और मशीनरी या इमारत तथा **सेवा क्षेत्रक** के लिए अन्य सभी स्थायी भौतिक संपत्तियों में निवेश करने के लिए **250 करोड़ रुपये तक पूंजीगत ऋण पर ब्याज छूट** के लिए पात्र होंगे।
विनिर्माण एवं सेवा-से-संबद्ध प्रोत्साहन (MSLI)	इसे GST के कुल भुगतान से लिंक किया गया है, अर्थात भुगतान की गई GST से इनपुट टैक्स क्रेडिट को कम किया जाएगा।	• इस हेतु केवल नई इकाइयों वाले व्यवसाय ही पात्र होंगे।

कृपया ध्यान दें कि इनमें से प्रत्येक के अंतर्गत **जोन A** और **जोन B** को अलग-अलग प्रोत्साहन प्रदान किया जाना है।

निष्कर्ष

उन्नति (UNNATI), व्यवसायों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके, रोजगार सृजन करके, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज बढ़ाकर एवं घरेलू विनिर्माण व सेवा उद्योग को बढ़ावा देकर भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत व आत्मनिर्भर बनाएगी।
इसके अलावा, इसे सरकार से समर्थन मिलने से पूर्वोत्तर क्षेत्र में विश्वसनीयता और स्थिरता में वृद्धि होगी। इससे अलग-अलग व्यवसाय विकास कार्यों में बढ़ चढ़ कर निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। अंततः, इससे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई अन्य पहलें

- **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधान मंत्री विकास पहल (PM-DevINE)[133]:** यह पहल अवसंरचना, सामाजिक विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने और युवाओं एवं महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने हेतु वित्त-पोषण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।
- **उत्तर-पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना (NESIDS)[134]:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। इसे 2017-18 के दौरान मंजूरी दी गई थी और अब इसकी अवधि 2026 तक बढ़ा दी गई है। इसके दो घटकों में निम्नलिखित शामिल हैं-
  - **NESIDS (सड़कें)**: इसे पूर्वोत्तर परिषद (NEC) द्वारा प्रशासित किया जाएगा, और
  - **NESIDS (सड़क अवसंरचना के अलावा)**: इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (MDoNER) द्वारा प्रशासित किया जाएगा।
- **पूर्वोत्तर परिषद की योजनाएं:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों में वंचित क्षेत्रों, समाज के वंचित/ उपेक्षित वर्गों और पूर्वोत्तर राज्यों में उभरते हुए प्राथमिक क्षेत्रों का विकास करना है।
- **पूर्वोत्तर के लिए नीति (NITI) फोरम:** यह फोरम केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों पर विभिन्न प्रस्तावों की जांच करता है। इसके अलावा, यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में त्वरित विकास के लिए योजनाएं तैयार करता है।
  - **नीति फोरम** ने प्रस्तावित किया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास परियोजनाएं **HIRA**[135] की अवधारणा पर आधारित होंगी।
- **डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022:** इसके तहत डिजिटल महत्त्व वाले निम्नलिखित आठ क्षेत्रकों की पहचान की गई है-
  1. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर,
  2. डिजिटल सेवाएं,
  3. डिजिटल सशक्तीकरण,
  4. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा,
  5. BPOs सहित IT और ITeS को बढ़ावा,
  6. डिजिटल भुगतान,
  7. नवाचार और स्टार्ट-अप, तथा
  8. साइबर सुरक्षा
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (SARDP-NE)[136]:** सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारतमाला परियोजना के प्रथम चरण के तहत **SARDP-NE** को लागू कर रहा है।

3.12. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम- 2024 (Electric Mobility Promotion Scheme- 2024)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारी उद्योग मंत्रालय (MHI)[137] ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 (EMPS- 2024) शुरू किया है। इसे भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने हेतु बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारी उद्योग मंत्रालय ने फेम (FAME)[138] स्कीम के फेज II की समीक्षा के बाद EMPS-2024 को तैयार किया है।
  - फेम स्कीम के फेज I को 2015 में आरंभ किया गया था, जबकि फेज II को 2019 में शुरू किया गया था।

---

133 Prime Minister's Development Initiative for North Eastern Region

134 North East Special Infrastructure Development Scheme

135 Highways, Inland Waterways, Railways and Airways/ राजमार्ग, अंतर्देशीय जलमार्ग, रेलवे और वायुमार्ग

136 Special Accelerated Road Development programme for North East

137 Ministry of Heavy Industries

138 Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles in India

नोट: फेम स्कीम के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, कृपया मासिक समसामयिकी मैगजीन के मई, 2023 संस्करण का आर्टिकल 10.2. फेम II का संदर्भ लें।

EMPS 2024 के बारे में

- **फंडिंग और अवधि:** यह एक सीमित फंड वाली योजना है। इसमें 4 महीने की अवधि (1 अप्रैल, 2024 से 31 जुलाई, 2024 तक) के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
- **उद्देश्य (Objective):** यह योजना इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (e-2W) और इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (e-3W) को तेजी से अपनाने में मदद करेगी। इससे देश में हरित परिवहन (Green mobility) को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहन (EV) विनिर्माण परिवेश के विकास को भी गति मिलेगी।
- **लक्ष्य (Target):** इसका लक्ष्य लगभग 3.72 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिसमें इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (3.33 लाख) और इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (0.38 लाख) शामिल हैं।
- **पात्र EV श्रेणियां:** यह योजना मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पंजीकृत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर पर लागू होगी। इसमें किफायती और पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन विकल्प प्रदान करने पर अधिक जोर दिया जाएगा।
    - व्यावसायिक उपयोग के अलावा, निजी या कॉर्पोरेट स्वामित्व वाले पंजीकृत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर भी पात्र होंगे।
    - इस प्रोत्साहन का लाभ केवल उन्हीं वाहनों को दिया जाएगा, जो एडवांस बैटरी से लैस हैं। इससे एडवांस तकनीकों को प्रोत्साहन मिलेगा।
- **घटक (Components):**
    - **सब्सिडी:** इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर के लिए **डिमांड प्रोत्साहन।**
        - इस योजना के तहत **इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को सीधी छूट** मिलेगी। सरकार द्वारा वाहन की बैटरी क्षमता के आधार पर सब्सिडी {प्रत्येक किलोवाट घंटे (kWh) पर 5,000 रुपये} दी जाएगी। यह छूट वाहन की कुल कीमत में पहले ही कम कर दी जाएगी। बाद में, सरकार उस रकम की भरपाई 'मूल विनिर्माता कंपनी' (OEM)[139] को कर देगी।
    - **कार्यान्वयन:** इस योजना का कार्यान्वयन IEC[140] गतिविधियों और परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA)[141] द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का भुगतान करके किया जाएगा।

इलेक्ट्रिक व्हीकल के विनिर्माण के लिए अनुकूल परिवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहलें

- **PLI योजनाएं:** भारत में 'ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री' के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव (PLI) स्कीम शुरू की गई है। इसे घरेलू स्तर पर **एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी उत्पादों** के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है।
- एडवांस केमिस्ट्री सेल (ACC)[142] के विनिर्माण के लिए PLI योजना शुरू की गई है, ताकि देश में बैटरी की कीमतों को कम किया जा सके।
- **फेम इंडिया (FAME India):** फेम इंडिया स्कीम के फेज-II में, फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम (PMP) शुरू किया गया है। इसे घरेलू स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों, उनकी असेंबली/ सब-असेंबली, उनके पुर्जों और उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इससे देश में घरेलू स्तर पर मूल्यवर्धन बढ़ेगा।
- **वस्तु एवं सेवा कर (GST) का युक्तिकरण:**
    - **इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST को 12% से घटाकर 5%** किया गया है।
    - इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए **चार्जर/ चार्जिंग स्टेशनों** पर GST को **18% से घटाकर 5%** किया गया है।
- 'इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए प्रौद्योगिकी मंच (TPEM)[143]' भारत के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मानकीकरण रोडमैप तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस मंच को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा गठित किया गया है।

[139] Original Equipment Manufacturer

[140] Information, Education and Communication/ सूचना, शिक्षा और संचार

[141] Project Management Agency

[142] Advanced chemistry cell

[143] Technology Platform for Electric Mobility

3.13. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

3.13.1. भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) का संशोधित विनियामक फ्रेमवर्क {Regulatory Framework for Bharat Bill Payment System (BBPS)}

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने "भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS)" का संशोधित विनियामक फ्रेमवर्क जारी किया।
- RBI ने **"भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007"** में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए फ्रेमवर्क में संशोधन किया है।
- **संशोधित फ्रेमवर्क के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**
  - बिल भुगतान की प्रक्रिया को आसान बनाना,
  - अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना और
  - ग्राहकों के लेन-देन को सुरक्षित बनाना।
- **BBPS के बारे में:** यह सभी प्रकार के बिल भुगतान के लिए **एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म** है। इसे **नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI)** ने विकसित किया है।
  - इसका उद्देश्य एजेंट्स/ रिटेल दुकानों/ बैंक-शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से इंटर-ऑपरेबल सेवा प्रदान करना है। इस पर **भुगतान करने के अलग-अलग मोड** उपलब्ध हैं। इस पर **भुगतान की रिसीप्ट भी तत्काल** प्राप्त हो जाती है।
  - यह कई स्तरों वाला पेमेंट सिस्टम है। इनमें **NPCI-भारत बिल पे लिमिटेड (NBBL) एक सेंट्रल यूनिट (BBPCU)** के रूप में कार्य करती है। भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स (BBPOUs) **ऑपरेशनल यूनिट्स** की भूमिका निभाती हैं।
    - एक BBPOU **बिलर ऑपरेटिंग यूनिट (BOU) या कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट (COU) या दोनों के रूप** में कार्य कर सकती है।
- **BBPS का विनियामक फ्रेमवर्क:**
  - **गैर-बैंकिंग पेमेंट एग्रीगेटर्स** को ऑपरेटिंग यूनिट्स के रूप में बिल भुगतान प्रणाली में भाग लेने की अनुमति दी गई है।
  - इस प्रणाली से जुड़ने वालों के लिए तकनीकी मानक, भागीदारी मानदंड और इसके संचालन से संबंधित नियम एवं विनियम तय करने की जिम्मेदारी **BBPCU** पर होगी।
  - **कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट** अपने ग्राहकों को डिजिटल या भौतिक इंटरफेस प्रदान करेगी।
  - **बिलर ऑपरेटिंग यूनिट,** बिलर्स को BBPS से जोड़ने के लिए जिम्मेदार होगी।

3.13.2. प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रूमेंट्स (Prepaid Payment Instruments: PPIs)

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने **बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए PPIs जारी करने की अनुमति** दी है।
  - PPIs में **टोल संग्रह, पार्किंग आदि से संबंधित "ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन"** एप्लिकेशन शामिल होगी।
- **PPIs के बारे में:**
  - ये ऐसे भुगतान इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिनमें जमा धनराशि (वैल्यू) **के बदले वस्तुओं और सेवाओं की खरीद** की जा सकती है।
  - **PPIs स्मार्ट कार्ड, इंटरनेट वॉलेट** आदि के रूप में जारी किए जाते हैं।
  - हालांकि, इन इन्स्ट्रूमेंट्स में फिर से धनराशि जमा की जा सकती है, लेकिन **PPIs में कैश निकालने, रिफंड या फंड ट्रांसफर की अनुमति नहीं** होगी।
  - PPIs में **एक माह में अधिकतम 50,000 रुपये की कैश लोडिंग** की जा सकती है। हालांकि, यह **PPIs द्वारा तय अलग-अलग सीमा के अधीन** होगी।

3.13.3. सेबी बोर्ड की बैठक में प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई (SEBI Board Meeting Concluded With Major Approvals)

- सेबी/ SEBI बोर्ड की 204वीं बैठक में कुछ प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।
- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी/ SEBI) ने कुछ **सीमित शेयरों और ब्रोकर्स के लिए वैकल्पिक T+0 निपटान का बीटा वर्जन** शुरू करने की घोषणा की है।
  - T+0 निपटान **फंड और प्रतिभूति लेन-देन दोनों को ट्रेड यानी खरीद-बिक्री के दिन ही निपटाने की अनुमति** देता है।
  - वर्तमान में, **भारतीय प्रतिभूति बाजार T+1 निपटान व्यवस्था को अपनाए हुए है।** इसमें ट्रेड का निपटान यानी सेटलमेंट खरीद-बिक्री के अगले दिन होता है।
- **विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) को बढ़ाना:**

- अपने **एसेट्स अंडर मैनेजमेंट (AUM)** में कुल भारतीय इक्विटी का 50% किसी एक कॉर्पोरेट समूह से संबंधित होने पर FPI को **अतिरिक्त प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) संबंधी आवश्यकताओं से छूट** दी गई है।
  - AUM एक फंड हाउस द्वारा प्रबंधित सभी निवेशों के बाजार मूल्य का योग है।
- FPI को अपने प्रबंधन या फंड के बारे में **किसी प्रकार के परिवर्तन (नाम, अधिकार क्षेत्र आदि) के बारे में डेजिग्नेटिड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (DDP) को जानकारी** देने की समय सीमा में ढील दी गई है।
- FPI पंजीकरण, जो **पंजीकरण शुल्क का भुगतान न करने के कारण समाप्त** हो जाता है, उसे **30 दिनों के भीतर पुनः सक्रिय करने की अनुमति** दी जाएगी।

- **इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) लाने वाली कंपनियों हेतु EoDB को सुगम बनाया गया** (IPO कंपनी को **सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध** करने की प्रक्रिया होती है):
  - इक्विटी शेयरों के **पब्लिक/ राइट्स इश्यू में 1% सिक्योरिटी राशि जमा करने की आवश्यकता** को समाप्त किया गया है।
  - **ऑफर फॉर सेल (OFS) के आकार में वृद्धि या कमी के लिए नई फाइलिंग** की आवश्यकता होती है। **यह वृद्धि या कमी केवल एक मानदंड पर आधारित होगी**; या तो रूपये में OFS के इश्यू साइज को कम किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है या प्रतिभूतियों की संख्या के मामले में इश्यू साइज को कम या अधिक किया जा सकता है।
- **निवेशकों और निवेशों के लिए उचित उपाय लागू करके AIF (वैकल्पिक निवेश कोष) इकोसिस्टम में विश्वास बढ़ाना:**
  - AIFs, गैर-पारंपरिक परिसंपत्ति श्रेणी में निवेश करने के लिए निजी तौर पर जुटाए गए निवेश माध्यम हैं।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) बनाम विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI)

- **FDI** भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा **किसी असूचीबद्ध भारतीय कंपनी में या किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की पेड अप इक्विटी पूंजी के 10% या उससे अधिक में किया गया निवेश** है।
- **FPI** भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा **इक्विटी साधनों (शेयर, डिबेंचर आदि) में किया गया निवेश** है। यह निवेश **किसी सूचीबद्ध भारतीय कंपनी की पेड अप इक्विटी पूंजी के 10% से कम** होता है।

संबंधित तथ्य

सेबी सूचकांक प्रदाता विनियम[144], 2024

- सेबी/ SEBI ने भारत में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के आधार पर **"महत्वपूर्ण सूचकांक" का प्रबंधन करने वाले सूचकांक प्रदाताओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य** कर दिया है। सेबी ने यह कदम सूचकांक प्रदाता विनियम, 2024 के माध्यम से उठाया है।
  - **'सूचकांक प्रदाता'** (Index Provider) का अर्थ उस व्यक्ति से है, जो बेंचमार्क या किसी सूचकांक के निर्माण, संचालन और प्रशासन को नियंत्रित करता है।
- इससे प्रतिभूति बाजार में **गवर्नेंस सूचकांक में पारदर्शिता** को बढ़ावा मिलेगा।
- **सूचकांक के बारे में:**
  - एक सूचकांक **सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के एक बास्केट के मूल्य में उतार-चढ़ाव को मापता** है। इसके लिए मानकीकृत मैट्रिक और पद्धति का उपयोग किया जाता है।
  - वित्तीय बाजारों में सूचकांकों का अक्सर **निवेश की गई राशि के प्रदर्शन या रिटर्न का मूल्यांकन करने के लिए बेंचमार्क** के रूप में उपयोग किया जाता है।
  - **निफ्टी 50, निफ्टी PSU बैंक आदि भारतीय शेयर बाजार** में कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक हैं।

3.13.4. प्रधान मंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जनकल्याण (पी.एम.-सूरज) पोर्टल {Pradhan Mantri Samajik Utthan Evam Rozgar Adharit Jankalyan (PM-SURAJ) Portal}

- प्रधान मंत्री ने **वंचित वर्गों को ऋण प्रदान करने वाली योजनाओं का लाभ उठाने** के लिए वन-स्टॉप PM-सूरज पोर्टल आरंभ किया।
- **PM-सूरज पोर्टल के बारे में:**
  - **नोडल मंत्रालय:** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE)।
  - **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य समाज के सबसे **वंचित वर्गों** का उत्थान करना और वंचित समुदायों से आने वाले **1 लाख उद्यमियों को ऋण सहायता प्राप्त करने में उनकी मदद** करना है।
  - इसके तहत देश भर में **पात्र लाभार्थियों को बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थानों (NBFC-MFIs) और अन्य संगठनों के जरिए ऋण सहायता प्रदान** की जाएगी।

[144] SEBI Index Providers Regulations

3.13.5. प्रोजेक्ट गैया (Project Gaia)

- **बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (केंद्रीय बैंकों का एक फोरम) और उसके परियोजना भागीदारों** ने जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों का विश्लेषण करने के लिए प्रोजेक्ट गैया का अनावरण किया है।
- **प्रोजेक्ट गैया के बारे में:**
  - यह **बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स इनोवेशन हब यूरोसिस्टम सेंटर, बैंक ऑफ स्पेन** आदि के बीच एक सहयोग है।
  - यह **वित्तीय प्रणाली में जलवायु संबंधी जोखिमों के विश्लेषण की सुविधा** के लिए जेनेरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) विशेष रूप से लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLMs) का लाभ उठाता है।
  - **इसके निम्नलिखित लाभ हैं:**
    - कंपनियों द्वारा कार्बन उत्सर्जन, ग्रीन बॉण्ड्स और वैकल्पिक नेट-जीरो प्रतिबद्धता प्रकटीकरण की जांच कर सकता है।
    - यह जलवायु-संबंधी खुलासों तक बेहतर पहुंच, दक्ष डेटा निष्कर्षण, सामंजस्यपूर्ण जलवायु मेट्रिक्स तथा स्केलेबिलिटी और विश्वसनीयता के रूप में लाभदायक है।

3.13.6. नीति आयोग ने 'वोकल फॉर लोकल' पहल शुरू की ('Vocal for Local' Initiative By Niti Aayog)

- नीति आयोग ने जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 'वोकल फॉर लोकल' पहल शुरू की।
- **'वोकल फॉर लोकल' पहल के बारे में:**
  - यह पहल **आकांक्षी ब्लॉक्स कार्यक्रम (ABP)[145] के तहत** शुरू की गई है।
  - **उद्देश्य:** आकांक्षी ब्लॉक्स के **लोगों के बीच आत्मनिर्भरता की भावना को प्रोत्साहित करना तथा उन्हें सतत संवृद्धि और समृद्धि की ओर प्रेरित** करना।
    - यह पहल **स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करेगी और समावेशी विकास को भी बढ़ावा** देगी।
  - **कार्यान्वयन:** सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) प्लेटफॉर्म्स, उद्यमियों को **ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग, लिंकेज स्थापित करने, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता बढ़ाने** आदि के लिए सहायता प्रदान करेंगे।
  - **GeM पोर्टल पर 'आकांक्षा' विंडो:** इसे **आकांक्षी ब्लॉक्स कार्यक्रम** में शामिल **500 ब्लॉक्स से स्वदेशी स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित** करने के लिए निर्मित किया गया है।
- **आकांक्षी ब्लॉक्स कार्यक्रम (ABP) के बारे में:**
  - **आरंभ:** इसे **नीति आयोग** ने 2023 में शुरू किया था। ABP को **आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP)[146]** की सफलता से प्रेरित होकर शुरू किया गया है।
  - **फोकस:** इसके तहत भारत के **सबसे दुर्गम और अपेक्षाकृत अविकसित ब्लॉक्स में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने** के लिए शासन व्यवस्था में सुधार करने पर ध्यान दिया जा रहा है।
  - **कवरेज:** 27 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से **500 ब्लॉक्स।**
  - **प्रगति की निगरानी: 5 विषयों के अंतर्गत 40 सामाजिक-आर्थिक संकेतकों** के आधार पर कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी की जाती है।.
  - **कार्यक्रम की रणनीति:**
    - **अभिसरण (Convergence):** केंद्र और राज्य योजनाओं का समन्वय।
    - **सहयोग:** नीति आयोग, केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य विभागों, जिला और ब्लॉक्स के प्रशासन के बीच सहयोग।
    - **प्रतिस्पर्धा:** जन-आंदोलन की भावना से प्रेरित ब्लॉक्स के बीच प्रतिस्पर्धा।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) के बारे में

- ADP को 2018 में शुरू किया गया था। शुरुआत में इसमें **देश भर के 112 सबसे अविकसित जिलों को शामिल** किया गया था।
- यह कार्यक्रम **मुख्य चालक के रूप में राज्यों की भूमिका** को स्वीकार करता है तथा **प्रत्येक जिले की क्षमता पर ध्यान** केंद्रित करता है। यह **तत्काल सुधार के लिए जल्दी प्राप्त होने वाले परिणामों की पहचान** करता है और **हर महीने जिलों की रैंकिंग करके प्रगति को मापता** है।

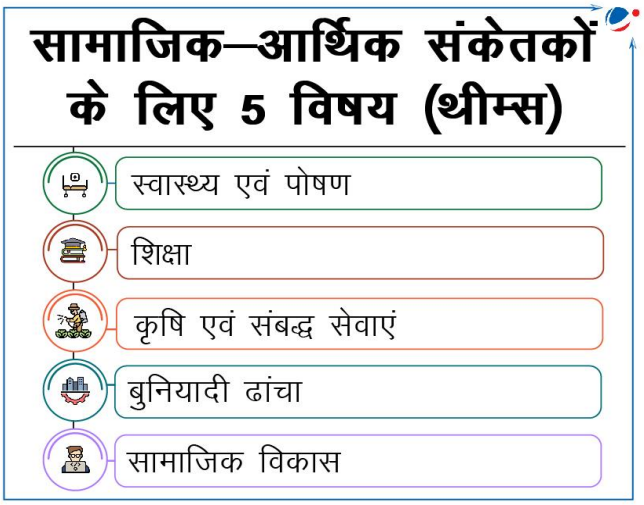

[145] Aspirational Blocks Programme

[146] Aspirational Districts Programme

3.13.7. निवेशक सूचना और विश्लेषण मंच (Investor Information and Analytics Platform: IIAP)

- केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने **IIAP** शुरू किया है। इसे **आई.आई.टी. मद्रास** ने विकसित किया है।
- **IIAP के बारे में:**
  - यह स्टार्ट-अप्स के लिए **वन-स्टॉप शॉप** के रूप में काम करेगा। इसकी मदद से स्टार्ट-अप्स वेंचर कैपिटलिस्ट (VCs), निवेशक नेटवर्क, सरकारी योजनाओं आदि तक निर्बाध पहुंच बना सकते है।
  - इसके अलावा उद्यमी **सरकारी एजेंसियों, इन्क्यूबेटर्स, निवेशकों, VCs आदि के बारे में जानकारी प्राप्त** कर सकते हैं।
  - **'स्टार्ट-अपजीपीटी (StartupGPT)'** इस मंच की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। स्टार्ट-अपजीपीटी एक **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)-आधारित वार्तालाप प्लेटफॉर्म** है।
    - **यह उन लोगों के लिए सूचना तक पहुंच को सुगम बना देगा, जो व्यापक डेटा नेविगेट कर रहे हैं।**

3.13.8. निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (RoDTEP) योजना {Remission Of Duties And Taxes On Exported Products (RoDTEP) Scheme}

- केंद्र सरकार ने **RoDTEP योजना के दायरे में निम्नलिखित को शामिल किया है:**
  - **एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर्स:** एडवांस ऑथराइजेशन या तो एक विनिर्माण निर्यातक को प्रत्यक्ष रूप से या सहायक विनिर्माता से जुड़े मर्चेंट निर्यातक को दिया जाता है
  - **विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाइयां:** SEZ नामित शुल्क मुक्त एन्क्लेव होता है। इसे निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत के सीमा शुल्क राज्यक्षेत्र से बाहर एक राज्यक्षेत्र के रूप में माना जाता है।
    - वास्तव में ये व्यापार संचालन और टैक्स की दृष्टि से देश के भीतर "विदेशी क्षेत्र" जैसे होते हैं।
  - **निर्यात उन्मुख इकाइयां:** इन इकाइयों का उल्लेख विदेश व्यापार नीति के तहत किया गया है। ये इकाइयां अपने यहां उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं को निर्यात कर देती हैं। हालांकि, कुछ मामलों में छूट दी जाती है।
- RoDTEP **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की एक प्रमुख निर्यात प्रोत्साहन** योजना है। इसे **2021 में शुरू** किया गया था।
  - इस योजना के अंतर्गत उन निर्यातकों को **संबद्ध शुल्क/ करों से प्राप्त राशि वापस कर दी जाती है, जिन्होंने अन्य योजनाओं के तहत छूट प्राप्त नहीं की है।**

3.13.9. डिस्कॉम्स की एकीकृत रेटिंग और रैंकिंग (Integrated Rating and Ranking of Discoms)

- विद्युत मंत्रालय ने विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स/ DISCOMs) की 12वीं वार्षिक एकीकृत रेटिंग और रैंकिंग जारी की।
  - **पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन** इस पहल के लिए नोडल एजेंसी है। इसके तहत **55 डिस्कॉम्स के प्रदर्शन को रेटिंग** प्रदान की जाती है।
- **रेटिंग व रैंकिंग से जुड़े मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
  - वित्त वर्ष 2013 में **समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक (AT&C) हानि घटकर 15.4%** तक हो गई है। इस तरह यह AT&C हानि को कम करके **12-15% तक लाने के राष्ट्रीय लक्ष्य के करीब** पहुंच गई है।
  - **बिलिंग दक्षता 87% तक बढ़** गई है। **संग्रहण दक्षता 97.3%** के उच्च स्तर पर बनी हुई है।
  - वित्त वर्ष 2023 के दौरान **औसत बिजली खरीद लागत में 71 पैसे/ किलोवाट की वृद्धि** हुई थी। **बिजली की मांग में बढ़ोतरी, अधिक महंगे कोयले के आयात और उच्च विनिमय कीमतें** इस वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं।
  - राज्य सरकारों द्वारा **सब्सिडी वितरण 100% से अधिक** हो गया है। कुछ राज्यों ने **सब्सिडी अनुदान के माध्यम से डिस्कॉम्स के वित्तीय घाटे की भरपाई** की है।

3.13.10. वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) की "ई-किसान उपज निधि" शुरू की गई ('E-Kisan UPAJ Nidhi' of Wdra Launched)

- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने "ई-किसान उपज निधि" शुरू की है।
- **"ई-किसान उपज निधि"** वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) की एक **डिजिटल गेटवे पहल** है।

- इसका उद्देश्य किसानों को WDRA में पंजीकृत गोदामों में रखे गए उनके अनाज के स्टॉक के बदले बैंकों से फसल-कटाई के बाद ऋण प्राप्त करने में मदद करना है।
    - यह ऋण **"इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट्स" (e-NWRs)** के बदले दिए जाएंगे।
- **वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) के बारे में:**
    - WDRA की स्थापना **WDRA अधिनियम, 2007** के तहत **2010** में की गई थी।
    - **WDRA के मुख्य कार्य (मिशन) निम्नलिखित हैं**:
        - पंजीकृत गोदामों के नेटवर्क के माध्यम से सभी कमोडिटीज के लिए एक **नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट्स (NWR) प्रणाली** स्थापित करना;
        - NWR को **व्यापार का एक प्रमुख साधन** बनाना और इसके बदले ऋण की सुविधा उपलब्ध करना;
        - बैंकों को **सही लोगों को अधिक ऋण देने में मदद करना** तथा पंजीकृत गोदामों में किसानों के भंडारित उत्पादों के बदले **ऋण देने के लिए प्रोत्साहित** करना।
    - **WDRA (नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट्स) विनियम, 2011** NWRs के लिए नियम तय करता है। इनमें रिसीट्स के मानकीकरण, जारी करने, वापस करने आदि की शर्तें शामिल हैं।
    - **भारतीय खाद्य निगम (FCI), NAFED और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड** ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि **सेंट्रल पूल स्टॉक** को WDRA के पंजीकृत गोदामों में रखा जाएगा।

वेयरहाउस रिसीट्स के बारे में

- वेयरहाउस रिसीट्स, वास्तव में **किसी व्यक्ति के उत्पादों के भंडारण के बदले जारी की जाने वाली रसीद या पावती** है। यह रसीद या पावती **वेयरहाउसमैन या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि** जारी करता है। इसे **लिखित या इलेक्ट्रॉनिक** रूप में जारी किया जाता है। इसमें वेयरहाउसमैन द्वारा स्वयं के उत्पादों का भंडारण शामिल नहीं है।
- e-NWR को **वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 2017** में आरंभ किया था।

3.13.11. ग्रिड कंट्रोलर ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (Grid Controller of India Limited: GRID-INDIA)

- GRID-IINDIA को **केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों (CPSEs) के लिए मिनीरत्न श्रेणी-I** का दर्जा दिया गया है।
- **ग्रिड-इंडिया के बारे में:**
    - इसे **2009** में स्थापित किया गया था।
    - इसका मुख्य कार्य **भारतीय विद्युत प्रणाली के संचालन की देख-रेख** करना है।
- **मिनीरत्न दर्जे के बारे में:**
    - **श्रेणी I:**
        - पिछले **3 वर्षों में लगातार लाभ** कमाया हो;
        - **कर-पूर्व लाभ 3 वर्षों में से कम-से-कम एक वर्ष में 30 करोड़ रुपये** या उससे अधिक हो;
        - **पॉजिटिव नेटवर्थ** की स्थिति होनी चाहिए।
    - **श्रेणी-II:**
        - **पिछले 3 साल** से लगातार **मुनाफा कमाया हो;**
        - **पॉजिटिव नेटवर्थ** की स्थिति होनी चाहिए;
        - सरकार को देय किसी भी **ऋण के पुनर्भुगतान/ब्याज भुगतान में चूक नहीं** हुई हो; तथा
        - **बजटीय सहायता या सरकारी गारंटी पर निर्भर नहीं हो।**
- **विद्युत ग्रिड:**
    - इसे बिजली उत्पादन से लेकर उसे ग्राहकों तक पहुँचाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है।
    - ग्रिड में अनगिनत व जटिल इंटरकनेक्शन देखने को मिलता है। हालांकि, इसके तीन मुख्य खंड/ भाग होते हैं- बिजली उत्पादन, पारेषण (Transmission) और वितरण।

3.13.12. IndiaTex शुरू किया गया (India Tex Launched)

- IndiaTex (इनोवेटिव बिजनेस प्रैक्टिसेज एंड इकनोमिक मॉडल्स इन द टेक्सटाइल वैल्यू चेन इन इंडिया) को **BHARAT TEX 2024** में शुरू किया गया है। BHARAT TEX 2024 भारत में अब तक आयोजित **वस्त्र उद्योग के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक** है।
- **IndiaTex, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की चार वर्षीय (2023-2027)** परियोजना है।
    - यह **"वन UNEP टेक्सटाइल पहल"** का हिस्सा है।
        - यह पहल **रणनीतिक नेतृत्व** प्रदान करने के साथ-साथ सभी क्षेत्रकों में सहयोग को बढ़ावा देती है। इन सबका उद्देश्य एक **सतत और चक्रीय टेक्सटाइल वैल्यू चेन** को न्यायसंगत रूप से अपनाने में तेजी लाना है।
- **IndiaTex के बारे में:**
    - **उद्देश्य:** भारतीय वस्त्र क्षेत्रक की चक्रीय यानी सर्कुलर मॉडल को अपनाने में तेजी लाने में मदद करना।

- **कार्यान्वयन:** इसे **वस्त्र मंत्रालय** के सहयोग से कार्यान्वित किया जाएगा।
  - इसे **डेनमार्क के विदेश मंत्रालय** द्वारा वित्त-पोषित किया जाएगा।
- **यह 3 मुख्य अवधारणाओं पर आधारित है:**
  - **इको-इनोवेशन:** लघु और मध्यम उद्यमों (SMEs) को उनके सभी कार्यों में **चक्रीय और लोचशील मॉडल** अपनाने में मार्गदर्शन करना। इससे मानव गतिविधियों की वजह से पर्यावरण और समाज पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों को कम किया जा सकेगा।
  - **प्रोडक्ट एनवायरनमेंटल फुटप्रिंट (PEF):** यूरोपीय आयोग के अनुसार **PEF** से आशय किसी **वस्तु या सेवा के उपयोग की पूरी अवधि के दौरान उसके पर्यावरणीय प्रभावों को मापना** है।
  - **चक्रीयता (Circularity):** यह **"रिड्यूस्ड बाय डिज़ाइन"** के सिद्धांत तथा **उत्पाद या सेवा में इस्तेमाल सामग्रियों की वैल्यू को बनाए रखने** के मॉडल पर आधारित है। इसके तहत **कम करना** (Reduce), **पुन: उपयोग करना** (Reuse), **नवीनीकृत करना** (Renew), **किसी अन्य कार्य में उपयोग करना** (Repurpose), **पुनर्चक्रण करना** (Recycle) आदि शामिल हैं।
  - रिड्यूस्ड बाय डिजाइन के तहत उत्पादों और सेवाओं को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इनके उत्पादन से लेकर उपयोग तक की पूरी प्रक्रिया में कम सामग्रियों का इस्तेमाल होता है।
- **भारत के लिए लाभ:** विश्व के बाजारों में भारत के वस्त्र उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने तथा अधिक बाजारों तक पहुंचने में मदद मिलेगी।

3.13.13. विश्व आर्थिक मंच (WEF) के C4IR का हैदराबाद में उद्घाटन किया गया (WEF'S C4IR Inaugurated at Hyderabad)

- विश्व आर्थिक मंच (WEF) के "चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र (C4IR)" का हैदराबाद में उद्घाटन किया गया।
- यह C4IR **दुनिया का ऐसा पहला थीमेटिक सेंटर** होगा, जो **स्वास्थ्य देखभाल और लाइफ-साइंसेज** पर ध्यान केंद्रित करेगा।
  - इसका उद्घाटन **बायो एशिया-2024** के दौरान किया गया है। बायो एशिया-2024 **बायो एशिया का 21वां संस्करण** है।
    - बायोएशिया **भारत सरकार तथा फेडरेशन ऑफ एशियन बायोटेक एसोसिएशन (FABA)** के साथ साझेदारी में **तेलंगाना** सरकार द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन है।
- **C4IR** विश्व आर्थिक मंच की पहल है। इसका उद्देश्य **उद्योगों, अर्थव्यवस्थाओं और समाजों में न्यायसंगत एवं मानव-केंद्रित बदलाव लाने के लिए तकनीकी प्रगति की क्षमता का उपयोग** करना है।

- **4IR के बारे में:**
  - 4IR से आशय है **चौथी औद्योगिक क्रांति।** इसे **इंडस्ट्री 4.0** भी कहा जाता है।
  - इसमें **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)** जैसी प्रौद्योगिकियों के जरिये **विनिर्माण उद्योग के डिजिटाइजेशन** को बढ़ावा दिया जा रहा है।
  - कभी-कभी इसे **"स्मार्ट फैक्टरीज"** भी कहा जाता है। ये वास्तव में ऐसी फैक्टरीज हैं, जहां **साइबर-फिजिकल सिस्टम** पूरी तरह से जुड़े हुए होते हैं। यहां **भौतिक विश्व और डिजिटल वर्ल्ड के बीच की दूरियों को कम या समाप्त** कर दिया जाता है।
- **स्वास्थ्य देखभाल और लाइफ-साइंसेज में 4IR के उपयोग:**
  - वियरेबल (धारण करने योग्य) डिवाइसेज का उपयोग करके स्वास्थ्य संबंधी विकारों के **लक्षणों की निगरानी, रिकॉर्डिंग व उनका विज़ुअलाइज़ेशन** किया जा सकता है और उन्हें **साझा** किया जा सकता है।
  - यह **हेल्थ प्रोफाइलिंग और क्लीनिकल रजिस्ट्रीज़** के माध्यम से तथ्यों के आधार पर स्वास्थ्य देखभाल सुविधा उपलब्ध कराती है।
  - यह **बीमारी के लिए सटीक दवा (Precision Medicine) और शरीर के लक्षित अंगों तक दवा पहुंचाने** की सुविधा प्रदान करती है।
- **चुनौतियां:**
  - रोगी के बारे में जानकारियां एक जगह उपलब्ध नहीं होकर अलग-अलग दर्ज होती हैं,
  - कुशल कर्मियों की कमी है,
  - निजता के उल्लंघन से जुड़ी चिंताएं विद्यमान हैं,
  - साइबर हमलों का खतरा बना रहता है,
  - नैतिकता संबंधी चिंताएं भी मौजूद हैं आदि।
- इससे पहले, **महाराष्ट्र में भी C4IR (INDIA) केंद्र** स्थापित किया गया था। इसका **समन्वय नीति आयोग** द्वारा किया जाता है।

3.13.14. सबरूम लैंड पोर्ट (Sabroom Land Port: SLP)

- प्रधान मंत्री ने **त्रिपुरा में भारत-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबरूम लैंडपोर्ट का उद्घाटन** किया।
- **सबरूम लैंडपोर्ट के बारे में:**
  - यह **फेनी नदी पर बने मैत्री पुल** के माध्यम से बांग्लादेश के **चटगांव बंदरगाह से जुड़ा** हुआ है।
  - यह **भारत और बांग्लादेश के बीच यात्रियों और कार्गो की आवाजाही को सुविधाजनक** बनाएगा।
- **लैंड पोर्ट (भूमि बंदरगाह):**
  - ये **राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों आदि के हिस्सों सहित अंतर्राष्ट्रीय सीमा** पर स्थित क्षेत्र हैं। इन्हें **लैंड कस्टम्स स्टेशन या इमिग्रेशन चेक पोस्ट** के रूप में अधिसूचित किया गया है। ये सीमाओं के पार यात्रियों और सामानों की आवाजाही एवं परिवहन को सुगम बनाते हैं।
  - वर्तमान में, भारत में सबरूम लैंडपोर्ट को छोड़कर **11 लैंड पोर्ट्स चालू अवस्था में हैं।**

3.13.15. सुदर्शन सेतु (Sudarshan Setu)

- प्रधान मंत्री ने **कच्छ की खाड़ी में सुदर्शन सेतु का उद्घाटन** किया।
- **सुदर्शन सेतु (सिग्नेचर ब्रिज) के बारे में:**
  - यह **भारत का सबसे लम्बा केबल-आधारित पुल** है। इसके फुटपाथ के ऊपरी हिस्से पर **सौर पैनल लगे** हुए हैं। इससे **एक मेगावाट बिजली पैदा** होती है।
  - यह एक **चार लेन वाला पुल** है। यह **गुजरात में ओखा मुख्य भूमि और बेयट द्वारका द्वीप** को जोड़ता है।
  - इससे परिवहन में आसानी होगी और **द्वारका एवं बेट द्वारका के बीच यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं** के समय की बचत होगी।
  - इस पर एक **फुटपाथ** बना हुआ है, जिस पर **श्रीमद्भगवद्गीता के श्लोक और दोनों तरफ भगवान कृष्ण की छवियां** बनी हुई हैं।

3.13.16. सेला टनल (Sela Tunnel)

- प्रधान मंत्री ने **अरुणाचल प्रदेश में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सेला टनल का उद्घाटन** किया।
- **सेला टनल के बारे में:**
  - इस टनल का निर्माण **सीमा सड़क संगठन** ने किया है। यह टनल **अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में तवांग को तेजपुर (असम) से जोड़ने वाली सड़क** पर निर्मित है।
  - इसके निर्माण में **न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड (NATM)** का इस्तेमाल किया गया है।
    - NATM फैलाए गए कंक्रीट और अन्य सपोर्ट की मदद से टनल परिधि को स्थिर करने की एक

सहायक विधि है। इसके अलावा, NATM विधि टनल की स्थिरता को नियंत्रित करने के लिए नियमित निगरानी का उपयोग करती है।

- यह दुनिया की **सबसे लंबी दो लेन वाली टनल (लगभग 1.5 कि.मी.)** है। यह **13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई** पर अवस्थित है। यह टनल **हर मौसम में कनेक्टिविटी** प्रदान करेगी।

QUIZ **SMART QUIZ**	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अर्थव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

VISION IAS के PT 365 के साथ UPSC प्रीलिम्स में करेंट अफेयर्स की चुनौतियों में महारत हासिल कीजिए

करेंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें

करेंट अफेयर्स सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की आधारशिला है, जो प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू तीनों चरणों में जरूरी होता है। करेंट अफेयर्स से अपडेट रहना अभ्यर्थी को सिविल सेवा परीक्षा के नए ट्रेंड को समझने में सक्षम बनाता है। सही रिसोर्सेज और एक रणनीतिक दृष्टिकोण के जरिए अभ्यर्थी इस विशाल सेक्शन को अपना सकारात्मक पक्ष बना सकते हैं।

PT 365 क्या है?

PT 365 (हिंदी) डाक्यूमेंट के अंतर्गत, व्यापक तौर पर विगत 1 वर्ष (365 दिन) के महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं को ठोस तरीके से कवर किया जाता है ताकि प्रीलिम्स की तैयारी में अभ्यर्थियों को सहायता मिल सके। इसे करेंट अफेयर्स के रिविजन हेतु एक डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार किया गया है।

PT365 की विशेषताएं

व्यापक कवरेज

- पूरे साल के करेंट अफेयर्स की कवरेज।
- UPSC हेतु प्रासंगिक विषय, जैसे– राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आदि।
- आगामी प्रारंभिक परीक्षा में आने वाले संभावित विषयों पर जोर।

स्पष्ट एवं संक्षिप्त जानकारी

- प्रमुख मुद्दों के लिए स्पष्ट एवं संक्षिप्त प्रस्तुति
- विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी
- तेजी से रिविजन के लिए परिशिष्ट

QR आधारित स्मार्ट क्विज

- अभ्यर्थियों की समझ और पढ़े गए आर्टिकल्स के परीक्षण के लिए QR आधारित स्मार्ट क्विज़ को शामिल किया गया है।

इन्फोग्राफिक्स

- आर्टिकल्स एवं तथ्यों को समझने और याद रखने में सहायता मिलती है।
- आर्टिकल्स को समझाने के लिए अलग–अलग तकनीक, विधियों और प्रक्रियाओं का इस्तेमाल।
- लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए मानचित्रों का रणनीतिक उपयोग किया गया है।

सरकारी योजनाएं और नीतियां

- प्रमुख सरकारी योजनाओं, नीतियों और पहलों की गहन कवरेज।

नया क्या है?

- पिछले वर्ष के प्रश्नों के पैटर्न के अनुरूप तैयार किया गया है।

PT 365 का महत्त्व

रिविजन में आसानी: कंटेंट को विषयों या टॉपिक्स के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिससे अभ्यर्थी आसानी से टॉपिक खोज सकते हैं और रिविजन आसान हो जाता है।

वैल्यू एडिशन: इसमें ऐसे इन्फोग्राफिक्स, संबंधित घटनाक्रम या सुर्ख़ियाँ शामिल हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी की व्यापक कवरेज सुनिश्चित करते हैं।

क्रिस्प मटेरियल: आर्टिकल्स में क्रिस्प पॉइंट्स का प्रयोग किया गया है। इससे अभ्यर्थियों को सीमित समय में आसानी से कई बार रिविजन करने में सुविधा मिलती है।

इंटीग्रेटेड एप्रोच: UPSC में पूछे गए प्रश्नों के पिछले ट्रेंड के अनुरूप ही करेंट अफेयर्स की सभी बुनियादी अवधारणाओं और सूचनाओं को स्पष्ट तरीके से शामिल किया गया है। इससे स्टेटिक पार्ट और महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को एकीकृत करने में भी मदद मिलती है।

और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

PT 365 एक भरोसेमंद रिसोर्स है जिसने पिछले कुछ वर्षों में लाखों अभ्यर्थियों को समग्र तरीके से करेंट अफेयर्स को कवर करने में मदद की है। इसकी प्रभावशाली विशेषताओं की वजह से UPSC सिविल सेवा परीक्षा में करेंट अफेयर्स को समझने और सफल होने में अभ्यर्थियों को मदद मिलती है।

4. सुरक्षा (Security)

4.1. वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism: LWE)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने 'वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई[147]' शीर्षक से एक पुस्तिका जारी की है।

भारत में वामपंथी उग्रवाद (LWE) के बारे में

- वामपंथी उग्रवादी से आशय ऐसे व्यक्तियों या समूहों से है जो उग्र वामपंथी विचारधारा का समर्थन करते हैं और हिंसात्मक साधनों की सहायता से संविधान द्वारा स्थापित व्यवस्था को उखाड़ फेकने का प्रयास करते हैं।
  - वामपंथी उग्रवाद को सामान्यतः **वैश्विक स्तर पर माओवादी और भारत में नक्सली कहा जाता** है।
  - भारत में नक्सली विद्रोह की शुरुआत **1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी जिले से मानी जाती है।**
  - **भारत का रेड कॉरिडोर:** यह छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल जैसे राज्यों के अलग-अलग भागों में फैला हुआ है।
- **वामपंथी उग्रवाद के उद्भव के लिए उत्तरदायी कारक:**
  - **जल, जंगल और जमीन:** वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से जबरन मजदूरी कराना; बाहरी लोगों द्वारा आदिवासियों के संसाधनों पर कब्जा करना; भूमि हदबंदी कानूनों को सही ढ़ंग से लागू न कर पाना; स्थानीय आदिवासियों के भूमि दावों को अस्वीकार करना; जमीनी वास्तविकता की अनदेखी करके बनाए गए कानून आदि इसके प्रमुख कारक हैं।
  - **सामाजिक-आर्थिक असमानताएं:** रोजगार और शिक्षा के अवसरों की कमी, आधारभूत अवसंरचनाओं का अभाव, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और सामाजिक बहिष्कार ने युवाओं को नक्सली समूहों में शामिल होने के लिए मजबूर किया है।
    - उग्रवाद ऐतिहासिक रूप से उन क्षेत्रों में फला-फूला है जहां पर सबसे ज्यादा गरीबी थी।
  - **प्रशासनिक स्तर पर उदासीनता:** कई रिपोर्ट्स से पता चलता है कि सरकारी नीतियों को जमीनी स्तर पर ठीक से लागू नहीं करना भी नक्सलवाद एक बड़ा कारण रहा है।

भारत में LWE में कमी आने के कारण

- **रणनीतिक (Strategic):**
  - **समाधान (SAMADHAN):** 2017 में गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए **'समाधान'** सिद्धांत को अपनाया था (इन्फोग्राफिक देखें)।
  - **विशेष कार्यबल (Special Task Force):** इसके तहत केंद्र और राज्य बलों के अधीन **स्पेशल ऑपरेशन टीमें** गठित की गई हैं।
  - **आक्रामक रणनीति:** 2022 में, सुरक्षाबलों ने LWE के खिलाफ **ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल** और **ऑपरेशन चक्रबंध** आदि का संचालन किया था। इन सभी में सुरक्षाबलों ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की थी।

[147] Decisive Battle with Left Extremism

- **विकासात्मक (Developmental):**
    - **केंद्र-राज्य में बेहतर समन्वय:** केंद्र सरकार ने **सुरक्षा संबंधी व्यय** (SRE)[148] **योजना** और **विशेष अवसंरचना योजना** (SIS)[149] जैसी कई योजनाओं के तहत राज्यों को क्षमता निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराया है।
    - **विकास में जनभागीदारी:** गृह मंत्रालय **गरीबों के कल्याण और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू कर** लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है।
    - **पुनर्वास:** सरकार आत्मसमर्पण और पुनर्वास संबंधी नीतियों के माध्यम से आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों को प्रोत्साहित कर रही है, जैसे- **व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना या फिर वित्तीय सहायता** देना आदि। इस प्रकार के प्रोत्साहन से उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल होने में सहायता मिलती है।
        - उदाहरण के लिए- सरकार ने वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में **औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान** और **कौशल विकास केंद्र** स्थापित किए गए हैं।
    - **बेहतर विकास एवं शासन:** शिक्षा, रोजगार सृजन आदि से जुड़ी योजनाओं के चलते उग्रवादी गतिविधियों में सम्मिलित होने की दर में कमी आई है।

LWE से निपटने के लिए आठ स्तंभ (SAMADHAN/ समाधान)

	S	स्मार्ट लीडरशिप (Smart Leadership)
	A	आक्रामक रणनीति (Aggressive Strategy)
	M	प्रोत्साहन और प्रशिक्षण (Motivation and Training)
	A	कार्रवाई योग्य इंटेलिजेंस (Actionable Intelligence)
	D	विकास कार्यों और मुख्य प्रदर्शन संकेतकों के लिए डैशबोर्ड (Dashboard-based Key Result Areas and Key Performance Indicators)
	H	प्रौद्योगिकी का उपयोग (Harnessing Technology)
	A	प्रत्येक थिएटर के लिए अलग कार्य योजना (Action Plan for Each Theatre)
	N	वामपंथी उग्रवादियों की वित्तीय स्रोतों तक पहुंच को समाप्त करना (No access to Financing)

वामपंथी उग्रवाद को नियंत्रित करने में मौजूद चुनौतियां

- **भौगोलिक अवस्थिति:** झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना जैसे राज्यों में सघन वन क्षेत्र हैं। माओवादी/ नक्सली इस सघन वन क्षेत्र निम्नलिखित गतिविधियों के लिए करते हैं- हथियार प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना, खुद को छिपाना, गुरिल्ला युद्ध आदि।
- **सुरक्षा संबंधी चुनौतियां:** नक्सलियों तक हथियारों और गोला-बारूद की निर्बाध आपूर्ति, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा में एक गंभीर चुनौती पेश करता है। अवैध तरीके से हथियार बनाने वाले कारखानों, सरकारी स्टॉक से चोरी एवं हथियारों की अवैध बिक्री की अपर्याप्त निगरानी व निरीक्षण आदि के कारण नक्सली आसानी से हथियार प्राप्त कर लेते हैं।
- **राजनीतिक सुधारों और सहभागी लोकतंत्र की धीमी गति:** वंचित समुदायों, विशेषकर आदिवासियों की राजनीतिक भागीदारी काफी कम है।
- **वैचारिक अपील:** वामपंथी उग्रवाद में संलिप्त समूहों ने एक ऐसी कहानी गढ़ी है जो विशेष रूप से आदिवासी समुदायों के लोगों को नक्सली आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करती है।

आगे की राह

- **विश्वास हासिल करना:** इसके लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अधिक-से-अधिक स्थानीय लोगों की नियुक्ति की जानी चाहिए। नियुक्त लोग आदिवासियों एवं सरकार के बीच अविश्वास को कम करने के लिए एक पुल के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा, आदिवासियों को जागरूक करने के लिए **सिविल सोसाइटी का भी सहयोग** लिया जा सकता है।

[148] Security Related Expenditure

[149] Special Infrastructure Scheme

- उदाहरण के लिए- 2021 में शांति मार्च का आयोजन किया गया था। इसमें छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना के आदिवासियों ने भाग लिया था। इस शांति मार्च का मुख्य नारा **'बस्तर मांगे हिंसा से आजादी'** था।

- **वामपंथी विचारधारा का विरोध:** माओवादी विचारधारा की अधिनायकवादी और दमनकारी प्रकृति के बारे में स्थानीय लोगों को बताया जाना चाहिए तथा उनके बीच हमारे संविधान में निहित लोकतांत्रिक जीवन शैली और मूल्यों का प्रसार करना चाहिए।
- **केंद्र-राज्य में समन्वय:** दोनों को चरमपंथवाद से निपटने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। साथ ही, दोनों को वामपंथी उग्रवाद से छुटकारा पाने के लिए अपनी-अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण करना चाहिए।
- **सुरक्षा एवं क्षमता निर्माण:** स्थानीय पुलिस बलों के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, अधिक दक्षता को बनाए रखने के लिए पुलिस बलों का इस्तेमाल छोटे-छोटे समूहों में किया जाना चाहिए।
- **तकनीक का उपयोग:** भौगोलिक सूचना प्रणाली और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जैसी तकनीकों का इस्तेमाल उग्रवादियों के ठिकानों का पता लगाने एवं सुरक्षा बलों द्वारा हमले की योजना बनाने आदि के लिए किया जा सकता है।

4.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

4.2.1. ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2023 (Trends in International Arms Transfers, 2023)

- यह रिपोर्ट **स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI)** ने जारी की है। SIPRI एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है।
- **रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
  - **निर्यात:**
    - **संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक है।** कुल वैश्विक हथियार निर्यात में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर **42%** हो गई है।
    - **फ्रांस,** दुनिया में हथियारों का **दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है।** इससे **पहले दूसरा स्थान रूस** का था।
  - **आयात:**
    - भारत **दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक** देश है।
    - 2014-18 और 2019-23 के बीच भारत में हथियारों के आयात में **4.7% की वृद्धि** दर्ज की गई है।
    - **रूस भारत का मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता बना** हुआ है। भारत अपने कुल हथियार आयात का **36 प्रतिशत रूस से आयात** करता है।
  - 2019-23 की अवधि में **यूक्रेन सबसे बड़े यूरोपीय हथियार आयातक देश** के रूप में उभरा है।

4.2.2. भारत की पांचवीं पीढ़ी का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट {India's Fifth-Generation Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA)}

- हाल ही में, सुरक्षा मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (CCS)[150] ने भारत के पांचवीं पीढ़ी के **मल्टी-रोल लड़ाकू विमान, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA)** के डिजाइन और विकास से संबंधित प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की है।
- **विश्व स्तर पर पांचवीं पीढ़ी के चार एयरक्राफ्ट हैं-** संयुक्त राज्य अमेरिका का F-22 रैप्टर और F-35A लाइटनिंग-II; चीन का J-20 और रूस का Su-57
- **AMCA के बारे में:**
  - यह मध्यम वजन का, मल्टी-रोल में माहिर और दो इंजनों वाला एक लड़ाकू विमान है।
  - **कार्यक्रम को अंतिम रूप देने और डिजाइन करने के लिए नोडल एजेंसी:** रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के तहत वैमानिकी विकास एजेंसी (ADA)[151] को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
    - ADA रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के अंतर्गत एक सोसायटी के रूप में स्थापित एजेंसी है।
  - **विनिर्माण करने वाली एजेंसी:** हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) इसका विनिर्माण करेगी।
  - **प्रमुख विशेषताएं:**
    - यह विमान एडवांस स्टील्थ सुविधा से लैस है। यह सुविधा इसे शत्रु के रडार की पकड़ में आने से बचाती है।
    - स्टील्थ सुविधा विमान को मिशन के दौरान **शत्रु के एयर डिफेंस को तोड़ने (SEAD)[152], शत्रु के एयर डिफेंस को खत्म करने (DEAD)[153]** और सटीक हमला करने में सक्षम बनाती है।

[150] Cabinet Committee on Security

[151] Aeronautical Development Agency

[152] Suppression of Enemy Air Defense

[153] Destruction of enemy air defence

- **विमान में हथियारों का जखीरा:** यह 1,500 किलोग्राम के पेलोड सहित हवा-से-हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की चार मिसाइलों और सटीक हमला करने में सक्षम कई युद्ध सामग्री[154] ले जा सकता है।
- **भूमिका बदलने में सक्षम:** यह **हवा-से-हवा** के साथ-साथ **हवा-से-जमीन** पर निशाना लगाने में सक्षम है।

4.2.3. गोला-बारूद और मिसाइलों के विनिर्माण के लिए निजी क्षेत्र के पहले प्रतिष्ठान (First Private Sector Facilities For Manufacturing of Ammunition and Missiles)

- गोला-बारूद और मिसाइलों के विनिर्माण के लिए निजी क्षेत्र के पहले प्रतिष्ठान कानपुर (उत्तर प्रदेश) में खोले गए।
- इन दो प्रतिष्ठानों को उत्तर प्रदेश के **रक्षा औद्योगिक गलियारे (DICs)** में खोला गया है।
  - गौरतलब है कि भारत सरकार **दो "रक्षा औद्योगिक गलियारे"** स्थापित कर रही है। दूसरा गलियारा **तमिलनाडु** में है।
- 2001 में **रक्षा उद्योग क्षेत्र में भारतीय निजी क्षेत्र की 100% भागीदारी** की अनुमति दी गई थी।
- **रक्षा क्षेत्रक के निजीकरण की आवश्यकता क्यों है?**
  - स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत **विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य व्यय करने वाला देश** है। प्रथम दो देश क्रमशः **संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन** है।
  - साथ ही, **भारत विश्व में हथियारों/ रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा आयातक** देश भी है।
  - रक्षा क्षेत्रक में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ने से **रक्षा बजट का हिस्सा कम** किया जा सकता है, जो **कुल सरकारी व्यय का 13.04% है।**
  - भारतीय सेना की जरूरत से अधिक के रक्षा हथियारों एवं उपकरणों के अधिशेष उत्पादन का निर्यात किया जा सकता है। इससे **2024-25 तक 35000 करोड़ रुपये के रक्षा निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद** मिलेगी।
- **रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश से जुड़ी चिंताएं:**
  - निजी कंपनियों के हाथों में **रक्षा से जुड़े संवेदनशील डेटा** पहुंच सकते हैं। इससे देश की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है;
  - निजी कंपनियों द्वारा उत्पादित रक्षा उपकरण ऐसे देशों/ एजेंसियों को बेचे जा सकते हैं जो **भारत के राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल** हों इत्यादि।

अन्य संबंधित सुर्ख़ियां:

SAMAR (सिस्टम फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग असेसमेंट एंड रेटिंग) प्रमाणन

- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने **नौ उद्योग भागीदारों को SAMAR मूल्यांकन प्रमाण-पत्र** वितरित किए।
- **SAMAR के बारे में:**
  - यह **रक्षा विनिर्माण उद्योग की क्षमता को मापने** के लिए एक बेंचमार्क है।
  - यह **भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) द्वारा विकसित परिपक्वता मूल्यांकन मॉडल** पर आधारित है।
  - **उपयोग:** यह **सभी रक्षा विनिर्माण उद्यमों** के लिए है।
  - **वैधता:** 2 वर्ष।
  - यह **DRDO और QCI के बीच सहयोग** का परिणाम है।

[154] Precision-guided munitions

4.2.4. वेरी शॉर्ट-रेंज एयर डिफेंस सिस्टम (VSHORADS) मिसाइल {Very Short-Range Air Defence System (VSHORADS) Missile}

- **रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)** ने भूमि आधारित एक पोर्टेबल लॉन्चर से VSHORADS का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह परीक्षण **ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज** से किया गया है।
- **VSHORADS मिसाइल सिस्टम के बारे में:**
  - यह एक **मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम (MANPADS)** है। इसे **स्वदेशी रूप** से डिजाइन एवं विकसित किया गया है।
  - इसे DRDO प्रयोगशालाओं व अन्य भारतीय उद्योग भागीदारों के साथ सहयोग में **रिसर्च सेंटर इमारत (RCI)** ने विकसित किया है।
  - इसमें मिनिएचराइज़्ड रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम (RCS) और एकीकृत वैमानिकी (avionics) सहित अनेक नवीन प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।
  - इसे **दोहरे थ्रस्ट वाली ठोस मोटर द्वारा गतिमान** किया जाता है। यह प्रणाली **कम दूरी पर निम्न ऊंचाई वाले हवाई खतरों को लक्षित** कर सकती है।

4.2.5. वज्र प्रहरी प्रणाली (Vajra Sentinel System)

- रक्षा मंत्रालय ने **रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX)[155] पहल** के तहत **एंटी-ड्रोन (वज्र प्रहरी प्रणाली) हेतु 200 करोड़ रुपये** के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।
- **वज्र प्रहरी प्रणाली के बारे में:**
  - यह एक आधुनिक समाधान है। इसे **अधिक दूरी पर ड्रोन का पता लगाने, ट्रैक करने और उसे निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन** किया गया है।
  - यह प्रणाली **जैमिंग के द्वारा सॉफ्ट किल और इंटरसेप्टर ड्रोन के द्वारा हार्ड किल** का विकल्प प्रदान करती है।
    - हार्ड-किल स्पेस वेपन्स में शामिल हैं- काइनेटिक एनर्जी वेपन्स (KEWs)
    - सॉफ्ट-किल स्पेस वेपन्स में शामिल हैं- इलेक्ट्रॉनिक-युद्ध संबंधी उपाय।
  - यह **10 कि.मी. की ऊंचाई** तक काम कर सकती है और इसकी **हार्ड किल पहुंच 5-6 कि.मी.** है।

[155] Innovations for Defence Excellence

4.2.6. INS जटायु (INS Jatayu)

- **नौसेना डिटैचमेंट मिनिकॉय** को भारतीय नौसेना में **INS जटायु** के रूप में शामिल किया गया है।
  - मिनिकॉय, **लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप** है।
- **INS जटायु के बारे में:**
  - यह **लक्षद्वीप में भारत का दूसरा नौसैनिक अड्डा** है। यहां पहला नौसैनिक अड्डा **INS द्वीपरक्षक** है, जो **कवरत्ती** में स्थित है।
  - **महत्त्व:** यहां से **पश्चिमी अरब सागर** में समुद्री-डकैती और ड्रग्स तस्करी के खिलाफ अभियान चलाने में भारतीय नौसेना को आसानी होगी।
  - यह हिंद महासागर क्षेत्र में किसी संकट की स्थिति में **प्रथम मददगार के रूप में भारतीय नौसेना की क्षमता को भी बढ़ाएगा।** साथ ही, यहां से भारत की मुख्य-भूमि के साथ **कनेक्टिविटी** भी बढ़ेगी।

4.2.7. जूस जैकिंग (Juice Jacking)

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने **जूस जैकिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए यूजर्स को पब्लिक पोर्ट्स का उपयोग करके मोबाइल फोन चार्ज करने के प्रति सचेत** किया है।
- **जूस जैकिंग के बारे में:**
  - यह एक प्रकार का **साइबर हमला** है। इसमें हैकर्स दुर्भावनापूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज के डेटा चुराने के लिए **पब्लिक यूएसबी चार्जिंग स्टेशन में मैलवेयर लोड** कर देते हैं।
  - यह **किसी डिवाइस को लॉक** कर सकता है तथा साइबर अपराधियों को व्यक्तिगत डेटा एवं पासवर्ड तक पहुंच प्रदान कर सकता है।
    - इस प्रकार के साइबर हमले की शिकायतें मुख्य रूप से **हवाई अड्डों, होटलों और शॉपिंग सेंटर्स जैसे सार्वजनिक स्थलों से दर्ज** की गई हैं।

4.2.8. सुर्ख़ियों में रहे सैन्यअभ्यास (Exercises in News)

- **सैन्य अभ्यास 'धर्म गार्जियन': भारत और जापान** के बीच **वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास "धर्म गार्जियन"** का 5वां संस्करण **राजस्थान** में संपन्न हुआ।
  - इसका आयोजन दोनों देशों में बारी-बारी से किया जाता है।
- **अभ्यास कटलैस एक्सप्रेस:** यह एक **बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास** है। इस वर्ष इसका आयोजन **सेशेल्स में अमेरिकी नौसैनिक बल के नेतृत्व** में किया गया है। **भारतीय नौसेना** ने भी इसमें भाग लिया था।

- यह अभ्यास **पूर्वी अफ्रीकी तट और पश्चिमी हिंद महासागर के सामरिक जलक्षेत्रों** में समुद्री सुरक्षा व सहयोग का मुख्य आधार है।

- **सैन्य अभ्यास 'समुद्र लक्ष्मण':** यह **भारत और मलेशिया** के बीच एक **द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास** है।
- **सी डिफेंडर्स-2024:** 'सी डिफेंडर्स-2024' **भारतीय तटरक्षक (ICG) बल और यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड (USCG)** के बीच एक समुद्री सुरक्षा अभ्यास है। हाल ही में इसका **पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)** में समापन हुआ है।
- **भारत शक्ति: "भारत शक्ति"** नाम से तीनों सेनाओं का **फायरिंग और युद्ध अभ्यास राजस्थान के पोखरण** में आयोजित किया गया।
    - इसके तहत भारतीय सशस्त्र बलों की **एकीकृत परिचालन क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाले वास्तविक, समन्वित व मल्टी-डोमेन संचालन** का अनुकरण किया गया। इसका उद्देश्य **स्थल, वायु, समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष डोमेन में खतरों का सामना** करने की तैयारी करनी है।
- **आईएमटी ट्राइलेट (IMT TRILAT)- 2024: भारत, मोजाम्बिक व तंजानिया (IMT)-ट्राई लेटरल (TRILAT)** एक संयुक्त **समुद्री सैन्य-अभ्यास** है।
    - **आईएमटी ट्राइलेट सैन्य-अभ्यास का पहला संस्करण** अक्टूबर 2022 में आयोजित किया गया था।
- **लमितिये युद्धाभ्यास 2024:** यह **भारतीय थल सेना और सेशेल्स रक्षा बलों** के बीच आयोजित किए जाने वाला एक **संयुक्त सैन्य अभ्यास** है।
- **टाइगर ट्रायम्फ-24 अभ्यास:** टाइगर ट्रायम्फ-24 **भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका** के बीच एक द्विपक्षीय **त्रि-सेवा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR)** अभ्यास है।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन

UPSC मुख्य परीक्षा में सबसे ज्यादा उत्तर लेखन का कौशल मायने रखता है। इसका कारण यह है कि उत्तर लिखने की कला ही अभ्यार्थियों के लिए अपने ज्ञान, समझ, विश्लेषणात्मक क्षमता और टाइम मैनेजमेंट के कौशल को प्रदर्शित करने के एक प्राथमिक साधन के रूप में कार्य करती है। मुख्य परीक्षा में प्रभावी उत्तर लेखन, इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से पेश करने, विविध दृष्टिकोणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने और संतुलित तर्क प्रस्तुत करने की क्षमता प्रदर्शित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कुशलतापूर्वक एवं समग्रता से लिखा गया उत्तर, परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने एवं इस प्रतिस्पर्धी माहौल में अभ्यार्थियों को भीड़ से अलग करने में सहायक होता है, जो अंततः UPSC मुख्य परीक्षा में उनकी सफलता का निर्धारण करता है।

प्रभावशाली उत्तर लेखन के प्रमुख घटक

संदर्भ की पहचानः प्रश्न के थीम या टॉपिक को समझना एवं उस टॉपिक के संदर्भ में ही अपना उत्तर लिखना।

कंटेंट की प्रस्तुतीः विषय–वस्तु की व्यापक समझ का प्रदर्शन करना भी जरूरी होता है। इसके लिए प्रश्न से संबंधित सटीक तथ्यों, प्रासंगिक उदाहरणों एवं व्यावहारिक विश्लेषण को उत्तर में शामिल करना चाहिए।

सटीक एवं प्रभावी इंट्रोडक्शनः उत्तर शुरू करने के लिए भूमिका को आकर्षित ढंग से लिखने से, परीक्षक का ध्यान आकर्षित होता है एवं इससे उत्तर के आगे होने वाली चर्चाओं का संक्षिप्त विवरण मिलता है।

संरचना एवं प्रस्तुतीकरणः उत्तर को क्लियर हेडिंग के साथ, सब–हेडिंग या बुलेट पॉइंट के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से लिखना आवश्यक होता है। इसके अलावा, आसान समझ के लिए जानकारी को तार्किक ढंग से एवं बेहतर रूप से प्रस्तुत करना जरूरी होता है।

संतुलित निष्कर्षः मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में लिखने का प्रयास करना चाहिए। यदि प्रश्न में पूछा गया हो तो अंतर्दृष्टि या सिफारिशें प्रस्तुत करनी चाहिए। साथ ही, अपने तर्क या चर्चा को संतोषजनक निष्कर्ष तक पहुंचाना भी आवश्यक होता है।

भाषाः संदर्भ के अनुरूप सटीक और औपचारिक भाषा का उपयोग करना आवश्यक होता है। साथ ही, शब्दजाल, आम बोलचाल की भाषा के इस्तेमाल या अस्पष्टता से बचते हुए अभिव्यक्ति में प्रवाह एवं स्पष्टता का प्रदर्शन करना आवश्यक होता है।

Vision IAS के "ऑल इंडिया GS मेन्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" से जुड़कर प्रभावशाली उत्तर लेखन की कला एवं रणनीति में महारत हासिल कीजिए। इस प्रोग्राम में शामिल हैं:

- उत्तर लेखन पर 'मास्टर क्लासेज'
- विस्तृत मूल्यांकन
- व्यक्तिगत मेंटरिंग
- फ्लेक्सिबल टेस्ट शेड्यूल
- व्यापक फीडबैक
- पोस्ट–टेस्ट डिस्कशन

यह हमेशा ध्यान रखिए कि **सिविल सेवा मुख्य परीक्षा UPSC CSE** की यात्रा का एक चरण मात्र नहीं है, बल्कि यह सिविल सेवाओं में प्रतिष्ठित पद तक पहुंचने का एक डायरेक्ट गेटवे है। इस प्रकार, यह परीक्षा आपकी आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदल देता है।

"ऑल इंडिया GS मेन्स टेस्ट सीरीज़ और मेंटरिंग प्रोग्राम" के लिए रजिस्टर करने और ब्रोशर डाउनलोड करने हेतु QR कोड को स्कैन कीजिए।

टॉपर्स के एप्रोच और तैयारी की रणनीतियों को जानने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

अहमदाबाद | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची | सीकर

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (Plastic Waste Management)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, लोक लेखा समिति (PAC)[157] ने संसद में **"प्लास्टिक के कारण प्रदूषण[158]"** शीर्षक से एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के मद्देनजर सरकार ने **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम[159], 2024 (PMW नियम, 2024)** को अधिसूचित किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- PAC ने अपनी इस रिपोर्ट में **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (PWM) नियम, 2016** से संबंधित विभिन्न मुद्दों या कमियों को सामने रखा है।
- **PWM नियम, 2024** के जरिए **PWM नियम, 2016** के अलग-अलग प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इन संशोधनों के जरिए PAC द्वारा सामने लाए गए मुद्दों का समाधान करने में मदद मिल सकती है।
    - केंद्र सरकार ने **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम[160], 1986** की धारा 3, 6 और 25 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए PWM नियम, 2016 में संशोधन किया है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में

- **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार-**
    - भारत में 2020-21 में **41,26,997 टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न** हुआ था।
    - पिछले पांच वर्षों में **प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा बढ़कर दोगुनी हो गई है।**
- PWM नियम, 2016 (2024 में संशोधित) को भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रभावी और वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए बनाया गया था।
    - ये नियम **अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, विनिर्माता, आयातक, उत्पादक और ब्रांड मालिक** सभी पर लागू हैं।
    - 30 सितंबर, 2021 से प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन कर दी गई थी। इसके बाद 31 दिसंबर, 2022 से इसकी न्यूनतम मोटाई को बढ़ाकर **120 माइक्रोन** कर दिया गया है।
    - कम उपयोगी और अधिक कचरा फ़ैलाने वाले कुछ सिंगल यूज प्लास्टिक (SUP) पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
    - इसके तहत **'विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR)[156]' प्रणाली** की शुरुआत की गई थी।

PWM नियम, 2024 के प्रमुख प्रावधानों पर एक नज़र

- **मूल्यांकन तंत्र:** नए नियमों के अनुसार, **डंप साइटों** में मौजूद प्लास्टिक कचरे/ अपशिष्ट के साथ-साथ **उत्पन्न प्लास्टिक कचरे का वार्षिक आकलन करने का कार्य स्थानीय निकायों** को करना होगा। इसके अलावा, स्थानीय निकाय अगले **पांच वर्षों की अवधि** में उत्पन्न होने वाले **प्लास्टिक कचरे की मात्रा** का भी अनुमान लगाएंगे।
    - इसके अतिरिक्त, 2024 के नियमों में यह प्रावधान किया गया है कि **कम्पोस्टेबल या बायोडिग्रेडेबल** प्लास्टिक से बनाई गई वस्तुओं के **विनिर्माता** को **CPCB को एक रिपोर्ट प्रस्तुत** करनी होगी। इस रिपोर्ट में बाजार में लाई गई वस्तुओं की मात्रा और उपभोक्ता तक पहुंचने से पहले उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट की **मात्रा का विवरण** होगा।
        - गौरतलब है कि **PAC ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की तरफ इशारा किया था** कि वर्तमान और भविष्य में उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक **कचरे के आकलन के लिए आवश्यक तंत्र की कमी** है।

---

156 Extended Producers Responsibility

157 Public Accounts Committee

158 Pollution caused by Plastic

159 Plastic Waste Management (Amendment) Rules

160 Environment (Protection) Act

- **पंजीकरण के लिए केंद्रीकृत पोर्टल:** इस नियम के तहत **एक ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल** का भी प्रावधान किया गया है। इस पोर्टल पर कम्पोस्टेबल प्लास्टिक या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के उत्पादकों, आयातकों, ब्रांड-मालिकों और विनिर्माताओं को अपना **पंजीकरण** करवाना होगा।
    - सभी प्रकार से **पूर्ण आवेदन की प्राप्ति के बाद तीस दिनों की अवधि के भीतर यदि पंजीकरण नहीं किया जाता होता है, तो ऐसे में आवेदक को ऐसी अवधि की समाप्ति पर इन नियमों के तहत पंजीकृत माना जाएगा।**
        - गौरतलब है कि **PAC ने बताया था कि** CPCB, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) आदि की लापरवाह रवैये के कारण **कुछ प्लास्टिक इकाइयां बिना किसी वैध पंजीकरण के काम कर रही हैं।**
- **एकल उपयोग वाले प्लास्टिक (SUP) का समापन:** 2024 के नियमों में यह प्रावधान किया गया है कि **स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में प्रतिबंधित SUP वस्तुओं** के भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को रोकने के लिए **आवश्यक उपाय करेंगे।** साथ ही, वे इस संबंध में एक वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे।
    - इससे पहले **PAC ने भी बताया था कि SUP पर प्रतिबंध लगाने में पहले से देरी** हुई है और कई राज्यों ने तो अभी भी इन पर प्रतिबंध भी नहीं लगाया है।
- **EPR के दायरे का विस्तार:** PAC की रिपोर्ट के अनुसार, **EPR के लिए एक समान फ्रेमवर्क की कमी है।** इसके चलते प्लास्टिक कचरे के संग्रहण और प्रसंस्करण से जुड़ी प्रणाली के विकास में बाधा आ रही है।
    - नए नियमों के अनुसार, अब बाजार में किसी भी तरह की **प्लास्टिक पैकेजिंग** की आपूर्ति करने वाले विनिर्माता, आयातक और ब्रांड मालिक को ऐसी **प्लास्टिक पैकेजिंग को वापस कलेक्ट करना होगा।**
        - इस प्रावधान में **कम्पोस्टेबल या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक** से बनी वस्तुओं के विनिर्माताओं और हितधारकों को भी शामिल किया गया है।
    - 2016 के नियमों में यह प्रावधान था कि प्लास्टिक पैकेजिंग से जुड़े हितधारक अपशिष्ट संग्रह के लिए विशिष्ट तौर-तरीकें अपना सकते हैं। **हालांकि, नए नियमों में इस प्रावधान को हटा दिया गया है।**
    - इसके अतिरिक्त, **अब स्थानीय निकायों को स्वयं द्वारा या अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर** प्लास्टिक कचरे के **पृथक्करण, संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण** और **निपटान** के लिए आवश्यक अवसंरचना स्थापित करने अथवा उसका विकास करने का दायित्व सौंपा गया है। हालांकि, स्थानीय निकाय ऐसी अवसंरचना का विकास **उत्पादक/ हितधारकों के साथ मिलकर नहीं** कर सकते हैं।
        - इसके अतिरिक्त, **कम्पोस्टेबल प्लास्टिक या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक** से बनी वस्तुओं के **विनिर्माता, उत्पादक, आयातक, ब्रांड मालिक** स्वैच्छिक आधार पर स्थानीय निकायों के साथ मिलकर ऐसी अवसंरचना के विकास में योगदान दे सकते हैं।
    - स्थानीय निकायों को **प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु मौजूदा अवसंरचना का आकलन करना होगा।** साथ ही, उन्हें इसकी वार्षिक रिपोर्ट SPCB और प्रदूषण नियंत्रण समिति (PCC)[161] को भी भेजनी होगी।
- **ऑनलाइन रिपोर्ट प्रस्तुत करना: PAC ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया था कि** प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में निर्णय लेने के लिए ULBs द्वारा MoEF&CC[162] को भेजा गया **डेटा अपूर्ण और अमान्य** था।
    - नए नियमों में निम्नलिखित द्वारा SPCB और PCC को ऑनलाइन रिपोर्ट भेजना अनिवार्य किया गया है:
        - **विनिर्माता और आयातक** को तिमाही आधार पर रिपोर्ट भेजनी होगी।
        - **प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण या प्रसंस्करण में शामिल विनिर्माता/ उत्पादक** को वार्षिक आधार पर रिपोर्ट भेजनी होगी।
        - **प्लास्टिक के कच्चे माल** या प्लास्टिक पैकेजिंग के विनिर्माण के लिए **इंटरमीडिएट मटेरियल की बिक्री में शामिल विनिर्माता/ उत्पादक** को वार्षिक आधार पर रिपोर्ट भेजनी होगी।
- **निगरानी:** PWM से जुड़े नियमों की प्रभावी निगरानी के साथ-साथ जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया गया है। इसके लिए PWM, 2024 के अंतर्गत **एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया है।**

---

[161] Pollution Control Committee

[162] Ministry of Environment, Forest and Climate Change/ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

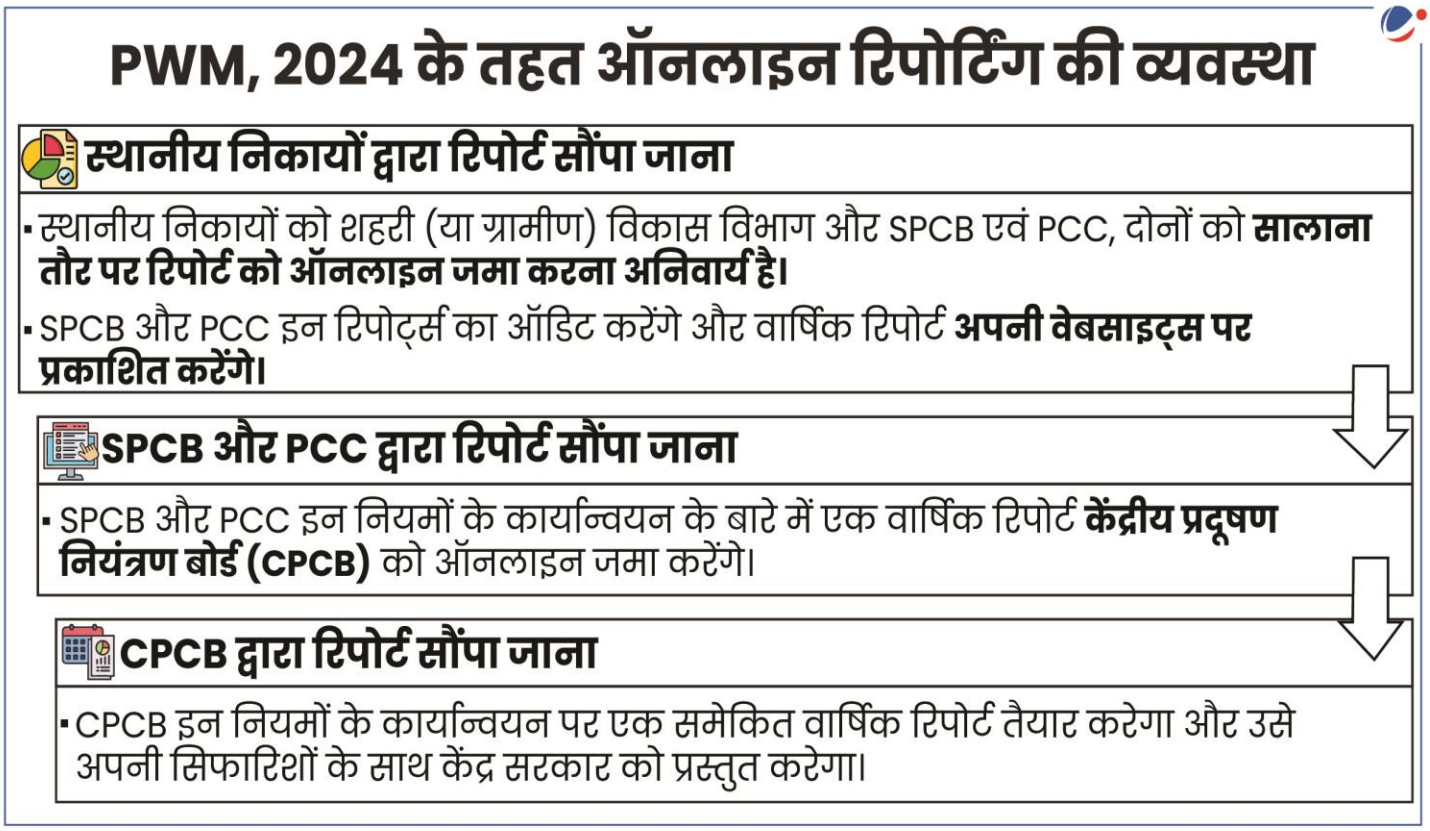

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के बेहतर कार्यान्वयन में सहायक PWM नियम, 2024 के अन्य प्रावधान

- **हितधारकों की परिभाषाओं में बदलाव: आयातक** का आशय उस व्यक्ति या कंपनी से है जो **व्यावसायिक उपयोग के लिए आयात करता है।**
    - **विक्रेता** का तात्पर्य उस व्यक्ति (विनिर्माता/ उत्पादक) से है जो प्लास्टिक के कच्चे माल जैसे कि रेजिन या दानों या प्लास्टिक पैकेजिंग के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली मध्यवर्ती/इंटरमीडिएट सामग्री बेचता है।
    - **उत्पादक** में मध्यवर्ती सामग्री के विनिर्माता के साथ-साथ अनुबंध आधारित विनिर्माता भी शामिल हैं।
    - **विनिर्माता** की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें **कम्पोस्टेबल और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के विनिर्माताओं** को भी शामिल किया गया है।

- **बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की सटीक परिभाषा:** मिट्टी, लैंडफिल, सीवेज के कीचड़, ताजे पानी, समुद्री जल आदि में जैविक प्रक्रियाओं द्वारा पूरी तरह से नष्ट हो जाने वाले प्लास्टिक को **बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक** कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कोई **सूक्ष्म प्लास्टिक या अन्य विषाक्त अवशेष नहीं बचता है।**
    - गौरतलब है कि इसमें **कम्पोस्टेबल प्लास्टिक शामिल नहीं है।**
- **FSSAI[163] से प्रमाण-पत्र:** PWM नियम, 2024 में **कम्पोस्टेबल या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक (या वस्तुओं) के विनिर्माताओं** के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे खाद्य पैकेजिंग[164] में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के लिए CPCB के अलावा **FSSAI** से भी प्रमाण-पत्र प्राप्त करें।

[163] Food Safety and Standards Authority of India/ भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

[164] Food contact applications

- **अलग-अलग प्रकार के प्लास्टिक पर लेबल के लिए सटीक दिशा-निर्देश:**
  - **रीसाइकल्ड प्लास्टिक उत्पाद के लिए: 'रीसाइकल्ड'** के लेबल में **रीसाइकल्ड प्लास्टिक की मात्रा को दर्शाया जाएगा।**
  - **कम्पोस्टेबल:** कम्पोस्टेबल प्लास्टिक के उत्पाद पर **'केवल औद्योगिक कम्पोस्टिंग के तहत कम्पोस्टेबल[165]'** लेबल लगा होगा।
  - **बायोडिग्रेडेबल:** बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से बने उत्पाद पर **'बायोडिग्रेडेबल'** का लेबल होगा। इसमें यह उल्लेख होगा कि उत्पाद का **कितने दिनों में और किन दशाओं** (मिट्टी, लैंडफिल, पानी आदि) में बायोडिग्रेडेशन हो सकता है।

निष्कर्ष

इसमें कोई शक नहीं है कि नए नियम भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट की समस्या का समाधान करने की दिशा में एक स्वागत योग्य कदम हैं। अब हमें यह ध्यान देना चाहिए कि इन नियमों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए प्रयास किए जाएं, जिससे भारत के लिए संधारणीय भविष्य सुनिश्चित हो सके।

5.2. बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024 {Battery Waste Management (Amendment) Rules, 2024}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने **बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022** में **संशोधन** किया है।

बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन की आवश्यकता क्यों?

- **बैटरी का बढ़ता उपयोग: इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन (EV), नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों** आदि के उपयोग में काफी वृद्धि हुई है। इसके चलते बैटरी की मांग में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। अतः बैटरी के बढ़ते उपयोग के कारण बैटरी अपशिष्ट की मात्रा में भी वृद्धि हो रही है।
  - उदाहरण के लिए- 2021 में, वैश्विक स्तर पर बैटरियों की वार्षिक मांग लगभग **933 GWh** थी। एक अनुमान के अनुसार **2030 तक** बैटरियों की मांग बढ़कर **5,100 GWh** हो जाएगी।
- **पुनर्चक्रण की अनौपचारिक प्रणालियां:** वर्तमान में, **लेड**

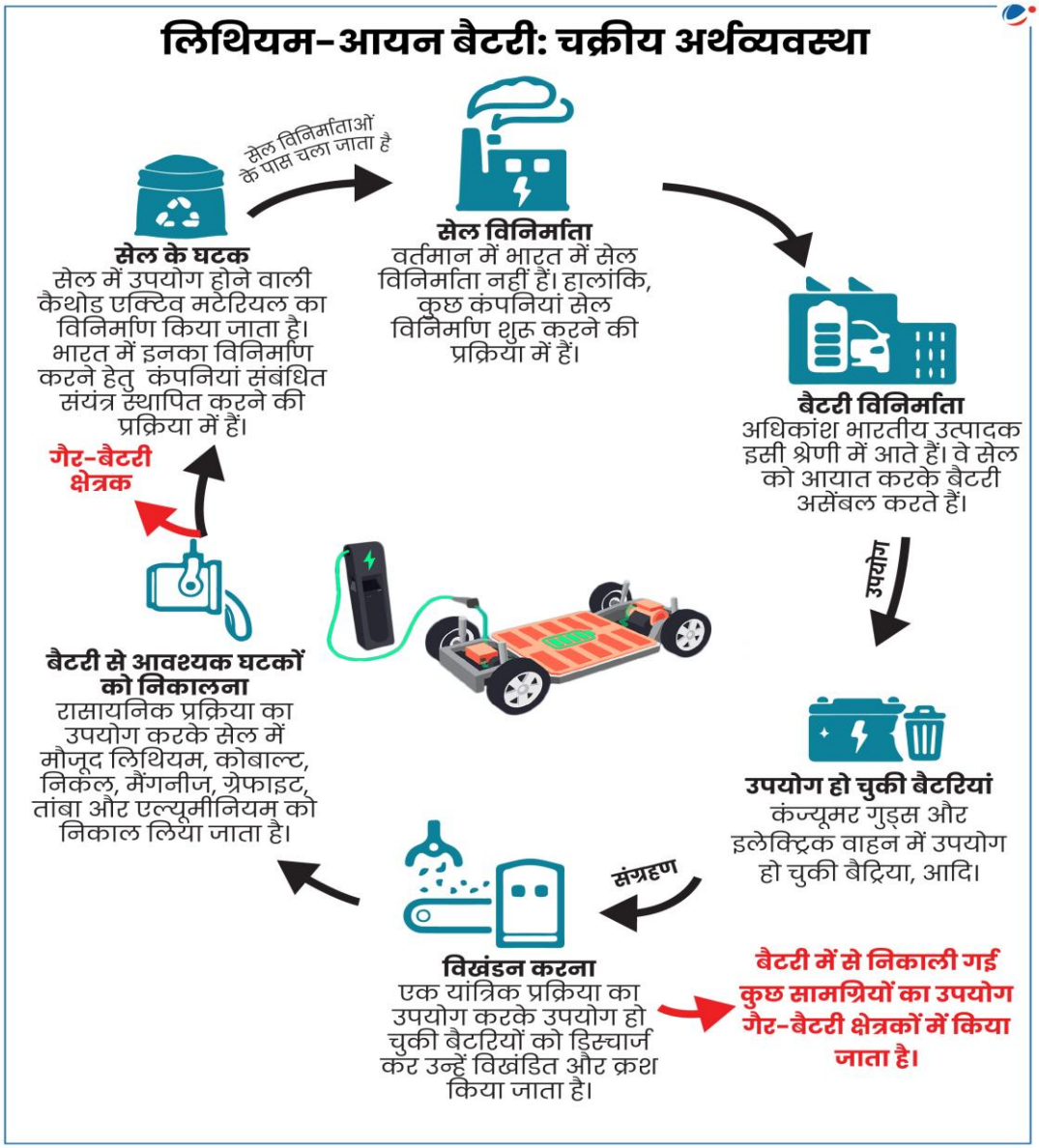

[165] Compostable only under industrial composting

एसिड बैटरियों के लगभग 90% से अधिक भाग का पुनर्चक्रण अनौपचारिक तरीके से किया जा रहा है, जिसके चलते **सीसा (लेड) जनित प्रदूषण** होता है।
    - सामान्यतया अनौपचारिक तरीके से पुनर्चक्रण करने वाले तय पर्यावरणीय मानकों और नियमों का पालन नहीं करते हैं।
- **पर्यावरण संरक्षण:** बैटरियों में **सीसा, कैडमियम, पारा** और **लिथियम** जैसे विषाक्त पदार्थ होते हैं। इसलिए यदि इनका निपटान अनुचित तरीके से किया जाता है तो ये मिट्टी और जल स्रोतों में पहुंचकर उन्हें प्रदूषित कर सकते हैं।
- **चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा:** बैटरियों के पुनर्चक्रण और उनका पुन: उपयोग करने से बैटरी से जुड़ी उपयोगी सामग्री की आपूर्ति बनी रहेगी और एनवायरमेंट फुटप्रिंट को भी कम किया जा सकेगा। इससे संधारणीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
- **मानव स्वास्थ्य:** बैटरियों के अनुचित रख-रखाव और निपटान से कई बार व्यक्ति उनमें शामिल रसायनों के संपर्क में आ जाता है, जिससे कई खतरनाक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसके चलते मनुष्य न्यूरोलॉजिकल, श्वसन संबंधी, किडनी, जनन क्षमता संबंधी आदि समस्याओं से ग्रस्त हो सकता है।

आइए अब भारत में बैटरी अपशिष्ट से निपटने हेतु मौजूदा व्यवस्था के बारे में जानते हैं

- अपशिष्ट बैटरियों का पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए MoEF&CC ने **बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022** को जारी किया था। गौरतलब है कि MoEF&CC ने ये नियम **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के तहत जारी किए थे।
    - इन नियमों ने **बैटरी (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2001** का स्थान ले लिया।
    - इन नियमों को पहले 2023 में और अभी हाल ही में 2024 में संशोधित किया गया है।
- **बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के प्रमुख प्रावधानों पर एक नज़र:**
    - **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR):** इसके तहत बैटरियों के उत्पादनकर्ताओं (आयातकों सहित) को अपशिष्ट बैटरियों के संग्रहण, पुनर्चक्रण/ नवीनीकरण और बैटरी अपशिष्ट से प्राप्त सामग्रियों का उपयोग नई बैटरियों के विनिर्माण में करने के उत्तरदायित्व को शामिल किया गया है।
    - **केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल:** इस पोर्टल के जरिए उत्पादकों और पुनर्चक्रणकर्ता/ नवीनीकरण करने वालों (Recyclers/ Refurbishes) के बीच EPR प्रमाण-पत्रों का आदान-प्रदान किया जाता है।
    - **रिकवरी को अनिवार्य करना:** इन नियमों के तहत अपशिष्ट बैटरियों से निश्चित मात्रा में उपयोगी सामग्री को रिकवर करना अनिवार्य किया गया है।
    - **प्रदूषक द्वारा भुगतान का सिद्धांत[166]:** EPR के लक्ष्यों को पूरा न करने की स्थिति में पर्यावरणीय मुआवजे का प्रावधान किया गया है।
        - मुआवजा के जरिए जुटाए गए धन का उपयोग अपशिष्ट बैटरियों के संग्रहण या संग्रहित और पुनर्चक्रित नहीं की गई अपशिष्ट बैटरियों के नवीनीकरण में किया जाएगा।

नए नियमों द्वारा किए गए कुछ प्रमुख बदलावों पर एक नज़र

विवरण	बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022	बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2024
अपशिष्ट बैटरी के लिए प्रमाण-पत्र का प्रावधान	• 2022 के नियमों के अनुसार, CPCB द्वारा **केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल** के जरिए **EPR प्रमाण-पत्र** पुनर्चक्रणकर्ता/ नवीनीकरण करने वालों को प्रदान किया जाता है। ये प्रमाण-पत्र पुनर्चक्रित या नवीनीकृत की गई मात्रा के आधार पर तैयार किए जाते हैं। ○ पुनर्चक्रणकर्ता/ नवीनीकरण करने वाले अपशिष्ट बैटरियों के बदले में **उत्पादकों को EPR प्रमाण-पत्र बेच सकते हैं।**	• **CPCB** द्वारा **EPR प्रमाण-पत्र** की खरीद-बिक्री हेतु अधिकतम और न्यूनतम मूल्य का निर्धारण किया जाएगा। ○ यह राशि **EPR के तहत निर्धारित दायित्वों** को पूरा न करने वाली **संस्थाओं** पर लगाए जाने वाले पर्यावरणीय मुआवजे के क्रमशः **100%** और **30%** के बराबर होगी। • पोर्टल के माध्यम से **पंजीकृत संस्थाओं** के बीच **EPR प्रमाण-पत्र** की खरीद-बिक्री का मूल्य अधिकतम और न्यूनतम मूल्य के बीच ही होना चाहिए।

[166] Polluter Pays Principle

उल्लंघन होने की स्थिति में उचित कार्रवाई और पर्यावरणीय मुआवजे का प्रावधान	• **CPCB** द्वारा एक **कार्यान्वयन समिति**[167] का गठन किया गया है। यह समिति इन नियमों के तहत अपशिष्ट बैटरियों के नवीनीकरण और पुनर्चक्रण करने वालों को अपने निर्धारित दायित्वों को पूरा न करने के संबंध में उन पर **पर्यावरणीय मुआवजा** लगाने और उसे वसूलने के लिए **दिशा-निर्देश** तैयार करती है। • समिति के द्वारा सुझाए गए दिशा-निर्देशों को **MoEF&CC** को सौंप दिया जाता है।	• अब, **CPCB इन दिशा-निर्देशों** को तैयार करेगा और उनकी सिफारिश करेगा। ○ इन दिशा-निर्देशों को तैयार करने के लिए **CPCB** चाहे तो **कार्यान्वयन समिति** के साथ परामर्श कर सकता है। • सुझाए गए दिशा-निर्देश **MoEF&CC** को सौंपे जाएंगे।

आगे की राह

- **नीतिगत समर्थन:** इस संबंध में नीति आयोग द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं:
  - इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट से पृथक किए गए **लिथियम आयन बैटरियों के निपटान के लिए अलग से लाइसेंस** प्रदान किया जाना चाहिए ताकि रीसाइक्लिंग गतिविधियों से जुड़ने के लिए न्यूनतम इलेक्ट्रॉनिक कचरा जुटाने की आवश्यकता को खत्म किया जा सके।
  - **लैंडफिल में बैटरियों के निपटान** को **गैर-कानूनी** बनाया जाना चाहिए।
- **विनिर्माताओं को प्रोत्साहन:** पुनर्चक्रण से संबंधित नियमों (जैसे- ग्रीन टैक्स) के पालन के लिए **बैटरियों के विनिर्माताओं को प्रोत्साहन** दिया जाना चाहिए। इससे **विस्तारित विनिर्माता उत्तरदायित्व (EPR)** को लागू करने में आसानी होगी।
- **ग्राहकों को प्रोत्साहित करना:** डिपॉजिट रिफंड सिस्टम (DRS) लागू करना ग्राहकों को रीसाइक्लिंग के लिए बैटरी वापस करने के लिए प्रोत्साहित करने की एक प्रभावी रणनीति है।
- **संग्रहण प्रणाली में सुधार:** बैटरी अपशिष्ट के **संग्रहण और पुनर्चक्रण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक समर्पित एजेंसी** स्थापित करनी चाहिए।
- **अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्त-पोषण:** बैटरी अपशिष्ट से अधिक-से-अधिक उपयोगी सामग्री निकालने के आर्थिक रूप से सार्थक तरीकों का विकास करने हेतु अनुसंधान संगठनों को वित्त-पोषित किया जा सकता है।

5.3. ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (Green Credit Program)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने **ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP), 2023** के नियमों के तहत **"वृक्षारोपण गतिविधि के लिए ग्रीन क्रेडिट की गणना"** हेतु पद्धतियों को अधिसूचित किया है।

ग्रीन क्रेडिट (GC) के बारे में

- ग्रीन क्रेडिट **पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव** डालने वाली निर्धारित गतिविधियों के लिए प्रदान किए गए प्रोत्साहन की एक यूनिट को कहा जाता है।
- जैसे **कार्बन क्रेडिट का कारोबार किया जाता** वैसे ही ग्रीन क्रेडिट का कारोबार निर्धारित **एक्सचेंज पर किया जा सकता है।**

ग्रीन क्रेडिट नियमों के बारे में

- सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वन विभागों को **हरित आवरण को बढ़ाने के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत मौजूद निम्नीकृत/ परती भूखंडों की पहचान करना अनिवार्य** है।
- वृक्षारोपण के लिए पहचाने गए भूखंड **विवादों से मुक्त होने चाहिए** और **इनका क्षेत्रफल कम-से-कम 5 हेक्टेयर होना चाहिए।**
- भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद **(ICFRE)**[168] ने **वन विभागों को दो साल के भीतर वृक्षारोपण करने का निर्देश दिया है।**
- **ग्रीन क्रेडिट (GC) ICFRE द्वारा जारी किए जाते हैं।** इसके तहत स्थानीय वृक्ष-जलवायु (Silvi-climatic) और मिट्टी की स्थिति के आधार पर वृक्षारोपण के जरिए उगाए गए प्रति हेक्टेयर कम-से-कम 1,100 वृक्षों के होने पर प्रति वृक्ष के लिए एक ग्रीन क्रेडिट दिया जाता है।

[167] Committee for Implementation

[168] Indian Council of Forestry Research and Education

ग्रीन क्रेडिट	कार्बन क्रेडिट
• यह **ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP)** के तहत **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के अंतर्गत संचालित किया जाता है।	• यह **ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001** के तहत स्थापित कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) द्वारा संचालित होता है।
• यह **व्यक्तियों एवं समुदायों** को लाभ प्रदान करता है।	• इससे मुख्य रूप से **उद्योगों एवं कार्पोरेशन** को लाभ होता है।
ग्रीन क्रेडिट से जुड़ी हुई गतिविधियों को कार्बन क्रेडिट के लिए पात्र माना जा सकता है, क्योंकि इनसे भी कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है। किंतु कार्बन क्रेडिट से जुड़ी सभी गतिविधियों को ग्रीन क्रेडिट के लिए पात्र नहीं माना जा सकता है।	

ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) के बारे में

- यह **अलग-अलग हितधारकों द्वारा पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाले कार्यों को करने हेतु प्रोत्साहित करने वाला बाजार-आधारित एक अभिनव तंत्र** है। इन हितधारकों में उद्योग/ प्रतिष्ठान, राज्य सरकारें एवं अलग-अलग परोपकारी संस्थाएं शामिल हैं।
  - GCP में भागीदारी, **स्वैच्छिक भागीदारी पर आधारित** होगी।
- **उद्देश्य:**
  - यह **'LiFE - लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट' पहल** के अनुरूप है। इसका उद्देश्य **जमीनी स्तर पर प्रकृति से जुड़ाव** एवं व्यवहारिक बदलावों के माध्यम से **संधारणीय जीवन शैली, पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण-अनुकूल विकास** को बढ़ावा देना है।
  - **उद्योगों, कंपनियों एवं अन्य संस्थाओं** को उनके मौजूदा पर्यावरणीय दायित्वों या अन्य दायित्वों (स्वैच्छिक) को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- **स्थापना: इसे "पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986"** के अंतर्गत स्थापित किया गया है, जिसमें **MoEF&CC एक नोडल एजेंसी** के रूप में कार्य करेगी।
- **प्रशासनिक संरचना:**
  - GCP का प्रशासनिक ढांचा, अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति[169] पर आधारित है।
  - **ICFRE, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के प्रशासक** के रूप में कार्य करेगी। ICFRE को इस प्रोग्राम के **कार्यान्वयन, प्रबंधन, निगरानी और परिचालन** की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।
  - GCP ने **परियोजना के पंजीकरण, सत्यापन और ग्रीन क्रेडिट जारी करने** की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उपयोगकर्ता-अनुकूल डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म भी स्थापित किया है।

5.4. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UN Environment Assembly: UNEA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केन्या के नैरोबी स्थित UNEP[170] मुख्यालय में **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा** का **छठा सत्र (UNEA-6)** संपन्न हुआ।

[169] Inter-ministerial Steering Committee

[170] United Nations Environment Programme/ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम

अन्य संबंधित तथ्य

- **थीम:** "जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण से निपटने के लिए प्रभावी, समावेशी एवं संधारणीय बहुपक्षीय कार्रवाई (Effective, inclusive and sustainable multilateral actions to tackle climate change, biodiversity loss and pollution)
- **UNEA-7** का आयोजन **दिसंबर, 2025** में **नैरोबी** में निर्धारित है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) के बारे में

- इसका **गठन 2012** में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन[171] के दौरान किया गया था।
- **भूमिकाएं एवं कार्य:**
  - UNEP की संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा **पर्यावरण से जुड़े मामलों पर निर्णय लेने वाली विश्व का शीर्ष निकाय** है।
  - इसके मुख्य कार्य हैं- वैश्विक पर्यावरण एजेंडा निर्धारित करना, दुनिया में उभरती हुई पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान हेतु व्यापक नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करना, और नीतिगत कार्रवाइयां निर्धारित करना।
- **संगठनात्मक संरचना (UNEA ब्यूरो):** इसमें 1 अध्यक्ष और 8 उपाध्यक्ष शामिल होते हैं। इसके अलावा, सदस्य देशों की ओर से एक प्रतिवेदक (Rapporteur) की भी नियुक्ति की जाती है।
- **सदस्यता:** इसमें **संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य** शामिल हैं।

UNEA-6 के प्रमुख आउटकम्स

- UNEA-6 में एक **मंत्रिस्तरीय घोषणा-पत्र** को अपनाया गया। इसके द्वारा **जलवायु परिवर्तन, प्रकृति और जैव विविधता हानि, प्रदूषण एवं अपशिष्ट के 'ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस (तिहरे ग्रहीय संकट)'** से निपटने की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की गई है।
- प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए समर्पित **पहला बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता दिवस (28 फरवरी, 2024)** मनाया गया।
- रेत और धूल भरी आंधियों से निपटने, रसायनों एवं अपशिष्ट के प्रबंधन, वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सहयोग, संधारणीय जीवन शैली को बढ़ावा देने, आदि पर मसौदा प्रस्ताव पारित किए गए हैं।

शब्दावली को जानें

- **ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस** से तात्पर्य **मानव के अस्तित्व के लिए खतरा** पैदा करने वाले **आपस में जुड़े तीन समस्याओं या मुद्दों,** यथा- **जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण** और **जैव विविधता की हानि** से है।

UNEA 6 में जारी की गई रिपोर्ट तथा घोषित किए गए पुरस्कार

जारी की गई रिपोर्ट	विवरण
ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक 2024	• रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि वैश्विक खपत को कम करने के लिए **ठोस कार्रवाई न करने पर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन 2020 के स्तर से 60% तक बढ़ सकता** है। • प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से **जलवायु को नुकसान** होगा तथा **जैव विविधता और मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम में वृद्धि** होगी।
ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024	• अनुमान है कि **नगरपालिका ठोस अपशिष्ट की मात्रा** 2023 के 2.3 बिलियन टन से बढ़कर 2050 तक 3.8 बिलियन टन तक हो सकती है। • **अपशिष्ट प्रबंधन की प्रत्यक्ष लागत** 2020 के लगभग 252 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2050 तक लगभग दोगुनी हो जाएगी।

[171] United Nations Conference on Sustainable Development

यूज्ड हेवी-ड्यूटी व्हीकल एंड एनवायरनमेंट रिपोर्ट	• इसमें **भारी वाहनों द्वारा प्रदूषकों के उत्सर्जन में वृद्धि** और जलवायु और स्वास्थ्य पर उनके नकारात्मक प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है।

यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड

- इसे **2017 में शुरू किया** गया था। यह UNEP की **युवा सहभागिता आधारित एक प्रमुख पहल** है।
- इसके लिए दुनिया के हर हिस्से से **युवाओं (आयु 18-30 वर्ष के बीच) को चुना जाता है** और उन्हें UNEP यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया जाता है।

5.5. इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (International Big Cat Alliance: IBCA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA)** की स्थापना को मंजूरी दी है। इसका मुख्यालय **भारत** में होगा।

अन्य संबंधित तथ्य

- केंद्र सरकार इसके लिए 2023-24 से 2027-28 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपये की **प्रारंभिक बजटीय सहायता** प्रदान करेगी।

इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) के बारे में

- यह एक **बहु-देशीय और बहु-एजेंसी गठबंधन** है।
- इसमें **बिग कैट के रेंज वाले 96 देश, संरक्षण भागीदार, वैज्ञानिक संगठन** और **व्यापारिक समूह** शामिल हैं।
- इसका **उद्देश्य 7 बिग कैट्स अर्थात् शेर, बाघ, हिम तेंदुआ, तेंदुआ, चीता, जगुआर** और **प्यूमा** का संरक्षण करना है।
- इसमें समग्र और समावेशी संरक्षण परिणाम प्राप्त करने के लिए **जैव विविधता नीतियों को सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के साथ एकीकृत** किया गया है।

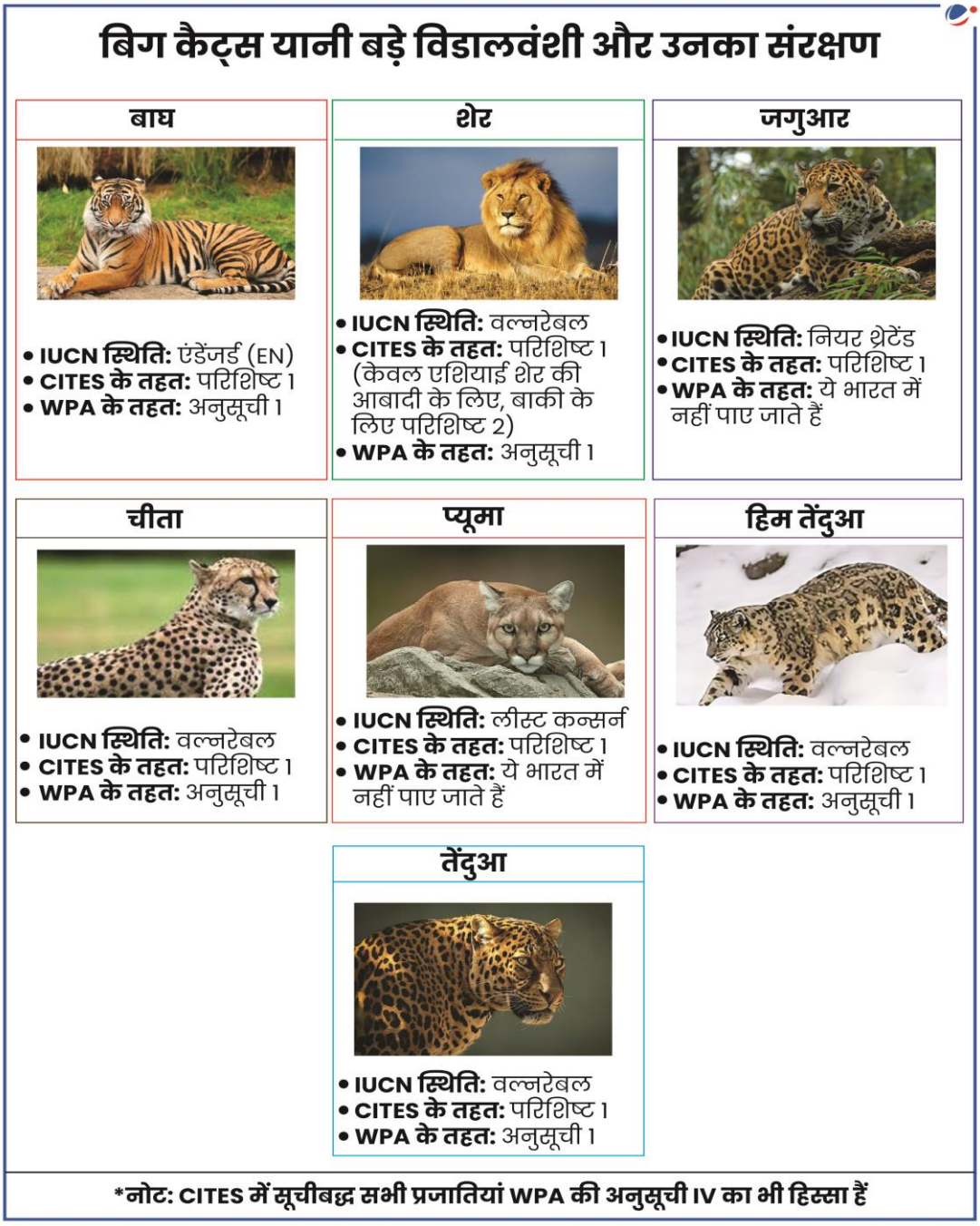

- **संक्षिप्त पृष्ठभूमि:**
  - **2019 में,** भारत के प्रधान मंत्री ने **बिग कैट के संरक्षण में भारत के नेतृत्व पर प्रकाश डालते हुए ग्लोबल लीडर्स के एक गठबंधन का प्रस्ताव रखा था।**
  - **2023 में,** प्रोजेक्ट टाइगर की **50वीं वर्षगांठ के अवसर पर IBCA को आधिकारिक तौर पर आरंभ किया** गया।
- **सदस्यता:**
  - भारत के नेतृत्व वाले IBCA में **ब्राजील, नेपाल, बांग्लादेश और मलेशिया सहित 16 देश** आधिकारिक तौर पर शामिल हो गए हैं।
  - इसके अतिरिक्त, **इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN)** और **वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड (WWF) इंटरनेशनल** सहित **नौ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों** ने IBCA में शामिल होने के लिए सहमति दे दी है।
- यह फ्रेमवर्क **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के ढांचे पर आधारित** है।

5.6. गंगा नदी डॉल्फिन (Ganga River Dolphin)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पटना (बिहार) में भारत के पहले **राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र (NDRC)**[172] का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य एंडेंजर्ड गंगा नदी डॉल्फिन का संरक्षण करना है।

राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र (NDRC) के बारे में

- यह केंद्र **वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं द्वारा डॉल्फिन प्रजातियों के संबंध में किए जाने वाले गहन अध्ययन** को सुविधाजनक बनाएगा।
- इसके अतिरिक्त, यह केंद्र डॉल्फिन संरक्षण के प्रभावी तरीकों पर मछुआरों को प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा।

गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में

- **प्रमुख विशेषताएं:**
  - **गंगा नदी डॉल्फिन *(Platanista gangetica)* भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानिक प्रजाति है।** इसे आमतौर पर **'सूंस'** के नाम से जाना जाता है।
    - इसे **"टाइगर ऑफ़ द गंगा"** भी कहा जाता है।
  - **शारीरिक विशेषताएं:** लंबा पतला थूथन, गोल पेट, मजबूत शरीर और बड़े-बड़े फ्लिपर्स।
  - इसके **सिर के ऊपर ब्लोहोल के समान एक लंबा चीरा (Slit)** होता है, जो नाक का काम करता है।
  - **मादा डॉल्फ़िन आमतौर पर नर से बड़ी होती है** और हर दो से तीन साल में एक बच्चे को जन्म देती है।
  - जन्म के समय बच्चों की त्वचा चॉकलेटी भूरी होती है, जबकि वयस्कों की त्वचा भूरे रंग की, चिकनी और बाल रहित होती है।
- **अन्य विशेषताएं:**
  - गंगा नदी डॉल्फ़िन केवल **मीठे जल में पाई जाती हैं** और शिकार करने तथा नेविगेट करने के लिए **अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग** करती है।
  - इनका तैरने का अनोखा तरीका **भोजन खोजने में सहायता करता** है। **सांस लेने के लिए सतह पर आते समय** वे **'सूंस' ध्वनि उत्सर्जित** करती हैं।

[172] National Dolphin Research Centre

- **प्रमुख खतरे:**
  - **न चाहते हुए भी शिकार, मछली पकड़ने के जाल में फंसने से अत्यधिक दोहन, डॉल्फिन के तेल के लिए अवैध शिकार, आदि।**
  - जल परियोजनाओं से **आवास का ह्रास, प्रदूषण और बांधों कारण आबादी का अलग-थलग हो जाना।**
- **डॉल्फिन संरक्षण के लिए शुरू की गई पहलें:**
  - **विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य, बिहार:** यह भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य है।
  - **प्रोजेक्ट डॉल्फिन:** इसे प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर शुरू किया गया है। यह **गंगा नदी डॉल्फिन के लिए विशेष संरक्षण उपायों पर केंद्रित है, क्योंकि ये अम्ब्रेला प्रजातियां हैं।**
    - इस परियोजना का उद्देश्य **समुद्री और नदी डॉल्फिन के साथ-साथ संबंधित सिटासियन (Cetaceans) का भी संरक्षण** करना है।
    - इसे **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** द्वारा वित्त-पोषित किया जा रहा है।
  - **राष्ट्रीय जलीय जीव[173]:** इसे 5 अक्टूबर, 2009 को **राष्ट्रीय जलीय जीव** घोषित किया गया था, जिसे अब **राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन दिवस** के रूप में मनाया जाता है।

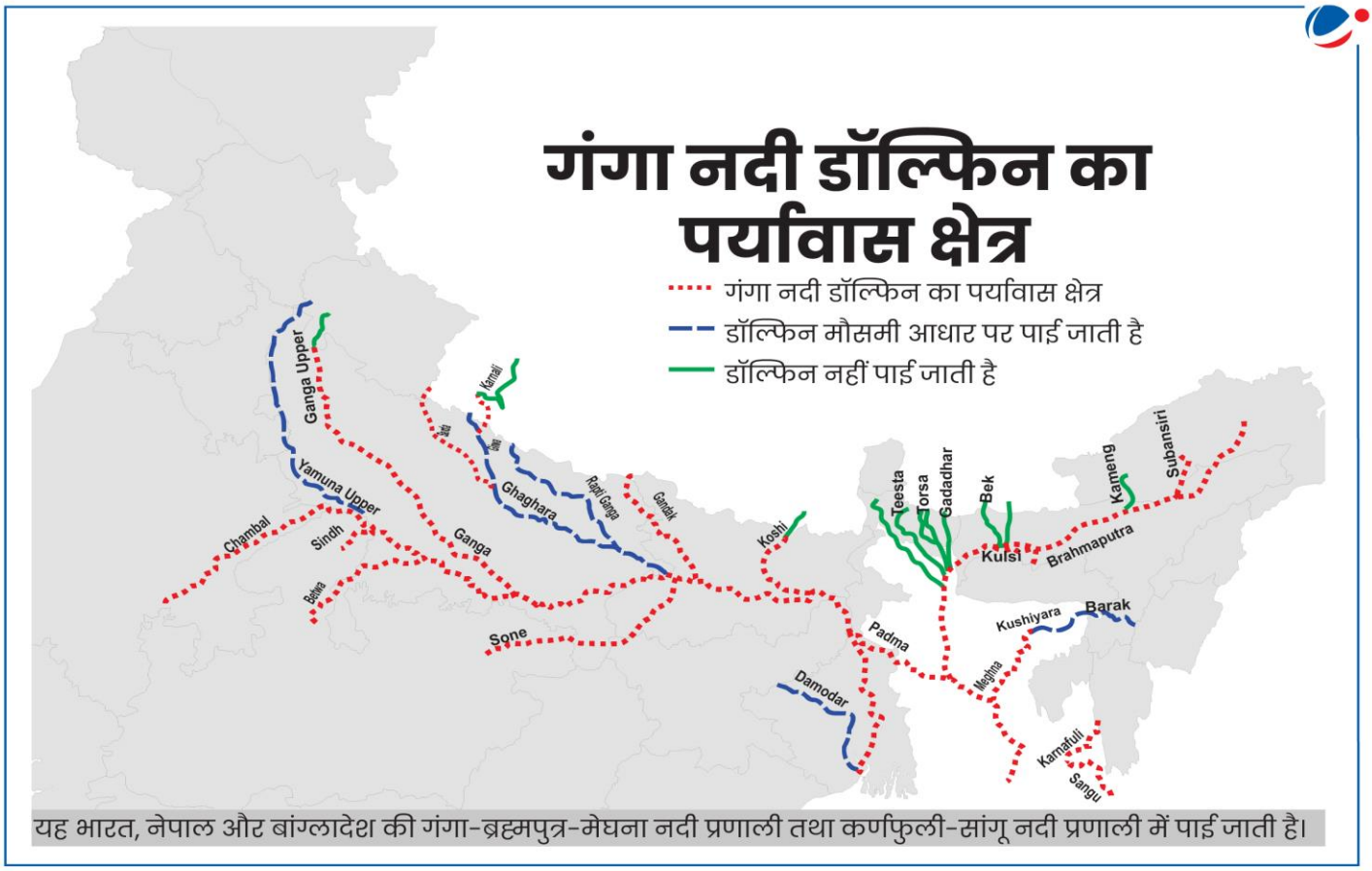

5.7. शून्य बजट प्राकृतिक कृषि (Zero Budget Natural Farming: ZBNF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, एक शोध पत्र में पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती अपनाने को लेकर चेतावनी दी गई है। यह शोध पत्र **राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)** और **अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए भारतीय परिषद** (ICRIER)[174] द्वारा जारी किया गया है।

[173] National Aquatic Animal

[174] Indian Council for Research on International Economic Relations

अन्य संबंधित तथ्य

- यह शोध **ICRIER की कृषि परियोजना के हिस्से के रूप में** किया गया था और इसके लिए **नाबार्ड द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।**
- इस शोध पत्र में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि को **राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने से पहले इस पद्धति की दीर्घकालिक परीक्षण करने की सिफारिश** की गई है।

शून्य बजट प्राकृतिक कृषि (ZBNF) के बारे में

- खेती या कृषि की इस पद्धति को भारत में **सुभाष पालेकर** द्वारा तैयार किया गया है। यह **बीजामृत, जीवामृत, आच्छादन (मल्चिंग) और वाफ़ासा** नामक चार आवश्यक तत्वों पर आधारित है (इन्फोग्राफिक देखें)।
  - **शून्य बजट प्राकृतिक खेती** का प्रयोग सबसे पहले एक जापानी किसान और दार्शनिक **मसानोबु फुकुओका** ने किया था।
- **ZBNF में शामिल अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं-**
  - **इंटरक्रॉपिंग:** एक ही खेत में एक साथ एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री फसलों को उगाना।
  - **खेतों के बीच में कतारें एवं मेढ़ बनना:** वर्षा के जल को संचयित करने के लिए।
  - **केंचुओं की स्थानीय प्रजातियों को बढ़ावा**: खेतों में जैविक पदार्थों की मात्रा बढाकर **मृदा में केंचुओं की स्थानीय स्थानीय प्रजातियों को बहाल करना।**
  - **देशी गाय (बोस-इंडिकस) के गोबर का उपयोग करना:** इसमें सूक्ष्म जीवों की सर्वाधिक संख्या होती है।
- **प्राकृतिक कृषि की पद्धति को अपनाना जिसमें:**
  - **रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता है,** और
  - बाह्य इनपुट खरीदने के लिए कोई धन भी खर्च नहीं किया जाता है।
- इसका नाम बदलकर **भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP)** कर दिया गया है। इसे परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) के तहत एक उप-योजना के रूप में अपनाया गया है। इसका उद्देश्य जैविक खेती और मृदा के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है।
  - **BPKP** एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो छह साल (2019-25) की अवधि के लिए शुरू की गई है।
    - इसका लक्ष्य देश के 600 प्रमुख ब्लॉकों में **ZBNF के तहत 12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करना है।**
    - इसके तहत क्लस्टर निर्माण और क्षमता निर्माण हेतु **3 वर्षों के लिए 12,200 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।**

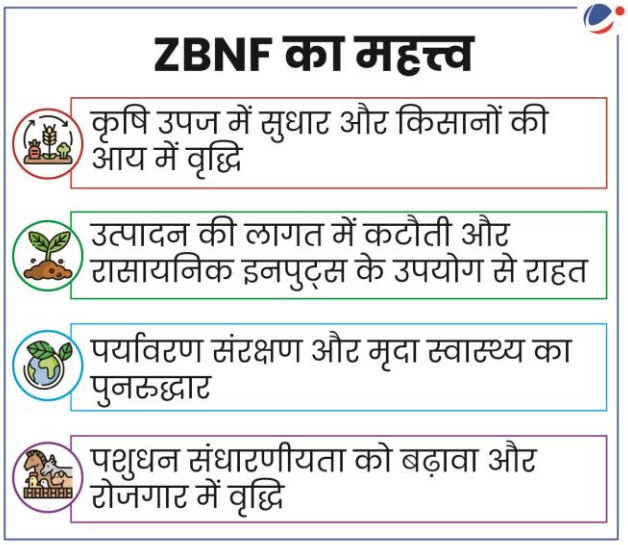

- **भारत में ZBNF की स्थिति:**
  - वर्तमान में **11 राज्यों** में **6.5 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल पर** ZBNF पद्धति के तहत खेती की जा रही है।
  - **आंध्र प्रदेश में 1 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर ZBNF पद्धति के तहत खेती की जा रही है।** साथ ही, आंध्र प्रदेश ने 2027 तक अपने कुल कृषि भूमि क्षेत्र (लगभग 80 लाख हेक्टेयर) को ZBNF के तहत लाने का लक्ष्य रखा है।

ZBNF से संबंधित मुद्दे

- **यह एक श्रम गहन कृषि पद्धति है।** इसके तहत कृषि भूमि एवं पशुधन के रख-रखाव में **अधिक श्रम की आवश्यकता** होती है।

- **इसके तहत शून्य लागत इनपुट की अवधारणा को लेकर भी विवाद होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बिना इनपुट लागत के फसलों का उत्पादन करना लगभग असंभव सा लगता है।** इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि वर्षा जल संग्रहण और परिवार के लोगों द्वारा श्रम जैसे नि:शुल्क लगने वाले इनपुट की भी अप्रत्यक्ष लागत तो होती ही है।
- इसमें **फसल की पैदावार की मात्रा में उतार-चढाव** एक सामान्य घटना बन जाएगी, क्योंकि किसी फसली मौसम के दौरान किसी प्राकृतिक कारणों के चलते पैदावार की मात्रा प्रभावित हो सकती है।
- इस प्रकार की खेती के लिए **देशी नस्ल की गाय** को पालना आवश्यक हो जाता है। देशी नस्ल की गाय तुलनात्मक रूप से कम दूध देती है और उनके रख-रखाव की लागत भी अधिक है, जो किसानों के लिए अलाभकारी हो सकता है।
- इस दावे को प्रमाणित करने के लिए **कोई निष्पक्ष अध्ययन नहीं है** कि ZBNF के तहत आने वाले खेतों से गैर-ZBNF खेतों की तुलना में अधिक पैदावार होती है।

निष्कर्ष

अलग-अलग क्षेत्रों और पारिस्थितिक तंत्रों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि की प्रभावकारिता एवं दक्षता का पता लगाने के लिए **देश भर में वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहिए।** साथ ही, विभिन्न सरकारी और सहकारी पहलों के माध्यम से **देशी गाय की नस्लों (जैसे- पुंगनूर गाय, लाल सिंधी आदि) को भी बढ़ावा दिया जा सकता है,** जिससे उनकी संख्या में वृद्धि हो सकती है।

प्राकृतिक कृषि, जैविक कृषि और रासायनिक कृषि के बीच तुलना		
प्राकृतिक कृषि (Natural farming)	**जैविक कृषि (Organic farming)**	**रासायनिक कृषि (Inorganic farming)**
इसमें किसी भी तरह के बाह्य इनपुट्स जैसे कि जुताई, उर्वरक आदि का उपयोग नहीं किया जाता है।	इसमें **कम-से-कम बाह्य इनपुट्स का उपयोग** किया जाता है।	इसमें अधिक-से-अधिक बाह्य इनपुट्स जैसे कि जुताई, उर्वरक आदि का उपयोग किया जाता है।
इसके तहत **प्राकृतिक नियमों के आधार पर खेती** की जाती है।	इसके तहत कुछ **स्वीकृत सिद्धांतों और पद्धतियों का पालन** किया जाता है।	इसके तहत पैदावार में सुधार के लिए **कृषि गतिविधियों में बदलाव किए जाते हैं।**
इसमें किसी भी बाह्य स्रोत से **उर्वरक का उपयोग नहीं किया जाता है।**	इसमें **जैविक खाद का उपयोग** किया जाता है।	इसमें **रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता** है।
प्राकृतिक खाद के अलावा, इसमें जीवाणुओं एवं केंचुओं द्वारा **कार्बनिक पदार्थों के अपघटन को बढ़ावा दिया जाता है।**	**खेतों में** कम्पोस्ट, वर्मी-कम्पोस्ट जैसी **खादों का उपयोग किया जाता है।**	इसमें खाद का उपयोग किया और नहीं भी किया जा सकता है, क्योंकि इसमें अधिकांशतः रासायनिक उर्वरकों का ही उपयोग किया जाता है।
इस पद्धति में **फसल उत्पादन की लागत कम आती है,** क्योंकि इसमें किसी भी बाह्य इनपुट और मशीनों का उपयोग नहीं किया जाता है।	**खेती की अन्य पद्धतियों की तुलना में यह महंगी है।**	श्रम के कम उपयोग के कारण जैविक खेती की तुलना में यह **तुलनात्मक रूप से कम लागत वाली पद्धति** है।
इसमें **स्थानीय किस्मों के बीजों के उपयोग** को प्रोत्साहित किया जाता है।	इसमें **प्रमाणित जैविक बीजों** के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है।	इसमें **हाइब्रिड या आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों के उपयोग** को प्रोत्साहित किया जाता है।

संधारणीय कृषि के बारे में और अधिक जानने के लिए QR कोड स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #67: संधारणीय कृषि भाग I: संधारणीय कृषि की अवधारणा और पद्धति की समझ

5.8. शहरी जल संकट (Urban Water Crisis)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कम बारिश होने के चलते बेंगलुरु शहर को हाल के कुछ वर्षों में सबसे गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ा है।

शहरी जल संकट

- जल संकट एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां जल प्रदूषण, जल के अत्यधिक उपयोग और खराब जल प्रबंधन जैसे कारकों के चलते रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए **पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ और साफ पानी उपलब्ध नहीं हो पाता** है।
- जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप सूखे की बढ़ती स्थिति के कारण **जल संसाधनों की कमी** को **"डे जीरो"** कहा गया है।
    - "डे जीरो" का अर्थ शहर को जल की आपूर्ति करने वाले **जलाशयों में जलस्तर** का काफी **कम** हो जाना है। इसका यह अर्थ नहीं है कि जलाशयों में पानी नहीं है।
        - **2018 में दक्षिण अफ्रीका का केपटाउन शहर और 2019 में चेन्नई ने "डे जीरो"** का अनुभव किया था।

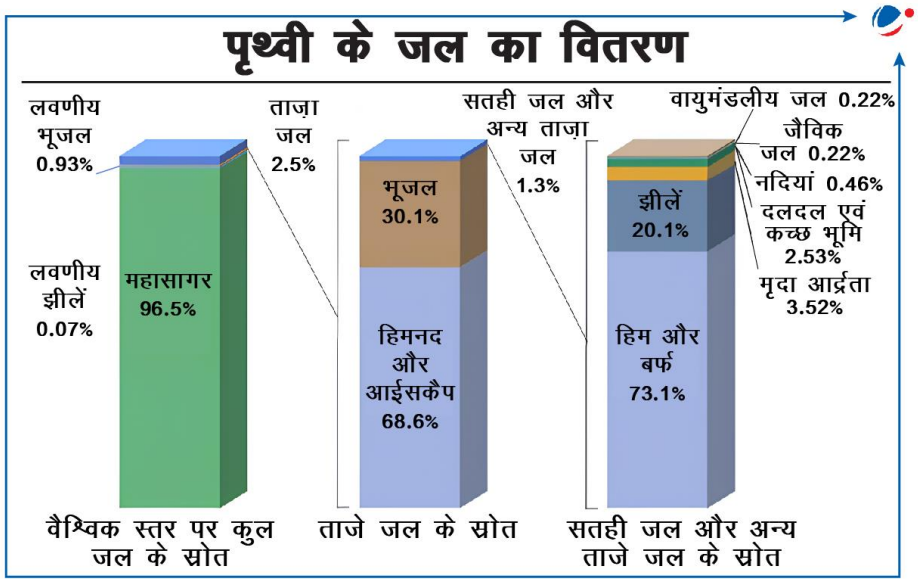

- जल संकट **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) विशेषकर SDG-6 को प्राप्त करने में एक प्रमुख बाधा** है। SDG-6 का लक्ष्य 2030 तक सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता सुनिश्चित करना है।

शहरी जल संकट के लिए जिम्मेदार कारण

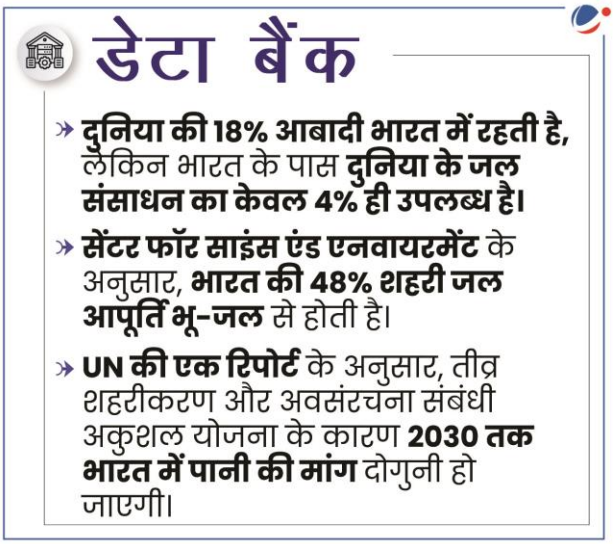

- **अनियोजित शहरीकरण: हरित क्षेत्र का तेजी से ह्रास, सिकुड़ते और घटते जल निकाय** और **प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन** ने शहर में जल की उपलब्धता को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।
    - **अनियोजित कंक्रीटीकरण से वर्षा का जल** मृदा से रिस कर **भूजल तक नहीं पहुंच पाता है, जिसे भूजल का पुनर्भरण प्रभावित होता है।**
        - 1961 में बेंगलुरु में झीलों की संख्या 262 थी, जो वर्तमान में घटकर लगभग 81 रह गई है।
- **जल निकायों में प्रदूषण:** उदाहरण के लिए- **बेंगलुरु की बेलंदूर झील** जैसे कई बड़े जल निकाय औद्योगिक अपशिष्टों और अनुपचारित सीवेज के चलते अत्यधिक प्रदूषित हो गए हैं।
- **भूजल का अत्यधिक दोहन:** इसके कारण **सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में,** पिछले दो दशकों में भूजल स्तर में भारी गिरावट आई है। इससे बड़े शहरों में जल संकट की समस्या और बढ़ गई है।
- **खराब जलापूर्ति अवसंरचनाएं:** कई शहरी क्षेत्रों में **जल वितरण नेटवर्क, जल उपचार संयंत्र और भंडारण सुविधाओं** सहित जल आपूर्ति से संबंधित उचित अवसंरचनाओं का अभाव है।
    - इनके कारण, जल का रिसाव होता है जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता तक जल नहीं पहुंच पाता है। इसके चलते राजस्व की हानि होती है। ऐसे जल को **हाई नॉन रिवेन्यू वाटर** भी कहते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन:** मानसून के पैटर्न में बदलाव तथा बाढ़ और सूखे की घटना व प्रचंडता में वृद्धि से जल की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- **जलभृत प्रणाली संबंधी चुनौतियां:** दक्षिण भारत में लंबे समय तक सूखे की स्थिति के चलते भूजल स्तर अनुमान से भी नीचे गिर सकता है।
    - दक्षिण भारत में जलभृत प्रणाली बहुत ही अलग तरह की है। **यहां की सतह बहुत अधिक चट्टानी है** और इसमें बहुत अधिक जल भंडारण नहीं होता है।

आगे की राह

- **प्रकृति-आधारित समाधान को बढ़ावा:** शहरी क्षेत्रों में ग्रीन-ब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने और आर्द्रभूमि का पुनरुद्धार करने से बाढ़ के दौरान अतिरिक्त जल का संचयन करने एवं सूखे के दौरान जल आपूर्ति में मदद मिल सकती है।
- **समुदाय आधारित समाधान**: समुदाय पानी के कुशलतापूर्वक प्रबंधन (अपव्यय, प्रदूषण और रिसाव को रोकना), अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग, भूजल स्तर में सुधार आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - उदाहरण के लिए- **कैलिफ़ोर्निया (USA) में ऑरेंज काउंटी** नामक शहर में **पुनर्चक्रित जल (Recycled water) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक शिक्षा अभियान चलाया** गया है।
  - भारत के **जल जीवन मिशन के तहत** सामुदायिक भागीदारी को महत्त्व दिया गया है।
- **विनियामक उपायों को लागू करना:** विनियामक नीतियों के तहत शहरी जल प्रबंधन से जुड़ी संधारणीय पद्धतियों को लागू किया जाना चाहिए, जैसे- वर्षा जल संचयन (Rainwater harvesting), ग्रे-वाटर रीसाइक्लिंग और अपशिष्ट जल का उपचार आदि।
  - उदाहरण के लिए- **तमिलनाडु** में सभी नई इमारतों में वर्षा जल संचयन को अनिवार्य कर दिया गया है।

- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** जलापूर्ति वितरण प्रणाली में जल के रिसाव का पता लगाने, पानी की गुणवत्ता की निगरानी और लक्षित उपचारात्मक कार्रवाइयों को सुगम बनाने में आधुनिक तकनीकों की मदद ली जा सकती है।
  - उदाहरण के लिए- **क्लीन वॉटर AI** एक टूल है जो **डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क की मदद से** जल में खतरनाक बैक्टीरिया और हानिकारक कणों का पता लगाता है।
- **वाटर गवर्नेंस में C2C लर्निंग को बढ़ावा देना:** जल से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए शहरों के बीच (C2C)[175] एक-दूसरे से सीखने की संभावनाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग नहीं किया गया है। इस दिशा में बढ़ने के लिए शहरों को अपना एक **नेटवर्क बनाकर वाटर गवर्नेंस के क्षेत्र में मिलकर कार्य करने और अन्य शहरों की बेहतर कार्य पद्धतियों से सीखने के लिए गठबंधन बनाना चाहिए।**
  - उदाहरण के लिए- **लोटस-HR** कार्यक्रम दिल्ली में अपशिष्ट जल के उपचार के लिए नीदरलैंड और भारत के बीच एक सहयोगी परियोजना है।
- **निजी क्षेत्रक का लाभ उठाना:** उदाहरण के लिए- **टाटा स्टील** ने जमशेदपुर में **डिमना झील का निर्माण** किया है।
  - इसके अतिरिक्त, निजी क्षेत्रक **वाटर ऑडिट और रियल टाइम में ऑनलाइन निगरानी के जरिए स्वच्छ जल की खपत को कम करने का भी प्रयास कर सकते हैं।**

5.9. संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट (United Nations World Water Development Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व जल दिवस (22 मार्च) के अवसर पर पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में **'संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट, 2024'** जारी की गई। इस रिपोर्ट का शीर्षक है- **"समृद्धि और शांति के लिए जल[176]"।**

[175] City-to-City

अन्य संबंधित तथ्य

- यह जल के विषय पर संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक फ्लैगशिप रिपोर्ट है। इसे **यू.एन.-वाटर** की ओर से **'यूनेस्को वर्ल्ड वाटर असेसमेंट प्रोग्राम (WWAP)'** द्वारा प्रकाशित किया गया है।
    - **यू.एन.-वाटर एक 'समन्वय तंत्र' के रूप में कार्य करता है।** इसमें संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश तथा जल एवं स्वच्छता संबंधी मुद्दों पर काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं।
- हालांकि SDG-6 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक **"सभी के लिए स्वच्छ जल एवं स्वच्छता की उपलब्धता और संधारणीय प्रबंधन सुनिश्चित करना"** है, लेकिन **SDG-6 का कोई भी लक्ष्य पूरा होने की राह पर नहीं दिख रहा है।**
    - **2022 में,** लगभग 2.2 बिलियन लोगों को **सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल उपलब्ध नहीं था।**
- इस नवीनतम रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि सभी के लिए शांति और समृद्धि हासिल करने हेतु **जल सुरक्षा को सुनिश्चित करना और बनाए रखना तथा जल की समान उपलब्धता सुनिश्चित करना काफी महत्वपूर्ण** है।

क्या आप जानते हैं?

> रियो डी जनेरियो (1992) में **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन** में बनी सहमति के आधार पर, **1993** से ही हर साल **22 मार्च** को **विश्व जल दिवस** मनाया जा रहा है।

डेटा बैंक

- दुनिया की लगभग **50% आबादी साल के कम-से-कम किसी न किसी समय में पानी की कमी का सामना** करती है।
- **ताजे जल के उपयोग में प्रति वर्ष 1% की वृद्धि** होती है।
- ताजे जल की **70% निकासी कृषि के लिए** होती है।

जल और समृद्धि (Water and Prosperity)	जल और शांति (Water and Peace)
• **जल संसाधन किसी देश की अर्थव्यवस्था को कई तरह से प्रभावित करते हैं।** यह स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकते हैं। • **आर्थिक विकास के लिए जल अवसंरचनाओं में निवेश महत्वपूर्ण है।** कम आय वाले देशों में कृषि क्षेत्रक के प्रभुत्व के कारण लगभग 80% रोजगार जल पर निर्भर हैं। • **WASH[177] का आर्थिक लाभ, लागत से अधिक है।** ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे किसी समाज में लोगों के स्वास्थ्य, उत्पादकता, पर्यावरण और सामाजिक परिणामों में सुधार होता है। • **इससे समाज में लैंगिक समानता सुनिश्चित होती है।** ऐसा इसलिए क्योंकि जल की कमी और सूखे के चलते महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध हिंसा का खतरा बढ़ जाता है तथा बाल विवाह की दर में भी वृद्धि हो सकती है।	• जल संसाधनों के आवंटन और जल आपूर्ति एवं स्वच्छता संबंधी उपलब्धता में असमानताओं में कमी आने से **समाज की शांति एवं सामाजिक स्थिरता बढ़ती है।** • दुर्भाग्य से, दुनिया के कई हिस्सों में, पानी अक्सर या तो युद्ध में एक हथियार के रूप में उपयोग हो रहा है या पानी के लिए युद्ध हो रहा है या जल के स्रोतों को निशाना बनाया जा रहा है। ○ **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय[178]** ने इजरायल पर **गाजा में युद्ध के हथियार के रूप में जल का उपयोग** करने का आरोप लगाया है। • **जल संसाधनों की कमी मानव-वन्यजीव संघर्ष को भी बढ़ा सकती है।** ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वन्यजीव अपने पर्यावास में जल की कमी के कारण मानव आबादी वाले क्षेत्रों की ओर रुख करने के लिए मजबूर हो जाते है।

जल की उपलब्धता के जरिए समृद्धि और शांति सुनिश्चित करने में आने वाली समस्याएं

- **जल-समृद्धि को लेकर विरोधाभास:** मध्यम और निम्न आय वाले देशों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं का विकास करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, लेकिन उन्हें अपनी जल संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक विकास की भी आवश्यकता होती है।
- **जल प्रदूषण में वृद्धि:** जल प्रदूषण एक उभरती हुई पर्यावरणीय समस्या है जो किसी देश के विकास के साथ खत्म नहीं होती है।
    - निम्न आय वाले देशों में, **अपशिष्ट जल का बेहतर ढंग से उपचार न होने के कारण जल की गुणवत्ता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती** है। हालांकि **उच्च आय वाले देशों** में खेतों से रासायनिक उर्वरक युक्त जल, अन्य जल स्रोतों में पहुंच कर उन्हें प्रभावित करता है।

---

[176] Water for Prosperity and Peace

[177] Water, Sanitation and Hygiene/ जल, स्वच्छता और साफ़-सफाई

[178] Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

- **डेटा का अभाव:** सतह और भूजल, मिट्टी की नमी एवं संबंधित जल-मौसम संबंधी मापदंडों को लेकर डेटा तथा जानकारी का अभाव एक गंभीर मुद्दा है।
    - **हमारे आस-पास के क्षेत्र में मौजूद जल की गुणवत्ता के बारे में डेटा की कमी** अप्रत्यक्ष रूप से निम्न और निम्न-मध्यम आय वाले देशों में लगभग 3 बिलियन लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है।
- **सीमा-पार जल प्रबंधन:** सीमा-पार नदियों के कुशल प्रबंधन के लिए सीमा-पार समझौतों और इंटरनेशनल बेसिन ऑर्गेनाइजेशन का अभाव है।
    - सीमा-पार जल साझा करने वाले **153 देशों में से केवल 32 देशों में ही सीमा-पार जल संसाधनों के प्रबंधन की व्यवस्था** है।
- **उभरती प्रौद्योगिकियों से जल की मांग:** उभरती प्रौद्योगिकियों के कारण जल की बढ़ती खपत पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। **AI प्रोग्राम आधारित कम्प्यूटर्स** के लिक्विड कूलिंग सिस्टम में बड़ी मात्रा में जल का उपयोग किया जाता है।
    - एक अनुमान है कि **AI को वर्तमान में 10-50 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 500 मिलीलीटर जल की आवश्यकता होती है।**

रिपोर्ट में की गई सिफारिशें

- **राष्ट्रों को जिम्मेदारी के साथ वाटर गवर्नेंस को प्राथमिकता देनी चाहिए,** ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर किसी को जल संसाधनों की सुरक्षित और पर्याप्त उपलब्धता हो।
- **एक स्वैच्छिक अभियान के रूप में WASH पहल का लाभ उठाया जा सकता है।** इसके तहत नागरिक और सरकार के बीच सार्वजनिक सहयोग और साझेदारी को साकार किया जाना चाहिए।
- औद्योगिक गतिविधियों में उपयोग किए गए जल को पुनः उपयोग करने लायक बनाने हुए अपशिष्ट जल की मात्रा को लगभग शून्य करने का प्रयास करना चाहिए।
- **सीमा-पार जल संसाधनों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए,** देशों के बीच न्यायसंगत तरीके से समझौते किए जाने चाहिए और नदी बेसिनों के लिए संयुक्त परिचालन निकाय स्थापित किए जाने चाहिए।
- **जल संसाधनों से जुड़े लाभों का बंटवारा न्यायसंगत तरीके से होना चाहिए** और यह न केवल जल की मात्रा पर बल्कि गुणवत्ता पर भी आधारित होना चाहिए।

5.10. बांध सुरक्षा (DAM Safety)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA)[179] ने **कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना (KLIP)**[180] की बांध सुरक्षा की जांच करने के लिए एक **विशेषज्ञ समिति** का गठन किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- KLIP **दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीस्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना** है।
    - इसे **तेलंगाना में गोदावरी नदी** पर बनाया गया है।

[179] National Dam Safety Authority

[180] Kaleshwaram Lift Irrigation Project

- **बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021** के तहत बांधों की सुरक्षा एवं इनसे संबंधित आपदाओं को रोकने के लिए **4 स्तरीय संस्थागत ढांचे की स्थापना** की गई है (बॉक्स देखें)। **NDSA** इसी संस्थागत तंत्र का एक हिस्सा है। NDSA ने मेडीगड्डा (लक्ष्मी) बैराज के कुछ पिलर्स के ध्वंसने के कारणों की जांच करने और इस समस्या के समाधान हेतु उपायों की सिफारिश करने के लिए छह सदस्यीय समिति गठित की है।
- **केंद्रीय जल आयोग (CWC)[181] के पूर्व अध्यक्ष** जे. चंद्रशेखर अय्यर के नेतृत्व में समिति **बांध के हाइड्रोलिक, स्ट्रक्चरल और भू-तकनीकी पहलुओं का आकलन** करेगी।
    - **CWC,** जल संसाधन के क्षेत्र में देश का **एक प्रमुख तकनीकी संगठन** है।
    - यह **जल शक्ति मंत्रालय** का **एक संबद्ध कार्यालय** है।

बांधों के बारे में

- बांध किसी नदी या उनकी सहायक नदी में जल को **रोकने या उसके प्रवाह को मोड़ने** के उद्देश्य से कृत्रिम रूप से बनाए गए मानव निर्मित अवसंरचना (बैराज, वेयर) होते हैं।
    - **बड़े बांध (Large dam)** में निम्नलिखित शामिल हैं:
        - नींव से लेकर शिखर तक **15 मीटर से अधिक** ऊंचाई वाले बांध।
        - नींव से लेकर शिखर तक **10 और 15 मीटर तक की ऊंचाई** के बीच कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने वाले बांध।
- **बांधों के प्रमुख उपयोग:** पेयजल के भंडारण, सिंचाई और औद्योगिक उपयोग, बाढ़ नियंत्रण, जलविद्युत उत्पादन, अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन, इत्यादि उद्देश्यों से बांध का निर्माण किया जाता है।
- **बांध निर्माण का कार्य अक्सर लोगों के विस्थापन एवं संस्कृति के विलोपन, वन्यजीवों एवं उनके पर्यावासों की हानि**, राज्यों के मध्य टकराव (जल उपलब्धता, जल बंटवारे आदि पर) को लेकर विवादों से घिरा रहता है।
- विश्व भर में **बड़े बांधों** की विफलताओं के कुछ उदाहरण:
    - **1975: चीन में बानकियाओ (Banqiao) बांध के टूटने** के कारण नदी के प्रवाह मार्ग में आगे मौजूद 60 अन्य बांध ढह गए और 80,000 से अधिक लोग मारे गए।
    - **1979: गुजरात के मोरबी में मच्छू बांध के टूटने** के कारण 2,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी।
    - **2023: लीबिया में डेरना (Derna) बांध** के ढहने से 3,800 से अधिक लोगों की जान चली गई थी।

बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के बारे में

- **उद्देश्य:** इसमें बांधों की विफलता को रोकने के लिए **बांधों की उचित निगरानी, संचालन और रख-रखाव का प्रावधान किया गया** है।
- **हितधारकों की जिम्मेदारी का निर्धारण: बांधों का स्वामित्व, उनके संचालन एवं रख-रखाव** की जिम्मेदारी राज्य सरकारों या विभागों/ बोर्डों/ CPSUs/ निजी एजेंसियों आदि की है।

[181] Central Water Commission

बांधों की सुरक्षा से जुड़े कुछ चिंताजनक मुद्दे

- **पुराने बांध:** आमतौर पर बांधों का एक निश्चित जीवनकाल होता है जिसके बाद वे असुरक्षित या खतरनाक हो सकते हैं।
- **भूकंप के प्रति संवेदनशील:** भारत में अधिकतर बड़े बांध भूकंप की दृष्टि से सक्रिय क्षेत्रों में बनाए गए हैं, जिसके चलते ऐसे क्षेत्रों में मौजूद बांधों पर भूकंप से प्रभवित होने का खतरा बना रहता है।
  - उदाहरण के लिए- 2001 में **भुज (गुजरात)** में आए भूकंप के कारण **चांग बांध** की नींव के नीचे मौजूद मृदा का आधार कमजोर हो गया था।
- **बाढ़:** उदाहरण के लिए- अक्टूबर, 2023 में सिक्किम का सबसे ऊंचा चुंगथांग बांध **साउथ ल्होनक झील में हिमनदीय झील के तटबंध टूटने से आई अकस्मात बाढ़** में बह गया था।
- **ओवरटॉपिंग:** ओवरटॉपिंग (अवनालिका अपरदन) के कारण पानी के तटबंध के आस-पास या उसके बगल से वहां की मृदा का कटाव होता है, जिसके चलते बांध टूट जाते हैं।
- **अवसाद का जमाव:** अवसाद या गाद की अत्यधिक मात्रा से जल विद्युत पैदा करने वाले टरबाइनों एवं बांध के अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों को नुकसान पहुंचता है। गाद की अत्यधिक मात्रा बांधों की भंडारण क्षमता को भी कम करती है।
  - संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 3,700 बांधों में गाद के जमाव की समस्या के चलते **2050 तक ऐसे बांधों की कुल भंडारण क्षमता 26% तक कम हो** सकती है।
- **वित्त:** खराब वित्तीय स्थिति के चलते आमतौर पर बिजली संयंत्र के अन्य हिस्सों का रख-रखाव और मरम्मत का कार्य ठीक से नहीं हो पाता है।
- **निर्देशों का पालन न करना:** उदाहरण के लिए- मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध के संबंध में कैग (CAG) की ऑडिट रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि राज्य बांध सुरक्षा संगठन (SDSO) ने CWC द्वारा सुझाए गए सुधारात्मक उपायों का पालन नहीं किया।

डेटा बैंक

- विश्व में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद **भारत में सर्वाधिक संख्या (तीसरे नंबर पर) में बांध** हैं।
- भारत में लगभग **5,700 बड़े बांध** हैं।
- 80% बड़े बांध **25 वर्ष से अधिक पुराने** हैं।
- **227 बांध 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं** और ये अभी भी काम कर रहे हैं।

बांध की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु शुरू की गई पहलें

- **बड़े बांधों का राष्ट्रीय रजिस्टर** (NRLD)[182]**:** यह देश के सभी बड़े बांधों का राष्ट्रव्यापी रजिस्टर है। इस रजिस्टर को केंद्रीय जल आयोग (CWC) ने तैयार किया है और CWC ही इसका रख-रखाव करता है।
- **बांध पुनरुद्धार और सुधार परियोजना (DRIP)[183]: DRIP के दूसरे और तीसरे चरण** के तहत 19 राज्यों में **736 बांधों के व्यापक पुनरुद्धार** की योजना बनाई गई है।
  - इस परियोजना को **विश्व बैंक** और **एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB),** दोनों से ऋण प्रदान किया जाएगा। इसके तहत प्राप्त धन का **अलग-अलग राज्यों एवं तीन केंद्रीय एजेंसियों** (CWC, दामोदर घाटी निगम और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड) के बीच वितरण किया जाएगा।
- **बांधों की भूकंप से सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय केंद्र[184]:** यह केंद्र MNIT, जयपुर (राजस्थान) में है। इसका उद्देश्य भारत में बांधों की स्ट्रक्चरल एवं भूकंप से सुरक्षा करने वाले उपायों को बेहतर बनाना है।
- **भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली (WRIS)[185]:** यह सभी जल संसाधनों (बांधों सहित) के लिए GIS आधारित डेटा और जानकारी प्रदान करती है।
- **डैम हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग एप्लिकेशन (DHARMA):** इसे सभी बांधों से जुड़े महत्वपूर्ण डेटा को एकत्र करने और उसे बनाए रखने के लिए बनाया गया है। यह **बांध सुरक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)** के इस्तेमाल की दिशा में एक कदम है।
- **भूकंपीय खतरा विश्लेषण सूचना प्रणाली (SHAISYS)[186] टूल**: इसका उद्देश्य भूकंपीय तरंगों की शक्तियों की क्षमता और बांध के स्ट्रक्चर की सुरक्षा पर उनके प्रभावों का पता लगाना है।
- **बांध सुरक्षा समीक्षा पैनल[187]**: कुछ राज्यों ने **अपने बांधों के व्यापक ऑडिट** के लिए ये पैनल बनाए हैं।

[182] National Register of Large Dams

[183] Dam Rehabilitation and Improvement Project

[184] National Centre for Earthquake Safety of Dams

[185] India Water Resource Information System

[186] Seismic hazard analysis Information system

- **वैश्विक स्तर पर:**
  - **वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम:** इसे विश्व बैंक और IUCN द्वारा 1998 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य बड़े **बांधों के निर्माण से होने वाले सभी प्रकार के प्रभावों की समीक्षा करना** तथा **बांधों की योजना बनाने, निगरानी करने एवं उन्हें हटाने के लिए दिशा-निर्देश** बनाना है।
  - **इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम (ICOLD):** यह 1928 में स्थापित एक **गैर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन** है। यह बांध से जुड़ी इंजीनियरिंग से संबंधित **ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान** करता है।
    - ICOLD के साथ मिलकर कार्य करने वाली भारतीय समिति **"बड़े बांधों पर भारतीय राष्ट्रीय समिति (INCOLD)[188]"** है।

बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आगे की राह

- **पुराने बांधों को हटाना या बंद करना:** आम तौर पर, पुराने बांधों को हटाने या बंद करने (डिकमीशनिंग) के लिए बांध और उससे जुड़े स्ट्रक्चर को या तो पूरी तरह से हटा दिया जाता है या फिर बांध की ऊंचाई को आंशिक रूप से कम किया जाता है।
  - बांध को डिकमीशन करने की प्रक्रिया बांध की भौगोलिक अवस्थिति के अनुसार अलग-अलग होती है। अतः बांध के निचले हिस्से में रहने वाले समुदायों के हित और सुरक्षा से जुड़े हुए जोखिमों को ध्यान में रखते हुए बांध को डिकमीशन करने की योजना बनानी चाहिए।
- **बांध की योजना, डिजाइन और निर्माण:** बांध बनाने के डिजाइन और मानदंड में बांध की सुरक्षा से संबंधित **मौजूदा अत्याधुनिक तकनीकों** का इस्तेमाल करना चाहिए।
  - बांधों के डिजाइन संबंधी मानक और सुरक्षा मानदंड तैयार करते समय चरम मौसमी दशाओं (जैसे कि सर्दियों में तापमान का बहुत कम होना) के संभावित परिणामों को स्पष्ट रूप से **परिभाषित किया जाना चाहिए।**
- **उपसतह बांध (Subsurface Dams): जापान** जैसे देशों ने सतही बांधों (Surface dams) के विकल्प के रूप में कई उप-सतही बांधों का निर्माण किया है। इसे **भारत में भी अपनाया जा सकता** है।
  - उपसतह बांध, **भू-जल के प्राकृतिक प्रवाह को रोकने के लिए पूरी तरह से भूमिगत बनाए जाते हैं।** इस तरह से निर्मित जलभृतों से कुओं या बोरवेल के जरिए जल को निकाला जाता है। इस पद्धति में जल का भण्डारण भूमिगत **जलभृत में होता है**, इसलिए:
    - भूमि को **जलमग्न होने से बचाया** जा सकता है।
    - जलाशय से **वाष्पीकरण के द्वारा पानी की हानि** नहीं होती है।
    - जलाशय में **कोई गाद जमा नहीं** होता है।
    - **बांधों के ढहने जैसी संभावित आपदा से बचा जा सकता** है।

5.11. क्षेपण मंडल (Subduction Zone)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पुर्तगाली वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान लगाया है कि जिब्राल्टर जलडमरूमध्य के नीचे क्षेपण मंडल (सबडक्शन जोन) के कारण लगभग **20 मिलियन वर्षों** में अटलांटिक महासागर बेसिन धीरे-धीरे सिकुड़ते हुए विलुप्त हो सकता है। इससे पृथ्वी की भौगोलिक स्थलाकृति में काफी बदलाव हो सकता है।

अन्य संबंधित तथ्य

- वैज्ञानिक **अटलांटिक जैसे परिपक्व महासागरों** में सबडक्शन जोन का बनना एक **दुर्लभ परिघटना** मानते हैं। उल्लेखनीय है कि अटलांटिक महासागर का निर्माण **सुपरकॉन्टिनेंट के टूटने** से हुआ है।
  - इसे दुर्लभ परिघटना इसलिए माना जाता है, क्योंकि ऐसे अत्यंत प्राचीन महासागरों में पाए जाने वाले **स्थलमंडल (Lithosphere) अधिक मोटे और कठोर** होते हैं। इस कारण ये **आसानी से टूटते और मुड़ते नहीं** हैं। **अप्रतिरोधी किनारों से घिरे महासागरों में सबडक्शन की प्रक्रिया की शुरुआत के लिए इनका टूटना और मुड़ना एक पूर्व शर्त** है।

---

187 Dam Safety Review Panel

188 Indian National Committee on Large Dams

- अटलांटिक में पहले से ही **दो पूर्ण विकसित सबडक्शन ज़ोन्स** मौजूद हैं- **लेसर एंटीलिज** और **स्कोटिया आर्क्स।**
    - इसके तीसरे सबडक्शन जोन, **जिब्राल्टर आर्क** के विकास की गति पिछले कुछ वर्षों में काफी धीमी हो गई थी। इससे इस दुविधा को बढ़ावा मिला था कि यह सक्रिय है अथवा नहीं।
        - जिब्राल्टर आर्क सिस्टम, **नूबिया** (उत्तर-पश्चिम अफ्रीका) प्लेट और **इबेरिया** (दक्षिण-पश्चिम यूरोप) प्लेट को अलग करने वाले क्षेत्र में अवस्थित है। यह भूमध्यसागरीय बेल्ट की **पश्चिमी छोर** की सीमा बनाती है।
        - जिब्राल्टर जलडमरूमध्य, **यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करने वाली 10 मील चौड़ी जलसंधि** है। इसके अलावा यहीं पर **यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकी प्लेट एक-दूसरे से मिलते** हैं।
        - वर्तमान में अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपित (Subducting) हो रही है। इसके चलते यहां पर भूकंपीय घटनाओं और भूकंप का खतरा बना रहता है।

विल्सन चक्र

चरण दर चरण गतिविधियों को दर्शाते चित्र	गति की दिशा	भौगोलिक विशेषताएं	उदाहरण
प्रारंभिक अवस्था A 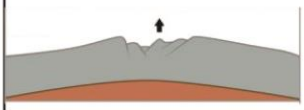	उत्थान	महाद्वीप पर पंक्ति के रूप भ्रंश घाटियों की जटिल प्रणाली	पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटियां
युवा अवस्था B 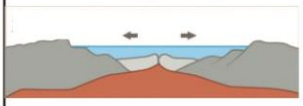	अपसारी (प्रसरण)	समान विशेषताओं वाले तटों के मध्य संकीर्ण समुद्र	लाल सागर
परिपक्व अवस्था C 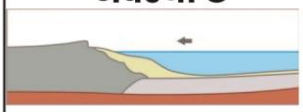	अपसारी (प्रसरण)	दो महाद्वीपीय सीमांतों के बीच महासागरीय बेसिन	अटलांटिक और आर्कटिक महासागर
डिक्लाइनिंग अवस्था D 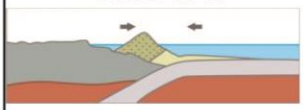	अभिसारी (क्षेपण)	महासागरीय बेसिन के किनारों पर द्वीपीय चाप और गर्त बनाना	प्रशांत महासागर
टर्मिनल अवस्था E 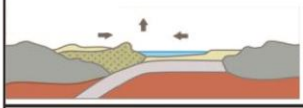	अभिसारी (टकराव और उत्थान)	युवा पर्वतों के साथ संकीर्ण, अनियमित आकार का समुद्र	भूमध्य सागर
स्तरीकृत अवस्था F 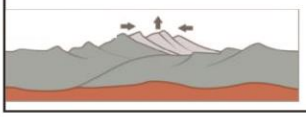	अभिसरण और उत्थान	युवा तथा परिपक्व वलित पर्वत श्रेणियां	हिमालय पर्वत

इस अध्ययन से संबंधित प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र

- **नवीनतम अध्ययन** के अनुसार, **जिब्राल्टर सबडक्शन** अभी भी सक्रिय है और यह पश्चिम की ओर अटलांटिक की तरफ गति करेगा।
- **जिब्राल्टर जलडमरूमध्य के नीचे सबडक्शन जोन या क्षेपण मंडल की धीमी गति** के बावजूद, **विशेषज्ञों का मानना है कि यह बढ़ते हुए अटलांटिक महासागर के अन्य हिस्सों में फैल सकता** है। इस परिघटना को **'सबडक्शन इन्वैजन (Subduction invasion)'** के रूप में जाना जाता है।
- सबडक्शन जोन जिब्राल्टर जलडमरूमध्य से पश्चिम की ओर गति करेगा। इससे एक **नए अटलांटिक सबडक्शन सिस्टम** का निर्माण होगा, जिसे **'रिंग ऑफ फायर'** कहा जा सकता है।

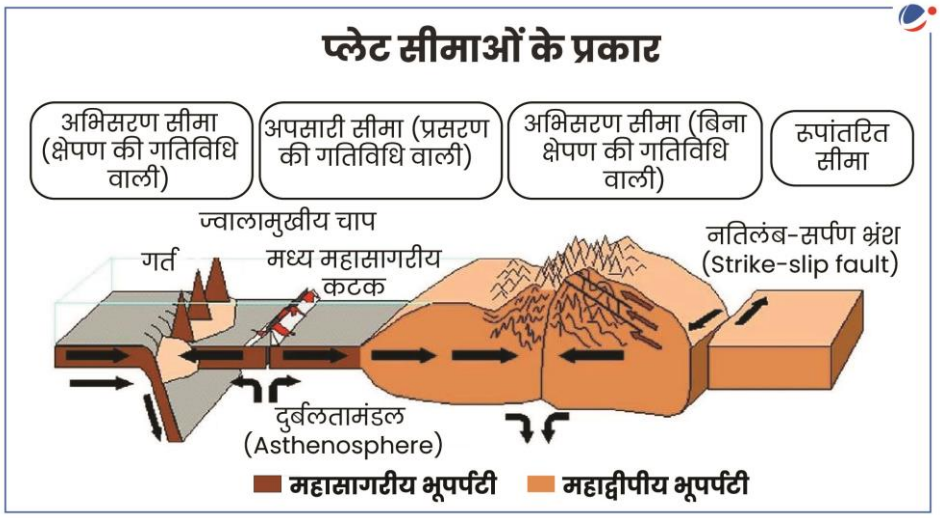

  - यह **प्रशांत महासागर के किनारों पर (जहां महाद्वीपीय प्लेट के नीचे समुद्र प्लेट का क्रमिक क्षेपण हो रहा है) स्थित मौजूद रिंग ऑफ फायर के समान ही है।** इस प्रक्रिया के कारण महासागरीय बेसिन सिकुड़ कर विलुप्त हो जाता है।
  - यह प्रक्रिया **विल्सन चक्र** की मूलभूत विशेषता है। विल्सन चक्र के अनुसार, समुद्र नितल के प्रसार व क्षेपण संबंधी गतिविधियों के कारण महासागरीय बेसिन क्रमशः फैलता और सिकुड़ते हुए बंद होता है।

सबडक्शन जोन या क्षेपण मंडल के बारे में

- **'प्लेट विवर्तनिकी (Plate tectonics) सिद्धांत'** के अनुसार, पृथ्वी लगभग 100 किलोमीटर मोटी कई महाद्वीपीय व महासागरीय स्थलमंडलीय प्लेटों (Lithospheric plates) से मिलकर बनी है। ये प्लेटें गर्म और तन्य **दुर्बलतामंडल (Asthenosphere)** पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज रूप से गति करती हैं।

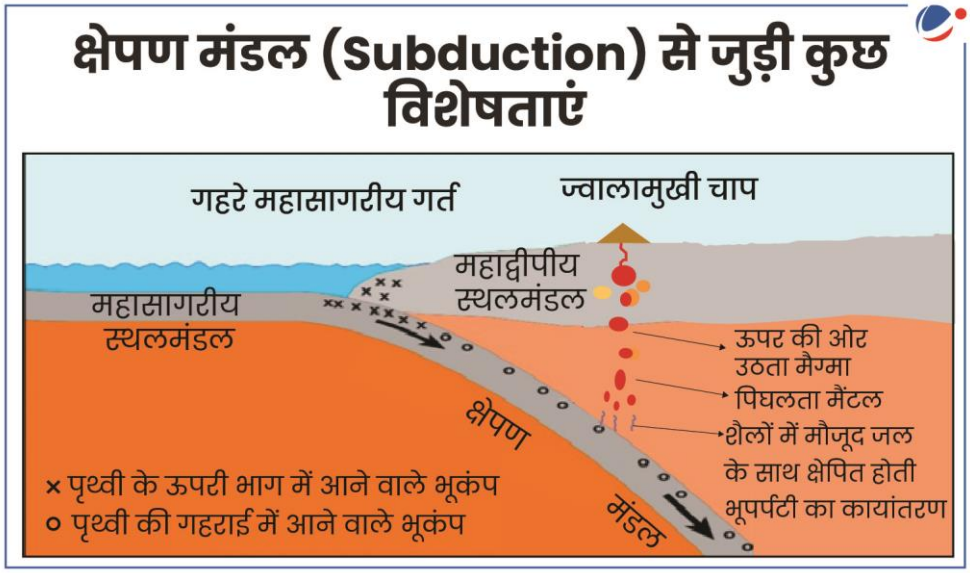

  - इन प्लेटों की गति की दिशा के आधार पर क्रमशः तीन प्रकार की प्लेट सीमाएं बनती हैं:
    - **जब प्लेट्स एक-दूसरे की ओर गति करती हैं तो अभिसरण सीमा (Convergent Boundary) बनती है;**
    - **जब प्लेट्स एक-दूसरे से विपरीत दिशा की ओर गति करती हैं तो अपसारी सीमा (Divergent Boundary) बनती है;** और
    - **जब प्लेट्स एक-दूसरे के समान्तर गति करती हैं तो रूपांतरित सीमा (Transform Boundary) बनती है।**
- **सबडक्शन जोन:**
  - जब दो प्लेटें एक-दूसरे की ओर **अभिसरित** होती हैं तो अधिक घनत्व वाली और भारी प्लेट, कम घनत्व वाली व हल्की प्लेट के नीचे **क्षेपित** हो जाती है। इसके बाद भारी प्लेट मेंटल में पहुंचकर **नष्ट** हो जाती है या पिघलने लगती है। वह क्षेत्र जहां सबडक्शन होता है उसे **बेनिऑफ जोन** कहा जाता है।

- उदाहरण के लिए- **सबडक्शन जोन** घोड़े की नाल के आकार में **प्रशांत महासागर** के किनारे, वाशिंगटन स्टेट, कनाडा, अलास्का, रूस, जापान और इंडोनेशिया के अपतटीय क्षेत्र व न्यूजीलैंड और दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी किनारे तक पाए जाते हैं।
  - इसे **"पैसिफिक रिंग ऑफ फायर"** कहा जाता है। इन सबडक्शन जोन्स में **"दुनिया के सबसे अधिक भूकंपीय और ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय क्षेत्र"** मौजूद हैं। विश्व के **सबसे अधिक तीव्रता वाले 80% से अधिक भूकंप यहीं आते हैं** और अधिकांश **सक्रिय ज्वालामुखी** भी इसी क्षेत्र में मौजूद हैं।

निष्कर्ष

इस अध्ययन के निष्कर्ष पृथ्वी की विवर्तनिक प्रक्रियाओं की अप्रत्याशित प्रकृति और काफी लंबे समय में होने वाले महासागरीय बेसिनों के विकास पर प्रकाश डालते हैं। अटलांटिक महासागर के सिकुड़ने और संभावित रूप से एक विशाल समय-सीमा में इसके अस्तित्व के समाप्त होने की अवधारणा पृथ्वी की स्थलाकृतिक विशेषताओं को आकार देने वाली भूगर्भिक प्रक्रियाओं की एक झलक पेश करती है।

5.12. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

5.12.1. "फाइनेंसिंग एग्रो-केमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट (FARM)" कार्यक्रम {Financing Agrochemical Reduction and Management (FARM) Programme}

- वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF) द्वारा वित्त-पोषित "फाइनेंसिंग एग्रो-केमिकल रिडक्शन एंड मैनेजमेंट (FARM)" कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
- **FARM कार्यक्रम की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र:**
  - **FARM के बारे में:** यह **379 मिलियन डॉलर के वित्त-पोषण वाली एक पहल** है। यह वैश्विक स्तर पर अपनी तरह के पहले ठोस प्रयासों में से एक है।
  - इस कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित के लिए **वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे:**
    - खाद्य उत्पादन में हानिकारक इनपुट्स के उपयोग पर रोक लगाना;
    - कम या बिना रासायनिक इनपुट्स वाले विकल्प अपनाने को बढ़ावा देना आदि।
  - **कार्यक्रम की अवधि: 5 वर्ष**
  - **यह कार्यक्रम निम्नलिखित का समर्थन करेगा:**
    - **स्थायी जैविक प्रदूषकों (POPs) से युक्त** एग्रो-केमिकल्स और एग्रो-प्लास्टिक के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने वाले सरकारी नियमों को तथा **बेहतर प्रबंधन मानकों को अपनाना।**
    - प्रभावी कीट नियंत्रण; उत्पादन संबंधी विकल्पों की उपलब्धता में सुधार तथा संधारणीय उत्पाद के व्यापार को बढ़ावा देने हेतु **बैंकिंग, बीमा और निवेश मानदंडों को मजबूत करना।**
  - **FARM के सदस्य:** भारत, इक्वाडोर, केन्या, लाओ पीडीआर, फिलीपींस, उरुग्वे और वियतनाम।

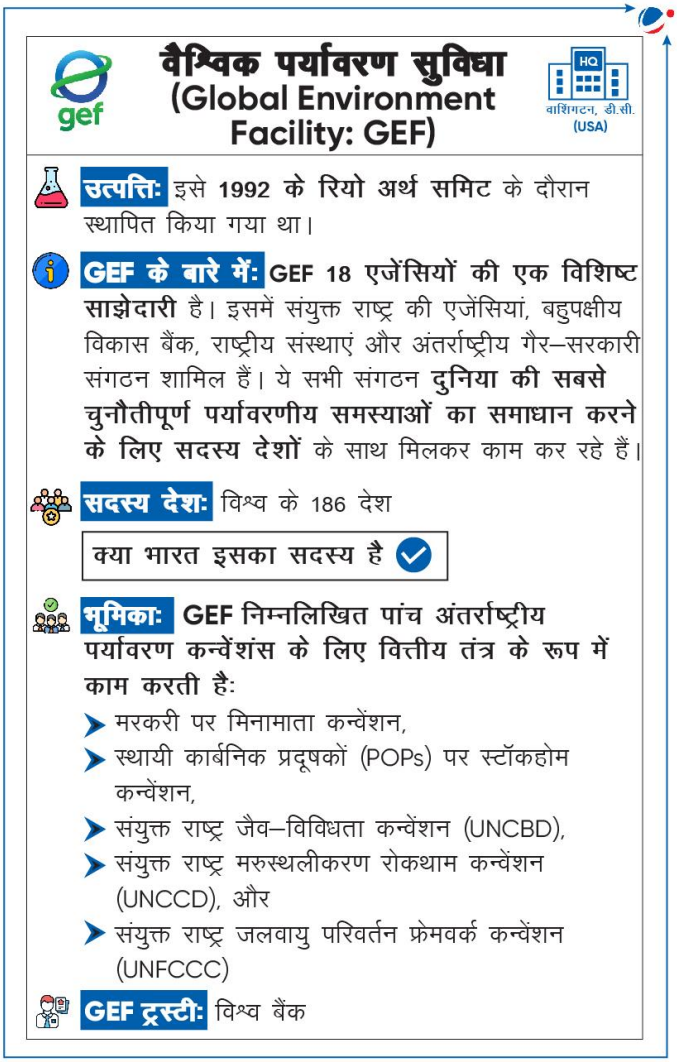

  - **लागू करने वाली एजेंसियां:** इस कार्यक्रम का नेतृत्व **संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP)** कर रहा है। वहीं इसे

एशियाई विकास बैंक (ADB), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) तथा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) द्वारा लागू किया जाएगा।

- **देशों** में इस कार्यक्रम को लागू करने की जिम्मेदारी **कृषि एवं खाद्य संगठन** (FAO) की होगी।

- **FARM कार्यक्रम का महत्त्व:**
  - **हर साल लगभग 4 बिलियन टन कीटनाशक और 12 बिलियन किलोग्राम एग्रो-प्लास्टिक का इस्तेमाल** किया जाता है। इसका स्वास्थ्य और पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। यह कार्यक्रम इस समस्या से निपटने में सहायक होगा।
  - **अत्यधिक खतरनाक कीटनाशकों के उपयोग और एग्रो-प्लास्टिक के कुप्रबंधन से विषाक्त POPs पर्यावरण में प्रवेश** कर जाते हैं।
    - POPs ऐसे केमिकल्स हैं, जो पर्यावरण में विखंडित नहीं होते हैं तथा हवा, जल एवं भोजन को दूषित करते हैं।
    - वर्तमान में **किसानों को बेहतर विकल्प अपनाने के लिए काफी कम प्रोत्साहन** दिया जाता है। इस वजह से किसान उन विकल्पों को ज्यादा अपनाते है, जो संधारणीय विकल्पों की तुलना में सस्ते होते हैं।

5.12.2. शहर-विशिष्ट ज़ीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान {City-Specific Zero Carbon Buildings Action Plan (ZCBAP)}

- भारत का पहला 'शहर-विशिष्ट ज़ीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान' (ZCBAP) नागपुर में शुरू किया गया।
  - जीरो कार्बन बिल्डिंग्स वे इमारतें हैं, जो **निर्माण और सामग्रियों के इस्तेमाल, रख-रखाव और प्रबंधन तथा एंड ऑफ लाइफ** चरणों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करके अपनी पूरी लाइफ-साइकिल के दौरान अपने पर्यावरणीय प्रदर्शन में सुधार करती हैं। इसमें इमारत के **विजुअल और थर्मल कम्फर्ट पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं** पड़ता है।
    - **विजुअल कम्फर्ट:** एक इमारत में प्रकाश की बेहतरीन व्यवस्था।
    - **थर्मल कम्फर्ट:** इमारत में सुखदायक तापमान की व्यवस्था।
- नागपुर के ZCBAP का लक्ष्य **2050 तक सभी इमारतों को नेट ज़ीरो कार्बन इमारतें** बनाना है। इससे भारत के **"2070 तक नेट जीरो"** उत्सर्जन के लक्ष्य में योगदान मिलेगा।
  - नागपुर में ZCBAP को **जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्सेलेरेटर (ZCBA)** प्रोजेक्ट को लागू करने वाले भागीदारों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
  - ZCBA प्रोजेक्ट **वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (WRI)** ने अपने वैश्विक भागीदारों के साथ 2021 में आरंभ किया था।
  - नागपुर उन **छह वैश्विक शहरों में से एक है, जहां ZCBA प्रोजेक्ट** लागू किया जा रहा है। अन्य शहर **केन्या, कोस्टा रिका, तुर्की और कोलंबिया** के हैं।
- **ZCBAP की आवश्यकता क्यों है?**
  - भारत में **भवन संबंधी ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन 2000 से 2017 के बीच दोगुने से अधिक** हो गया है।
  - अगले 20-30 वर्षों में भारत के **इस्पात और सीमेंट उद्योग से GHG उत्सर्जन क्रमशः लगभग तीन तथा छह गुना** बढ़ने का अनुमान है।
  - ईंट भट्टे **कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) और अन्य कण (Particulate) उत्सर्जन** के अन्य प्रमुख स्रोत हैं।
- नागपुर का ZCBAP **राष्ट्रीय नीतिगत फ्रेमवर्क्स और डीकार्बोनाइजेशन (विकार्बनीकरण) में सहायता** करने वाली पहलों पर आधारित है। इन पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान[189];
  - भारत की दीर्घकालिक निम्न-कार्बन विकास रणनीति;
  - ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता, 2017;
  - ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम जैसे कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (IGBC), ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट (GRIHA) और
  - इको-निवास संहिता 2018.

5.12.3. इथेनॉल 100 (Ethanol 100)

- पेट्रोलियम मंत्रालय ने **इथेनॉल 100 फ्यूल** शुरू किया है।
- **इथेनॉल 100 के बारे में:**
  - यह **गैसोलीन** का एक स्वच्छ और हरित विकल्प है।
  - यह **92-94 प्रतिशत इथेनॉल, 4-5 प्रतिशत मोटर स्पिरिट (फ्लेम को रंग प्रदान करने के लिए) और 1.5 प्रतिशत सह-विलायक हायर सैचुरेटेड अल्कोहल का मिश्रण** है।
  - **महत्त्व:**
    - इथेनॉल फ्यूल **काफी कम मात्रा में ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन** करता है। **'वेल टू व्हील[190]'** आधार पर उत्सर्जन में लगभग **63% की कमी** करता है।

[189] Nationally Determined Contributions

- **वेल-टू-व्हील** उत्सर्जन में **ईंधन उत्पादन, प्रसंस्करण, वितरण और उपयोग** तक की पूरी साइकिल के सभी उत्सर्जन शामिल हैं।
- इसकी **हाई-ऑक्टेन रेटिंग इसे उच्च-प्रदर्शन वाले इंजनों** के लिए उपयुक्त बनाती है। इसके चलते **बढ़ी हुई दक्षता और पावर आउटपुट सुनिश्चित** होता है।
- यह **क्रूड ऑयल के आयात को कम** कर सकता है, जिससे **विदेशी मुद्रा की बचत** हो सकती है।

5.12.4. प्लैनेटरी बाउंड्रीज़ (ग्रहीय सीमाएं) फ्रेमवर्क (Planetary Boundaries Framework)

- पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए **जोहान रॉकस्ट्रॉम को 2024 का टायलर पुरस्कार** प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें **प्लैनेटरी बाउंड्रीज़ फ्रेमवर्क** पर उनके प्रयासों के लिए दिया जाएगा।
- **प्लैनेटरी बाउंड्रीज़ फ्रेमवर्क के बारे में**
  - पहली बार 2009 में प्रकाशित, **प्लैनेटरी बाउंड्रीज़ नौ प्रणालियों को एकीकृत** करती है। ये प्रणालियां पृथ्वी **की कार्य-प्रणाली और स्थिति** को निर्धारित करती हैं।
  - इन नौ प्लैनेटरी बाउंड्रीज़ में **जलवायु परिवर्तन, जीवमंडल की अखंडता, भूमि-प्रणाली परिवर्तन, ताजे जल में परिवर्तन, जैव-भू-रासायनिक प्रवाह, नवीन घटक, समतापमंडलीय ओज़ोन परत का क्षरण, वायुमंडलीय एयरोसोल लोडिंग और महासागर का अम्लीकरण** शामिल हैं।
  - ये प्लैनेटरी बाउंड्रीज़ मानवों और मानवता को **जीवन-सहायता** प्रदान करती हैं। इनकी सीमा में रहते हुए मानव और उसकी आने वाली पीढ़ियां विकसित हो सकती हैं व फल-फूल सकती हैं। एक हालिया अध्ययन के अनुसार, **9 में से 6 प्लैनेटरी बाउंड्रीज** का मानव-जनित गतिविधियों के कारण उल्लंघन हुआ है।

5.12.5. रेप्रिज़ेन्टेटिव कॉन्सेंट्रेशन पाथवेज़ {Representative Concentration Pathways (RCPS)}

- **RCPs भविष्य में अलग-अलग उत्सर्जन परिदृश्यों को समझने** के लिए विकसित **नवीनतम मॉडल्स** में से एक है। यह मॉडल **भविष्य में हमारी जलवायु में होने वाले बदलावों के प्रकार के बारे** में बताता है।
- **RCPs के बारे में:**
  - RCPs **ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन और वायुमंडल में गैसों की सांद्रता, वायु प्रदूषक उत्सर्जन तथा भूमि उपयोग के 21वीं सदी के चार अलग-अलग पाथवेज़ का वर्णन** करते हैं।
  - RCPs इनपुट के रूप में जलवायु मॉडल सिमुलेशन और एकीकृत मूल्यांकन मॉडल (IAMs) का उपयोग करके जलवायु प्रणाली के परिणामों का अनुमान लगाते हैं। इसके माध्यम से भविष्य में मानव जनित अलग-अलग गतिविधियों और उनका **जलवायु प्रणाली पर पड़ने वाले प्रभावों का मॉडल अनुमान** प्रस्तुत किया गया है।
  - इन जलवायु पूर्वानुमान मॉडल्स का उपयोग जलवायु परिवर्तन के **प्रभावों और उनके प्रति अनुकूलन उपाय विकसित** करने के लिए किया जा सकता है।

5.12.6. नेचर रेस्टोरेशन लॉ (Nature Restoration Law: NRL)

- **यूरोपीय संघ (EU) संसद** ने NRL को अपनाया है। इसका उद्देश्य EU की 20 प्रतिशत भूमि व समुद्र का पुनरुद्धार करना है।
- यह कानून EU के सभी सदस्य देशों में **निम्नीकृत पारितंत्रों की पुनर्बहाली** करेगा। साथ ही, EU के जलवायु व जैव-विविधता संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करेगा और खाद्य सुरक्षा में वृद्धि करेगा।
  - यह EU की **जैव-विविधता रणनीति** का मुख्य घटक है। यह रणनीति **निम्नीकृत पारितंत्रों (Degraded ecosystems) की पुनर्बहाली के लिए बाध्यकारी लक्ष्यों** का प्रावधान करती है।
- **उद्देश्य:** जैव-विविधतापूर्ण और लोचशील प्रकृति (Resilient nature) की दीर्घकालिक व सतत रिकवरी सुनिश्चित करना।
- **कार्यान्वयन:** EU सदस्य देशों से विनियमन के लागू होने के 2 वर्षों के भीतर EU के समक्ष राष्ट्रीय पुनर्स्थापन योजनाओं को प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है।

5.12.7. पायरोलिसिस (Pyrolysis)

- शोधकर्ताओं के अनुसार **बायोएनर्जी ट्राइजेनरेशन (BioTRIG)** तकनीक का इस्तेमाल **पायरोलिसिस** के लिए करना संभव हो गया है।
  - पायरोलिसिस **ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के तापीय अपघटन** की एक प्रक्रिया है। ग्रीक भाषा में 'Pyro' का अर्थ 'आग' और 'Lysis' का अर्थ "मुक्त करना" है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है- आग से मुक्त करना।
  - पायरोलिसिस द्वारा अपशिष्ट बायोमास जैसे कार्बन युक्त पदार्थों को **बायोचार और बायो-ऑयल में बदला** जा सकता है। साथ ही, इससे **सिनगैस भी उत्पन्न** की जा सकती है। अपशिष्ट बायोमास के अंतर्गत **फसल अवशेष, खाद्य अपशिष्ट और पशु खाद** शामिल हैं।

[190] Well to wheel

- ये पायरोलिसिस उत्पाद **(बायोएनर्जी ट्राइजेनरेशन) भारत में ग्रामीण समुदायों की निम्नलिखित तीन प्रमुख चुनौतियों को दूर करने में मदद कर सकते हैं-**
  - **बायोचार** से मृदा की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।
  - **बायो-ऑयल** का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता है।
  - **सिनगैस** का उपयोग खाना पकाने के स्वच्छ दक्ष ईंधन के रूप में किया जा सकता है।

5.12.8. अर्थ ऑवर (Earth Hour)

- **23 मार्च को रात 8.30 बजे से लेकर 9.30 बजे (IST)** तक अर्थ आवर" का आयोजन किया गया।
- **अर्थ ऑवर के बारे में:**
  - अर्थ ऑवर की शुरुआत **2007 में सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) में एक लाइट्स-आउट कार्यक्रम** के रूप में हुई थी।
  - यह एक वैश्विक कार्यक्रम है। इसका आयोजन **हर साल मार्च माह के अंतिम शनिवार** के दिन किया जाता है।
  - इसका आयोजन **विश्व वन्यजीव कोष (WWF)** करता है।
  - यह आयोजन जलवायु परिवर्तन के बारे में **जागरूकता बढ़ाने और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा** देने का प्रतीकात्मक संदेश देता है।
  - यह आयोजन अर्थ ऑवर की अवधि के बाद भी, **लोगों को संधारणीय भविष्य के लिए आगे की कार्रवाई करने हेतु प्रेरित** करता है।

5.12.9. इकोसाइड (Ecocide)

- **बेल्जियम इकोसाइड या 'पारिस्थितिकी तंत्र की हत्या' को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध** के रूप में स्वीकार करने वाला यूरोप का **पहला देश** बन गया है।
- **इकोसाइड:** इसका तात्पर्य उन **गैर-कानूनी व हठी कृत्यों को अंजाम देना है, जिनके बारे में यह ज्ञान होता है कि ऐसे कृत्यों से पर्यावरण को कितना व्यापक व दीर्घकालिक नुकसान** हो सकता है।
  - इस शब्दावली का उपयोग पहली बार **अमेरिकी जीवविज्ञानी 'आर्थर गैल्स्टन' ने 1970** में किया था।
- **भारत** में अभी तक इस कृत्य को आपराधिक **घोषित नहीं** किया गया है।

5.12.10. ओरण भूमि (Oran Land)

- विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान के समुदायों ने **ओरण (पवित्र उपवन) को डीम्ड वन के रूप में वर्गीकृत करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव पर चिंता व्यक्त** की है।
  - सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, ओरण, देववन और रूंध को वन भूमि मानकर डीम्ड फॉरेस्ट का दर्जा दिया जाएगा। ओरण पवित्र स्थल हैं, जो **जैव-विविधता से समृद्ध** होते हैं। इन स्थलों पर **आमतौर पर एक जल निकाय भी पाया** जाता है।
  - एक पवित्र उपवन में **कुछ वृक्षों से लेकर कई एकड़ तक की प्राकृतिक वनस्पति के भू-खंड** शामिल होते हैं। ये भू-खंड **स्थानीय देवताओं या वृक्ष आत्माओं को समर्पित** होते हैं।
- **डीम्ड वन**
  - किसी भी **वन कानून में डीम्ड वन की अवधारणा को स्पष्ट रूप से परिभाषित** नहीं किया गया है।
  - **गोदावर्मन तिरुमलपाद (1996) मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने 'डीम्ड वन' की अवधारणा** प्रस्तुत की थी।
    - इसका आशय एक ऐसे क्षेत्र से है, जिसे **सरकार ने आधिकारिक तौर पर वन के रूप में वर्गीकृत नहीं** किया है, लेकिन वह वन जैसा ही दिखाई देता है।

5.12.11. जीवित प्राणी प्रजातियां (रिपोर्टिंग और रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2024 {Living Animal Species (Reporting and Registration) Rules, 2024}

- केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने "जीवित प्राणी प्रजातियां (रिपोर्टिंग और रजिस्ट्रीकरण) नियम, 2024" अधिसूचित किए।
- इन नियमों को **वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम (WPA), 1972 की धारा 63** के तहत अधिसूचित किया गया है। ये WPA, 1972 की **धारा 49M के उद्देश्यों** को पूरा करने के लिए अधिसूचित किए गए हैं।
  - **धारा 49M:** यह किसी व्यक्ति द्वारा उन **जीवित अनुसूचित प्राणी प्रजातियों को अपने कब्जे में रखने, स्थानांतरण करने और उनके जन्म के पंजीकरण एवं मृत्यु की रिपोर्टिंग** करने का प्रावधान करती है, जो **CITES के परिशिष्टों या WPA, 1972 की अनुसूची IV में सूचीबद्ध** हैं।
    - इस धारा को **वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 के माध्यम से जोड़ा** गया था।
- **मुख्य नियमों पर एक नज़र:**
  - **किसी प्राणी प्रजाति को अपने कब्जे (possession) में रखने हेतु पंजीकरण के लिए आवेदन:** प्रत्येक व्यक्ति, जिसके कब्जे में कोई प्राणी प्रजाति है, उसे **6 महीने के भीतर अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप में पंजीकरण** कराना होगा।
  - **जन्म की रिपोर्टिंग और पंजीकरण:** प्रत्येक व्यक्ति, जिसके कब्जे में कोई प्राणी प्रजाति है, उसे ऐसी **प्राणी प्रजाति की**

संतान के जन्म की रिपोर्टिंग करनी होगी तथा **सात दिनों के भीतर इसके पंजीकरण के लिए आवेदन** करना होगा।

- जिस व्यक्ति के पास किसी प्राणी प्रजाति के होने का पंजीकरण है, उसे ऐसे प्राणी के किसी अन्य को **हस्तांतरण करने के बारे में 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट** करनी होगी।
- इसमें **जानवरों की नियमित स्वास्थ्य जांच के माध्यम से कैप्टिव ब्रीडिंग** में शामिल लोगों के लिए स्टॉक का रखरखाव, किसी प्राणी प्रजाति के भागने की सूचना देना आदि शामिल है।

- **वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 और CITES**
  - 2022 के संशोधन में **CITES को लागू करने की व्यवस्था** की गई है।
    - **WPA की अनुसूची IV में CITES के अंतर्गत सूचीबद्ध पादपों और जीवों के नमूने** शामिल हैं।
  - यह **प्रजातियों के व्यापार के लिए निर्यात या आयात परमिट देने हेतु प्रबंधन प्राधिकरण** का प्रावधान भी करता है।

5.12.12. गोल्डन लंगूर (Golden Langur)

- नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में लगभग 7,396 गोल्डन लंगूर हैं।
- **गोल्डन लंगूर के बारे में**
  - **संरक्षण स्थिति:**
    - **IUCN:** लाल सूची में **'एंडेंजर्ड'** के रूप में शामिल है।
    - **CITES:** परिशिष्ट-I में सूचीबद्ध है।
    - **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम:** अनुसूची-I में रखा गया है।
  - **विशेषताएं:**
    - यह **ओल्ड वर्ल्ड मंकी** के एक बड़े समूह से संबंधित है। इन बंदरों को **कोलोबाइंस** कहा जाता है। कोलोबाइंस पत्ती खाने वाले प्राइमेट होते हैं, जिनका जुगाली करने वाले जानवरों के समान बहु-कोष्ठीय पेट होता है।
    - **ओल्ड वर्ल्ड मंकी** विशेष रूप **एशिया व अफ्रीका** की बंदर प्रजातियों के लिए प्रयुक्त पद है। **न्यू वर्ल्ड मंकी** विशेष रूप **अमेरिका महाद्वीप** की बंदर प्रजातियों के लिए प्रयुक्त वर्गीकरण है।
    - गोल्डन लंगूर की **फर का रंग मौसम के अनुसार बदलता** रहता है। गर्मियों में यह क्रीम रंग का और सर्दियों में गहरे सुनहरे रंग का हो जाता है।
    - वे प्रकृति में **दिनचर (दिन में सक्रिय)** हैं और **वृक्षों पर रहते** हैं। ये 3-15 सदस्यों के झुंड में रहते हैं।
    - **पर्यावास:** यह **असम (ब्रह्मपुत्र नदी घाटी) और भूटान में उपोष्णकटिबंधीय एवं समशीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वनों** का स्थानिक जीव है।

5.12.13. मेलानोक्लामिस द्रौपदी (एम.द्रौपदी) {Melanochlamys Droupadi (M. Droupadi)}

- **हेड-शील्ड सी स्लग** की एक **नई समुद्री प्रजाति की पश्चिम बंगाल व ओडिशा** के तटों से खोज की गई है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका नाम देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के नाम पर **"मेलानोक्लामिस द्रौपदी (एम. द्रौपदी)"** रखा है।
- यह प्रजाति अपना पर्यावास **मेलानोक्लैमिस बेंगालेंसिस** के साथ साझा करती है। मेलानोक्लैमिस बेंगालेंसिस की खोज 2022 में की गई थी। हालांकि, यह आकृति विज्ञान की दृष्टि से एम.द्रौपदी से अलग है।
  - एम.द्रौपदी बेंगालेंसिस से **आकार में छोटी** है। इसका रंग **धब्बेदार भूरा व काला** है। इसके पश्च कवच (posterior shield) पर **रुबि लाल** रंग का धब्बा है।
- सी स्लग **तेज शिकारी** होते हैं। वे अन्य विचरण करने वाले जीवों को अपना शिकार बनाते हैं। इन जीवों में खोलयुक्त व बिना खोल वाले स्लग, गोलकृमि (Roundworms), समुद्री कृमि, छोटी मछलियां आदि शामिल हैं।

5.12.14. स्टार ड्यून्स (Star Dunes)

- वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर मौजूद **विशाल मरुस्थलीय स्टार ड्यून्स का पहला गहन अध्ययन** करके उनकी आंतरिक संरचना का खुलासा किया है।
  - यह अध्ययन **एर्ग चेब्बी (पूर्वी मोरक्को) में लाला ललिया** नामक एक स्टार ड्यून पर केंद्रित है। लाला ललिया का अर्थ **"सर्वोच्च पवित्र बिंदु"** होता है।

- **स्टार ड्यून्स के बारे में:**
    - इनका निर्माण **जटिल पवन तंत्र** वाले क्षेत्रों में होता है। जटिल पवन तंत्र का आशय है कि उस क्षेत्र में पवनों का प्रवाह सभी दिशाओं से होता है।
    - पृथ्वी के मरुस्थलों में बनने वाले **सभी ड्यून्स में स्टार ड्यून्स का हिस्सा केवल 10% है।** सभी ड्यून्स में इनकी ऊंचाई सर्वाधिक होती है।
    - पृथ्वी के सबसे विशाल स्टार ड्यून्स **बदैन जारन मरुस्थल (चीन)** में पाए जाते हैं।
    - इन्हें **मंगल ग्रह पर और शनि के चंद्रमा टाइटन** पर भी देखा गया है।

5.12.15. रेड मड (Red Mud)

- आई.आई.टी. मद्रास के शोधकर्ताओं ने **फॉस्फोरिक एसिड का उपयोग करके बॉक्साइट अवशिष्ट यानी रेड मड** के उपचार की एक विधि विकसित की है। इस विधि का इस्तेमाल **बॉक्साइट अवशिष्ट से मूल्यवान सामग्री प्राप्त** करने के लिए किया जाएगा।
    - **सिरेमिक** के समान कुछ मूल्यवान सामग्रियों में **डाईइलेक्ट्रिक और ऑप्टिकल गुण** होते हैं। इसका उपयोग **इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण और ऊर्जा भंडारण** में किया जा सकता है।
- रेड मड **एल्यूमीनियम उत्पादन के दौरान प्राप्त एक उपोत्पाद है।**
    - इसमें **आर्सेनिक, सीसा, कैडमियम, क्रोमियम, वैनेडियम और पारा** जैसी विषाक्त भारी धातुएं मौजूद होती हैं।
    - इसकी **उच्च क्षारीयता इसे अत्यधिक संक्षारक (Corrosive) तथा मृदा और जीवन रूपों के लिए हानिकारक** बनाती है।

5.12.16. सी-माउंट (समुद्री पर्वत) (Seamounts)

- शोधकर्ताओं ने **पेरू और चिली के तट पर गहरे समुद्र में चार विशाल सी-माउंट्स** की खोज की।
- **सी-माउंट के बारे में**
    - सीमाउंट जल सतह के नीचे स्थित पर्वत होता है। इसकी तीक्ष्ण ढालें समुद्र नितल से ऊपर उठी हुई होती हैं।
    - अधिकांश सी-माउंट्स **विलुप्त ज्वालामुखियों के अवशेष** हैं। ये आमतौर पर **शंकु के आकार** के होते हैं।
        - बड़े **सपाट शिखर वाले सी-माउंट्स को गयोट्स (guyots)** कहा जाता है।
    - विश्व के **प्रत्येक महासागरीय बेसिन में सी-माउंट्स** पाए जाते हैं।
    - सी-माउंट्स **जीवन के लिए मरूद्यान या जैविक हॉटस्पॉट** के रूप में कार्य करते हैं। इनके ऊपर और आसपास **उच्च प्रजातिगत विविधता व बायोमास** पाया जाता है।
    - विश्व का **सबसे ऊँचा सी-माउंट हवाई का सुप्त ज्वालामुखी मौना केआ** है।

5.12.17. एंथ्रोपोसीन युग (मानव युग) {Anthropocene Epoch (Human Epoch)}

- इंटरनेशनल स्ट्रेटीग्राफी कमीशन ने **भूगर्भिक टाइम स्केल में 'एंथ्रोपोसीन युग की शुरुआत' की घोषणा करने के प्रस्ताव को खारिज** कर दिया।
- एंथ्रोपोसीन युग **भूगर्भिक कालखंड की एक अनौपचारिक अवधि** है।
    - यह **पृथ्वी के इतिहास की सबसे हालिया अवधि** का वर्णन करता है। इस दौरान विशेष रूप से औद्योगीकरण के बाद से **मानव गतिविधियों ने पृथ्वी की जलवायु और पारिस्थितिकी-तंत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव** डालना शुरू कर दिया था।
- **वर्तमान युग को होलोसीन** कहा जाता है, जो **अंतिम प्रमुख हिमयुग के बाद 11,700 वर्ष पहले शुरू** हुआ था।
    - वर्तमान में, भूवैज्ञानिक टाइम स्केल पर हम **फैनरोजोइक इयोन, सेनोजोइक महाकल्प, चतुर्थ कल्प, होलोसीन युग और मेघालयन काल** में हैं।

5.12.18. शिंकुन ला दर्रा (Shinkun La Pass)

- **सीमा सड़क संगठन (BRO)** ने कारगिल-लेह राजमार्ग पर दारचा और निम्मू होते हुए **मनाली** (हिमाचल प्रदेश) से **लेह** (लद्दाख) तक सड़क संपर्क स्थापित किया है। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है।
- यह सड़क न केवल एक छोटा मार्ग है, बल्कि इसके रस्ते में केवल एक दर्रा- **शिंकुन ला (16,500 फीट)** पड़ता है।
    - **शिंकू ला दर्रा:** यह हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति को कारगिल की जांस्कर घाटी (लद्दाख) से जोड़ता है।
- इसके परिणामस्वरूप **लद्दाख क्षेत्र के लिए हर मौसम में सड़क संपर्क सुनिश्चित हो पाया है।**

5.12.19. ग्रेट लेक्स (Great Lakes)

- उत्तरी अमेरिका की **ग्रेट लेक्स में लगातार दूसरे वर्ष औसत से काफी कम हिम आवरण** दर्ज किया गया है।

- **ग्रेट लेक्स**
    - इनमें **सुपीरियर, मिशीगन, ह्यूरन, एरी और ओंटारियो** झीलें शामिल हैं। ये झीलें मिलकर पृथ्वी पर सबसे बड़ी **ताजा सतही जल प्रणाली** बनाती हैं।
    - **मिशिगन झील** को छोड़कर, शेष झीलें **कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण** करती हैं।
    - ग्रेट लेक्स का जल **सुपीरियर झील से ह्यूरॉन झील, मिशिगन झील व एरी झील से होते हुए ओंटारियो झील में और सेंट लॉरेंस नदी के माध्यम से अटलांटिक महासागर में** बह जाता है।

SMART QUIZ

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **पर्यावरण** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

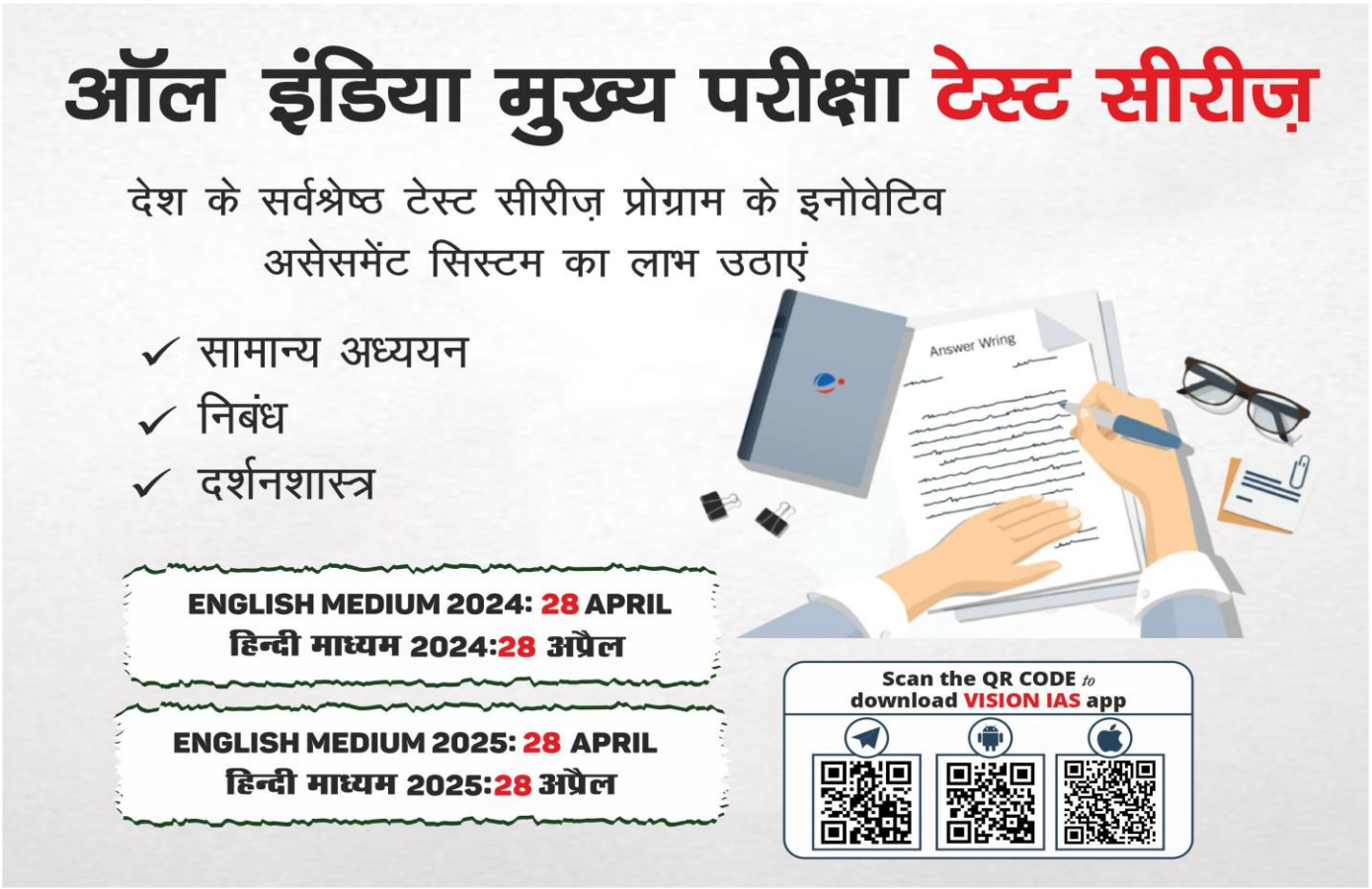

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सरकारी योजनाएं

त्रैमासिक रिवीजन

सिविल सेवा परीक्षा में आपके ज्ञान, एनालिटिकल स्किल और सरकारी नीतियों तथा पहलों की गतिशील प्रकृति के साथ अपडेटेड रहने की क्षमता को जांचा जाता है। इसलिए इस चुनौतीपूर्ण परीक्षा के लिए एक व्यापक और सुनियोजित दृष्टिकोण काफी आवश्यक हो जाता है।

"सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिविजन" डॉक्यूमेंट के साथ सिविल सेवा परीक्षा में सफलता की अपनी यात्रा शुरू कीजिए। यह विशेष पेशकश आपको परीक्षा की तैयारी में एक परिवर्तनकारी अनुभव प्रदान करेगी। सावधानीपूर्वक तैयार किया गया हमारा यह डॉक्यूमेंट न केवल आपकी सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बल्कि टाइम मैनेजमेंट और याद रखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। इस डॉक्यूमेंट को त्रैमासिक आधार पर तैयार किया जाता है। यह डॉक्यूमेंट फाइनल परीक्षा के लिए निरंतर सुधार और तनाव मुक्त तैयारी हेतु अभ्यर्थियों के लिए एक आधार के रूप में कार्य करेगा।

यह सीखने की प्रक्रिया को बाधारहित और आसान यात्रा में बदल देता है। इसके परिणामस्वरूप, आप परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ सरकारी योजनाओं, नीतियों और उनके निहितार्थों की गहरी समझ विकसित करने में सफल होते हैं।

डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट की मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

1. सुर्ख़ियों में रहीं में योजनाएं: अपडेट रहिए, आगे रहिए!

इस खंड में **आपको नवीनतम घटनाक्रमों से अवगत** कराया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी तैयारी न केवल व्यापक हो, बल्कि हालिया तिमाही के लिए प्रासंगिक भी हो। सुर्ख़ियों में रही योजनाओं के रियल टाइम एकीकरण से आप नवीनतम ज्ञान से लैस होकर आत्मविश्वास से परीक्षा देने में सक्षम बन पाएंगे।

2. सुर्ख़ियों में रहीं फ्लैगशिप योजनाएं: परीक्षा में आपकी सफलता की राह!

भारत सरकार की 'फ्लैगशिप योजनाएं' **सिविल सेवा परीक्षा के सिलेबस के कोर** में देखने को मिलती हैं। हम इस डॉक्यूमेंट में इन महत्वपूर्ण पहलों को गहराई से कवर करते हैं, जिससे सरकारी नीतियों के बारे में **आपकी गहरी समझ विकसित** हो। इन फ्लैगशिप योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करके, हम आपको उन प्रमुख पहलुओं में महारत हासिल करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं, जिन्हें परीक्षक सफल उम्मीदवारों में तलाशते हैं।

3. प्रश्नोत्तरी: पढ़िए, मूल्यांकन कीजिए, याद रखिए!

मटेरियल को समझने और मुख्य तथ्यों को याद रखने में काफी अंतर होता है। इस अंतर को खत्म करने के लिए, हमने इस डॉक्यूमेंट में एक 'प्रश्नोत्तरी' खंड शामिल किया है। इस डॉक्यूमेंट में **सावधानी से तैयार किए गए 20 MCQs** दिए गए हैं, जो आपकी **समझ को मजबूत करने के लिए चेकपॉइंट** के रूप में काम करते हैं। ये मूल्यांकन न केवल आपकी प्रगति का आकलन करने में मदद करते हैं बल्कि महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रभावी ढंग से याद रखने में भी सहायक होते हैं।

'सरकारी योजनाएं त्रैमासिक रिवीजन' एक डॉक्यूमेंट मात्र नहीं है; बल्कि यह आपकी परीक्षा की तैयारी में एक रणनीतिक साथी भी है। यह आपकी लर्निंग एप्रोच में बदलाव लाता है, जिससे यह एक सतत और कुशल प्रक्रिया बन जाती है। परीक्षा की **तैयारी के आखिरी चरणों में आने वाले तनाव को अलविदा कहिए, प्रोएक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस** को आपनाइए और आत्मविश्वास के साथ सफलता की ओर आगे बढ़िए।

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. लिव-इन रिलेशनशिप (Live-in Relationships)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उत्तराखंड विधान सभा में पारित **समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक** को **राष्ट्रपति की मंजूरी** मिलने से यह कानून बन गया है। इस कानून में यह प्रावधान किया गया है, कि **राज्य में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले सभी व्यक्तियों को (उत्तराखंड के निवासी या किसी अन्य राज्य के निवासी), रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीकरण कराना होगा।** साथ ही, किसी **अन्य राज्य में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले उत्तराखंड के निवासियों** को भी **रजिस्ट्रार के समक्ष** पंजीकरण कराना होगा।

अन्य संबंधित तथ्य

- उत्तराखंड-समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत **राज्य में** विषमलैंगिक (Heterosexual) जोड़ों को लिव-इन रिलेशनशिप की शुरुआत या उसकी समाप्ति पर **पंजीकरण कराना अनिवार्य** किया गया है।
  - इस पंजीकरण का रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन में रखा जाएगा।
- इसमें यह भी **प्रावधान** है कि यदि किसी महिला को उसके **लिव इन पार्टनर द्वारा 'छोड़" दिया जाता है** तो पार्टनर द्वारा उस **महिला को भरण-पोषण भत्ता प्रदान** किया जाएगा।
- इसमें **लिव इन रिलेशनशिप शुरू करने के एक महीना से अधिक हो जाने पर पंजीकरण नहीं कराने पर तीन महीने तक की सजा का प्रावधान है।** वहीं, **नोटिस जारी करने के बाद भी लिव इन रिलेशनशिप का 'स्टेटमेंट' प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अधिकतम छह महीने तक की जेल की सजा** का भी प्रावधान किया गया है।
- यह कानून वयस्कों के बीच **आपसी सहमति से बनाए जाने वाले संबंधों पर कठोर शर्तें थोपता है।** साथ ही, यह व्यक्ति के **निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ी चिंताओं** को भी बढ़ाता है।

भारत में "लिव-इन रिलेशनशिप" की कानूनी स्थिति

- भारत में, लिव-इन रिलेशनशिप संबंधों को **स्पष्ट रूप से किसी कानून या रीति-रिवाज** के तहत शासित नहीं किया जाता हैं।
- हालांकि, न्यायिक निर्णयों के जरिए **सुप्रीम कोर्ट ने लिव-इन पार्टनरशिप की कानूनी स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है** और कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- **लिव-इन रिलेशनशिप से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के निर्णय:**
  - **बद्री प्रसाद बनाम उप-निदेशक चकबंदी (1978) वाद:** इस मामले ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि, यदि लिव-इन रिलेशनशिप**, विवाह की अनिवार्य शर्तों को पूरा** करते हैं, तो इसे **कानूनी मान्यता** दी जा सकती है। इन शर्तों में **विवाह की न्यूनतम आयु सीमा, आपसी सहमति** और **मानसिक क्षमता** आदि शामिल हैं।
  - **ललिता टोप्पो बनाम झारखंड राज्य (2018) वाद:** इस मामले में सुप्रीम कोर्ट निर्णय दिया था कि, घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत लिव-इन-पार्टनर को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत प्रदान की गई राहत से अधिक राहत प्रदान की जाएगी।
  - **भरत मठ बनाम आर. विजया रेंगनाथन और अन्य (2010) वाद :** सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे को वैध माना जाएगा यानी शादी के बाद पैदा हुए बच्चे की तरह ही जैविक पिता को उसका भरण-पोषण करना होगा। साथ ही ऐसे बच्चों को अविभाजित पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी प्राप्त करने का अधिकार होगा।
  - **इंद्रा सरमा बनाम वी.के.वी. सरमा वाद (2013):** इस मामले में न्यायालय ने कहा कि, यदि **दो अविवाहित पार्टनर्स आपसी सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो यह न ही अवैध है** और न ही इसे अपराध माना जाएगा।

लिव-इन रिलेशनशिप, विवाह संस्था को कैसे प्रभावित कर रहा है?

सामाजिक परिवर्तन, वैश्विक प्रभाव, शहरीकरण और महानगरीय रहन-सहन ने विशेष रूप से युवा पीढ़ी के बीच **विवाह-पूर्व सहवास (Cohabitation) और लिव-इन रिलेशनशिप व्यवस्था की स्वीकार्यता को बढ़ावा** दिया है।

- **व्यक्तिगत स्वायत्तता:** लिव-इन रिलेशनशिप की अवधारणा वास्तव में **व्यक्तिगत स्वायत्तता और खुद की पसंद की स्वतंत्रता** में निहित है। विशेषकर, अरेंज मैरिज की ऐतिहासिक प्रथा और सामाजिक अपेक्षाओं की वजह से इस अवधारणा को और बढ़ावा मिला है।

- **वचनबद्धता/ निष्ठा के बारे में बदलती सोच:** बदलते समय के साथ **वचनबद्धता (कमिटमेंट) की अवधारणा भी बदल रही** है। अब **भावनात्मक लगाव, आपसी बातचीत तथा एक-दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाने पर अधिक जोर** दिया जाने लगा है। इससे विवाह बंधन को **वचनबद्धता या निष्ठा** के सर्वोच्च और पवित्र मानक के रूप में मानने की सोच में भी कमी आई है।
- **एक-दूसरे को समझने और जानने का विवाह-पूर्व अवसर:** लिव-इन रिलेशनशिप वास्तव में दो लोगों (लड़का और लड़की) को एक-दूसरे को समझने और एक साथ वे जीवन व्यतीत कर सकते हैं या नहीं, इसे जानने का अवसर प्रदान करती है। यह दैनिक जीवन प्रतिबंधात्मक या बोझिल वैवाहिक प्रक्रियाओं को निभाने से जुड़ी चिंताओं के समाधान भी प्रदान करता है।
- **कानूनी और सामाजिक व्यवहार:** कानूनी स्वीकृति के बावजूद, लिव-इन रिलेशनशिप की सामाजिक स्वीकृति वास्तव में पारंपरिक पारिवारिक संरचनाओं के लिए चुनौती है। इसने आवश्यक कानूनी सुधारों को लेकर बहस को भी बढ़ावा दिया है।
- **परिवार पर प्रभाव:** लिव-इन रिलेशनशिप परंपरागत पारिवारिक संरचनाओं को चुनौती देता है। इससे विशेष रूप से रूढ़िवादी समुदायों में दो पीढ़ियों के बीच संघर्ष और सामाजिक तनाव को बढ़ावा मिला है।
- **आर्थिक कारक:** वित्तीय सुरक्षा, तलाक की स्थिति में संपत्तियों के विभाजन और विवाह पूर्व समझौतों से जुड़े मुद्दे युवाओं को लिव-इन-रिलेशनशिप की तरफ बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।

निष्कर्ष:

लिव-इन रिलेशनशिप के मामले में स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण विरोधाभासी विचारों और न्यायिक निर्णयों को बढ़ावा मिलता है। इसलिए इस मामले में अस्पष्टता की स्थिति को दूर करने के लिए एक अलग कानून बनाने की आवश्यकता है। लिव-इन-रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों की कानूनी स्थिति और उसके अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए मौजूदा कानूनों के अस्पष्ट प्रावधानों को संशोधित किया जाना चाहिए।

6.2. भारत में कुल प्रजनन दर में गिरावट (Declining Total Fertility Rate in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, लैंसेंट में प्रकाशित ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2021 में इस बात को रेखांकित किया गया है, कि **भारत में कुल प्रजनन दर (TFR)[191] घट कर 2050 तक 1.29 और 2100 तक 1.04 हो जाने की संभावना** है।

कुल प्रजनन दर (TFR) क्या है?

- कुल प्रजनन दर को एक महिला द्वारा **15-49 वर्ष के पूरे प्रजनन काल के दौरान पैदा होने वाले बच्चों की औसत संख्या के रूप में परिभाषित** किया जा सकता है, यदि उसके पूरे प्रजनन काल में एक समान जनन-क्षमता और पैटर्न बना रहता है।
    - **2.1 की कुल प्रजनन दर** यानी **प्रत्येक महिला द्वारा दो बच्चों को जन्म देने** की स्थिति को **जनसंख्या प्रतिस्थापन दर (Replacement rate)** माना जाता है। यह जनसंख्या में सापेक्षिक स्थिरता को दर्शाता है।

कुल प्रजनन दर में गिरावट के कारण

- **शैक्षिक अवसर:** पहले की अपेक्षा **महिलाओं में शिक्षा का स्तर बढ़ा** है। इससे अवांछित प्रसव को रोकने हेतु गर्भनिरोधक दवाओं के उपयोग में बढ़ोतरी, बच्चों के स्वास्थ्य और महिलाओं की कार्यबल भागीदारी में सुधार हुआ है। इनके परिणामस्वरूप प्रजनन दर में कमी आ रही है।
- **परिवार नियोजन:** सरकार ने **परिवार नियोजन हेतु कई पहलें शुरू की** है। इससे किसी **दंपत्ति को बच्चों की संख्या निर्धारित करने** और बच्चों के जन्म के बीच अंतर रखने का निर्णय लेने में मदद मिली है। इस कारण TFR में गिरावट दर्ज की गई है।
- **विवाह में विलम्ब:** विवाह देरी से करने के कारण **गर्भधारण की औसत आयु 20-30 वर्ष से बढ़कर 30-40 वर्ष** हो गई है।
- **बंध्यता:** बदलती **जीवनशैली** के कारण मोटापा, तनाव, धूम्रपान और प्रदूषण का बढ़ना **चिंता का विषय है**। इसके कारण TFR की दर में काफी गिरावट देखी गई है, परिणामस्वरूप **दंपत्तियों में बंध्यता की समस्या बढ़** रही है।
    - पिछले 10 वर्षों में भारत की सामान्य प्रजनन दर में 20 प्रतिशत तक की गिरावट आई है और लगभग 30 मिलियन लोग बंध्यता से ग्रसित हैं।
- **बाल मृत्यु दर:** बाल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होने तथा टीकाकरण कार्यक्रमों के कारण बाल मृत्यु दर में भी गिरावट आई है, जिससे TFR में और अधिक गिरावट को बढ़ावा मिल रहा है।

[191] Total Fertility Rate

कुल प्रजनन दर में गिरावट का प्रभाव

नकारात्मक प्रभाव:

- **आश्रित आबादी के अनुपात (Dependency Ratio) में वृद्धि:** प्रजनन दर में लगातार गिरावट दर्ज होने के कारण **वृद्ध लोगों की तुलना में युवा आबादी कम हो जाएगी।** इससे, जनसंख्या में **आश्रित आबादी अनुपात में वृद्धि** होगी। जैसा कि चीन, जापान जैसे देशों में देखा जा रहा है।
- **राजकोषीय बोझ बढ़ना:** प्रजनन दर में कमी आने के कारण कामकाजी आबादी कम हो जाएगी वहीं बढ़ती आश्रित आबादी के लिए सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, वृद्धावस्था देखभाल आदि पर व्यय में वृद्धि होगी। इससे देश के राजकोषीय संसाधनों पर बोझ बढ़ेगा।
- **श्रम बल:** TFR में कमी आने से कुशल श्रमिकों की संख्या में भी कमी आएगी। इससे **अर्थव्यवस्था की उत्पादकता और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव** पड़ सकता है। इसके परिणामस्वरूप **श्रम बाजार में असंतुलन और आर्थिक संवृद्धि में ठहराव** आ सकता है।
- **प्रवासन:** प्रजनन दर के घटने से प्रवास पैटर्न भी प्रभावित हो सकता है। ऐसे देश, जहां वृद्ध लोगों की आबादी अधिक है, वे कार्यबल की कमी को दूर करने के लिए अपने यहां प्रवासियों को आकर्षित कर सकते हैं। इससे जनसांख्यिकीय विविधता को बढ़ावा मिलेगा लेकिन इससे जनसंख्या समूहों के बीच तनाव भी बढ़ेगा और प्रवासन नीति को लेकर भी संघर्ष पैदा होगा।
- **पारिवारिक व्यवस्था में बदलाव:** परिवार का आकार घटने से दादा-दादी द्वारा बच्चों की देखभाल जैसी पारंपरिक सहायता प्रणाली बाधित हो सकती है। इसके अलावा, एकल परिवारों में वृद्धि के कारण बुजुर्गों में अकेलापन, मानसिक विकार जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं।

सकारात्मक प्रभाव:

- **संसाधनों का बेहतर उपयोग:** प्रजनन दर में कमी आने से **भूमि, जल और अन्य संसाधनों पर दबाव कम होगा** और इससे पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।
- **शैक्षिक दक्षता:** TFR में गिरावट आने से स्कूलों में बच्चों की संख्या भी कमी होगी। इससे बच्चों पर बेहतर ध्यान दिया जा सकता है और इसके अच्छे शैक्षिक परिणाम प्राप्त होंगे। इसके लिए सरकार को प्रति व्यक्ति अतिरिक्त संसाधन भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

आगे की राह:

- **सहायता में वृद्धि:** सरकारों और व्यवसाय जगत को बच्चों की देखभाल में सहायता करनी चाहिए, कर सब्सिडी प्रदान की जानी चाहिए, बच्चों के देखभाल हेतु अवकाश संबंधी पात्रता मानदंडों में सुधार करने ध्यान देना चाहिए। इससे कामकाजी माता-पिता के लिए बच्चों का पालन-पोषण वहनीय बनाया जा सकता है।
- **लैंगिक-समता को लेकर जागरूकता:** महिलाओं को मातृत्व की जवाबदेही के साथ-साथ अपना करियर भी जारी रखने में मदद करने के लिए पुरुषों को भी घर और देखभाल संबंधी कार्यों की अधिक जिम्मेदारी उठानी चाहिए।
- **आर्थिक नीतियों का निर्माण करना:** सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी संभावित खतरों से निपटने के लिए, **सामाजिक सुरक्षा और पेंशन सुधारों के साथ-साथ विकास और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने वाली आर्थिक नीतियां बनानी चाहिए।** इससे, घटती प्रजनन दर के प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी।
- **कौशल विकास सुनिश्चित करना**: कार्यशील जनसंख्या को, चाहे उनकी संख्या और आयु कुछ भी हो, की आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान किया जाना चाहिए। इससे देश की वृद्ध होती आबादी को "आर्थिक आपदा" बनने से रोका जा सके।

6.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

6.3.1. "लैंगिक असमानता सूचकांक (GII) 2022" जारी किया गया {Gender Inequality Index (GII) 2022 Released}

- **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)** ने "लैंगिक असमानता सूचकांक (GII) 2022" जारी किया।
- GII 2022 को UNDP की **"मानव विकास रिपोर्ट 2023/2024"** में शामिल किया गया है।
    - हाल ही में, मानव विकास रिपोर्ट 2023/2024" को **"ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक री-इमेजनिंग को-ऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड"** शीर्षक से जारी किया गया है।
- **GII 2022 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**
    - सूचकांक में **डेनमार्क को सर्वोच्च रैंकिंग** प्राप्त हुई है। उसके बाद **नॉर्वे** और **स्विट्जरलैंड** का स्थान है।
    - सूचकांक में शामिल **विश्व के 193 देशों में से भारत 108वें स्थान** पर है। भारत का **GII स्कोर 0.437** है।
        - GII 2021 में भारत **191 देशों में से 122वें** स्थान पर था।
    - **भूटान (रैंक-80); श्रीलंका (90); और मालदीव (76)** जैसे भारत के पड़ोसियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है।
- **लैंगिक असमानता सूचकांक (GII)** वास्तव में महिलाओं और पुरुषों के बीच उपलब्धियों में असमानता को दर्शाने वाला एक समग्र

मापन है। यह असमानता **निम्नलिखित तीन आयामों या मानदंडों पर मापी जाती है:**

- **प्रजनन स्वास्थ्य (Reproductive Health):** इसके तहत **मातृत्व मृत्यु अनुपात और किशोर प्रजनन दर** जैसे संकेतकों का उपयोग किया जाता है।
  - इसमें **महिला प्रजनन स्वास्थ्य सूचकांक** का भी उपयोग किया जाता है।
- **सशक्तीकरण (Empowerment):** इसके तहत **संसद में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात तथा कम-से-कम माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाली महिला एवं पुरुष आबादी** संकेतकों का इस्तेमाल किया जाता है।
  - इनके लिए **महिला एवं पुरुष सशक्तीकरण सूचकांक** का भी उपयोग किया जाता है।
- **श्रम बाजार (Labour market):** इसके तहत महिला एवं पुरुषों की **श्रम बल भागीदारी दर** को मापा जाता है।
  - इसमें **महिला और पुरुष श्रम बाजार सूचकांक** का भी उपयोग किया जाता है।

- GII स्कोर **0 से 1 के बीच** दिया जाता है। **0 स्कोर** से आशय है कि **महिला और पुरुष के बीच समानता** की स्थिति है। वहीं, **1 स्कोर** का अर्थ है कि पुरुष और महिला के बीच सभी आयामों या संकेतकों में **व्यापक असमानता** मौजूद है।

6.3.2. संयुक्त राष्ट्र की लैंगिक समानता पर प्रणाली-व्यापी रणनीति (UN System-Wide Gender Equality Acceleration Plan)

- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (IWD) पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने 'संयुक्त राष्ट्र की लैंगिक समानता पर प्रणाली-व्यापी रणनीति' योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य **महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।**
  - 2012 में, संयुक्त राष्ट्र के मुख्य कार्यकारी बोर्ड ने लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए एक अभूतपूर्व प्रणाली-व्यापी कार्य योजना (UN-SWAP) को मंजूरी दी थी। **इस योजना को संयुक्त राष्ट्र की समस्त प्रणाली में लागू किया जाना था।**
  - **2018 में UN-SWAP 2.0 जारी किया** गया था। इसका उद्देश्य मौजूदा संकेतकों और सतत विकास के लिए **एजेंडा, 2030 के अंतर्गत फ्रेमवर्क को मजबूत बनाकर जवाबदेही में सुधार करना** था।
- संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने "बेक्ड-इन बायस" और समानता प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए लक्षित कार्यक्रमों और कोटा की आवश्यकता पर जोर दिया है।
  - **"बेक्ड-इन बायस"** का तात्पर्य समाज में किसी विशेष लिंग, जाति या समुदाय के प्रति निरंतर चले आ रहे पूर्वाग्रह से है जो इसके मूल में अंतर्निहित है।
- संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने तीन प्राथमिक कार्रवाई वाले क्षेत्रों की पहचान की है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं -
  - सतत विकास के लिए **किफायती, दीर्घकालिक वित्त-पोषण को बढ़ाना,**
  - सरकारी नीतियों में **महिलाओं और लड़कियों के लिए समानता को प्राथमिकता देना,**
  - **नेतृत्व वाले पदों पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि करना** शामिल है।
- इससे महिलाओं और लड़कियों की ज़रूरतों को पूरा करने वाली नीतियों और कार्यक्रमों में निवेश को बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

6.3.3. समग्र प्रगति कार्ड (The Holistic Progress Card: HPC)

- **'परख/ PARAKH'** राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (**NCERT**) के तहत मानक-निर्धारण निकाय है। **PARAKH/ परख** ने निम्नलिखित के लिए **समग्र प्रगति कार्ड (HPC)** तैयार किया है:
  - बुनियादी चरण (कक्षा 1 और 2), प्रारंभिक चरण (कक्षा 3 से 5) और मिडिल चरण (कक्षा 6 से 8)।

- PARAKH का पूरा नाम **"समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण"**[192] है।

- HPC एक बहुआयामी रिपोर्ट है जो **शिक्षार्थी की प्रगति का 360-डिग्री विवरण** प्रदान करती है। इसमें बच्चे के विकास के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें **संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक-भावनात्मक और साइकोमोटर डोमेन** शामिल हैं।
  - यह रिपोर्ट **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की सिफारिशों के अनुरूप** है।
- **HPC के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**
  - प्रत्येक **छात्र की बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल का आकलन करना** और उनकी प्रगति की एक विस्तृत रिपोर्ट प्रदान करना,
  - प्रत्येक **शिक्षार्थी की विशिष्टता पर ध्यान केंद्रित करना**,
  - बच्चे की **आत्म-अभिव्यक्ति और उनकी दक्षताओं के आधार पर शिक्षक द्वारा बच्चों के आकलन का दस्तावेजीकरण** करना,
  - **घर और स्कूल के बीच एक मजबूत संबंध** स्थापित करना, जिससे **माता-पिता अपने बच्चे की सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन सकें।**
- **समग्र प्रगति कार्ड (HPC) के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र:**
  - **परियोजना-आधारित और पूछताछ-आधारित** शिक्षा, क्विज़, रोल प्ले, समूह कार्य, पोर्टफोलियो आदि के माध्यम से **आकलन करना।**
  - यह छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए **स्व-मूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन के साथ-साथ माता-पिता की प्रतिक्रिया** को भी शामिल करता है।
  - यह कार्यक्रम छात्रों की **शक्तियों और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करके उनकी आत्म-जागरूकता और आत्म-सम्मान का निर्माण करता** है।
  - **यह तीन विकासात्मक लक्ष्यों पर आधारित है:**
    - स्वास्थ्य और कल्याण,
    - संचार के प्रभावी साधन,
    - सम्मिलित शिक्षार्थी

6.3.4. SWAYAM प्लस प्लेटफॉर्म (Swayam Plus Platform)

- **केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय (MoE)** ने SWAYAM प्लस प्लेटफॉर्म शुरू किया है।
- SWAYAM[193] एक **मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (MOOCs) प्लेटफॉर्म** है। यह प्लेटफॉर्म **शिक्षार्थियों के लिए शैक्षिक अवसर** उत्पन्न करता है।
- **SWAYAM प्लस प्लेटफॉर्म के बारे में:**
  - यह **राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020** के उद्देश्यों के अनुरूप है। इसमें इंडस्ट्री लीडर्स के सहयोग से ऐसे कोर्स शामिल किए जाएंगे, जो **उद्योग जगत की जरूरतों को पूरा कर सकें।** इससे प्रशिक्षुओं को रोजगार प्राप्ति योग्य बनाया जा सकेगा।
  - इसमें बहुभाषी कंटेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मार्गदर्शन, क्रेडिट मान्यता और रोजगार की राह (पाथवे टू एम्प्लॉयमेंट) जैसे नवीन तत्व शामिल किए गए हैं।
  - इसे लागू करने के लिए **IIT मद्रास को नोडल एजेंसी** बनाया गया है।
  - इसका वित्त-पोषण **MoE के उच्चतर शिक्षा विभाग** द्वारा किया जाएगा।

6.3.5. ऑनलाइन बाल लैंगिक शोषण और दुर्व्यवहार {Online Child Sexual Exploitation And Abuse (OCSEA)}

- यूनिसेफ ने "रोल ऑफ सोशल मीडिया इन फैसिलिटेटिंग ऑनलाइन चाइल्ड एक्सप्लोइटेशन एंड एब्यूज" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।
- **ऑनलाइन बाल लैंगिक शोषण और दुर्व्यवहार (OCSEA)**[194] से आशय **सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी** माध्यमों के जरिए बच्चों के साथ **लैंगिक दुर्व्यवहार और/या उनका लैंगिक शोषण** करने से है।
  - राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुसार, भारत में अलग-अलग सोशल मीडिया पर **बाल लैंगिक शोषण संबंधी कंटेंट (CSAM)**[195] **में 250 से 300 प्रतिशत** की वृद्धि दर्ज की गई है।
- **सोशल मीडिया OCSEA को कैसे बढ़ावा देता है?**
  - **ऑनलाइन प्रिडेटर्स:** अपराधी प्रवृत्ति के लोग **बच्चों को ग्राफिक कंटेंट पोस्ट करने हेतु लुभाने और मजबूर करने** के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं।
  - **अश्लील कंटेंट तक पहुंच:** बच्चे **जानबूझकर या अनजाने में अश्लील कंटेंट** तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कंटेंट **सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आसानी से उपलब्ध** होते हैं।
- **बाल लैंगिक शोषण वाले कंटेंट का बच्चों पर दुष्प्रभाव:**
  - ये **मस्तिष्क के विकास को बाधित** करते हैं। साथ ही **एंग्जाइटी, पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) जैसे मनोवैज्ञानिक तनाव** का कारण भी बनते हैं।
  - इसकी वजह से बच्चों में **अजीब व्यवहार करने की आदत** विकसित हो सकती है।

---

[192] Performance Assessment, Review and Analysis of Knowledge for Holistic Development

[193] Study Webs of Active-Learning for Young Aspiring Minds

[194] Online Child Sexual Exploitation and Abuse

[195] Child Sexual Abuse Material

- इसकी वजह से बच्चों में **कई तरह के संचारी और गैर-संचारी रोगों का खतरा** बढ़ जाता है। ऐसी बीमारियों में असुरक्षित लैंगिक संबंध की वजह से **HIV का संक्रमण; हृदय रोग; अवांछित गर्भधारण** आदि शामिल हैं।

- **रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें:**
  - ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को अनिवार्य रूप से एक ऐसा **तंत्र विकसित** करना चाहिए, जहां बच्चे अपनी **परेशानियों और चिंताओं को दर्ज** कर सकें। यह **तंत्र** स्पष्ट, सुलभ व बच्चों के अनुकूल होना चाहिए।
  - **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सर्विस प्रोवाइडर्स** को समय-समय पर **पारदर्शिता संबंधी रिपोर्ट प्रकाशित** करनी चाहिए।

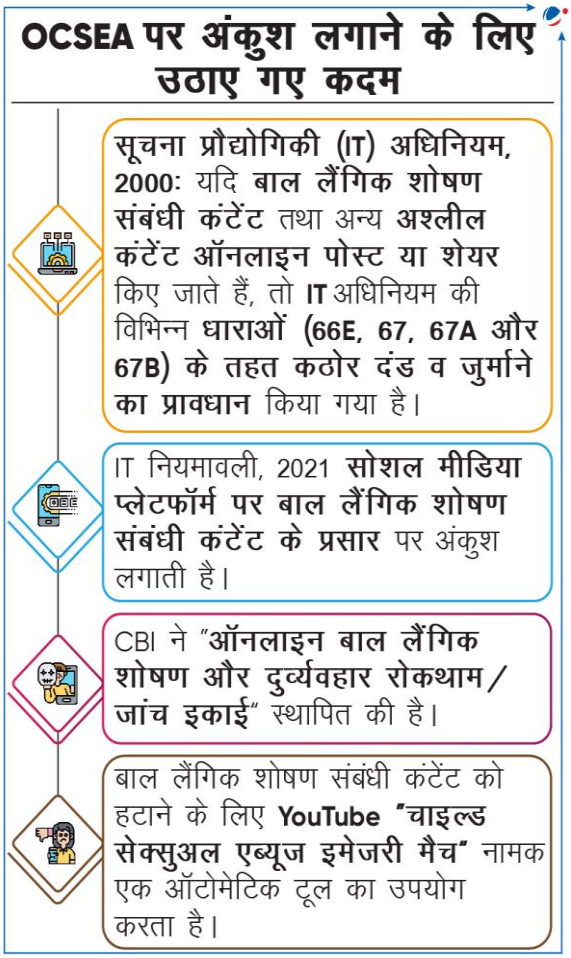

नोट: बाल यौन शोषण संबंधी कंटेंट (CSAM) के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, कृपया VisionIAS मासिक समसामयिक,अक्टूबर 2023 के संस्करण में आर्टिकल 6.8. देखें।

6.3.6. वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक (World Poverty Clock: WPC)

- **वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक** पर नवीनतम आंकड़ों के अनुसार **भारत ने 'चरम निर्धनता' को अपनी आबादी के 3% से नीचे लाने** में सफलता प्राप्त की है। इसका तात्पर्य है कि अब भारत की केवल 3% से कम आबादी चरम निर्धनता में जीवन यापन कर रही है।
- **WPC के बारे में:**
  - इसे एक वैश्विक डेटा कंपनी, **वर्ल्ड डेटा लैब** ने विकसित किया है।
  - यह **चरम निर्धनता को समाप्त करने की दिशा में वैश्विक प्रगति पर नज़र** रखती है।
  - यह **अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) तथा जर्मनी के फ़ेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट** द्वारा वित्त-पोषित है।

6.3.7. स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग (SGLR) पहल {Swachhata Green Leaf Rating (SGLR) Initiative}

- **जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग** ने स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग (SGLR) पहल शुरू की है। इस पहल को **पर्यटन मंत्रालय के सहयोग** से आरंभ किया गया है।
  - इसे **पर्यटन उद्योग** के लिए शुरू किया गया है।
- SGLR का पहला **"फाइव रेटिंग" सर्टिफिकेट ऑफ रिकग्निशन मध्य प्रदेश के बाइसन रिसॉर्ट्स** को प्राप्त हुआ है।
- **SGLR के बारे में:**
  - यह एक प्रकार की **रेटिंग प्रणाली** है। इसके तहत साफ-सफाई और स्वच्छता के विशिष्ट मानकों के पालन के आधार पर अलग-अलग **पर्यटक सुविधाओं का मूल्यांकन** किया जाएगा।
  - **उद्देश्य:** देश के **समृद्ध पर्यटन उद्योग में स्वच्छता संबंधी व्यवहारों** में व्यापक बदलाव लाना है।
  - यह **मिशन LiFE के तहत ट्रैवल फॉर LiFE (TFL) कार्यक्रम** के अनुरूप है।

6.3.8. होमोसेप एटम (Homosep Atom)

- यह **सेप्टिक टैंक/ मैनहोल की सफाई में सक्षम भारत का पहला रोबोट** है। इस रोबोट को **स्टार्ट-अप सोलीनास** ने विकसित किया है। यह रोबोट देश के **16 शहरों** में सेवाएं दे रहा है।
  - सोलीनास को **IIT मद्रास के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST)- टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर (TBI)** में स्थापित किया गया है।

- **होमोसेप एटम के बारे में**
  - यह स्वच्छता उद्देश्यों के लिए **निर्धारित स्थान का निरीक्षण, सफाई और प्रबंधन** करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के साथ एकीकृत रोबोटिक सॉल्यूशन है।
  - **विशेषताएं:** एक ही डिवाइस से **व्यापक ब्लेड क्लीनिंग, ठोस अपशिष्ट डी-सिल्टिंग (गाद हटाना), सक्शन और स्टोरेज** किया जा सकता है।
  - **हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा को समाप्त करने** के लिए यह संपूर्ण समाधान प्रदान करता है।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **सामाजिक मुद्दे** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

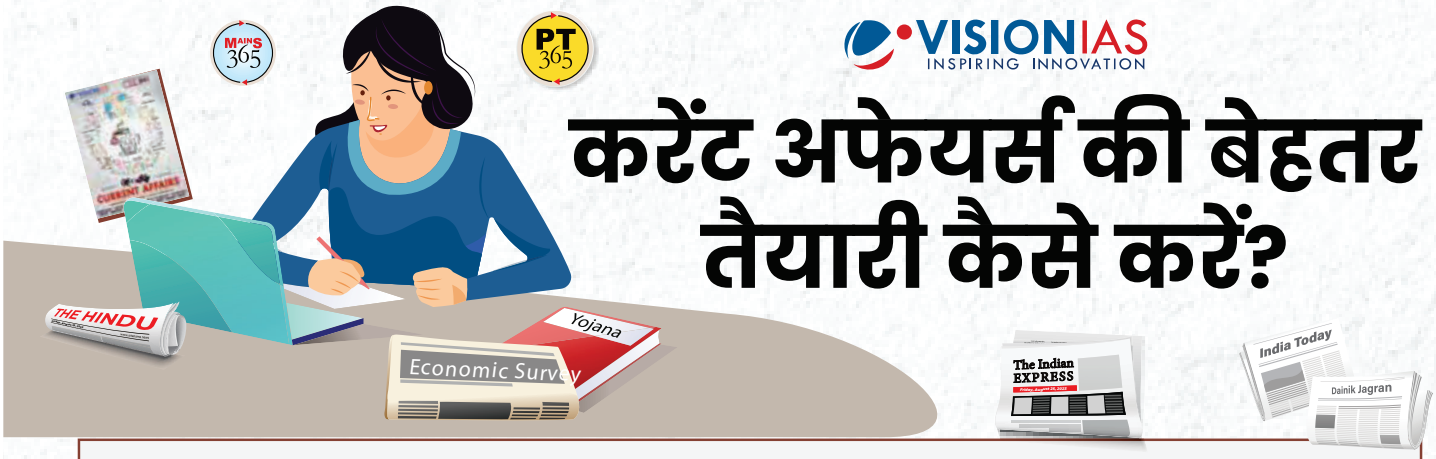

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

करेंट अफेयर्स की बेहतर तैयारी कैसे करें?

करेंट अफेयर्स सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की आधारशिला है, जो प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू तीनों चरणों में जरूरी होता है। परीक्षा के प्रश्न डायनेमिक स्रोतों से तैयार किए जा रहे हैं। ये प्रश्न सीधे वर्तमान की घटनाओं से जुड़े होते हैं या स्टैटिक कंटेंट तथा वर्तमान की घटनाओं, दोनों से जुड़े होते हैं। इस संदर्भ में, करेंट अफेयर्स से अपडेट रहना अभ्यर्थी को सिविल सेवा परीक्षा के नए ट्रेंड को समझने में सक्षम बनाता है। सही रिसोर्सेज और एक रणनीतिक दृष्टिकोण के जरिए अभ्यर्थी इस विशाल सेक्शन को अपना सकारात्मक पक्ष बना सकते हैं।

करेंट अफेयर्स के लिए दोहरी स्तर वाली रणनीति

करेंट अफेयर्स के लिए दोहरी स्तर वाली रणनीति

अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना

न्यूज़पेपर पढ़ना: फाउंडेशन

वैश्विक और राष्ट्रीय घटनाओं की व्यापक समझ हेतु न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए प्रतिदिन एक घंटा समर्पित करना चाहिए।

न्यूज़ टुडे: संदर्भ की सरल प्रस्तुति

न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ-साथ, न्यूज़ टुडे भी पढ़िए, जिसमें लगभग 200 या 90 शब्दों में करेंट अफेयर्स का सारांश प्रस्तुत किया जाता है। यह रिसोर्स अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण न्यूज़ की पहचान करने, तकनीकी शब्दों और घटनाओं को समझने में मदद करता है।

मासिक समसामयिकी मैगजीन: गहन विश्लेषण

व्यापक कवरेज और घटनाओं के विस्तृत विश्लेषण के लिए मासिक समसामयिकी मैगजीन आपकी जरूरत पूरी कर सकती है। इससे अलग-अलग क्षेत्रों में विभिन्न घटनाओं के संदर्भ, महत्त्व और निहितार्थ को समझने में सुविधा होती है।

तैयारी और रिविजन में महारत हासिल करना

वीकली फोकस: फाउंडेशन को मजबूत करना

किसी टॉपिक के बारे में अपनी समझ को मजबूत करने के लिए वीकली फोकस का संदर्भ लीजिए। इसमें किसी प्रमुख मुद्दे के विभिन्न पहलुओं और आयामों के साथ-साथ स्टेटिक तथा डायनेमिक घटकों को शामिल किया जाता है।

आर्थिक सर्वेक्षण और बजट के हाईलाइट्स तथा सारांश

इसमें आसानी से समझ के लिए जटिल जानकारी को एक कॉम्पैक्ट प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट के सारांश डाक्यूमेंट्स से आप महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

PT 365 और Mains 365: परीक्षा में प्रदर्शन बढ़ाना

पूरे वर्ष के करेंट अफेयर्स की तैयारी के लिए PT 365 और Mains 365 का उपयोग कीजिए। इससे प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों के लिए रिविजन में भी मदद मिलेगी।

ब्रोशर पढ़ने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

Vision IAS का त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट उन छात्रों के लिए उपयोगी रिसोर्स है, जो 2-3 महीनों से मंथली अपडेट पढ़ने से चूक गए हैं। यह प्रमुख घटनाक्रमों का सारांश प्रदान करके लर्निंग में निरंतर सहायता प्रदान करता है।

"याद रखिए, करेंट अफेयर्स को केवल याद ही नहीं रखना होता है, बल्कि घटनाओं के व्यापक निहितार्थों और अंतर्संबंधों को समझना भी होता है। जिज्ञासा के साथ आगे बढ़िए; समय के साथ, यह बोझ कम होता जाएगा और यह एक ज्ञानवर्धक अनुभव बन जाएगा।"

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

7.1. इंडिया AI मिशन (India AI Mission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **कृत्रिम बुद्धिमत्ता इनोवेशन इकोसिस्टम** को मजबूत करने हेतु **इंडिया AI मिशन** के लिए 10,300 करोड़ रुपये से अधिक के वित्त को मंजूरी दी है।

इंडिया AI (AI)[196] मिशन के बारे में

- **उद्देश्य:**
  - इसका उद्देश्य AI नवाचार के लिए **सार्वजनिक-निजी भागीदारी**[197] के जरिए इकोसिस्टम तैयार करना है।
  - इसके तहत एडवांस AI कंप्यूटिंग अवसंरचना तैयार करने के लिए **10,000 से अधिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPUs)** की स्थापना की जाएगी।
  - लोकतंत्रीकरण, डेटा की गुणवत्ता में सुधार तथा स्वदेशी AI क्षमताओं का विकास करके भारत के AI इकोसिस्टम का उत्तरदायित्वपूर्ण व समावेशी विकास किया जाएगा।
- **मंत्रालय:** यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत शुरू किया गया एक अंब्रेला कार्यक्रम है।
- **वित्त-पोषण:** इस योजना के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के जरिए 5 वर्षों की अवधि में वित्त उपलब्ध कराया जाएगा।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** इस योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी **'इंडिया AI'** एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग है, जिसे डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत गठित किया गया है।

इंडिया AI और संबंधित योजनाओं के स्तंभ		
प्रशासन में AI	**AI कम्प्यूट एवं सिस्टम**	**AI के लिए डेटा**
• **भाषिणी**[198]**:** यह भारतीय भाषाओं के अनुवाद हेतु AI आधारित एक लैंग्वेज टूल है। • **डिजिटल इंडिया** • **इंडिया स्टैक और AI**	• **ऐरावत:** भारत का AI सुपर कंप्यूटर C-DAC, पुणे में स्थापित किया गया है। • **राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन** • **MeitY क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब**	• **डेटा प्रबंधन कार्यालय:** यह डेटा प्रबंधन के मानकीकरण में मदद करता है। • **भारत डेटासेट प्रोग्राम और भारत डेटा प्लेटफ़ॉर्म:** यह स्टार्ट-अप और शोधकर्ताओं के लिए गैर-व्यक्तिगत डेटासेट तक पहुंच प्रदान करता है।
AI, बौद्धिक संपदा (IP) और इनोवेशन	**AI में कौशल उन्नयन**	**AI नैतिकता और शासन**
• **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र** • **MeitY स्टार्ट-अप हब** • प्रस्तावित **'AI पर राष्ट्रीय केंद्र (NCAI)'**	• **फ्यूचर स्किल्स प्राइम:** AI प्रमाणन कार्यक्रमों के लिए नैसकॉम और MeitY की संयुक्त पहल। • **युवाओं के लिए रिस्पॉसिबल AI:** स्कूली छात्रों को AI के लिए तैयार करने हेतु सरकार का कार्यक्रम।	• **RAISE**[199]**:** सामाजिक सशक्तीकरण के लिए उत्तरदायी AI

196 Artificial Intelligence

197 Public-Private Partnerships

198 BHASHa INterface for India/ भारत के लिए भाषा इंटरफ़ेस

199 Responsible AI for Social Empowerment

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के बारे में

- यह उन जटिल कार्यों को करने में सक्षम कंप्यूटर प्रणालियों को संदर्भित करता है, जिन्हें आम तौर पर सिर्फ इंसान ही कर सकता था, जैसे- तर्क करना, निर्णय लेना या समस्याओं को सुलझाना।
- इसमें विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकियां शामिल हैं, जैसे-
    - **मशीन लर्निंग (ML):** इसमें डेटा सेट पर प्रशिक्षित एल्गोरिदम का उपयोग करके कुछ विशिष्ट मॉडल तैयार किए जाते हैं। इन मॉडल्स की मदद से मशीनों को ऐसा कार्य करने में सक्षम बनाया जा सकता है, जो आम तौर पर केवल मनुष्यों द्वारा ही किए जा सकते हैं।
        - **जेनरेटिव AI (GAI):** इसे मशीन लर्निंग से ही विकसित किया गया है। इसमें कुछ विशिष्ट प्रकार के एल्गोरिदम का प्रयोग किया जाता है, जो नए डेटा का सृजन करने में भी सक्षम होते हैं। इसमें **BharatGPT' द्वारा तैयार किया गया 'हनुमान (Hanooman)'** या **ChatGPT** जैसे **लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLMs)** और डीपफेक उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाने वाले जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क (GAN) शामिल होते हैं।

जेनरेटिव प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर (GPT) बनाम लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM)

- **GPT एक प्रकार का LLM है,** जो मनुष्यों की तरह टेक्स्ट जेनरेट करने के लिए डीप लर्निंग का उपयोग करता है।
- **इनकी विशेषताएं हैं-**
    - इन्हें **"जनरेटिव"** कहा जाता है, क्योंकि ये दिए गए इनपुट के आधार पर **नया टेक्स्ट सृजित कर सकते** हैं।
    - इन्हें **"प्रीट्रेन्ड"** कहा जाता है, क्योंकि इन्हें किसी विशिष्ट कार्य के लिए ठीक से तैयार करने से पहले **टेक्स्ट डेटा के एक बड़े सेट पर प्रशिक्षित किया जाता है।**
    - इन्हें **"ट्रांसफॉर्मर"** कहा जाता है, क्योंकि ये इनपुट टेक्स्ट को प्रोसेस करने और आउटपुट टेक्स्ट जेनरेट करने के लिए **ट्रांसफार्मर आधारित न्यूरल नेटवर्क** आर्किटेक्चर का उपयोग करते हैं।

    - **डीप लर्निंग:** इसके तहत कंप्यूटर को सूचना को इस तरह से प्रोसेस करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है कि वे मानव की न्यूरल प्रक्रियाओं की नकल कर सकें।
    - **नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP):** यह कंप्यूटर को मानव भाषा को समझने में सक्षम बनाता है, जैसे- **भाषिणी**।

भारत में AI के कुछ नए और उभरते उपयोग

- **अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की सुरक्षा:** अवसंरचनाओं की निगरानी और निरीक्षण करने के लिए AI का उपयोग किया जा सकता है।
    - उदाहरण के लिए- **बेंगलुरु मेट्रो** में ट्रैक की निगरानी करने, खामियों का पता लगाने तथा अलर्ट जारी करने के लिए **AI आधारित कैमरों** का उपयोग किया जा रहा है।
- **पर्सनल सहायक:** AI की मदद से व्यक्तिगत और व्यावसायिक कार्यों को सरल बनाया जा सकता है।
    - उदाहरण के लिए- **ओला का कृत्रिम (Krutrim)** एक पर्सनल जेनरेटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट है। यह लगभग 22 भारतीय भाषाओं को समझ सकता है और 10 भाषाओं में टेक्स्ट तैयार कर सकता है।
- **बेहतर प्रशासन:** AI सरकारी कार्यों और सार्वजनिक सेवा वितरण की दक्षता को बढ़ाने में सहायक है। साथ ही, यह सरकारी पहलों को अधिक समावेशी और सुलभ बनाने में भी मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए-
    - **डिजिटल संसद ऐप:** यह नई संसद में सदन की कार्यवाही को प्रसारित करने के लिए AI-आधारित एक प्लेटफ़ॉर्म है।
    - **किसान-ईमित्र (Kisan-eMitra):** यह **प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम.-किसान)** के लिए शुरू किया गया AI-आधारित एक चैटबॉट है। यह किसानों को उनके प्रश्नों का त्वरित, स्पष्ट और सटीक उत्तर प्रदान करता है।

भारत में AI को अपनाने में मौजूद चुनौतियां

- **प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी:** NASSCOM के अनुसार, वर्तमान में भारत में लगभग 629 हजार प्रशिक्षित AI पेशेवरों की मांग है, जबकि केवल 416 हजार AI पेशेवर मौजूद हैं। यह आंकड़ा 2026 तक 1 मिलियन तक पहुंच सकता है।
- **नौकरियों पर प्रभाव: विश्व आर्थिक मंच** का अनुमान है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस **2025 तक दुनिया भर में लगभग 85 मिलियन नौकरियों को खत्म** कर देगा।
- **अवसंरचनात्मक चुनौतियां- भौतिक और डिजिटल:** AI आधारित अवसंरचना की कमी है, जैसे- क्लाउड कंप्यूटिंग और **ओपन-सोर्स डेटा की निम्न गुणवत्ता तथा सीमित उपलब्धता।**

- **नैतिकता और सत्यनिष्ठा संबंधी चिंताएं:**
  - AI-आधारित निर्णय **अशुद्धियों, भेदभावपूर्ण परिणामों** तथा **पूर्वाग्रह** से प्रभावित हो सकते हैं।
  - हाशिए पर मौजूद आबादी की AI तक असमान पहुंच के कारण **डिजिटल विभाजन और अधिक बढ़** सकता है।
- **नियामक चुनौतियां:**
  - AI वैश्विक प्रकृति का है, जिसके कारण अलग-अलग नियामकों के बीच **सार्वभौमिक परिभाषा का अभाव** है।
    - इसके अलावा, AI की विकसित होती प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
  - **AI प्रणाली में पारदर्शिता की कमी** के कारण उपयोगकर्ता इस बात से अनजान रह सकते हैं कि वे स्वचालित प्रणाली के संपर्क में आ रहे हैं। इससे विश्वास प्रभावित हो सकता है।
  - **दायित्व संबंधी चिंताएं:** AI की **ब्लैक बॉक्स आधारित प्रकृति और स्वयं से सीखने की क्षमता** के कारण इसके **निर्णयों को उचित ठहराना** और **त्रुटियों के लिए दायित्व का निर्धारण करना कठिन** हो सकता है।
    - यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि डीप लर्निंग प्रणालियां अपने निर्णय कैसे लेती हैं। इसे ही **'ब्लैक बॉक्स समस्या'** कहा जाता है।
- **दुरुपयोग के बढ़ते मामले: गलत सूचना फैलाने के लिए डीप फेक तैयार करने** जैसे **दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य** से AI का दुरुपयोग किया जा रहा है।

भारत में AI से संबंधित अन्य पहलें

- **इंडिया AI पोर्टल:** यह भारत में **AI से संबंधित विकास के लिए वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म** के रूप में कार्य करता है।
  - यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (NASSCOM) का एक संयुक्त उद्यम है।
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी (GPAI)[200]:** यह एक बहु-हितधारक पहल है। इसका उद्देश्य AI से संबंधित प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यावहारिक गतिविधियों का समर्थन करके AI के सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक पक्ष के बीच के अंतर को पाटना है।
  - **सचिवालय:** फ्रांस स्थित **आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD)** द्वारा सचिवालयीय सेवा प्रदान की जाती है।
  - **सदस्य:** इसमें भारत सहित कुल 29 अंतर्राष्ट्रीय भागीदार शामिल हैं।

आगे की राह

- **AI को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।** साथ ही, शिक्षण और लर्निंग को बढ़ावा देना चाहिए तथा AI उद्यमों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **कंपनियों को कर्मचारियों की कुशलता बढ़ाने का काम करना चाहिए।**
  - लिंक्डइन की एक रिपोर्ट के अनुसार, **भारत में लगभग 94% कंपनियां** AI के उन्नत होने के कारण **कर्मचारियों का कौशल बढ़ा रही हैं।**
- घरेलू स्तर पर AI एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए **भारतीय स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन प्रदान किया** जाना चाहिए।
- **AI शासन से जुड़े कानूनों को तैयार करने** के लिए उपयुक्त नीति निर्माताओं और नियामक संस्थानों को चिन्हित किया जाना चाहिए।
- मौजूदा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के आधार पर **उपयुक्त AI कानून तैयार किए जाने चाहिए।**

नोट: *अंतर्राष्ट्रीय नियामक फ्रेमवर्क पर अगले आर्टिकल में विस्तार से चर्चा की गई है।*

7.1.1. AI के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक फ्रेमवर्क (International Regulatory Frameworks for AI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA)** ने **"सुरक्षित, सेक्योर और भरोसेमंद[201]" कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणालियों** को बढ़ावा देने के लिए एक **ऐतिहासिक संकल्प** को अपनाया है।

[200] Global Partnership on Artificial Intelligence

[201] Safe, Secure and Trustworthy

कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर UNGA के संकल्प की मुख्य विशेषताएं

- इस संकल्प में **ऑफलाइन और ऑनलाइन, दोनों ही माध्यमों पर समान अधिकारों की आवश्यकता** पर बल दिया गया है। साथ ही, इसमें **"हम तकनीक को नियंत्रित करेंगे, न कि तकनीक हमें"** का आह्वान किया गया है।
- इसके तहत देशों के बीच और उनके भीतर **कृत्रिम बुद्धिमत्ता** और **अन्य डिजिटल विभाजन को खत्म करने का संकल्प** लिया गया है।
- यह सभी क्षेत्रों के सदस्य देशों और हितधारकों को सुरक्षित, **संरक्षित** और भरोसेमंद कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास करने के लिए प्रोत्साहित करके **नियामक और प्रशासन आधारित दृष्टिकोण का समर्थन** करता है।
- इसके अलावा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों की पूरी कार्यावधि में **मानवाधिकारों के संरक्षण पर जोर** दिया गया है।
- यह **व्यापार और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांतों**[202] के अनुरूप लागू किए गए अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कानूनों का पालन करने के लिए निजी क्षेत्रक को प्रोत्साहित करता है।
- इसमें **AI प्रशासन पर निरंतर चर्चा का आह्वान** किया गया है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण AI प्रणाली के विकास के साथ तालमेल बनाए रख सकें तथा समावेशी अनुसंधान, मानचित्रण और विश्लेषण को बढ़ावा दे सकें आदि।

AI के लिए अन्य अंतर्राष्ट्रीय नियामक फ्रेमवर्क

- **यूरोपियन यूनियन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिनियम:** इसमें AI सिस्टम के लिए 4 स्तरों के जोखिम को परिभाषित करता है- अस्वीकार्य जोखिम (Unacceptable Risk), उच्च-जोखिम (High-Risk), विशिष्ट पारदर्शिता जोखिम (Specific Transparency Risk) और न्यूनतम जोखिम (Minimal Risk)।
  - इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उच्च जोखिम वाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से अधिकारों, विधि के शासन और पर्यावरण की रक्षा की जाए।
  - व्यापक रिप्रेजेन्टेटिव डेटासेट पर AI को प्रशिक्षण प्रदान करके **नस्लीय और लैंगिक पूर्वाग्रहों से निपटना।**
- **चीन का मॉडल:** इसके तहत सुरक्षा उपायों से युक्त AI उपकरणों और नवाचार को बढ़ावा दिया जाता है, ताकि देश के सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को भविष्य में होने वाले किसी भी संभावित नुकसान से बचाया जा सके।
  - इसमें कंटेंट मॉडरेशन, व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा और एल्गोरिदम प्रशासन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- **UK का दृष्टिकोण:** इसने AI को विनियमित करने के लिए एक **क्रॉस-सेक्टर** और **परिणाम आधारित फ्रेमवर्क** को अपनाया है। इसके तहत **सुरक्षा, संरक्षा और सुदृढ़ता,** पारदर्शिता तथा जवाबदेही एवं शासन आदि के **मुख्य सिद्धांतों को ध्यान में रखा** जाता है।
  - **इस फ्रेमवर्क को अभी तक कानून में संहिताबद्ध नहीं** किया गया है, लेकिन सरकार का अनुमान है कि **भविष्य में लक्षित विधायी हस्तक्षेप की आवश्यकता** होगी।
  - यह AI में मौजूदा 'टेक्नोलॉजी न्यूट्रल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क' को लागू करके **नवाचार और सुरक्षा को संतुलित** करता है।
  - **AI और डिजिटल हब** को एक बहु-नियामक सलाहकार सेवा के रूप में आरंभ किया जाएगा। इससे कानूनी और नियामक दायित्वों को पूरा करने में इनोवेटर्स को मदद मिलेगी।

वैश्विक स्तर पर AI को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए अन्य कदम

- **AI के लिए ब्लेचली घोषणा-पत्र:** इस पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और भारत तथा यूरोपीय संघ सहित कुल 29 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं।
  - **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **AI में शामिल जोखिमों और जिम्मेदारियों का व्यापक रूप से समाधान** प्रस्तुत करना है।
  - इस घोषणा-पत्र में **"फ्रंटियर AI"** को "अत्यधिक सक्षम फाउंडेशन जेनरेटर AI मॉडल **के रूप में परिभाषित किया गया है**। इसमें कुछ खतरनाक क्षमताएं हो सकती हैं, जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकती हैं"।

[202] United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights

- **AI को विनियमित करने के लिए G-7 समूह द्वारा हिरोशिमा AI प्रोसेस (Hiroshima AI Process: HAP):** इसका उद्देश्य सुरक्षित, संरक्षित और भरोसेमंद AI को बढ़ावा देना है। हिरोशिमा AI प्रक्रिया व्यापक नीतिगत फ्रेमवर्क प्रस्तुत करता है-
  - **हिरोशिमा प्रोसेस इंटरनेशनल गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर ऑल AI एक्टर्स, और**
  - **हिरोशिमा प्रोसेस इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन्स डेवलपिंग एडवांस्ड AI सिस्टम्स।**

7.2. घोस्ट पार्टिकल्स (Ghost Particles)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अंटार्कटिका में आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला के वैज्ञानिकों ने सात **टाऊ (Tau) न्यूट्रिनो** को डिटेक्ट किया है, जो पृथ्वी से होकर गुजरे थे। इन्हें **घोस्ट पार्टिकल्स** कहा जाता है।

न्यूट्रिनो/ घोस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं?

- **घोस्ट पार्टिकल्स के बारे में:** ये **विद्युत आवेश रहित लगभग नगण्य** द्रव्यमान वाले उप-परमाण्विक (Subatomic) कण या पार्टिकल होते हैं।
  - **मिल्की वे आकाशगंगा से परे खगोलीय परिघटनाओं** से निकलने वाले उच्च-ऊर्जा युक्त न्यूट्रिनो को **"एस्ट्रोफिजिकल न्यूट्रिनो"** के रूप में जाना जाता है।
  - इन्हें घोस्ट पार्टिकल्स भी कहा जाता है, क्योंकि लगभग 100 ट्रिलियन न्यूट्रिनो प्रति सेकेंड हमारी जानकारी के बिना मानव शरीर से होकर गुजरते हैं।
- **वर्गीकरण:** स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स के तहत, इन्हें **'लेप्टान (Lepton)'** के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  - स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल सिद्धांत, ब्रह्माण्ड के ताने बाने को संचालित और आकार देने में भूमिका निभाने वाले **पार्टिकल्स, फील्ड्स और फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में बताता** है।

स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स

- **यह ब्रह्मांड के निर्माण में भूमिका निभाने वाले मौलिक कारकों[203] का वर्णन करता है।**
  - यह बताता है कि कैसे **क्वार्क** और **लेप्टॉन** नामक कण/ पार्टिकल्स सभी ज्ञात पदार्थों का निर्माण करते हैं। क्वार्क, **प्रोटॉन और न्यूट्रॉन** का निर्माण करते हैं जबकि लेप्टॉन, **इलेक्ट्रॉन** का निर्माण करते हैं।
  - साथ ही, यह बताता है कि **बल को वहन करने वाले बोसॉन कण** क्वार्क और लेप्टॉन को कैसे प्रभावित करते हैं।
- इसके अलावा, यह **ब्रह्मांड को संचालित करने वाले चार फंडामेंटल फोर्स में से तीन के बारे में भी बताता** है, ये हैं: इलेक्ट्रोमैगनेटिज्म, स्ट्रांग फोर्स और वीक फोर्स।
  - **फोटॉन, इलेक्ट्रोमैगनेटिज्म** फोर्स के वहन कण होते हैं। इसमें विद्युत क्षेत्रों और चुंबकीय क्षेत्रों के मध्य परस्पर क्रिया होती है।
  - **ग्लूऑन, स्ट्रांग फोर्स के वहन कण होते हैं।** यह बल परमाणु नाभिकों को एक साथ बांध कर उन्हें स्थिर बनाए रखता है।
  - **W** और **Z बोसॉन** द्वारा वहन किया गया **वीक फोर्स**, नाभिकीय अभिक्रियाओं का कारण बनता है जो हमारे सूर्य और अन्य तारों के लिए अरबों वर्षों से ऊर्जा के स्रोत के रूप कार्य कर रहा है।
  - चौथा मौलिक बल **गुरुत्वाकर्षण** है, जिसकी **पर्याप्त व्याख्या** इस मॉडल द्वारा नहीं की जा सकी है।

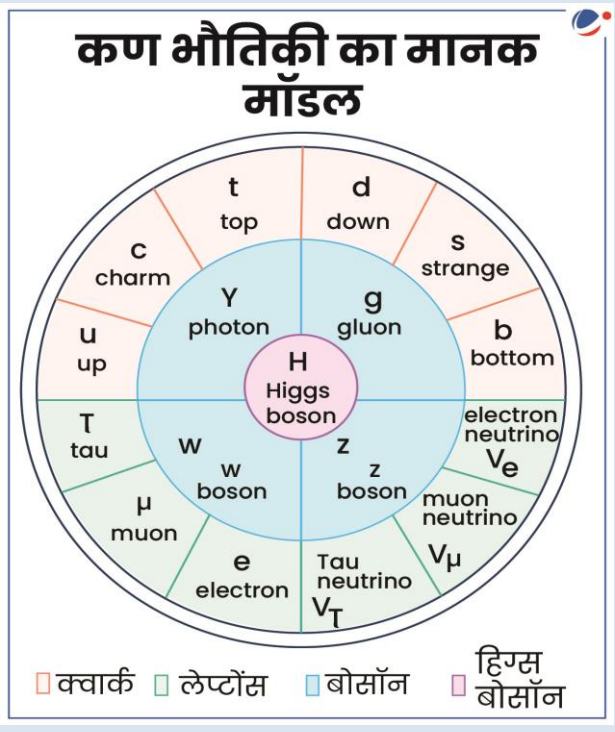

[203] Basic Building Blocks

- **प्रकार: इसके 3 प्रकार, यथा- इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो** और **टाऊ न्यूट्रिनो** होते हैं। न्यूट्रिनो ब्रह्माण्ड में गमन करने के दौरान एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदल जाते हैं। इसे **न्यूट्रिनो ऑक्सीलेशन** कहते हैं।
- **उच्च-ऊर्जा से युक्त न्यूट्रिनो के संभावित स्रोत:** सुपरनोवा जैसी घटनाएं और एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई तथा ब्लैक होल जैसे खगोलीय पिंड इनके संभावित स्रोत हैं।
  - **सूर्य की नाभिकीय अभिक्रियाएं, पृथ्वी में कणों का क्षय, बीटा क्षय पार्टिकल एक्सीलेटर और परमाणु ऊर्जा संयंत्र** सभी न्यूट्रिनो का उत्सर्जन करते हैं।
- **न्यूट्रिनो के गुण:**
  - ये **लगभग प्रकाश की गति** से गमन करते हैं।
  - ये न तो चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होते हैं और न ही ये प्रकीर्णित होते हैं। साथ ही, ये आसानी से अवशोषित भी नहीं होते हैं। इस प्रकार, इनका पता लगाना बहुत कठिन हो जाता है।
  - ये अपने स्रोत से उत्सर्जित होने के बाद सीधी रेखा में गमन करते हैं।
  - न्यूट्रिनो ब्रह्मांड में द्रव्यमान वाले सबसे प्रचुर कण हैं।
- ये अपने विशिष्ट गुणों के कारण, उन पिंडों या परिघटनाओं के बारे में **जानकारी प्रदान करने के अच्छे स्रोत** होते हैं, जिनसे वे उत्पन्न होते हैं।
  - गामा किरणें और कॉस्मिक किरणें अपने स्रोतों के बारे में जानकारी के अन्य प्रमुख स्रोत हैं।
- **नोट:** ये **'गॉड पार्टिकल' या हिग्स बोसॉन से अलग** होते हैं।
  - **हिग्स बोसॉन** हिग्स क्षेत्र से जुड़े मूलभूत कण होते हैं, जो **अन्य मूलभूत कणों को द्रव्यमान प्रदान करते** हैं।
  - इसकी खोज 2012 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पार्टिकल एक्सेलरेटर या कण त्वरक **लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC)** में की गई थी। गौरतलब है कि LHC यूरोपियन ऑर्गनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च (CERN) की एक पहल है, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हैं।

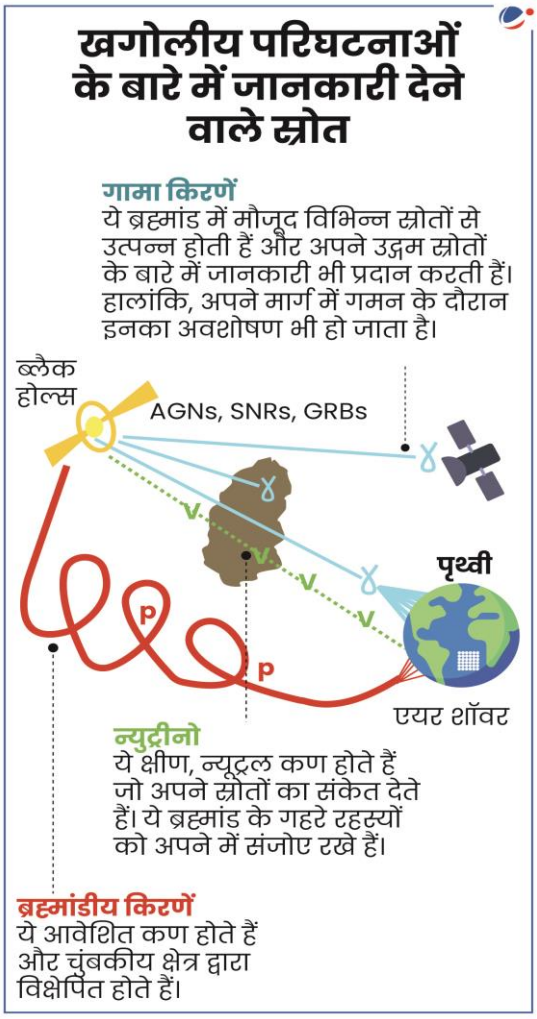

आइस क्यूब वेधशाला के बारे में

- यह **क्यूबिक-किलोमीटर न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर** है, जो **बर्फ की सतह के नीचे लगभग 2,500 मीटर की गहराई तक विस्तृत** है।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य पृथ्वी के वायुमंडल के साथ संपर्क में आने वाली कॉस्मिक किरणों का निरीक्षण करना और डार्क मैटर की प्रकृति एवं न्यूट्रिनो के गुणों का अध्ययन करना है।
- **अवस्थिति:** यह अंटार्कटिका में **अमुंडसेन-स्कॉट साउथ पोल स्टेशन** के पास स्थित है।
  - ऐसी वेधशाला को कणों का अन्वेषण करने और **पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित होने वाले विकिरण से बचाने** के लिए **स्वच्छ, शुद्ध और स्थिर हिमावरण** की आवश्यकता होती है। इसलिए इसे दक्षिणी ध्रुव पर बनाया गया है।
- यह पहला **गीगाटन न्यूट्रिनो डिटेक्टर** है। इसे मुख्य रूप से सबसे प्रचंड खगोलीय परिघटनाओं से उत्सर्जित होने वाले न्यूट्रिनो का निरीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया था।
  - **वर्ष 2013** में **पहली बार इस वेधशाला द्वारा** एस्ट्रोफिजिकल न्यूट्रिनो को डिटेक्ट किया गया था।

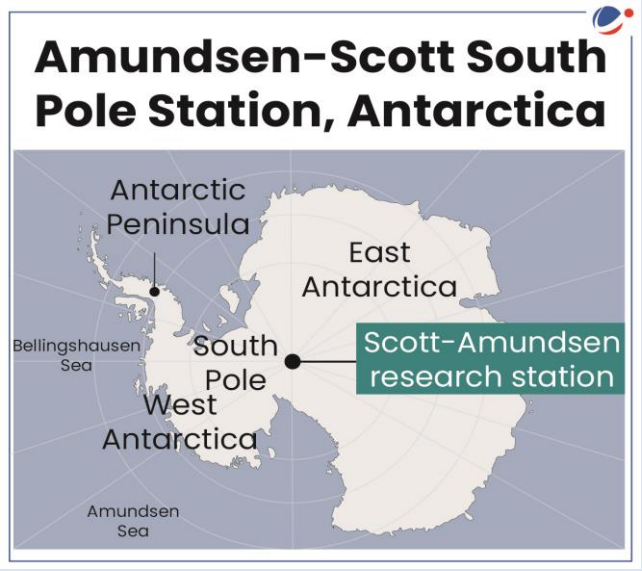

आइस क्यूब वेधशाला किस प्रकार न्यूट्रिनो का पता लगाती या डिटेक्ट करती है?

- न्यूट्रिनो को प्रत्यक्ष रूप से नहीं, बल्कि **अन्य पदार्थों के साथ परस्पर क्रिया** के जरिए पहचाना जाता है।

- जब न्यूट्रिनो हिम के अणुओं के साथ क्रिया करते हैं, तो **वे उच्च गति** (हिम में प्रकाश से भी तेज गति से) **से गमन करने वाले विद्युत आवेशित द्वितीय कणों को उत्पन्न** करते हैं।
- इससे **नीली रोशनी (चेरेनकोव प्रकाश) का उत्सर्जन** होता है।
- इस वेधशाला के लिए **डिजिटल ऑप्टिकल मॉड्यूल** (DOM) के तारों/ केबलों का उपयोग किया गया है, जिन्हें अंटार्कटिका के हिमवारण की गहराई में स्थापित किया गया है।
    - ये उपकरण सिग्नल्स को प्रकाश पैटर्न में परिवर्तित करते हैं, जो न्यूट्रिनो की दिशा और ऊर्जा के बारे में बताते हैं।

न्यूट्रिनो के अध्ययन का महत्त्व

- **ब्रह्मांड के विकास को समझना:** इससे हमें बिग-बैंग के तुरंत बाद, **ब्रह्मांड के शुरुआती चरणों** के बारे में समझने में मदद मिल सकती हैं।
    - उदाहरण के लिए- चीन ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने के लिए न्यूट्रिनो से जुड़ा एक सिमुलेशन बनाने के लिए अपने सुपर कंप्यूटर, तियानहे-2 का उपयोग कर रहा है।
- **डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की बेहतर समझ:** हमारे ब्रह्मांड का 95% हिस्सा डार्क मैटर (27%) और डार्क एनर्जी (68%) से बना हुआ है।
- **न्यूक्लिऑन की संरचना का अध्ययन करने में मदद:** परमाणुओं के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रिनो का अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो सकता है कि पदार्थ सरल कणों से अधिक जटिल कणों में कैसे विकसित हुआ।
- **तारों से उत्सर्जित न्यूट्रिनो:** खगोलविद तारों से उत्सर्जित न्यूट्रिनो का अध्ययन सूर्य सहित अन्य तारों के आंतरिक भाग के बारे में समझ को बेहतर करने और नए ग्रहों की खोज करने के लिए कर सकते हैं।
- **चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग:** इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में एक्स-रे मशीनों और MRI स्कैन के जैसे अन्य बेहतर विकल्प तलाशने में भी किया जा सकता है।
- **परमाणु प्रसार की निगरानी:** परमाणु रिएक्टर के अंदर या परमाणु विस्फोटों से विखंडन की प्रक्रिया से बीटा क्षय के जरिए न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है।
    - शुद्ध पानी से भरे डिटेक्टरों का उपयोग न्यूट्रिनो का पता लगाकर कहीं दूर संपन्न होने वाली परमाणु अभिक्रियाओं की निगरानी के लिए किया जा सकता है।
    - उदाहरण के लिए, **USA-UK के संयुक्त प्रयास "वॉचमैन"** का लक्ष्य न्यूट्रिनो की मदद से परमाणु रिएक्टरों की दूर से ही निगरानी करना है।

अन्य न्यूट्रिनो वेधशालाएं

- **भारतीय न्यूट्रिनो वेधशाला (INO)[204]:** इसका उद्देश्य न्यूट्रिनो के अध्ययन के लिए भूमिगत प्रयोगशाला का निर्माण करना है।
    - इसे **परमाणु ऊर्जा विभाग** और **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग** द्वारा संयुक्त रूप से वित्त-पोषित किया जा रहा है।
    - **अवस्थिति:** यह **तमिलनाडु के थेनी जिले** की बोडी वेस्ट हिल्स में स्थित है।
- **चीन का ट्राइडेंट (ट्रॉपिकल डीप-सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप):** यह भूमध्य रेखा के पास दक्षिण चीन सागर में बनाया जा रहा नया न्यूट्रिनो डिटेक्टर है।
    - इसमें बेहतर सटीकता होगी और इससे कॉस्मिक किरणों एवं उनकी उत्पत्ति से जुड़े रहस्य को सुलझाने में मदद मिलेगी।

7.3. फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (Fast Breeder Reactor)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, तमिलनाडु के कलपक्कम में मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र में भारत के पहले स्वदेशी **प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR)** में कोर-लोडिंग प्रक्रिया शुरू की गई थी।

अन्य संबंधित तथ्य

- PFBR को **भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड** या भाविनी (BHAVINI) द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसमें 200 से अधिक भारतीय उद्योगों की सहायता ली गई थी।
- परमाणु रिएक्टर के **कोर में परमाणु ईंधन डालने** को ही **कोर लोडिंग** कहा जाता है।

[204] Indian Neutrino Observatory

- कोर लोडिंग प्रक्रिया का पूरा होना **'क्रिटिकलिटी (Criticality)' हासिल करने की दिशा में पहला चरण** होता है।
    - परमाणु रिएक्टर में **स्वचालित एवं संतुलित रूप से चलने वाली परमाणु विखंडन अभिक्रिया** हासिल होने को ही क्रिटिकलिटी कहते हैं। इसके बाद यह FBR, 500-मेगावाट बिजली पैदा करने लगेगा।

भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड या भाविनी

- **भाविनी के बारे में:** यह **परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी** है।
- **उत्पत्ति:** इसे 2003 में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था।
- **उद्देश्य:**
    - तमिलनाडु के कलपक्कम में **पहले 500 मेगावाट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBR) का निर्माण करना और उसे चालू** करना; और
    - **परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962** के प्रावधानों के तहत विद्युत उत्पादन के लिए आगे भी FBR का निर्माण, कमीशनिंग, संचालन और रख-रखाव करना।

फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है?

- फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स (FBR) एक प्रकार के परमाणु रिएक्टर ही होते हैं। इन रिएक्टर्स में बिजली पैदा करने के दौरान अत्यंत तीव्र गति वाले न्यूट्रॉन की मदद से खपत की तुलना में अधिक परमाणु ईंधन का उत्पादन किया जाता है।
- FBR में ईंधन के रूप में **यूरेनियम-प्लूटोनियम मिश्रित ऑक्साइड (MOX)** का उपयोग किया जाएगा।
- इस रिएक्टर में फ्यूल कोर के आस-पास का **यूरेनियम-238 'ब्लैंकेट' न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की प्रक्रिया से गुजरने पर अतिरिक्त ईंधन का उत्पादन करता है।** यही कारण है कि इसे **"ब्रीडर"** कहा जाता है।

भारत में थोरियम के भंडार

- परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) ने अब तक **11 मिलियन टन से अधिक इन सीटू मोनाजाइट** (थोरियम युक्त खनिज) संसाधन का पता लगाया है।
- **विश्व के लगभग 25% थोरियम** का भंडार भारत में है।
- ये भंडार **केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड** आदि राज्यों के समुद्र तट और नदी की रेत में पाए गए हैं।

FBR का महत्त्व

- **परमाणु कार्यक्रम के चरण 2 की शुरुआत: PFBR का परिचालन** भारत के तीन-चरणों वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के चरण 2 की शुरुआत का प्रतीक होगा।
- **तीसरे चरण के लिए मार्ग प्रशस्त:** FBR में, **थोरियम-232 (Th-232)** का उपयोग ब्लैंकेट के रूप में किया जाएगा।
    - ट्रांसम्यूटेशन (एक तत्व का दूसरे तत्व में रूपांतरण) द्वारा थोरियम-232 को **विखंडनीय U-233** में बदल दिया जाता है, **जिसका उपयोग तीसरे चरण में ईंधन के रूप में किया जाता है।**
    - इस प्रकार, FBR परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के **तीसरे चरण पर पहुंचने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है,** जो अंततः देश के थोरियम भंडार के पूर्ण उपयोग का मार्ग प्रशस्त करता है।
- **तकनीकी उन्नति:** एक बार इस संयंत्र के चालू होने के बाद, **रूस के बाद** FBR का वाणिज्यिक परिचालन करने वाला **भारत दूसरा देश होगा।**
    - चीन ने फास्ट ब्रीडर्स के संबंध में एक लघु स्तर का कार्यक्रम शुरू किया है। दूसरी ओर, सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण जापान, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों ने अपने **FBR कार्यक्रम बंद** कर दिए हैं।
- **अपशिष्ट में कमी:** FBR में **पहले चरण में उपयोग किए गए ईंधन का ही उपयोग किया जाता है।** इससे परमाणु अपशिष्ट की मात्रा में भी काफी कमी आएगी। साथ ही, इससे ऐसे अपशिष्ट के निवारण के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को झेलना नहीं पड़ेगा।

भारत के 3 चरण वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्र

- भारत के पास **दुनिया के यूरेनियम भंडार का केवल 2-3% हिस्सा** मौजूद है। हालांकि, भारत वैश्विक थोरियम भंडार वाले शीर्ष देशों में से एक है।
- **भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉ. होमी जे. भाभा** ने **1950 के दशक में तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम** तैयार किया था। इसका उद्देश्य भारत के सीमित यूरेनियम भंडार और प्रचुर थोरियम भंडार का अधिकतम लाभ उठाना था।

क्या आप जानते हैं?

> विखंडन अभिक्रिया से गुजरने वाले पदार्थ को **विखंडनीय पदार्थ (Fissile materials)** कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ, **फर्टाइल मटेरियल (Fertile material)** ऐसे पदार्थ होते हैं, जो खुद तो विखंडनीय नहीं होते, लेकिन रिएक्टर में विकिरण के द्वारा इन्हें विखंडनीय पदार्थ में बदला जा सकता है।
>
> - उदाहरण के लिए- **यूरेनियम-238** (U238) और **थोरियम-232** (Th-232) फर्टाइल मटेरियल हैं, जिन्हें क्रमशः विखंडनीय प्लूटोनियम-239 (Pu-239) एवं यूरेनियम-233 (U233) में बदला जा सकता है।

> **तीन चरणों वाला परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम** इसी सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें फर्टाइल मटेरियल को विखंडनीय पदार्थ में बदला जाता है।

भारत का तीन चरणों वाला परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम

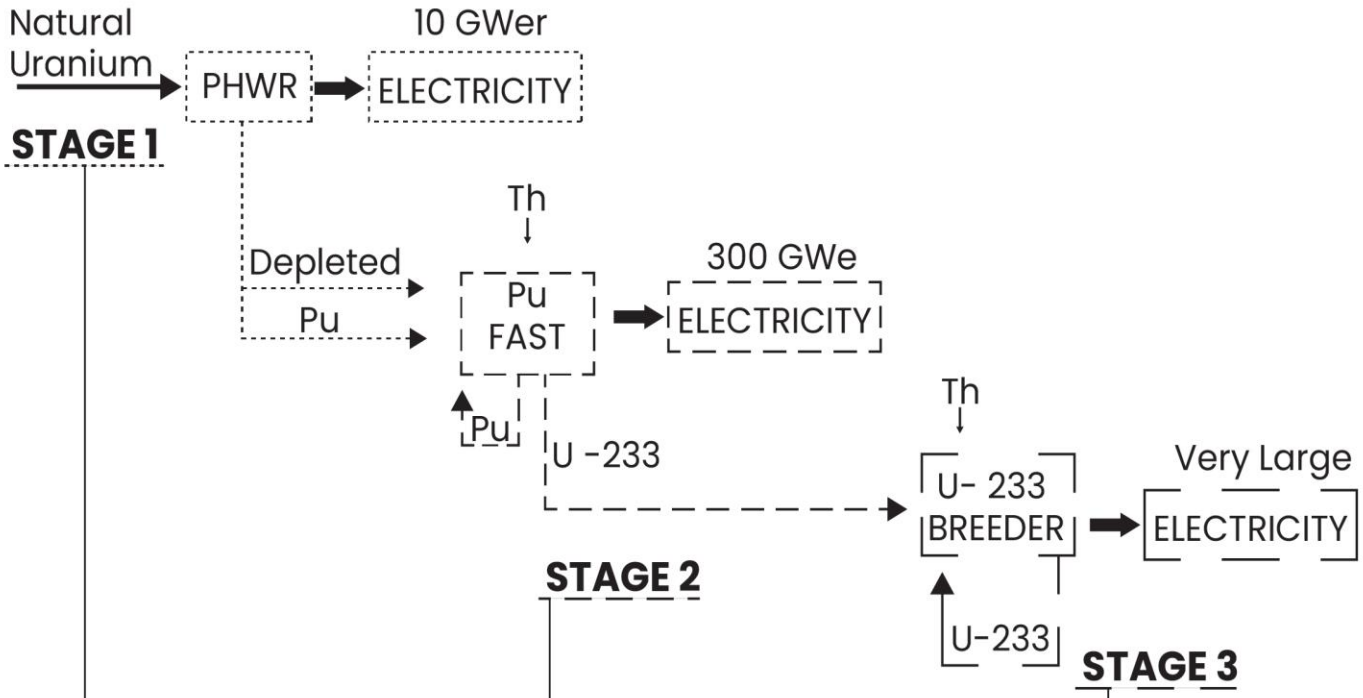

चरण 1: दाबित भारी जल रिएक्टर (PHWRs)

- प्राकृतिक यूरेनियम **(U-235 का 0.7 प्रतिशत)** से ऊर्जा निर्मुक्त करने के लिए उसे विखंडन की प्रक्रिया से गुजारा जाता है।
- **शेष 99.3 प्रतिशत U-238 है, जिसे PU-239 में परिवर्तित किया जाता है।**

चरण 2: PU ईंधन चालित फ़ास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स (FBRs)

- **Pu-239 और U-238 के मिश्रित ऑक्साइड** ईंधन का उपयोग किया जाता है।
- **Pu-239 का विखंडन होता है,** जिससे ऊर्जा और अधिक Pu-239 का उत्पादन होता है।
- Pu-239 का पर्याप्त भंडारण हो जाने पर Th-232 का उपयोग किया जाएगा।

चरण 3: एडवांस्ड हेवी वाटर रिएक्टर (AHWR)

- **थोरियम और यूरेनियम के मिश्रण ईंधन का उपयोग किया जाता है।**
- **Th-232, U-233 में परिवर्तित हो जाता है, जो रिएक्टर को शक्ति प्रदान करता है।**

भारत में परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन

- वर्तमान में, देश में कुल स्थापित परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन क्षमता लगभग **7.5 गीगावॉट** है। इसका **उत्पादन 23 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से** किया जाता है। इन संयंत्रों में 19 PHWR, 2 बॉइलिंग वाटर रिएक्टर (BWR) और 2 प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर (PWRs) शामिल हैं।
  - हाल ही में, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र में **दो स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए 700 मेगावाट के PHWR शामिल** किए गए हैं।
- देश में कुल विद्युत उत्पादन में **परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी 2022-23 में** लगभग **2.8%** थी।
- **लक्ष्य:** भारत का लक्ष्य 2030 तक परमाणु ऊर्जा द्वारा **बिजली उत्पादन क्षमता को तीन गुना** करना है।
- **अन्य प्रमुख पहलें:**
  - **भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMR) का विकास करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।**
  - SMR, एडवांस परमाणु रिएक्टर्स होते हैं जिनकी प्रति रिएक्टर **विद्युत उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट** तक होती है।
  - बड़े परमाणु संयंत्रों की तुलना में SMRs की **लागत और निर्माण में लगने वाला समय कम** है। इनकी **निर्माण प्रक्रिया सरल** होती है और ये **अधिक सुरक्षित** भी होते हैं।
- **भारत में क्लोज्ड फ्यूल साइकल प्रणाली को अपनाया गया है।** इसका उद्देश्य **उपयोग किए गए ईंधन को पुनः प्रसंस्कृत करके यूरेनियम और प्लूटोनियम को प्राप्त करना** एवं इसे रिसाइकिल करके पुनः ईंधन के रूप में रिएक्टर में उपयोग करना है। इसके चलते **परमाणु अपशिष्ट** की मात्रा में कमी आती है।

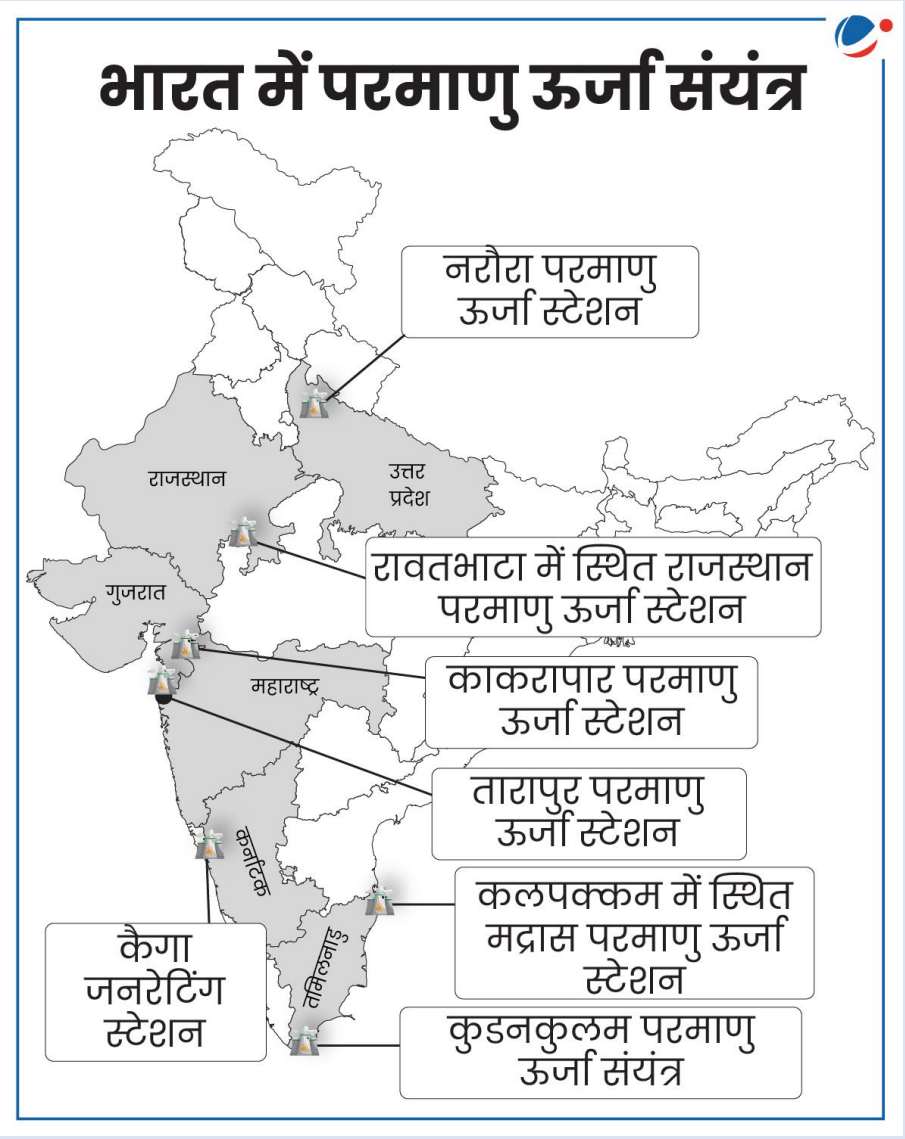

संबंधित सुर्ख़ियां: परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन (Nuclear Energy Summit)

- **पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन** ब्रुसेल्स (बेल्जियम) में आयोजित किया गया था।
- **आयोजन:** इसका आयोजन संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) और बेल्जियम सरकार द्वारा किया गया था।
- **उत्पत्ति:** इसका आयोजन ग्लोबल स्टॉकटेक में परमाणु ऊर्जा को शामिल किए जाने के ऐतिहासिक निर्णय के मद्देनजर किया गया था। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP-28), 2023 में ग्लोबल स्टॉकटेक पर सहमति बनी थी।
  - इस शिखर सम्मेलन में अन्य निम्न कार्बन ऊर्जा स्रोतों के साथ-साथ **परमाणु ऊर्जा** को अपनाने में तेजी लाने का आह्वान किया गया है।
- **उद्देश्य:** निम्नलिखित के मामले में सामना की जाने वाली **वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में परमाणु ऊर्जा की भूमिका** को उजागर करना:
  - जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने मे,
  - ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने में, और
  - आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में।
- **भागीदार:** इसमें **भारत सहित 32 देशों के लीडर्स और प्रतिनिधि** शामिल हुए थे।

7.4. मानव जीनोम अनुक्रमण (Human Genome Sequencing)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT)[205] ने जीनोम इंडिया परियोजना[206] के पूरा होने की घोषणा की है।

जीनोम इंडिया परियोजना के बारे में

- **परियोजना की शुरुआत: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय** के तहत आने वाले जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 2020 में इसकी शुरुआत की थी।
  - भारत ने **2009 में** अपने **पहले पूर्ण मानव जीनोम** की घोषणा की थी।
- **उद्देश्य:** इस परियोजना का उद्देश्य पूरे भारत में अलग-अलग क्षेत्रों के नागरिकों से **10,000** आनुवंशिक नमूने एकत्र करना तथा भारतीय नागरिकों के लिए एक **रेफरेंस जीनोम** तैयार करना था।
  - **मानव जीनोम रेफरेंस अनुक्रम** मानव जीनोम अनुक्रम का एक स्वीकृत डेटाबेस होता है। इसे कई लोगों के DNA के संयोजन (Combination) से तैयार किया जाता है।
- **परियोजना/ मिशन के बारे में:**
  - इस मिशन में **बेंगलुरु** के **सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च** के नेतृत्व में 20 राष्ट्रीय संस्थानों के शोधकर्ता ने भाग लिया था।
  - तैयार किए गए इस डेटासेट को **फरीदाबाद** में स्थित **इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर** में भंडारित किया जाएगा।
  - यह मानव जीनोम परियोजना (HGP) से प्रेरित थी। यह शोध का ऐसा पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रयास था, जिसे पूरे मानव जीनोम के DNA अनुक्रम को निर्धारित करने के लिए किया गया था।
    - **मानव जीनोम प्रोजेक्ट** को **1990 में शुरू** किया गया था, जो **2003 में पूर्ण** हुआ था। इसमें **कुल मानव जीनोम अनुक्रम का 92% हिस्सा** कवर किया गया था।
    - इस परियोजना को 'इंटरनेशनल ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टियम' के नेतृत्व में पूरा किया गया था। इसमें छह देशों- **फ्रांस, जर्मनी, जापान, चीन, U.K.** और **USA** के 20 संस्थानों के वैज्ञानिक शामिल थे।
  - यह जीनोम अनुक्रमण के अन्य लाभों के अलावा, **भारत की विविधतापूर्ण आबादी का एक डेटाबेस** भी तैयार करेगा।

जीनोम अनुक्रमण के लिए की गई अन्य पहलें

- **इंडिजेन (IndiGen) कार्यक्रम:** इसमें भारत के विभिन्न नृजातीय समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले हजारों व्यक्तियों के संपूर्ण जीनोम अनुक्रम को शामिल किया गया है।
  - वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) ने इसका वित्त पोषण किया था।
- **ग्लोबल अलायंस फॉर जीनोमिक्स एंड हेल्थ (GA4GH):** इसे **2013** में गठित किया गया था। यह एक **गैर-लाभकारी गठबंधन** है। यह मानवाधिकार फ्रेमवर्क के दायरे में रहकर जीनोमिक डेटा के उपयोग का विस्तार करने के लिए मानक निर्धारित करता है।

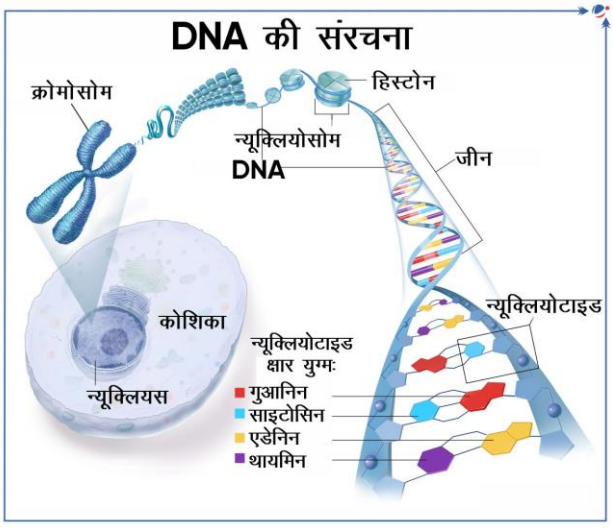

जीनोम और जीनोम अनुक्रमण क्या होता है?

- **किसी जीव में उपस्थित जीन के संपूर्ण डेटा सेट** अथवा विवरण को जीनोम कहा जाता है। इसमें उस जीव के सभी गुणसूत्र शामिल होते हैं, जिनमें DNA और जीन पाए जाते हैं।
  - **जीन** वंशानुक्रम की मूल इकाई होता है, जो DNA या RNA में न्यूक्लियोटाइड्स के अनुक्रम से बना होता है।
- किसी व्यक्ति के DNA के एक स्ट्रैंड में क्षार के सटीक क्रम का पता लगाने की प्रक्रिया **जीनोम अनुक्रमण** कहलाती है।

[205] Department of Biotechnology

[206] Genome India project

- DNA के अणु न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला के पॉलिमर्स होते हैं। ये शर्करायुक्त अणु, **फॉस्फेट समूह और नाइट्रोजन युक्त क्षार से सम्बद्ध** होते हैं।
- **DNA में मौजूद क्षार हैं-** एडानिन (A), साइटोसिन (C), गुआनिन (G), और थाइमिन (T)

- मानव जीनोम में लगभग **3.2 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स** और **23,500 जीन** होते हैं।

जीनोम अनुक्रमण का महत्त्व

- **आनुवंशिक रोगों का उपचार खोजने के लिए:** जीनोम अनुक्रमण उपयोगी है-
  - इससे भ्रूण में आनुवंशिक विकारों की पहचान करने के लिए **प्रसव पूर्व जांच** में मदद मिलती है।
  - इससे आरंभिक अवस्था में ही कैंसर का पता लगाने के लिए **तरल बायोप्सी परीक्षण** का विकास करने में मदद मिलेगी।
  - **फार्माकोजिनेटिक्स (Pharmacogenetics):** इसके तहत यह अध्ययन किया जाता है कि जीन किसी व्यक्ति की दवाओं के प्रति प्रतिक्रिया (Drug Reaction) को कैसे प्रभावित करते हैं, ताकि दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों को रोका जा सके।
  - **यह पूर्वानुमानित निदान और व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल के विकास के लिए महत्वपूर्ण है:** इसे जीनोम अनुक्रमण के आधार पर दवाओं में संशोधन करके तथा जीन थेरेपी के जरिए प्राप्त किया जा सकता है।
  - **यह उन्नत एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एकीकरण को सुविधाजनक बना सकता है:** इससे आनुवंशिक कारकों को बेहतर तरीके से समझने और बीमारियों का इलाज विकसित करने में मदद मिलेगी।

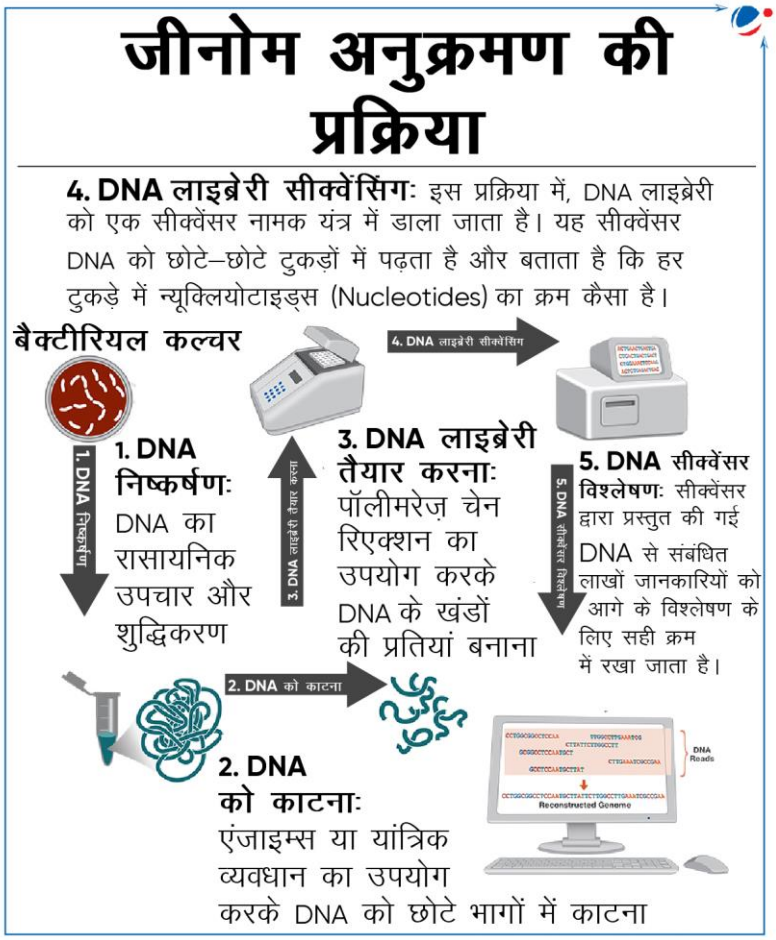

नोट: *जीनोम अनुक्रमण के उपयोग 'जीन थेरेपी' पर अगले आर्टिकल में विस्तार से चर्चा की गई है।*

जीनोम अनुक्रमण से संबंधित चुनौतियां

- **विनियामक फ्रेमवर्क का अभाव:** इससे गुणवत्ता और दक्षता के मानक सीमित हो जाते हैं और डेटा का गलत इस्तेमाल हो सकता है।
  - उदाहरण के लिए- भारत के सैंपल विदेशों में अनुक्रमण और विश्लेषण के लिए भेजे जा रहे हैं, क्योंकि भारत में विनियमन का अभाव है।
- **निजता और डेटा से संबंधित मुद्दे:** जीनोम सीक्वेंसिंग में व्यक्तिगत जानकारी, मेडिकल हिस्ट्री और परिवार की बीमारी संबंधी हिस्ट्री जैसी संवेदनशील जानकारी शामिल होती है। ऐसे में निजता और डेटा की सुरक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है।
- **आनुवंशिक डेटा का अलग-अलग जगह होना (Fragmentation):** वर्तमान में इस डेटा का इस्तेमाल लोगों के स्वास्थ्य संबंधी फैसलों में नहीं हो पाता है, क्योंकि यह डेटा अलग-अलग जगहों पर भंडारित किया जाता है।
- **नैतिक मुद्दे:**
  - **असमानता और कम विविधतापूर्ण:** गैर-विनियमित बाजार के हितधारक विशेष रूप से निर्धन वर्गों और जातीय अल्पसंख्यकों के मामले में बेहतर स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में बाधाएं पैदा कर सकते हैं।
  - **आनुवंशिक जानकारी के आधार पर भेदभाव:** इससे बीमा जैसे स्वास्थ्य लाभों तक पहुंच में बाधा आ सकती है।
- **तकनीकी चुनौतियां:** साइबर हमले, सैंपल दूषित होने की समस्याएं और वांछित परिणाम ना मिलना आदि।
- **अन्य मुद्दे:**
  - अनुक्रमण सुविधाओं की स्थापना करने और उनका रख-रखाव करने में **वित्तीय बाधाएं हैं।**
  - अनुक्रमण सुविधाओं के लिए **कुशल कार्यबल की उपलब्धता सीमित है।**

आगे की राह

- **निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने और हितधारकों का विश्वास बनाए रखने के लिए स्पष्ट नियम निर्धारित किए जाने चाहिए।**
- **जीनोमिक रिसर्च के वित्त पोषण** को **प्राथमिकता** देने के साथ-साथ केंद्रीकृत अनुक्रमण सुविधाएं स्थापित की जानी चाहिए।
- शोधकर्ताओं के लिए प्रयोगात्मक और कम्प्यूटेशनल दोनों स्तरों पर **उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए।**
- विज्ञान से जुड़े प्रकाशकों तथा **ओपन एक्सेस प्रकाशन मॉडल** की मदद से नवीनीकृत जीनोमिक डेटा तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- अवसंरचना संबंधी आवश्यकता को कम करने के लिए **आधुनिक अनुक्रमण प्रौद्योगिकियों का उपयोग** किया जाना चाहिए।
- डेटा के दुरुपयोग को रोकने और प्रौद्योगिकियों का नैतिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए **सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करना चाहिए**, जैसे- संयुक्त राज्य अमेरिका का जेनेटिक इंफॉर्मेशन नॉन-डिस्क्रिमिनेशन एक्ट।

7.4.1. जीन थेरेपी (Gene Therapy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत में हीमोफिलिया- A (FVIII की कमी) के उपचार हेतु जीन थेरेपी का पहला ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल किया गया। यह ट्रायल तमिलनाडु (वेल्लोर) के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज (CMC) में किया गया।

जीन थेरेपी के बारे में

- **परिभाषा:** यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें **बीमारी या विकार का इलाज, बचाव या इन्हें ठीक करने के लिए जीन (एक या कई) का इस्तेमाल** किया जाता है।
    - ज्यादातर जीन थेरेपी में, **बीमारी पैदा करने वाले असामान्य जीन के प्रभाव को कम** करने के लिए एक सामान्य जीन को शरीर के DNA में डाला जाता है। इससे लक्षित कोशिका को दोबारा स्वस्थ बनाया जा सकता है।

जीन थेरेपी की विधियां

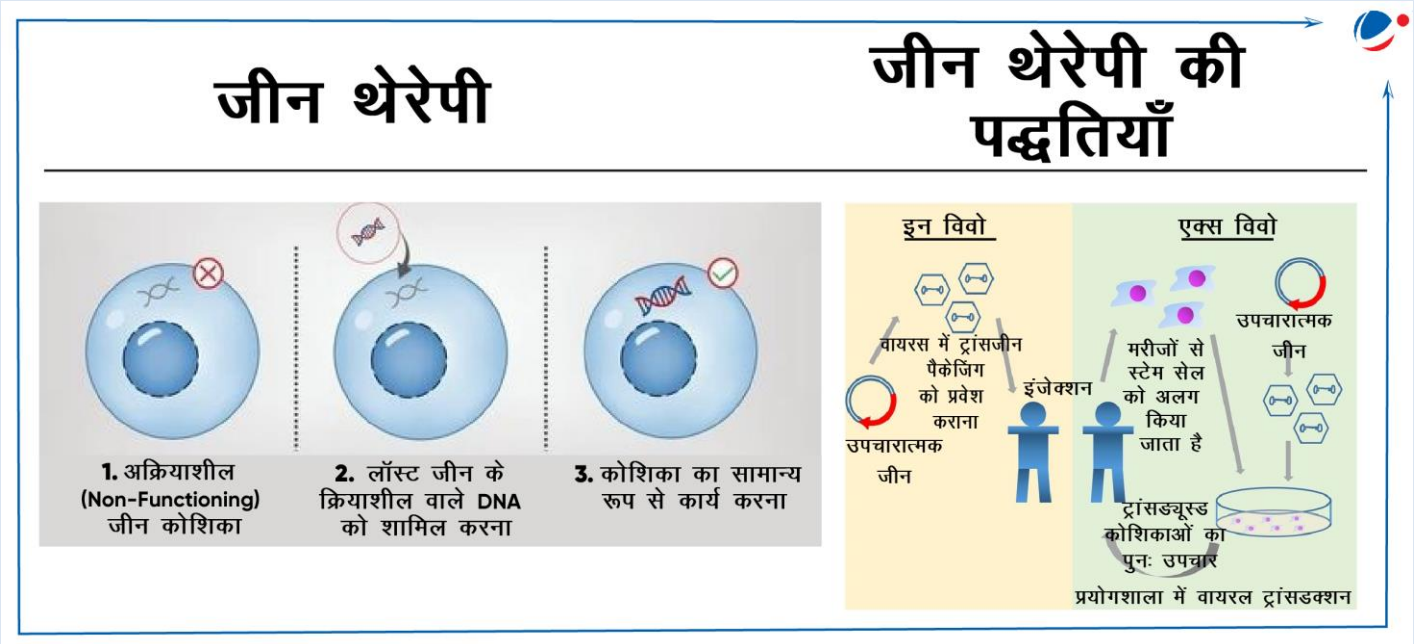

नोटः जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) और ICMR ने **जीन थेरेपी उत्पाद (GTP) विकास और नैदानिक परीक्षणों के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देश (2019)** जारी किए हैं। ये दिशा-निर्देश भारत में जीन थेरेपी उत्पादों (GTP)[207] पर नैदानिक परीक्षण करने के लिए **नैतिक, वैज्ञानिक, विनियामकीय प्रक्रियाओं** को व्यापक रूप से निर्धारित करते हैं।

[207] Gene therapy products

- **वेक्टर:** मरीज की कोशिकाओं तक इलाज करने वाले जीन (Therapeutic gene) को पहुंचाने वाले वाहक को वेक्टर कहा जाता है। वेक्टर दो तरह के होते हैं:
  - **वायरल वेक्टर-** इसमें एडिनोवायरस, रेट्रोवायरस, एडिनो-एसोसिएटेड वायरस जैसे वायरस का उपयोग किया जाता है।
  - **नॉन-वायरल वेक्टर-** इसके अंतर्गत कोशिकाओं में DNA को डालने के लिए रासायनिक और भौतिक तरीकों का उपयोग किया जाता है।
    - इस विधि में कणों की बौछार (पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट), लिपोसोम्स, पॉलिमर, नैनोपार्टिकल्स आदि का उपयोग किया जाता है।
- **उपयोग:** विरासत में मिली **आनुवांशिक बीमारियों** (जैसे- हीमोफिलिया और सिकल सेल रोग) एवं जन्म के बाद होने वाले **असाध्य रोगों** (जैसे- ल्यूकेमिया) का इलाज जीन थेरेपी से किया जा सकता है।

जीन थेरेपी के प्रकार

- **जर्मलाइन जीन थेरेपी:** जर्मलाइन जीन थेरेपी के तहत **जर्मलाइन सेल या प्रजनन कोशिकाओं** (अंडाणु या शुक्राणु) में **कार्यात्मक जीन** इंजेक्ट करके इन्हें संशोधित किया जाता है। ये बाद में **जीनोम में एकीकृत हो जाते** हैं।
- **सोमेटिक सेल जीन थेरेपी:** इसमें चिकित्सीय रूप से संशोधित जीन को **रोगी की सोमैटिक सेल या कायिक कोशिकाओं** (जर्मलाइन कोशिकाओं के अलावा अन्य कोशिकाओं) **में स्थानांतरित किया जाता** है। किसी भी प्रकार का संशोधन और उसका कोई भी प्रभाव **केवल उस रोगी तक ही सीमित** रहता है। यह संशोधित जीन भावी पीढ़ी में **स्थानांतरित नहीं होता** है।

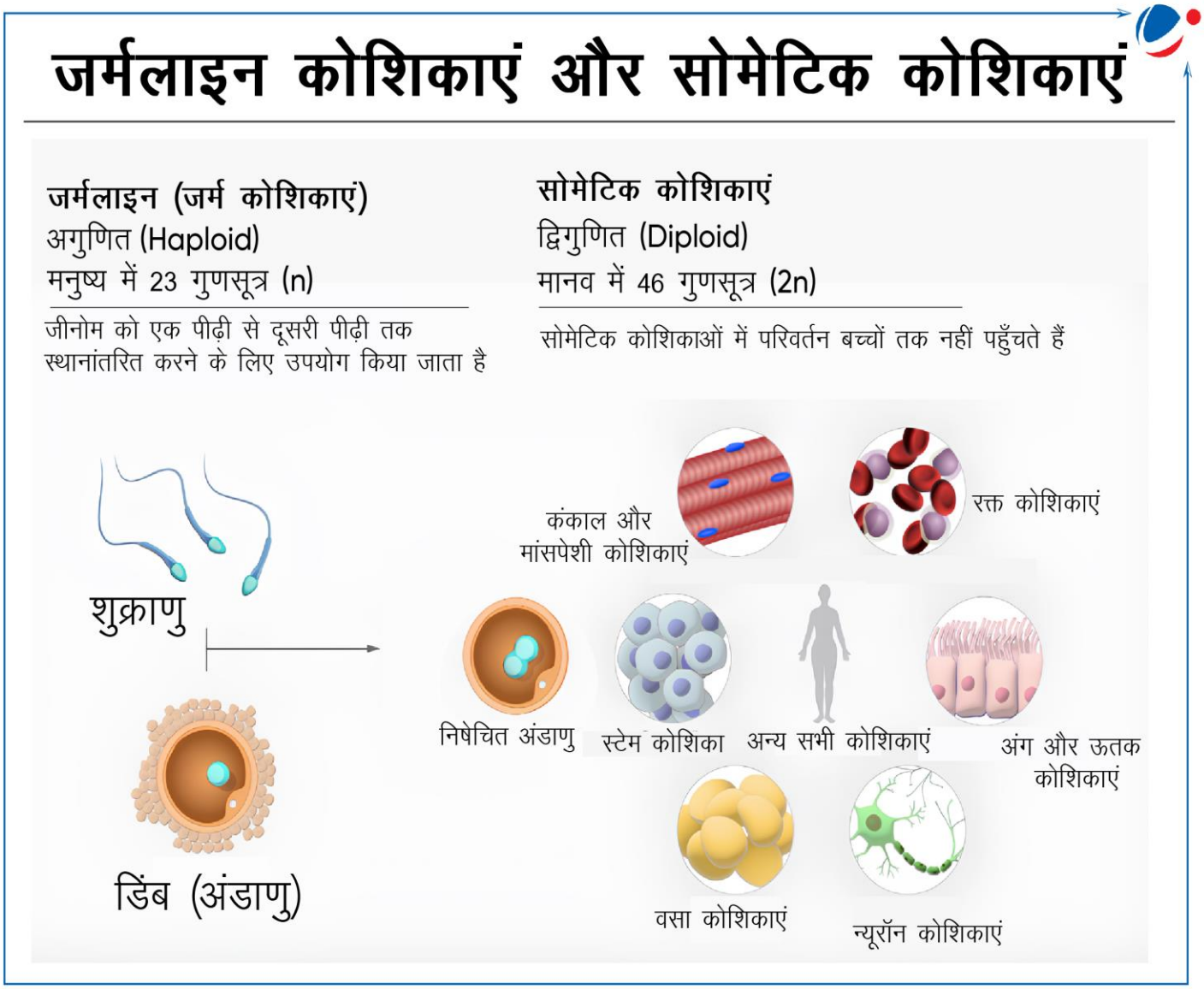

हीमोफीलिया के बारे में

- **परिभाषा:** हीमोफीलिया आमतौर पर **पुरुषों में होने वाला** एक **वंशानुगत रक्तस्राव संबंधी विकार** है। यह बीमारी रोगी में **जीवन भर** रहती है।
- **लक्षण:** हीमोफीलिया से पीड़ित लोगों में **रक्तस्राव लंबे समय तक हो सकता है** जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। हालांकि, उनका खून सामान्य व्यक्ति से ज्यादा तेजी से नहीं बहता।
- **कारण:** यह उन **जींस** में से किसी एक में उत्परिवर्तन के कारण होता है, जो रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक क्लॉटिंग फैक्टर प्रोटीन बनाने हेतु निर्देश देता है।
    - रक्त में प्रोटीन **फैक्टर VIII (8) या फैक्टर IX (9)** होता है जो थक्के जमने के लिए आवश्यक होता है। इससे **रक्तस्राव रोकने में मदद मिलती** है।
- **प्रकार:** निम्नलिखित दो सबसे सामान्य प्रकार हैं:
    - **हीमोफीलिया A (क्लासिक हीमोफीलिया):** यह क्लॉटिंग फैक्टर VIII की कमी या अभाव के कारण होता है।
    - **हीमोफीलिया B (क्रिसमस रोग):** यह क्लॉटिंग फैक्टर IX की कमी या अभाव के कारण होता है।

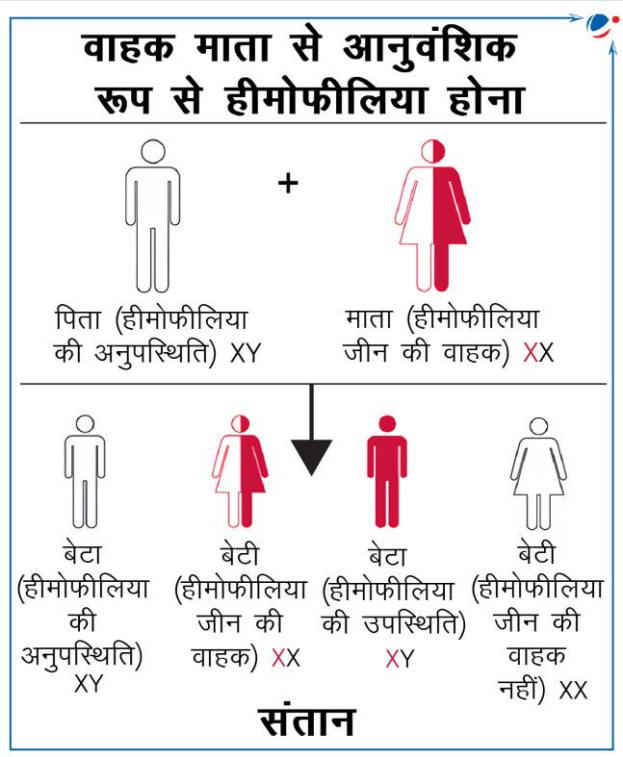

- **वंशानुक्रम:**
    - हीमोफीलिया **X गुणसूत्र के जरिए भावी पीढ़ियों** में पहुंचता है।
    - **पुरुष हीमोफिलिया के प्रति अधिक संवेदनशील** होते हैं, क्योंकि पुरुषों में **X गुणसूत्र (XY) की केवल एक प्रति पाई जाती** है।
    - महिलाएं **दुर्लभ मामलों में ही हीमोफिलिक होती हैं** क्योंकि उनके पास **एक्स क्रोमोसोम (XX) की दो प्रतियां** होती हैं।
        - महिला को हीमोफिलिक होने के लिए, उनके दोनों एक्स क्रोमोसोम में हीमोफिल जीन होना चाहिए।
        - यदि महिलाओं में एक X गुणसूत्र में हीमोफीलिया संबंधी जीन है तो उसका प्रभाव दूसरे सामान्य X गुणसूत्र द्वारा दबा दिया जाता है।
- **ऐसी महिलाएं हीमोफिलिया की वाहक हो सकती है** और दोषपूर्ण जीन को अपनी संतानों में स्थानांतरित कर सकती है।

7.5. सर्वाइकल कैंसर (Cervical Cancer)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पहले **वैश्विक सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन फोरम** का कोलंबिया में आयोजन किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- इसका **आयोजन WHO, विश्व बैंक, यूनिसेफ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और अन्य संगठनों** द्वारा किया गया था।
- इस फोरम का लक्ष्य सरकारों, दानदाताओं, नागरिक समाज और विभिन्न हितधारकों को सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन के लिए प्रतिबद्धता जाहिर करने और वैश्विक समुदाय को एकजुट करने के लिए **प्रेरित करना** है।

सर्वाइकल कैंसर के बारे में

- कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें **शरीर में कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने** लगती हैं। जब कैंसर का विकास ग्रीवा/ सर्विक्स (Cervix) में शुरू होता है, तो इसे सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है।

HPV के प्रकार

- HPV **200 से अधिक विषाणुओं (Viruses) का समूह** है, जिन्हें दो समूहों में बांटा गया हैं:
    - **कम जोखिम वाले,** और
    - **उच्च जोखिम वाले**
- कम जोखिम वाले HPV शायद ही कभी कैंसर का कारण बनते हैं।
- **उच्च जोखिम वाले HPV** अनल, सर्वाइकल, ऑरोफैरेंजियल, लिंग, योनि और वल्वर कैंसर सहित कई प्रकार के कैंसर पैदा कर सकते हैं।
- उच्च जोखिम वाले **HPV के 12 प्रकार** हैं। इनमें से दो (HPV 16 और HPV 18) के कारण अधिकांश HPV कैंसर उत्पन्न होते हैं।

- सर्विक्स **योनि (Birth canal) को गर्भाशय के ऊपरी हिस्से या गर्भ** (जहां गर्भावस्था के दौरान बच्चे का विकास होता है) से जोड़ती है।

- यह **अक्सर 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं** में होता है और **वैश्विक स्तर पर महिलाओं में चौथा सबसे आम कैंसर** है।
  - यह **भारत में महिलाओं में दूसरा सबसे आम** कैंसर है।
- सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण **ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV)** से बार-बार होने वाला संक्रमण है।

HPV के बारे में

- HPV एक सामान्य **यौन संचारित संक्रमण**[208] है, जो त्वचा, जननांग और गले को प्रभावित कर सकता है।
- ज्यादातर मामलों में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता HPV को शरीर से बाहर निकाल देती है।
- **उच्च जोखिम वाले HPV** से **बार-बार संक्रमण** की स्थिति में असामान्य कोशिकाएं विकसित हो सकती हैं, जो बाद में कैंसर में बदल सकती है।
  - वर्तमान में **HPV से होने वाले संक्रमण का कोई इलाज नहीं** है।

HPV टीकाकरण और बचाव के अन्य उपाय

- **दुनिया भर में HPV के 6 टीके उपलब्ध** हैं। सभी टीके उच्च जोखिम वाले HPV 16 और HPV 18 से सुरक्षा प्रदान करते हैं। गौरतलब है कि HPV 16 और HPV 18 के कारण ही अधिकांश सर्वाइकल कैंसर उत्पन्न होते हैं।
- सभी लड़कियों को 9-14 साल की उम्र में HPV का टीका (1 या 2 खुराक) लगवाना चाहिए।

क्या आप जानते हैं?

> **सर्वावैक (Cervavac), सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए भारत में विकसित किया गया पहला स्वदेशी टीका है।** इसे **सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया** ने विकसित और विनिर्मित किया है।

- 30 साल की उम्र (HIV से पीड़ित महिलाओं में 25 साल) के बाद हर 5-10 साल में **स्क्रीनिंग** की जानी चाहिए। इससे सर्वाइकल रोग का पता लगाया जा सकता है। इसके इलाज से सर्वाइकल कैंसर भी रोका जा सकता है।
- **जल्द पता लगाना और उसके बाद उचित इलाज जरूरी:** HPV वायरस का कोई इलाज नहीं है। हालांकि, इसके कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं, जैसे- सर्वाइकल कैंसर के उपचार मौजूद हैं।

रोकथाम के लिए पहलें

- **सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन पहल (विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा): WHO ने 2030 तक प्रत्येक देश के लिए "90-70-90" लक्ष्य निर्धारित किए हैं:**
  - **टीकाकरण:** 15 साल की उम्र तक 90% लड़कियों को HPV वैक्सीन की पूरी खुराक दी जाए।
  - **स्क्रीनिंग:** 35 साल की उम्र तक 70% महिलाओं की जांच हो और फिर 45 साल की उम्र तक दोबारा जांच हो।
  - **उपचार:** कैंसर की संभावना वाली 90% महिलाओं का इलाज हो और इनवैसिव कैंसर से ग्रस्त 90% महिलाओं के लिए इलाज का प्रबंध किया जाए।
- **भारत में लड़कियों के लिए HPV टीकाकरण:** भारत सरकार ने 2024-25 के अंतरिम बजट में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल की उम्र की लड़कियों को HPV का टीका लगाने का प्रस्ताव दिया है।

7.6. सबमरीन केबल सिस्टम (Submarine Cable System: SMC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, लाल सागर में घटित एक घटना के परिणामस्वरूप **तीन पनडुब्बी केबल्स- 'एशिया-अफ्रीका-यूरोप-1', 'यूरोप इंडिया गेटवे'** और **'टाटा ग्लोबल नेटवर्क' को नुकसान** हुआ है।

SMC के बारे में

- SMCs समुद्र के तल पर बिछाई गई फाइबर ऑप्टिक केबल हैं जो दुनिया भर के देशों को इंटरनेट और दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए जोड़ती हैं।
- इन्हें विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए तैयार की गई जहाजों का उपयोग करके बिछाया जाता है।

[208] Sexually transmitted infection

- **महत्त्व:**
  - दुनिया के लगभग 99% इंटरनेट ट्रैफिक अंतर्राष्ट्रीय केबल्स से गुजरते हैं।
  - संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 2010 में SMCs को "महत्वपूर्ण संचार बुनियादी ढांचा" बताया था।
- **SMC के लिए अन्य खतरे:** मछली पकड़ना और लंगर डालना; पर्यावरणीय कारक जैसे कि भूकंप, समुद्री जानवरों द्वारा क्षति आदि।

भारत में SMCs कनेक्टिविटी

- भारत में **17 अंतर्राष्ट्रीय SMCs** हैं, जो समुद्र तट के पास 5 शहरों में 14 **केबल लैंडिंग स्टेशनों** (CLS) तक पहुंचती हैं।
- **मुंबई और चेन्नई में SMCs की अधिकतम संख्या** है।
- **भारत में घरेलू सबमरीन केबल भी हैं, जैसे:**
  - **चेन्नई-अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केबल (CANI)** पोर्ट ब्लेयर को अंडमान और निकोबार के सात अन्य द्वीपों के साथ जोड़ता है।
  - **कोच्चि-लक्षद्वीप द्वीप (KLI) केबल प्रणाली:** यह कोच्चि और लक्षद्वीप के 11 द्वीपों के बीच सीधे संचार लिंक स्थापित करता है।
- **विनियमन:** दूरसंचार विभाग (DoT) इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस (ILD) लाइसेंस जारी करता है।
  - DoT की पूर्व स्वीकृति से ILD लाइसेंसधारियों को अपना CLS स्थापित करने और भारत में सबमरीन केबल बिछाने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।
  - यूनिफाइड लाइसेंस के तहत लाइसेंस प्राप्त कर चुके इंटरनेट सेवा प्रदाता[209] को भी पनडुब्बी केबल के जरिए इंटरनेशनल इंटरनेट गेटवे स्थापित करने, संचालित करने और चालू करने की अनुमति होती है।

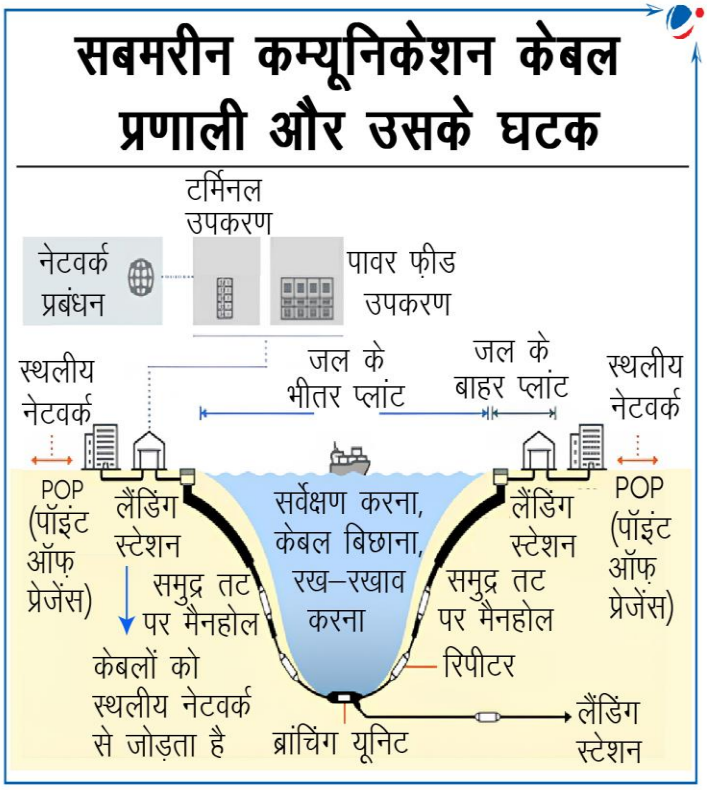

[209] Internet Service Licensees

ऑप्टिकल फाइबर के बारे में

- ऑप्टिकल फाइबर कांच या प्लास्टिक से बने तार होते हैं। इनका उपयोग **सूचना को प्रकाश की तरंगों के रूप में** भेजने के लिए किया जाता है।
- यह 'पूर्ण आंतरिक परावर्तन' (TIR)[210] के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के तहत प्रकाश फाइबर-ऑप्टिक केबल में क्लैडिंग (Mirror-lined walls) से परावर्तित होते हुए कोर (Hallway) से होकर आगे बढ़ता है।
- ये केबल **डाटा की भारी मात्रा को तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने में सक्षम बनाती हैं।** इसमें ऑप्टिकल पॉवर का मामूली ह्रास होता है।
- यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिक **डॉ. नरिंदर सिंह कपानी** (भारत में जन्म) को प्रकाशिकी (Optics) के जनक के रूप में जाना जाता है।

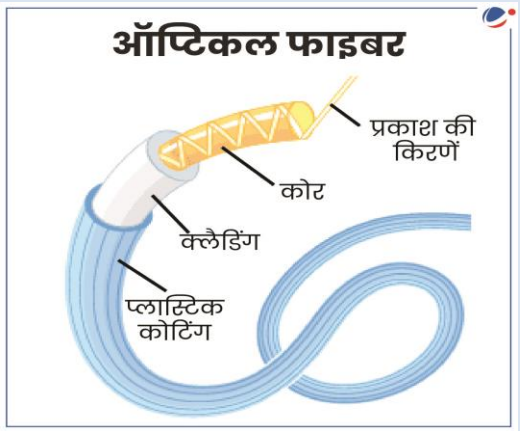

7.7. उपग्रह आधारित टोल संग्रहण प्रणाली (Satellite-Based Toll Collection System)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

भारत सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) प्रणाली का पायलट-टेस्ट करने की योजना बना रही है।

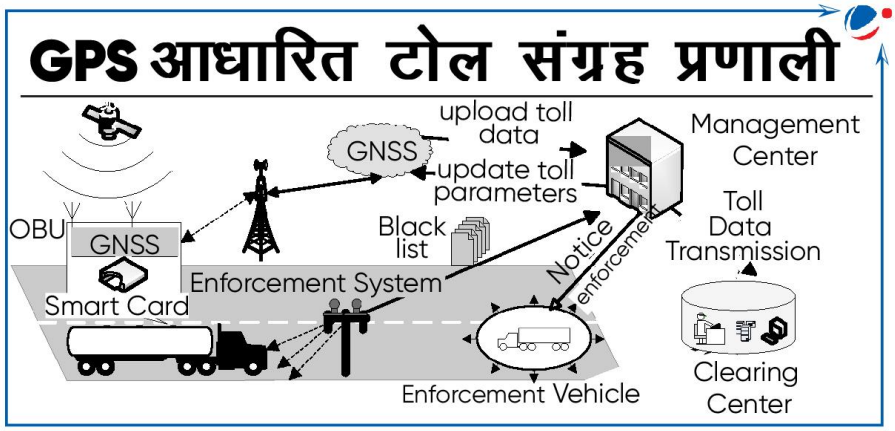

अन्य संबंधित तथ्य

- इसे **फास्टैग (FASTag)** के साथ एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में लागू किया जाएगा। गौरतलब है कि **जनवरी, 2021** से देश में सभी वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया था।

GNSS-आधारित टोल संग्रहण के बारे में

- **कार्यप्रणाली:** यह किसी वाहन की स्थिति को ट्रैक करने और तय की गई दूरी के आधार पर टोल एकत्र करने के लिए उपग्रह-आधारित इमेजिंग का उपयोग करता है।
- **मुख्य घटक:**
  - **ऑनलाइन बोर्ड यूनिट (OBU):** वाहनों द्वारा राजमार्गों पर तय की गई दूरी को मापने के लिए एवं टोल की गणना करने के लिए वाहन में GNSS-आधारित डिवाइस लगाया जाता है।
  - **ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर (ANPR) कैमरे:** इन कैमरों को वाहनों की नंबर प्लेट को पहचानने और टोल के पैसे काटने के लिए राजमार्गों पर लगाया जाएगा।
    - ANPR एक ऐसी तकनीक है, जो वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर को पहचानने के लिए रजिस्ट्रेशन प्लेट की इमेज पर **ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन** का उपयोग करती है। इससे वाहन की लोकेशन का भी पता चल जाता है।
- **लाभ:**
  - यह राजमार्ग पर **टोल बूथ/ प्लाजा** बनाने की जरूरत को कम करता है।
  - इससे ट्रैफिक जाम कम होता है।
  - यह टोल वसूली की प्रभावशीलता को बढ़ाता है।
- **चुनौतियां:**
  - सिग्नल में व्यवधान या गलत रीडिंग;
  - गोपनीयता संबंधी चिंताएं;

[210] Total internal reflection

- पुराने वाहनों को GNSS तकनीक से लैस करने की जरूरत होगी; आदि।

- **जर्मनी और सिंगापुर** जैसे देशों में पहले ही GNSS-आधारित टोल सिस्टम लागू किया जा चुका है।

फास्टैग (FASTags) और सैटेलाइट-आधारित टोल संग्रहण के बीच अंतर		
मापदंड	**FASTags**	**सैटेलाइट-आधारित टोल संग्रहण**
तकनीक	'रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन' (RFID)	सैटेलाइट-बेस्ड इमेजिंग और **ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर (ANPR) कैमरे**
वाहनों के लिए आवश्यक आवश्यक उपकरण	फास्टैग (RFID टैग) विंडस्क्रीन पर चिपकाया जाता है	GNSS कनेक्टिविटी के साथ OBU
टोल टैक्स की गणना	टोल की दरें पहले से ही निर्धारित होती हैं	राजमार्ग पर तय की गई वास्तविक दूरी के हिसाब से टोल का भुगतान होगा
टोल प्लाजा की आवश्यकता	**FASTag** को स्कैन करने के लिए राजमार्ग पर टोल प्लाजा का होना आवश्यक है	इसकी जरूरत नहीं होती है

- भारत के पास अपना स्वयं का **सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम** है:
  - **GAGAN** (GPS-एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन), और
  - **NavIC** (नेविगेशन विद इंडियन कांस्टेलेशन)।

7.8. मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल (MIRV) तकनीक {Multiple Independently Targetable Re-Entry Vehicle (MIRV) Technology}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, DRDO[211] ने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल (MIRV) तकनीक से लैस अग्नि-5 मिसाइल का सफलतापूर्वक फ्लाइट टेस्ट किया है। इस संपूर्ण टेस्ट ऑपरेशन को **'मिशन दिव्यास्त्र'** (Mission Divyastra) नाम दिया गया है।

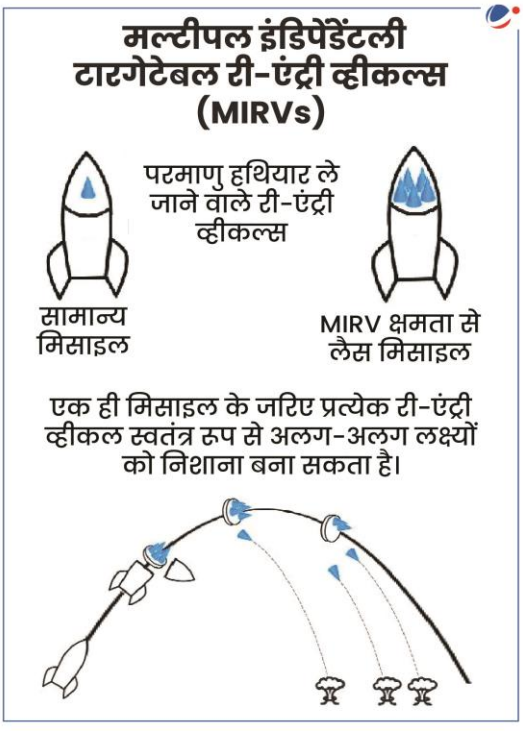

MIRV तकनीक के बारे में

- **उत्पत्ति:** यह तकनीक मूल रूप से 1960 के दशक की शुरुआत में विकसित हुई थी। इस तकनीक के जरिए एक ही मिसाइल **कई परमाणु हथियारों को** ले जा सकती थी। इन परमाणु हथियार को अलग-अलग लक्ष्यों पर दागा जा सकता था।
  - इस तकनीक के जरिए मिसाइल से अलग-अलग गति के साथ अलग-अलग दिशाओं में हथियार दागे जा सकते हैं।
- **पहला देश: संयुक्त राज्य अमेरिका** MIRV तकनीक विकसित करने वाला पहला देश था।
  - यह तकनीक रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन के पास भी है।
  - पाकिस्तान ने 2017 में कथित तौर पर MIRV तकनीक से लैस अबाबील नामक एक मिसाइल का परीक्षण किया था।
- **MIRVs** को जमीन से या पनडुब्बी के जरिए समुद्र से भी लॉन्च किया जा सकता है।
  - दुश्मन की नजर में आने से बचने के लिए इन मिसाइलों को स्थल की बजाए पनडुब्बियों से दागना बेहतर विकल्प होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसी मिसाइलों को दागने वाली परमाणु पनडुब्बियों का पता लगा पाना काफी मुश्किल होता है।

[211] रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन/ Defense Research and Development Organization

- हालांकि, MIRVs का उद्देश्य शुरू में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) प्रणाली को मात देना नहीं था। फिर भी, पारंपरिक मिसाइलों की तुलना में MIRVs से लैस मिसाइल से अपना बचाव करना कहीं अधिक कठिन होता है। इसलिए, इन्हें BMD को निष्प्रभावी करने वाले कारगर जवाबी उपायों के रूप में देखा जाता है।

MIRV तकनीक से जुड़ी चुनौतियां

- **कमजोर पक्ष:** खास तौर से जमीन पर तैनात की गई MIRV मिसाइलें **सुभेद्य** हो सकती हैं, क्योंकि मिसाइलों पर लगे कई वारहेड दुश्मन द्वारा हमले की स्थिति में असुरक्षित होते हैं। साथ ही, ये संकट के समय किसी दुश्मन देश को पहले हमला करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।
- **हथियार बनाने की होड़:** MIRV मिसाइलों की मौजूदगी ने संकट के समय पहले हमला करके नुकसान पहुंचाने की संभावना को जन्म दिया है। इससे **हथियारों की होड़ और अस्थिरता,** दोनों बढ़ सकती है।
- **अन्य चुनौतियां:** इसके विकास ने और भी कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, जिनमें शामिल हैं:
  - छोटे आकार के हथियारों का विकास,
  - उन्नत मार्गदर्शन प्रणालियों का विकास,
  - अतिरिक्त विखंडनीय पदार्थ (जैसे- प्लूटोनियम) की आवश्यकता आदि।

निष्कर्ष

इस संदर्भ में, भारत को वैश्विक निरस्त्रीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए तकनीकी प्रगति, क्षेत्रीय ताकतों से जुड़े घटनक्रमों और अंतर्राष्ट्रीय धारणाओं के बीच नाजुक संतुलन बनाना चाहिए। अब चूंकि भारत के पास भी MIRV तकनीक है, ऐसे में भारत के लिए यह और भी जरूरी हो जाता है वह रणनीतिक दूरदर्शिता, कूटनीतिक कौशल और एक स्थिर एवं सुरक्षित वैश्विक व्यवस्था बनाए रखने के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को बनाए रखे।

अग्नि-5 मिसाइल

- **इसके बारे में:** यह DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित **सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल** है।
  - बैलिस्टिक मिसाइल, प्रोजेक्टाइल मोशन के जरिए हथियार को लक्ष्य तक पहुंचाती है।
- **रेंज:** अत्यधिक सटीकता के साथ 5,000 कि.मी. से अधिक दूरी तक मारक क्षमता।
- **ईंधन:** इसमें ठोस ईंधन युक्त **तीन चरणों वाले इंजन** का उपयोग किया जाता है।
- इसे एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP)[212] के तहत विकसित किया गया है।
- डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में IGMDP को 1983 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य भारत को मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था।
  - **IGMDP के तहत विकसित की गई मिसाइलें:**
    - **पृथ्वी:** यह कम दूरी की **सतह-से-सतह** पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है।
    - **अग्नि:** यह मध्यम दूरी की **सतह-से-सतह** पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है।
    - **त्रिशूल:** यह कम दूरी की **सतह से हवा** में मार करने वाली मिसाइल है। इसे कम ऊंचाई के लक्ष्यों पर वार करने हेतु उपयोग में लाया जाता है।
    - **आकाश:** यह मध्यम दूरी की **सतह-से-हवा** में मार करने वाली मिसाइल है।
    - **नाग:** यह तीसरी पीढ़ी की **एंटी टैंक** मिसाइल है।

[212] Integrated Guided Missile Development Programme

7.9. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

7.9.1. एंड-टू-एंड क्वांटम कम्युनिकेशन लिंक स्थापित किया गया (Establishment of End-To-End Quantum Communication Link)

- भारत में पहली बार सी-डॉट (C-DOT) और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (PRL) ने **सी-डॉट की स्वदेशी फाइबर-आधारित क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन (QKD) प्रणाली के साथ PRL के फ्री स्पेस QKD के एकीकरण** का प्रदर्शन किया है।
  - **सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट/ C-DOT)** दूरसंचार विभाग की दूरसंचार अनुसंधान और विकास (R&D) शाखा है।
  - **भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (PRL)** अंतरिक्ष विभाग (DOS) के तहत एक अनुसंधान संस्थान है।
- QKD **क्वांटम संचार** की एक सुरक्षित तकनीक है। इसके तहत संचार नेटवर्क की **फ्यूचर-प्रूफ (भविष्य में भी उपयोगी) सुरक्षा के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के घटकों को शामिल करने वाले क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल** किया जाता है।
  - यह संचार प्रक्रिया में शामिल दो पक्षों को एक **साझा रेंडम सीक्रेट-की** उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। इस रेंडम सीक्रेट-की का पता केवल इन दोनों पक्षों को ही होता है। इस की (Key) का उपयोग दोनों पक्ष **संदेशों को एन्क्रिप्ट और डिक्रिप्ट** करने के लिए कर सकते हैं।
  - इससे क्वांटम चैनल में किसी भी **हस्तक्षेप या गड़बड़ी** का पता चल जाता है और **की डिस्ट्रीब्यूशन** को निरस्त किया जा सकता है।
  - संचार नेटवर्क पर एंड-टू-एंड सुरक्षा प्रदान करने के लिए QKD को **विभिन्न माध्यमों, जैसे- ऑप्टिकल फाइबर, फ्री स्पेस और उपग्रह के जरिए** उपयोग में लाया जा सकता है।
- **क्वांटम कम्युनिकेशन दरअसल क्वांटम प्रौद्योगिकी के चार घटकों** में से एक है। इसके तीन अन्य घटक- क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम सेंसर्स और क्वांटम मैटेरियल्स हैं।
  - क्वांटम तकनीक **क्वांटम मैकेनिक्स** के सिद्धांतों पर कार्य करती है। इनमें शामिल हैं- सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट, टनलिंग आदि।
  - **संचार, कंप्यूटिंग, सिमुलेशन (अनुरूपता), रसायन शास्त्र, स्वास्थ्य देखभाल, क्रिप्टोग्राफ़ी, इमेजिंग** आदि में क्वांटम तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है।

7.9.2. पुष्पक नामक रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल (RLV) LEX 02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया {Pushpak Reusable Landing Vehicle (RLV) LEX 02 Launched Successfully}

- इसरो ने पुष्पक नामक रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल (RLV) LEX 02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया।
- **RLV-LEX 02** इसरो द्वारा **RLV-TD कार्यक्रम के तहत** किए जाने वाले प्रयोगों की श्रृंखलाओं का दूसरा प्रयोग है। RLV-TD से आशय है,**"फिर से उपयोग में लाए जाने योग्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शन (Reusable Launch Vehicle Technology Demonstration)।"**
  - RLV-LEX 02 के इस परीक्षण ने अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर लौटने वाले प्रक्षेपण यान की उच्च गति युक्त ऑटोनोमस लैंडिंग के लिए **स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकियों** की पुनर्पुष्टि की है।
  - इस परीक्षण में RLV-LEX-01 में प्रयोग किए जा चुके **विंग्ड बॉडी और ऑल फ्लाइट सिस्टम्स** का पुन: उपयोग किया गया था।
    - इसके पहले 2023 में RLV-LEX-01 मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था।
- RLV-TD कार्यक्रम का उद्देश्य **पूरी तरह से दोबारा उपयोग होने वाले प्रक्षेपण यान के लिए आवश्यक तकनीकों का विकास** करना

है। यह कम लागत पर अंतरिक्ष में उपग्रहों का प्रक्षेपण संभव बनाएगा।

- RLV वास्तव में **'लो-लिफ्ट टू ड्रैग' अनुपात वाला एक अंतरिक्ष विमान** है। यह **पेलोड को निम्न-भू कक्षाओं में स्थापित कर वापस** पृथ्वी पर लौट आता है। इससे भविष्य में भी इस यान का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- इस यान को उन्नत बनाकर **भारत के दोबारा उपयोग होने वाले दो-चरणीय कक्षीय (Two-Stage-to-Orbit: TSTO) प्रक्षेपण यान के पहले चरण** के रूप में विकसित किया जाएगा।
- **नासा लंबे समय से RLV का उपयोग कर रहा है।** यहां तक कि स्पेस-एक्स जैसी निजी अंतरिक्ष एजेंसियां भी आंशिक रूप से **दोबारा उपयोग होने वाली प्रक्षेपण प्रणाली** का प्रदर्शन कर रही हैं।

- **लाभ:** अंतरिक्ष तक पहुंच स्थापित करने के लिए RLV को एक **वहनीय, विश्वसनीय और मांग पर उपलब्ध** साधन माना जाता है।
- **प्रमुख चुनौतियां:**
  - विशेष मिश्र धातु, कंपोजिट और इन्सुलेशन जैसी सामग्रियों का चयन चुनौतीपूर्ण है।
  - इसके अलग-अलग भागों की **क्राफ्टिंग करना बहुत जटिल** है।
  - इस प्रणाली के लिए **अत्यधिक कुशल कार्यबल** की आवश्यकता होती है।

7.9.3. तीन महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया (Three Space Infrastructure Projects Inaugurated in Kerala)

- प्रधान मंत्री ने अपनी तिरुवनंतपुरम (केरल) की यात्रा के दौरान विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (VSSC) का भी दौरा किया। वहां उन्होंने **देश के अंतरिक्ष क्षेत्रक में सुधार** के लिए कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
- **ये तीन परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:**
  - सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा में **PSLV एकीकरण सुविधा (PIF)** स्थापित की जाएगी। इससे प्रतिवर्ष **15 ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) लॉन्च** किए जा सकेंगे। अभी एक वर्ष में छह PSLV लॉन्च किए जाते हैं।
    - इस अत्याधुनिक सुविधा से SSLV और निजी अंतरिक्ष कंपनियों द्वारा डिजाइन किए गए अन्य छोटे प्रक्षेपण यानों को भी प्रक्षेपित किया जा सकता है।
    - PSLV **चार चरण वाला प्रक्षेपण यान** है। यह उपग्रहों को **भू-तुल्यकालिक (Geosynchronous) और भू-स्थैतिक (Geostationary) कक्षाओं** में लॉन्च करने में सक्षम है।
    - लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV) **3-चरणीय प्रक्षेपण यान** है, जो **कम लागत पर निम्न भू-कक्षा में उपग्रहों** के प्रक्षेपण में सक्षम है।

  - **महेंद्रगिरि में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में 'सेमी-क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन एंड स्टेज टेस्ट फ़ैसिलिटी'** स्थापित की जा रही है। यह फ़ैसिलिटी सेमी-क्रायोजेनिक इंजन और चरणों के विकास को सक्षम करेगी। इससे **वर्तमान प्रक्षेपण यानों की पेलोड क्षमता में वृद्धि** होगी।
    - यह फ़ैसिलिटी **200 टन तक के थ्रस्ट वाले इंजनों का परीक्षण करने के लिए तरल ऑक्सीजन और केरोसिन आपूर्ति प्रणालियों** से सुसज्जित है।
  - वायुमंडलीय उड़ान के दौरान रॉकेट और विमानों के गुणों के वर्गीकरण के लिए **एयरोडायनेमिक टेस्टिंग के लिए विंड टनल्स** आवश्यक हैं। VSSC में जिस **"ट्राइसोनिक विंड टनल"** का उद्घाटन किया गया है, वह एक जटिल तकनीकी प्रणाली है।
- प्रधान मंत्री ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन **गगनयान मिशन की प्रगति** की भी समीक्षा की। उन्होंने चार नामित अंतरिक्ष यात्रियों को **'एस्ट्रोनॉट विंग्स'** प्रदान किए, जो **विश्वास, साहस और अनुशासन** के प्रतीक हैं।

7.9.4. कुलशेखरपट्टिनम स्पेसपोर्ट {Kulasekarapattinam Spaceport (KS)}

- हाल ही में, प्रधान मंत्री ने तमिलनाडु के **तूत्तुक्कुडि में कुलशेखरपट्टिनम स्पेसपोर्ट** की आधारशिला रखी है।
- **कुलशेखरपट्टिनम स्पेसपोर्ट के बारे में**

- इसका उपयोग **लघु उपग्रह प्रक्षेपण यानों (SSLVs)** के प्रक्षेपण के लिए किया जाएगा।
- **आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र** से तुलना करने पर यह उससे ज्यादा विशेषताओं से युक्त है। उदाहरण के लिए-
  - **कुलशेखरपट्टिनम**, तुलनात्मक रूप से विषुवत रेखा के अधिक निकट अवस्थित है।
  - रॉकेट्स को दक्षिण दिशा की ओर सीधा लॉन्च किया जा सकेगा।
- श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से रॉकेट को पहले पूर्व दिशा की ओर लॉन्च किया जाता है। फिर बाद वह में दक्षिण दिशा की ओर मुड़ता है। ऐसा, श्रीलंका के एयरस्पेस से बचने के लिए किया जाता है।
- उपर्युक्त दोनों विशेषताओं के कारण कुलशेखरपट्टिनम से उपग्रह प्रक्षेपण में कम फ्यूल की जरुरत पड़ेगी।
  - साथ ही, यह **इसरो के महेंद्रगिरि स्थित प्रोपल्शन रिसर्च कॉम्प्लेक्स के निकट** स्थित है। इससे रॉकेट के घटकों का कम समय में व सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित होगा।

7.9.5. स्पेस-बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन (सखी) ऐप {Space-Borne Assistant and Knowledge Hub For Crew Interaction (SAKHI) App}

- इसे **विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान मिशन पर एस्ट्रोनॉट्स की मदद** के लिए विकसित किया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र **तिरुवनंतपुरम के थुम्बा** में स्थित है।
  - गगनयान परियोजना का उद्देश्य **मानवयुक्त अंतरिक्ष-उड़ान क्षमता** का प्रदर्शन करना है। इस मिशन के तहत **3 सदस्यों के चालक दल को 400 कि.मी. की ऊंचाई** पर स्थित कक्षा में भेजा जाएगा। इस मिशन की **अवधि 3 दिन** होगी।
- **लाभ:**
  - यह ऐप एस्ट्रोनॉट्स के **स्वास्थ्य की निगरानी** करेगा। साथ ही, उनके ब्लड प्रेशर, हृदय गति आदि के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।
  - यह ऐप चालक दल को ऑनबोर्ड (यान पर लगे) कम्प्यूटर्स और ग्राउंड-बेस्ड स्टेशंस से कनेक्ट करके **निर्बाध संचार लिंक स्थापित** करेगा।
  - यह आवाज रिकॉर्ड करने, टेक्स्ट और इमेज सहित कई फॉर्मेट में **मिशन पर लॉग बनाए रखने में मदद** करेगा।

7.9.6. स्टेटियो शिव शक्ति (Statio Shiv Shakti)

- **इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन (IAU)** ने **चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर के लैंडिंग साइट** के लिए **"स्टेटियो शिव शक्ति"** नाम को मंजूरी प्रदान की है।
- इस नाम को **ग्रहों के नामकरण के गजेटियर में शामिल** कर लिया गया है। यह गजेटियर उन ग्रहों के नामों का दस्तावेजीकरण करता है जिन्हें IAU ने अनुमोदित किया है।
  - ग्रहों के नामकरण का उपयोग किसी ग्रह या उपग्रह की सतह पर **स्थलाकृतिक विशेषता को विशिष्ट पहचान प्रदान करने के लिए किया जाता है।**
- **IAU** की स्थापना **1919** में की गई थी। इसका **सचिवालय पेरिस, फ्रांस** में है।
  - इसका मिशन खगोल विज्ञान के सभी पहलुओं को बढ़ावा देना और उसकी सुरक्षा करना है।
  - **भारत सहित 92 देश** इसके सदस्य हैं।
- यह **खगोलीय पिंडों और उनकी सतह पर मौजूद विशेषताओं** के लिए नाम निर्दिष्ट करने हेतु **एक अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण** के रूप में कार्य करता है।

7.9.7. अनकवर कार्यक्रम (Uncover Program)

- **जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप (JWST) से जुड़े 'अनकवर कार्यक्रम'** के तहत शोधकर्ताओं ने प्रारंभिक ब्रह्मांड में **'डार्क एज' के अंत के बारे में** एक प्रमाण खोजा है।
  - डार्क एज उस अवधि को कहा जाता है, जब **प्रकाश के स्रोत न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस के घने कोहरे में ढके** हुए थे।
  - इसके बाद **'री-आयोनाइजेशन का युग'** आया। यह युग **'प्रथम तारों' और आकाशगंगाओं की उत्पत्ति के कारण** उत्पन्न हुआ था।
- **UNCOVER से आशय है- अल्ट्रा-डीप निरकैम एंड निरस्पेक ऑब्सेर्वशन्स बिफोर द एपोक ऑफ़ री-आयोनाइजेशन (Ultra-deep NIRCam and NIRSpec Observations Before the Epoch of Reionization) है।** इसका उद्देश्य **JWST के दो निम्नलिखित मुख्य विज्ञान-लक्ष्यों को प्राप्त** करना है:
  - डार्क एज के दौरान **प्रथम प्रकाश (फर्स्ट-लाइट) बिखेरने वाली आकाशगंगाओं की पहचान** करना, तथा
  - अत्यंत कम आभा वाली आकाशगंगाओं का अध्ययन करना, जो **री-आयोनाइजेशन के लिए जिम्मेदार** थी।

7.9.8. गर्भिनी-GA2 (Garbhini-GA2)

- इसे **ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (THSTI) और IIT मद्रास** के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है।
  - यह **दूसरी और तीसरी तिमाही में गर्भवती महिला में भ्रूण की सटीक रूप से आयु निर्धारित करने के लिए भारत-विशिष्ट मॉडल** है।
- गर्भिनी-GA2 **गर्भिनी/ GARBH-Ini यानी "इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप फॉर एडवांस्ड रिसर्च ऑन बर्थ आउटकम-DBT इंडिया इनिशिएटिव" का हिस्सा है।**
- **गर्भ-इनी या गर्भिणी (Garbh-Ini) कार्यक्रम के बारे में**
  - यह **2015** में शुरू किया गया **गर्भवती महिलाओं का एक समूह-अध्ययन** है।
  - **उद्देश्य:** नैदानिक, महामारी विज्ञान संबंधी व जीनोमिक एल्गोरिदम की पहचान करना और **समय से पहले (प्रीटर्म)**

जन्म की स्थिति में जोखिम-पूर्वानुमान में सक्षम एल्गोरिदम तैयार करना।

7.9.9. भारत पेनिसिलिन-G का फिर से उत्पादन शुरू करेगा (India to Restart Penicillin G Manufacturing)

- केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री के अनुसार, भारत 30 वर्षों के बाद पेनिसिलिन-G का फिर से उत्पादन शुरू करेगा।
- पेनिसिलिन-G एक **सक्रिय औषध सामग्री (API)**[213] **है**। इसका उपयोग **निमोनिया, मैनिंजाइटिस (मस्तिष्कावरण शोथ), गोनोरिया और सिफलिस के इलाज** के लिए एंटी-बैक्टीरियल दवाओं के उत्पादन में किया जाता है।
  - इसे **बेंजाइलपेनिसिलिन या बेंजाइलपेनिसिलिनिक एसिड** के नाम से भी जाना जाता है।
  - **1928 में स्कॉटिश जीवविज्ञानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग** ने पहली बार **पेनिसिलियम कवक से पेनिसिलिन को अलग** किया था।
    - इस खोज के लिए उन्हें **1945 में संयुक्त रूप से फिजियोलॉजी/ मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार** दिया गया था।
  - इस दवा को मुख्य रूप से वैक्सीन की तरह सिरिंज के माध्यम से शरीर की नसों में या मांसपेशियों के जरिए शरीर में पहुंचाई जाती है। यह दवा ओरल रूप में लेने (खाने) से अधिक असरदार नहीं रह जाती है।
  - वैश्वीकरण के बाद भारत ने कई अन्य APIs की तरह **पेनिसिलिन-G का भी चरणबद्ध तरीके से उत्पादन बंद** कर दिया था। यह कदम **चीन से इसके सस्ते आयात के चलते** उठाया गया था।
- **API के बारे में**
  - API या बल्क ड्रग, **किसी दवा को बनाने की मुख्य सामग्री** होती है। यह सामग्री दवा को **वांछित चिकित्सीय प्रभाव** प्रदान करती है या **इच्छित औषधीय गतिविधि** उत्पन्न करती है।
  - **मात्रा के हिसाब से भारत का दवा उद्योग विश्व का तीसरा सबसे बड़ा दवा उद्योग** है। इसके बावजूद भी देश मुख्य रूप से **चीन से किए जाने वाले बल्क ड्रग आयात** पर निर्भर है।
  - **अब तक स्थापित APIs विनिर्माण इकाईयां निम्नलिखित समस्याओं से ग्रस्त है:**
    - अत्यधिक प्रारंभिक लागत,
    - अधिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा आदि।
- **रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने API में आत्मनिर्भरता के लिए निम्नलिखित पहलें शुरू की हैं:**
  - बल्क ड्रग पार्क्स संवर्धन योजना;
  - औषध क्षेत्रक के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना APIs को भी कवर करती है।
  - मुख्य प्रारंभिक सामग्री (key starting material)/ औषध मध्यवर्ती (Drug Intermediates: DIs) और APIs के घरेलू विनिर्माण के लिए PLI योजना।

7.9.10. सांप के काटने से होने वाली क्षति की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना {National Action Plan For Prevention and Control of Snakebite Envenoming (NAP-SE)}

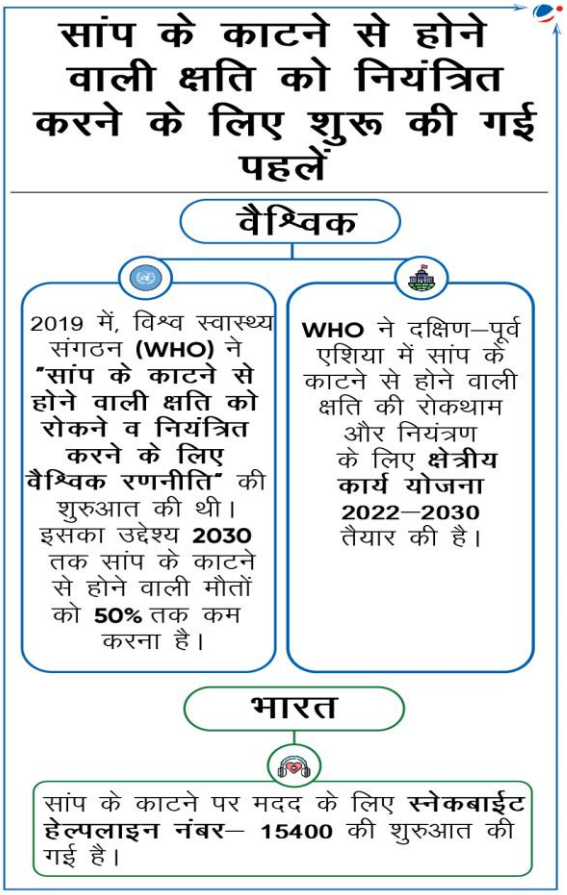

- NAP-SE की शुरुआत **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय** ने की है। इस कार्य योजना का उद्देश्य **सांप के काटने से होने वाली क्षति के प्रभावी उपचार के लिए दवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित** करना है। साथ ही, **क्षमता निर्माण, रेफरल तंत्र तथा लोक शिक्षा** के जरिए सांप के काटने से होने वाली क्षति के जोखिम को व्यवस्थित रूप से कम करना भी इसका उद्देश्य है।
  - इसका लक्ष्य **'वन हेल्थ' दृष्टिकोण के जरिए 2030 तक सांप के काटने से होने वाली मौतों और दिव्यांगता के मामलों को कम करके आधा** करना है।
    - **वन हेल्थ** एक एकीकृत और समन्वित दृष्टिकोण है। इसका उद्देश्य **मनुष्यों, जानवरों, पादपों और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को** सतत रूप से संतुलित एवं अनुकूलित करना है।

[213] Active Pharmaceutical Ingredient

- इसके तहत राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की आवश्यकताओं के अनुसार **उनकी स्वयं की कार्य योजना विकसित करने के लिए चरण-वार तरीका अपनाने का प्रावधान** किया गया है।

- **NAP-SE द्वारा चिन्हित की गई मुख्य रणनीतिक कार्रवाइयां:**
  - **मानव स्वास्थ्य घटक:** सभी स्वास्थ्य सुविधाओं पर सांप के काटने की स्थिति में प्रभावी उपचार सुनिश्चित करना; इसके मामलों की निगरानी को मजबूत करना; रीजनल वेनम सेंटर को संस्थागत रूप देना; आदि।
  - **वन्यजीव स्वास्थ्य घटक:** शिक्षा संबंधी जागरूकता को बढ़ावा देना; व्यवस्थित अनुसंधान और निगरानी सुनिश्चित करना; स्नेक वेनम का संग्रह करना; स्नेक वेनम निकालने के लिए सांपों को सुरक्षित रूप से रखने हेतु स्थान-विशेष का प्रबंधन करना आदि।
  - **पशु और कृषि घटक:** पशुधन को सांप द्वारा काटे जाने से बचाना; सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करना; स्नेकबाइट से संबंधित दवाओं के उत्पादन व उपयोग को बढ़ावा देना आदि।
- सांप के काटने से होने वाली क्षति एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है। यह विषैले सांप के काटने से होता है।
  - भारत में, लगभग 90% स्नेकबाइट के मामले मुख्य रूप से **कॉमन क्रेट/ करैत, भारतीय कोबरा (स्पेक्टेकल कोबरा), रसेल वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर** जैसे साँपों से संबंधित हैं। इन चारों सांपों को **'डेडली बिग फोर'** कहा जाता है।

7.9.11. याउंडे घोषणा-पत्र (Yaounde Declaration)

- **अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया** से होने वाली मौतों को रोकने के लिए **याउंडे घोषणा-पत्र** पर हस्ताक्षर किए हैं।
- इस घोषणा-पत्र पर **याउंडे कॉन्फ्रेंस के दौरान हस्ताक्षर** किए गए थे। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और कैमरून** ने संयुक्त रूप से किया था।
- इस पर **11 अफ्रीकी देशों** ने हस्ताक्षर किए हैं। इन देशों में **मलेरिया संक्रमण और उससे होने वाली मौत के सबसे अधिक मामले** दर्ज किए जाते हैं।
- घोषणा-पत्र में प्रत्येक देश ने अपने कुल बजटीय आवंटन का **15 प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रक के लिए आवंटित करने की प्रतिबद्धता** जताई है।
- यह घोषणा-पत्र WHO की **"हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट"** एप्रोच के अनुरूप है।

7.9.12. पार्थेनोजेनेसिस (Parthenogenesis)

- वैज्ञानिकों ने पार्थेनोजेनेसिस के माध्यम से **अलैंगिक प्रजनन** करने हेतु एक **फ्रूट फ्लाई** को आनुवंशिक रूप से संशोधित किया है।
- **पार्थेनोजेनेसिस**
  - यह **अलैंगिक प्रजनन** की प्रक्रिया है। इसमें एक मादा अपने **अंडाणु को शुक्राणु के साथ निषेचित किए बिना भ्रूण विकसित** कर सकती है।
  - **प्राकृतिक पार्थेनोजेनेसिस के दो रूप हैं:**
    - **ऑटोमिक्सिस:** यह रूप **ज्यादातर शार्क में देखा** जाता है। इसके तहत माता का DNA थोड़ा बदल जाता है, ताकि **ऐसी संतान पैदा हो सके जो लगभग माता के क्लोन जैसी हो, परंतु एकदम माता के समान न हो।**
    - **एपोमिक्सिस:** यह एक प्रकार का **आनुवंशिक कॉपी-एंड-पेस्ट** रूप है। इसके तहत पैदा हुई संतान आनुवंशिक रूप से मूल प्रजाति का सटीक क्लोन होती है। **पादपों में इस प्रकार के पार्थेनोजेनेसिस अधिक देखे** जाते हैं।

7.9.13. अमिट स्याही (मतदाता स्याही) {Indelible Ink (Voter's Ink)}

- भारतीय निर्वाचन आयोग ने अमिट स्याही के एकमात्र निर्माता **मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड (MPVL) को 26.55 लाख शीशियां बनाने का ऑर्डर** दिया है। यह अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है।
- **चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 49K** में प्रावधान किया गया है कि पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी प्रत्येक मतदाता की **बायीं तर्जनी अंगुली का निरीक्षण** कर सकता है और उस पर एक अमिट स्याही का निशान लगा सकता है।
- इसे अमिट स्याही इसलिए कहा जाता है, क्योंकि एक बार लगाने के बाद इसे कई महीनों तक **किसी रसायन, डिटर्जेंट, साबुन या तेल से नहीं हटाया** जा सकता। इसका **रंग पर्पल** होता है।
- इसमें **सिल्वर नाइट्रेट** होता है, जो नाखून के साथ अभिक्रिया करने और प्रकाश के संपर्क में आने पर गहरा हो जाता है।

7.9.14. शुष्क बर्फ (Dry Ice)

- हाल ही में, **गुरुग्राम** के एक रेस्तरां में खाना खाने के बाद लोगों को गलती से **माउथ फ्रेशनर की जगह शुष्क बर्फ** खाने को दे दी गई। इसके बाद लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
- **शुष्क बर्फ के बारे में**
  - **ठोस कार्बन डाइऑक्साइड (CO2)** को ही आम बोलचाल की भाषा में **शुष्क बर्फ** कहते हैं।
  - इसे "शुष्क बर्फ" इसलिए कहा जाता है, क्योंकि **गर्म करने पर यह पिघलकर तरल रूप में नहीं बल्कि सीधे गैस में बदल** जाती है। इस प्रक्रिया को **सब्लिमेशन** कहा जाता है।
  - इसका निर्माण **गैसीय CO2 को संपीडित और ठंडा** करके किया जाता है।
  - इसे मानव स्वास्थ्य के लिए घातक माना जाता है।
  - **शुष्क बर्फ का निम्नलिखित में इस्तेमाल किया जाता है:**
    - अस्पताल और क्लिनिक्स में,
    - खाद्य प्रसंस्करण और वितरण में,
    - औद्योगिक सफाई और तकनीकी प्रक्रियाओं में,
    - थिएट्रिकल और स्पेशल इफेक्ट्स में।

7.9.15. एस्बेस्टस (Asbestos)

- **संयुक्त राज्य अमेरिका की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने कैंसरकारी घातक एस्बेस्टस के सभी रूपों** पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- एस्बेस्टस प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले **रेशेदार (Fibrous) खनिजों** का एक समूह है। इसमें असाधारण तन्य शक्ति, कमजोर ताप संचालन और केमिकल्स के प्रति प्रतिरोध होता है।
- एस्बेस्टस के मुख्य रूप **क्राइसोटाइल (व्हाइट एस्बेस्टस) और क्रोकिडोलाइट (ब्लू एस्बेस्टस)** हैं।
- **एस्बेस्टस का निम्नलिखित में उपयोग किया जाता है:**
    - निर्माण सामग्री में,
    - इन्सुलेशन में, और
    - ऑटोमोबाइल पार्ट्स में।
- **स्वास्थ्य पर प्रभाव:** सभी प्रकार के एस्बेस्टस कैंसरकारी होते हैं। इनके कारण **फेफड़ों का कैंसर, मेसोथेलियोमा, स्वरयंत्र और अंडाशय का कैंसर तथा एस्बेस्टोसिस (फेफड़ों का फाइब्रोसिस)** हो सकता है।
- भारत ने **किसी भी प्रकार के एस्बेस्टस के उपयोग पर प्रतिबंध** नहीं लगाया है।

QUIZ **SMART QUIZ**	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

समसामयिकी त्रैमासिक रिवीजन

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की **पृष्ठभूमि, आयु, वर्किंग शेड्यूल और पारिवारिक जिम्मेदारियां अलग-अलग होती हैं।**

इसे ध्यान में रखते हुए हमने **समसामयिकी: त्रैमासिक रिवीजन** डॉक्यूमेंट को तैयार किया है। इससे उन अभ्यर्थियों को तैयारी में काफी सहायता मिलेगी, जिनका शेड्यूल अधिक व्यस्त होता है, जिन्हें मासिक समसामयिकी मैगजीन को पढ़ने व रिवीजन करने के लिए कम समय मिलता है और सिलेबस के बारे में बुनियादी एवं थोड़ी बहुत समझ होती है।

त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट को काफी सावधानीपूर्वक और बारीकी से तैयार किया गया है। इससे आपको **सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक लर्निंग एवं रिवीजन के लिए मजबूत आधार मिलेगा।**

इस डॉक्यूमेंट में हमने विगत तीन माह की मासिक समसामयिकी मैगजीन से सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को कवर किया है। इससे महत्वपूर्ण टॉपिक्स का रिवीजन करने के लिए आपको एक समग्र और सटीक रिसोर्स मिलेगा।

डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट की कुछ मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

कम समय में रिवीजन करने के लिए: इसे पिछले तीन महीने के करेंट अफेयर्स को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि कम समय में भी रिवीजन किया जा सके।

और अधिक जानकारी के लिए अवश्य पढ़ें: इससे आपको करेंट अफेयर्स को स्टैटिक मटेरियल से जोड़कर समझने तथा टॉपिक के बारे में अपनी समझ को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसमें NCERTs सहित बेसिक रीडिंग मटेरियल से संबंधित अध्याय के बारे में बताया गया है।

प्रश्नोत्तरी: हर भाग के अंत में 5 MCQs और मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस हेतु 2 प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न आपको अपनी समझ का आकलन करने और प्रमुख अवधारणाओं/तथ्यों को प्रभावी ढंग से याद रखने में मदद करेंगे।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि: प्रत्येक आर्टिकल से संबंधित एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि दी गई है, जिससे आपको संबंधित आर्टिकल को समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक मजबूत आधार मिलेगा।

विश्लेषण और महत्वपूर्ण तथ्य: इससे आपको महत्वपूर्ण नज़रिए और अलग-अलग पहलुओं से जुड़ी जानकारी तथा तथ्यों के बारे में पता चलेगा।

स्पष्ट एवं संक्षिप्त जानकारी: इसमें इन्फॉर्मेशन को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिससे क्विक और इफेक्टिव रिवीजन में मदद मिलेगी।

हमें पूरी उम्मीद है कि यह त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट समसामयिकी घटनाक्रमों के लिए काफी फायदेमंद होगा। PT 365 और Mains 365 डाक्यूमेंट्स के साथ-साथ इसे पढ़कर UPSC CSE की तैयारी की राह में आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ जाएगा।

स्मार्ट तरीके से तैयारी कीजिए। "त्रैमासिक रिवीजन डॉक्यूमेंट" कुशल, टार्गेटेड और प्रभावी रिवीजन के लिए सबसे बेहतर साथी है। इसकी मदद से अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की राह में आगे बढ़िए।

8. संस्कृति (Culture)

8.1. लचित बोरफुकन (Lachit Borphukan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने **असम के जोरहाट में लचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा "स्टैच्यू ऑफ वेलर" (वीरता की प्रतिमा)** का अनावरण किया। लचित बोरफुकन, **अहोम साम्राज्य की शाही सेना के प्रसिद्ध सेनापति** थे।

लचित बोरफुकन (1622-1672) के बारे में

- **जन्म स्थान:** उनका **जन्म असम के चराइदेव जिले** में हुआ था।
- **माता:** उनकी माता का नाम **कुंती मोरन** था।
- **पिता:** उनके पिता का नाम **मोमाई तमुली बोरबरुआ** था।
  - उनके पिता अहोम साम्राज्य के **प्रथम बोरबरुआ** (सैन्य और न्यायिक प्रमुख) थे।
  - उन्होंने अहोम सेना के **बरफुकन** (सेनापति) के रूप में, मुगल बादशाह **जहांगीर और शाहजहां** की **सेनाओं के खिलाफ अदम्य साहस के साथ लड़ाई लड़ी।**
  - वे **पाइक प्रथा के संस्थापक** भी थे। पाइक प्रथा अहोम साम्राज्य में **जबरन श्रम यानी बेगार** की एक प्रथा थी।
- **कबीला:** अहोम समुदाय में कई कबीले/ कुल थे। लचित बोरफुकन **लुखुराखुन कबीले** से थे।
- **सेनापति के रूप में भूमिका:** राजा स्वर्गदेव चक्रध्वज सिंह ने **लचित बोरफुकन** को सेनापति नियुक्त किया था।
  - सेनापति के रूप में लचित बोरफुकन ने **सराईघाट के युद्ध** में अहोम सेना का नेतृत्व किया था और इस युद्ध में **विजय प्राप्त की।**

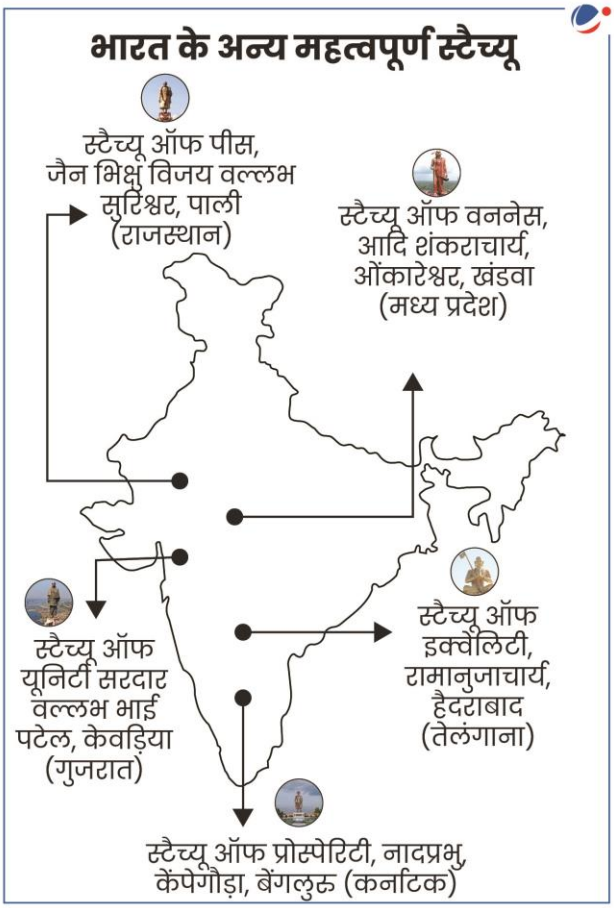

सराईघाट का युद्ध (1671)

- **पृष्ठभूमि:**
  - **1662 में, मीर जुमला** के नेतृत्व में मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना ने अहोम साम्राज्य को पराजित किया और **इसे कर-आधारित सूबा में शामिल कर लिया।**
  - **1669 में, राम सिंह** के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने **अलाबोई के युद्ध** में **गुवाहाटी पर अधिकार** कर लिया था।
- **युद्ध मैदान:** यह युद्ध वर्तमान भारतीय राज्य असम के गुवाहाटी शहर के निकट सराईघाट में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर लड़ा गया था।
- **युद्ध में शामिल पक्ष:** यह युद्ध काफी हद तक एक **नौसैनिक युद्ध** था। **अहोम सेना** का नेतृत्व **लचित बोरफुकन** ने किया था, जबकि **मुगल सेना** की कमान **सेनापति राम सिंह** ने संभाली थी।
- **युद्ध का परिणाम:** लचित बोरफुकन के नेतृत्व में **अहोम सेना** ने अपने से बड़ी **मुगल सेना** को **निर्णायक रूप से पराजित** किया। इस तरह उन्होंने अहोम साम्राज्य पर कब्ज़ा करने के मुगलों के मंसूबे पर पानी फेर दिया।
- **युद्ध का महत्त्व:** इस युद्ध ने **मुगलों को असम** और **मौजूदा पूर्वोत्तर भारत के शेष क्षेत्रों की ओर बढ़ने से रोक दिया।**

क्या आप जानते हैं?

> **राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) में 1999 से सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल** प्रदान किया जाता है

अहोम साम्राज्य (1228 से 1826) के बारे में

साम्राज्य	• **संस्थापक:** इस साम्राज्य का संस्थापक **मोंग माओ** का एक **शान राजकुमार, सुकाफा** था। वह **पटकाई पर्वत श्रेणी** को पार करके असम आया था। • **स्थापना:** अहोम लोग **मौजूदा म्यांमार** से **13वीं शताब्दी में** ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। • **क्षेत्र का विस्तार: 16वीं शताब्दी में, सुहंगमुंग** के शासनकाल में अहोम ने **चुटियों** और **कोच-हाजो** के शासन वाले क्षेत्रों को अपने राज्य में मिला लिया था। • **राजधानी: चराइदेव** अहोम राजवंश की पहली राजधानी थी। यह मौजूदा गुवाहाटी के पूर्व में स्थित था।
समाज	• **कबीला:** अहोम समाज, **कुलों/ कबीलों** में विभाजित था, जिन्हें **"खेल"** कहा जाता था। एक **खेल** के **नियंत्रण में प्रायः कई गांव** होते थे। ○ **किसान को अपने ग्राम समुदाय द्वारा जमीन दी जाती थी।** समुदाय की सहमति के बगैर राजा इसे वापस नहीं ले सकता था। ▪ अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार **अहोम कुल** टूट गए।
राजनीतिक विशेषताएं	• **पुरानी राजनीतिक-व्यवस्था की समाप्ति:** अहोम ने **भुइयां (भू-स्वामी) लोगों की** पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को समाप्त करके नए राज्य की स्थापना की। • **जबरन श्रम प्रणाली- पाइक:** अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था, वे **पाइक** कहलाते थे। ○ अहोम साम्राज्य में एक **जनगणना** की गई। इसके अनुसार, प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे।
प्रशासन	• **केंद्रीकृत प्रशासन:** सत्रहवीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध के पूरा होते-होते अधिकांश प्रशासन केंद्रीकृत हो चुका था। • **मंत्रिपरिषद:** ○ **राजा** की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद थी। इसे **पात्र मंत्री** के नाम से जाना जाता था। ○ **सबसे प्रमुख पात्र मंत्री महान गोहेन** (बुरागोहेन, बोरगोहेन और बरपात्रागोहेन) थे। • **महत्वपूर्ण पदाधिकारी:** बोरबरुआ (सैन्य और न्यायिक प्रमुख) और बोरफुकन (सेनापति और नागरिक प्रमुख) ○ **बोरफुकन का पद वायसराय** के समान था।
अर्थव्यवस्था	• **कारीगर:** अहोम साम्राज्य में **कारीगरों की बहुत कम जातियां** थी। इसलिए, अहोम क्षेत्र में कारीगर निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। • **नई कृषि पद्धतियां:** अहोम लोगों ने **धान की खेती की नई विधि** भी शुरू की।
सैन्य रणनीति	• **अनिवार्य सैन्य सेवा:** लगभग **सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में शामिल** होते थे। • **सैन्य रणनीति:** ○ शत्रुओं की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए **जासूसों की नियुक्ति** की जाती थी। इसके अलावा, गुरिल्ला युद्ध रणनीति भी अपनाई जाती थी।

	○ **कटकी** नामक अधिकारी शत्रुओं के शिविर में **संदेशवाहक** के रूप में कार्य करते थे। • **नौसेना शक्ति:** अहोम सैन्य प्रणाली में नौसेना सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली बल था। • **सैन्य प्रभाग:** सैन्य प्रभाग में एक **हस्ती (हाथी) सेना** भी शामिल थी। **हतिबरुआ** नामक अधिकारी हस्ती सेना का सेनापति था।
धर्म	• शुरुआत में अहोम लोग, अपने **जनजातीय देवताओं** की उपासना करते थे। हालांकि, **सिब सिंह (1714-1744) के शासनकाल में हिंदू धर्म वहां का प्रमुख धर्म** बन गया था।
शवाधान की पद्धति (चराइदेव मैदाम या मोइदम्स)	• **शवाधान पद्धति के बारे में:** चराइदेव मैदाम या मोइदम्स **टीलेनुमा संरचनाएं** होती थीं। इनमें **अहोम राजपरिवार के सदस्यों को दफनाया** जाता था। ये टीले **पटकाई पर्वत श्रृंखला की तलहटी में पाए गए हैं।** • **लचित मैदाम:** इसमें **लचित बोरफुकन** को दफनाया गया था। इस **मैदाम** का निर्माण 1772 में **स्वर्गदेव उदयादित्य सिंह ने जोरहाट के पास हुलुंगापारा में करवाया था।** • **वैश्विक मान्यता:** ○ चराइदेव मैदाम या मोइदम्स को आमतौर पर **असम के पिरामिड** के नाम से जाना जाता है। ○ ये **यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची** में शामिल हैं।
कला और संस्कृति	• **कारीगर: कवियों और विद्वानों** को **अनुदान के रूप में भूमि** दी जाती थी। • **बुरंजी:** यह **असमिया भाषा** में लिखी हुई **ऐतिहासिक कृतियाँ** हैं। अहोम राज्य सभा के पुरातत्व लेखों का संकलन बुरंजी में हुआ है। ○ इनकी रचना **शुरुआत में ताई-अहोम भाषा में की गई थी**, लेकिन बाद में अहोम लोगों के हिंदू धर्म में धर्मान्तरित होने के बाद इन्हें **असमिया भाषा** में लिखा गया। • **संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद:** संस्कृत की कई महत्वपूर्ण रचनाओं का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया।
शासन का अंत	• अहोम राजवंश का शासन **असम पर बर्मी आक्रमण** और फिर **याण्डबू की संधि (1826)** के बाद **ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिकार कर लेने** के साथ ही समाप्त हो गया।

8.2. जियो-हेरिटेज साइट्स (Geo-Heritage Sites)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पांडवुला गुट्टा और **रामगढ़ क्रेटर** को जियो-हेरिटेज साइट्स के रूप में मान्यता दी गई है।

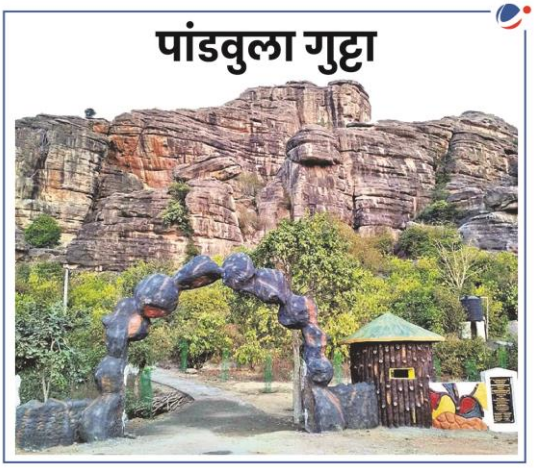

जियो-हेरिटेज साइट्स के बारे में

- **जियो-हेरिटेज** साइट्स वास्तव में **भूवैज्ञानिक, भू-आकृतिक विज्ञान (Geomorphological), जीवाश्म विज्ञान (Paleontological)** और **स्तरित शैल-विज्ञान (Stratigraphic)** की महत्ता वाले **दुर्लभ तथा विशिष्ट स्थल** होते हैं।
  - इनमें गुफाएं, प्राकृतिक शैल-आकृतियां, तलछट, चट्टानें, खनिज, उल्का-पिंड, जीवाश्म आदि शामिल होते हैं।
- **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI)**[214], भारत में **जियो-हेरिटेज साइट्स** को मान्यता प्रदान करता है, दर्जा प्रदान करता है तथा उनका रख-रखाव करता है (मानचित्र देखें)।

पांडवुला गुट्टा के बारे में

- यह **तेलंगाना के जयशंकर भूपालपल्ली जिले** में स्थित है। यह स्थल **हिमालय पर्वत श्रेणियों** से भी पुराना है।
- इसकी खोज वर्ष 1990 में हुई थी।

[214] Geological Survey of India

- इसमें **पुरापाषाण कालीन चित्रकला के साक्ष्य** पाए गए हैं। इन चित्रों के विषय-वस्तु में शामिल हैं-
  - **वन्य-जीव** (बाइसन, मृग, बाघ, तेंदुआ, आदि),
  - **ज्यामितीय आकृतियां** (स्वस्तिक चिन्ह, वृत्त और वर्ग), तथा
  - **अस्त्र-शस्त्र** (धनुष, तीर, तलवार, भाला इत्यादि)।
- ये गुफा चित्र **प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा बनाई गई चित्रकला** की एक दुर्लभ झलक प्रस्तुत करते हैं। इन्हें **गुफाओं की दीवारों और छतों,** शैल आश्रयों और पृथक शैलखंडों पर देखा जा सकता है।

रामगढ़ क्रेटर (रामगढ़ एस्ट्रोब्लेम) के बारे में

- **'एस्ट्रोब्लेम'** शब्दावली का प्रयोग **उल्कापिंडों के पृथ्वी पर गिरने से निर्मित भू-वैज्ञानिक संरचनाओं** का वर्णन करने के लिए किया जाता है।
- यह **राजस्थान** के बारां जिले में **पार्बती नदी के पुराने अपवाह मार्ग** पर अवस्थित है।
- **पहली बार 1869 में GSI ने इसकी खोज की थी।** इसे **लंदन के भूवैज्ञानिक सोसायटी** ने 'क्रेटर' के रूप में मान्यता दी थी।
- विंध्य सुपरग्रुप की अवसादी चट्टानों में वर्तमान में अपक्षयित हो चुके इस क्रेटर को **मेसोप्रोटेरोजोइक एज**[215] (लगभग 1600 से 1000 मिलियन वर्ष पहले) का बताया गया है।
- **रामगढ़ क्रेटर, भारत में उल्कापिंडों के गिरने से बने तीन इम्पैक्ट क्रेटर्स में से एक है।**
  - अन्य दो क्रेटर्स हैं: **लोनार (महाराष्ट्र)** और **ढाला (मध्य प्रदेश)।**
  - इस क्रेटर में **कोसाइट (Coesite)** की मौजूदगी दर्शाती है कि यह एक **इम्पैक्ट क्रेटर** है और यहाँ **उल्कापिंड के गिरने** की पुष्टि होती है।
    - कोसाइट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड (SiO_2) का उच्च दाब वाला पोलीमोर्फ है। **पोलीमोर्फ एक प्रकार का खनिज है जिसकी रासायनिक संरचना समान होती है लेकिन आंतरिक संरचना भिन्न होती है।** जैसे अर्गोनाइट और कैल्साइट पोलीमोर्फ हैं - दोनों में कैल्शियम कार्बोनेट ($CaCO_3$) प्राप्त होते हैं लेकिन उनकी आंतरिक संरचना अलग-अलग होती है।
- इस क्रेटर का **व्यास लगभग 3.2 किलोमीटर है** और **यह 200 मीटर गहरा** है।
- इस क्रेटर के मध्य में भगवान शिव का **'भांड देवरा मंदिर'** अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण **10वीं शताब्दी** में खजुराहो शैली में करवाया गया था।
  - क्रेटर हिल में **स्थानीय देवी किसनाई और अन्नपूर्णा को समर्पित गुफा मंदिर** भी हैं।
- यह क्रेटर वर्तमान में **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972** के तहत संरक्षित है। इसकी **क्रेटर झील (पुष्कर तालाब)** को **आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017** के तहत 'वेटलैंड' के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- कनाडा के **प्लैनेटरी एंड स्पेस साइंस सेंटर (PASSC)** ने इस क्रेटर को **मान्यता** प्रदान की है और इसे **"अर्थ इम्पैक्ट डेटाबेस"** में शामिल किया है।
  - **PASSC की स्थापना कनाडा (2001)** में की गई थी। **अर्थ इम्पैक्ट डेटाबेस** विश्व भर में उल्कापिंडों के गिरने से से बनी सत्यापित इम्पैक्ट संरचनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India: GSI)

HQ कोलकाता

उत्पत्ति: इसे **1851 में थॉमस ओल्डहम** ने स्थापित किया था। प्राथमिक रूप में इसका कार्य **रेलवे के लिए कोयला निक्षेपों की खोज** करना था।

मंत्रालय: खान मंत्रालय

संगठनात्मक संरचना: इसका अध्यक्ष एक **महानिदेशक** होता है। महानिदेशक की सहायता के लिए **6 क्षेत्रीय कार्यालयों में अतिरिक्त निदेशक और उप-निदेशक** होते हैं। ये 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं: **लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलॉन्ग** और **कोलकाता।**

कार्य:

- राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक सूचनाओं का सृजन व अपडेशन करना तथा खनिज संसाधनों का आकलन करना।
- यह भारत में गिरने वाले सभी **उल्का पिंडों का प्राधिकृत क्यूरेटर (संग्रहाध्यक्ष) और रिपॉजिटरी** है। साथ ही, वर्तमान में इसके पास **700 अलग-अलग प्रकार के उल्कापिंडों का संग्रह** भी है।

[215] Mesoproterozoic age

भारत के भूवैज्ञानिक-विरासत स्थल

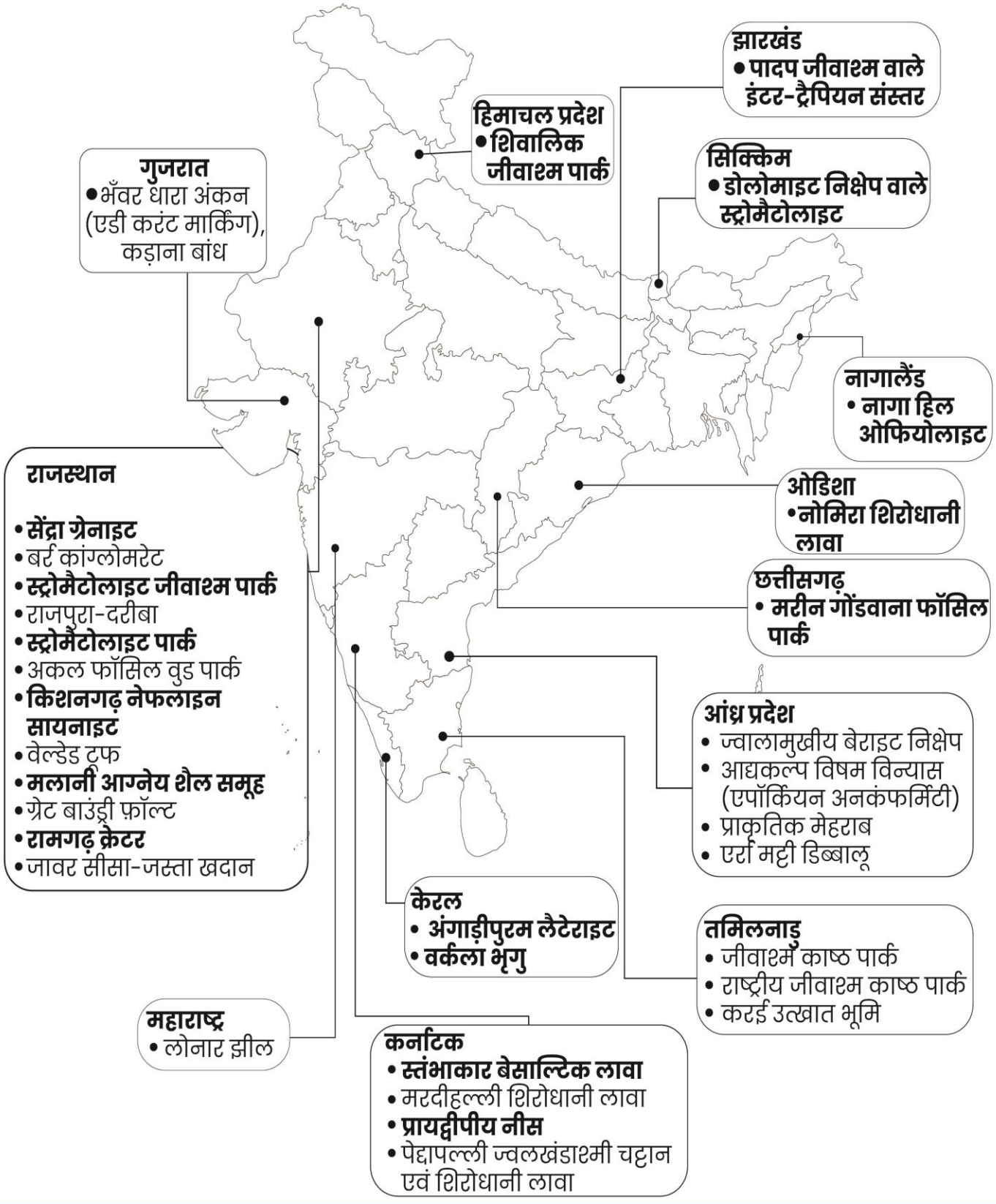

8.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

8.3.1. 10 नए उत्पादों को GI टैग मिला (GI Tag For 10 New Products)

- सरकार ने निम्नलिखित दस उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेतक (GI) टैग की घोषणा की:

राज्य	उत्पाद और उनका विवरण
ओडिशा	• **कटक रूपा तारकशी (सिल्वर फिलीग्री)** ○ इसका उपयोग लगभग **3500 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया (वर्तमान इराक) में आभूषण निर्माण** में किया जाता था। आज भी यह इराक, मिस्र में **तेलकारी काम** के रूप में प्रचलित है। ○ यह कलाकारी **फारस से इंडोनेशिया होते हुए कटक** पहुंची थी।
पश्चिम बंगाल	• **बांग्लार मलमल** ○ यह कपास से बना एक **पारंपरिक हथकरघा शिल्प** है।
आंध्र प्रदेश	• **नरसापुर क्रोशै लेस उत्पाद** ○ इन्हें **नरसापुर में धर्म-प्रचारकों** द्वारा लाया गया था।
मध्य प्रदेश	• **रतलाम रियावन लहसुन**
असम	• **माजुली मास्क और माजुली पांडुलिपि चित्रकला**
त्रिपुरा	• **रिसा वस्त्र**
तेलंगाना	• **हैदराबाद की लाख चूड़ियां**
गुजरात	• **कच्छ रोगन शिल्प** • **अम्बाजी सफेद संगमरमर** ○ इसका निर्माण तब होता है, जब चूना पत्थर पृथ्वी के क्रस्ट (भूपर्पटी) के नीचे **पुनः क्रिस्टलीकृत** हो जाता है।

- GI टैग का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों पर किया जाता है, जिनकी एक **विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती** है। इसी उत्पत्ति के कारण इन उत्पादों में **विशिष्ट गुण या ख्याति** होती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता:**
  - **'औद्योगिक संपदा की सुरक्षा के लिए पेरिस कन्वेंशन'** के तहत GI को **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)** के एक तत्व के रूप में शामिल किया गया है।
  - इसे **विश्व व्यापार संगठन (WTO) के 'बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू (ट्रिप्स/ TRIPS) समझौते'** के तहत भी कवर किया गया है।

8.3.2. मध्य प्रदेश के छह सांस्कृतिक धरोहर स्थल यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किए गए (Six Heritage Sites of Madhya Pradesh Included in Unesco's Tentative List)

यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किए गए स्थल	विवरण
ग्वालियर का किला	• इस किले का निर्माण कार्य **राजा सूर्य सेन ने 8वीं शताब्दी ईस्वी में पूरा** कराया था। किले के अंदर निर्मित संरचनाओं में **मान मंदिर महल, गुजरी महल, सास बहू मंदिर** आदि शामिल हैं।
खूनी भंडारा, बुरहानपुर	• यह **भूमिगत जल प्रबंधन प्रणाली** है। इसका निर्माण जहांगीर के शासनकाल में **अब्दुर्रहीम खान-ए-खाना** ने कराया था। • यह **फारसी कनात प्रणाली** पर आधारित है।
चंबल घाटी का शैल-चित्रकला स्थल	• यह **विंध्य, सतपुड़ा और कैमूर पर्वतमाला** के पहाड़ी क्षेत्रों में उत्कीर्ण शैल-चित्रकला है।
भोजेश्वर महादेव मंदिर, भोजपुर	• यह **भगवान शिव का मंदिर** है। इसका निर्माण **11वीं शताब्दी में राजा भोज के शासनकाल** में कराया गया था। • यह मंदिर **भूमिजा शैली में निर्मित** है। ○ भूमिजा शैली **नागर शैली का एक विकसित** रूप है। इस शैली का विकास **परमार वंश** के दौरान हुआ था।
रामनगर के गोंड स्मारक, मंडला	• इन स्मारकों का निर्माण **गोंड शासकों** ने कराया था। यहां निर्मित स्मारकों में **मोती महल, रायभगत की कोठी, बेगम महल** आदि शामिल हैं।
धमनार का ऐतिहासिक स्थापत्य कला समूह	• यह एक रॉक-कट स्थल है। यहां **51 एकाश्म बौद्ध गुफाएं (5वीं-7वीं शताब्दी ईस्वी) और हिंदू मंदिर परिसर (धर्मराजेश्वर मंदिर)** शामिल हैं।

- किसी धरोहर को यूनेस्को की **विश्व धरोहर सूची में औपचारिक रूप से शामिल किए जाने से पहले "अस्थायी सूची में शामिल किया जाना" पहला कदम** है।

- **मानवता के लिए उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य वाले स्थलों को विश्व धरोहर सूची** में शामिल किया जाता है।
- वर्तमान में भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त **कुल 42 विश्व धरोहर स्थल** हैं। इनमें से 34 स्थल सांस्कृतिक, 7 स्थल प्राकृतिक और 1 स्थल मिश्रित श्रेणी का है।

8.3.3. अय्या वैकुंड स्वामीकल (Ayya Vaikunda Swamikal)

- हाल ही में, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री अय्या वैकुंड स्वामीकल को उनकी जयंती पर याद किया।
- **अय्या वैकुंड स्वामीकल के बारे में:**
  - **जन्म:** इनका जन्म **19वीं सदी** की शुरुआत में **तमिलनाडु में कन्याकुमारी के पास** पूवंदन थोप्पू गांव में एक गरीब नादर परिवार में हुआ था।
  - **माता-पिता:** उनके पिता का नाम पोन्नू नादर और उनकी माता का नाम वेयिलाल अम्मैयार था।
- **अय्या वैकुंड स्वामीकल का प्रमुख योगदान:**
  - अय्या वैकुंड स्वामीकल **भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूतों में से एक** थे। उनका प्रसिद्ध नारा: **"एक जाति, एक धर्म, एक कुल, एक विश्व, एक ईश्वर"** था। इससे सभी जाति के लोगों के बीच समानता को बढ़ावा मिलता है।
  - उन्होंने **अय्यावाज़ी संप्रदाय की स्थापना** की और लोगों को अहिंसा, दान, सहिष्णुता और प्रेम के मार्ग पर चलना सिखाया।
  - **मंदिर सुधार:**
    - उन व्यक्तियों के लिए **नए मंदिर (पाथिस और निज़ल थैंकल्स) बनाए गए** थे, जिन्हें पहले मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी।
    - **थोट्टू नामम की शुरुआत** की गई। इसमें पुजारियों को जाति की परवाह किए बिना भक्तों के माथे पर पवित्र लेप लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
  - **सामाजिक पहल:**
    - शाकाहार को बढ़ावा देने के लिए **थुवायल पंथी कार्यक्रम** की शुरुआत की थी।
    - **सामपंथी-भोजन** (सामुदायिक भोजनालय) का आयोजन किया गया।
    - सामान्य कुओं की खुदाई का कार्य किया गया, जिसे **'मुथिरिकिनारस'** के नाम से जाना जाता है। इनका निर्माण निचली जातियों तक जल की पहुंच प्रदान करने के लिए किया गया था, जिन्हें पहले उच्च जाति के कुओं का उपयोग करने से रोक दिया गया था।
  - **पुस्तकें:** उन्होंने अकिला थिरुट्टू; अरुलनूल; अम्मानई जैसी पुस्तकों की रचना की।

8.3.4. नाना जगन्नाथ शंकरसेठ (Nana Jagannath Shankarseth)

- **महाराष्ट्र मंत्रिमंडल** ने रेल मंत्रालय से **मुंबई सेंट्रल स्टेशन** का नाम बदलकर **नाना जगन्नाथ शंकरसेठ** करने का आग्रह करने का फैसला किया है।
- **नाना जगन्नाथ शंकरसेठ (1803-1865) का प्रारंभिक जीवन:**
  - **जन्म:** नाना जगन्नाथ शंकरसेठ का जन्म महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुरबाड में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था।
  - **पिता-माता:** उनके पिता का नाम शंकर मुरकुटे और माता का नाम भवानीबाई मुरकुटे था।
  - **आदर्श और प्रभाव:** वह व्यापारी और परोपकारी **सर जमशेदजी जीजीभॉय** से बहुत प्रेरित थे।
- **प्रमुख योगदान**
  - **मुंबई के वास्तुकार:** उन्होंने बॉम्बे में इमारतों, सड़कों और मार्गों की योजना बनाने के लिए प्रमुख परियोजनाओं का नेतृत्व किया। उनके कार्यों की वजह से उन्हें **मुंबई (तब बॉम्बे) का वास्तुकार** कहा जाता है।
  - **शिक्षा संरक्षण:** वह शिक्षा के संरक्षक थे और उन्होंने स्कूल स्थापित करने के लिए **परिवार के स्वामित्व वाली भूमि दान की** थी। उन्होंने विशेष रूप से **बालिकाओं की शिक्षा** के लिए काम किया था।
    - उन्होंने **बॉम्बे नेटिव स्कूल** की स्थापना की थी। कालांतर में यही स्कूल **एलफिंस्टन कॉलेज** के रूप में विकसित हुआ।
  - **सांस्कृतिक और विरासत:** उन्होंने **भायखला में डॉ. भाऊ दाजी लाड संग्रहालय** को बढ़ावा देने के साथ-साथ **भवानी शंकर मंदिर और राम मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।**
  - **रेलवे परियोजना:** वे उस समिति का हिस्सा थे, जो **1853 में बोरीबंदर और ठाणे के बीच चली भारत की पहली ट्रेन परियोजना** के विकास से संबंधित थी।
  - **राजनीतिक योगदान:** वे **बॉम्बे विधान परिषद में मनोनीत होने वाले पहले भारतीय** थे, और
    - उन्होंने बॉम्बे एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

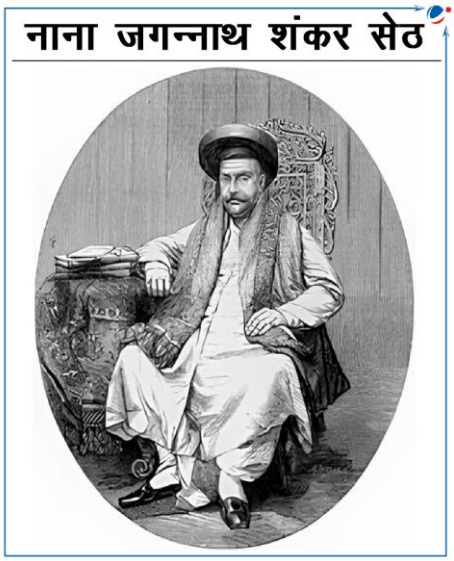

- बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में नौरोजी फरदुनजी, नारायण दीनानाथजी, डॉ. भाऊ दाजी और दादाभाई नौरोजी जैसी प्रसिद्ध हस्तियों द्वारा की गई थी।
    - वह **एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई के एक भारतीय सदस्य** भी थे।
        - **एशियाटिक सोसायटी की स्थापना 1804 में सर जेम्स मैकिन्टोश ने की थी।** इसका मुख्य उद्देश्य **ओरिएंटल कला, विज्ञान और साहित्य की जांच और प्रोत्साहन को बढ़ावा देना है।**
- **विरासत और प्रभाव:**
    - अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान **गंगाधर गाडगिल** ने उन्हें **"आधुनिक भारत का वास्तुकार"** कहा था।
    - आर्थिक राष्ट्रवाद के उनके दृष्टिकोण ने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में **दादाभाई नौरोजी** और **जस्टिस रानाडे** जैसे **स्वतंत्रता सेनानियों को प्रभावित किया।**

8.3.5. वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड (World Monuments Fund Watch)

- **तमिलनाडु के कड़ुवेली वाटरशेड क्षेत्र में एरी (टैंक) नेटवर्क को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड वॉच 2025 प्रोग्राम में नामांकन** के लिए प्रस्तावित किया जाएगा।
    - **वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच** एक नामांकन-आधारित प्रोग्राम है। यह प्रोग्राम स्थानीय विरासत संरक्षण को वैश्विक जागरूकता और कार्रवाई से जोड़ता है।
- **WMF के बारे में**
    - यह दुनिया के सबसे मूल्यवान स्थलों की सुरक्षा के प्रति समर्पित **एक अग्रणी स्वतंत्र संगठन** है।
    - इसका **मुख्यालय न्यूयॉर्क में है तथा इसका एक कार्यालय भारत** में भी है।
    - इसने **112 देशों में 700 से अधिक स्थलों को संरक्षित** किया है।

8.3.6. शंकराचार्य मंदिर (Shankaracharya Temple)

- प्रधान मंत्री ने अपने हालिया कश्मीर दौरे पर **शंकराचार्य पहाड़ी** को नमन किया।
    - यह पहाड़ी **जबरवान रेंज** में अवस्थित है। इस पर **शंकराचार्य मंदिर** बना हुआ है।
- **शंकराचार्य मंदिर के बारे में**
    - यह **भगवान शिव** का मंदिर है। यह **1100 फीट की ऊंचाई** पर स्थित है।
    - इसे **कश्मीर घाटी** में पूजा के लिए सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है।
    - इस मंदिर का नाम प्रसिद्ध दार्शनिक और संत **आदि शंकराचार्य** के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने यहां की यात्रा की थी।
        - शंकराचार्य ने **अद्वैत दर्शन** का प्रतिपादन किया था।
        - उन्होंने **शारदा (द्वारका), ज्योतिर्मठ (बद्रीनाथ), गोवर्धन (पुरी) और श्रृंगेरी (रामेश्वरम) नामक चार मठ** स्थापित किए थे।

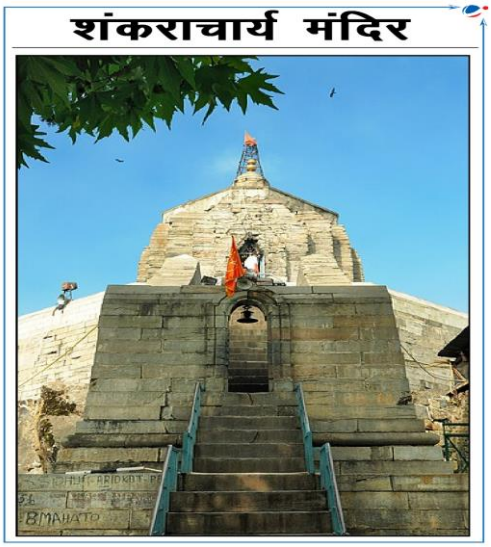

8.3.7. कोचरब आश्रम (Kochrab Ashram)

- प्रधान मंत्री ने 12 मार्च को **साबरमती आश्रम** का दौरा किया और फिर से विकसित किए गए **कोचरब आश्रम** का उद्घाटन किया।
    - गौरतलब है की **12 मार्च 1930** को गांधीजी ने गुजरात में साबरमती आश्रम से तटीय शहर दांडी तक **नमक सत्याग्रह कूच या दांडी मार्च** शुरू किया था।
    - दांडी में गांधीजी ने समुद्र तट पर प्राकृतिक नमक मुट्ठी में लेकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का उल्लंघन किया था।
- कोचरब आश्रम गुजरात के **अहमदाबाद शहर** में स्थित है। यह पहला आश्रम था, जिसे **1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने निर्मित करवाया** था।
    - **जीवनलाल देसाई** (एक साथी वकील) ने गांधीजी की आश्रम बनवाने में सहायता की थी।

8.3.8. गोरसम कोरा महोत्सव (Gorsam Kora Festival)

- हाल ही में, **अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले** में गोरसम कोरा महोत्सव आयोजित किया गया।
- **गोरसम कोरा महोत्सव के बारे में**
  - यह एक **वार्षिक** महोत्सव है। इसे **गोरसम चोर्टेन** पर आयोजित किया जाता है। गोरसम चोर्टेन 93 फीट ऊंचा स्तूप है। इस स्तूप का निर्माण एक **स्थानीय बौद्ध भिक्षु लामा प्राधार ने 13वीं सदी ईस्वी** में करवाया था।
  - इस वर्ष के महोत्सव की थीम थी: **"जीरो वेस्ट फेस्टिवल"।**
  - यह महोत्सव स्थानीय समुदाय **ज़ेमिथांग** द्वारा सिविल प्राधिकरणों के सहयोग से आयोजित किया जाता है।
    - **ज़ेमिथांग घाटी** का ऐतिहासिक महत्त्व है। उल्लेखनीय है कि **1959 में 14वें दलाई लामा ने तिब्बत से निर्वासन के बाद यहां शरण** ली थी।
  - श्रद्धालु जिनमें **भूटानी लोग** भी शामिल हैं, इस महोत्सव के दौरान तवांग आते हैं। वे चंद्र कैलेंडर के पहले महीने के अंतिम दिन पुण्य अवसर का पालन करने के लिए आते हैं।

8.3.9. संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार {Sangeet Natak Academy (SNA) Awards}

- भारत की राष्ट्रपति ने **2022 और 2023 के लिए SNA फैलोशिप व पुरस्कार** प्रदान किए।
- **संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों के बारे में**
  - ये अकादमी पुरस्कार 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं।
  - ये पुरस्कार **संगीत, नृत्य और नाटक** में सर्वोच्च उपलब्धि के प्रतीक हैं।
  - **हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी की स्थापना से पहले ही यानी 1951 में शुरू** कर दिए गए थे। उस समय उन्हें **राष्ट्रपति पुरस्कार** के रूप में जाना जाता था।
  - **अकादमी फेलो में ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के अलावा 3 लाख रुपये** की राशि इनाम स्वरूप दी जाती है, जबकि **अकादमी पुरस्कार में ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के अलावा 1 लाख रुपये** की राशि दी जाती है।
  - संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में की गई थी। यह भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रदर्शन कला के क्षेत्र में गठित शीर्ष निकाय है।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **संस्कृति** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

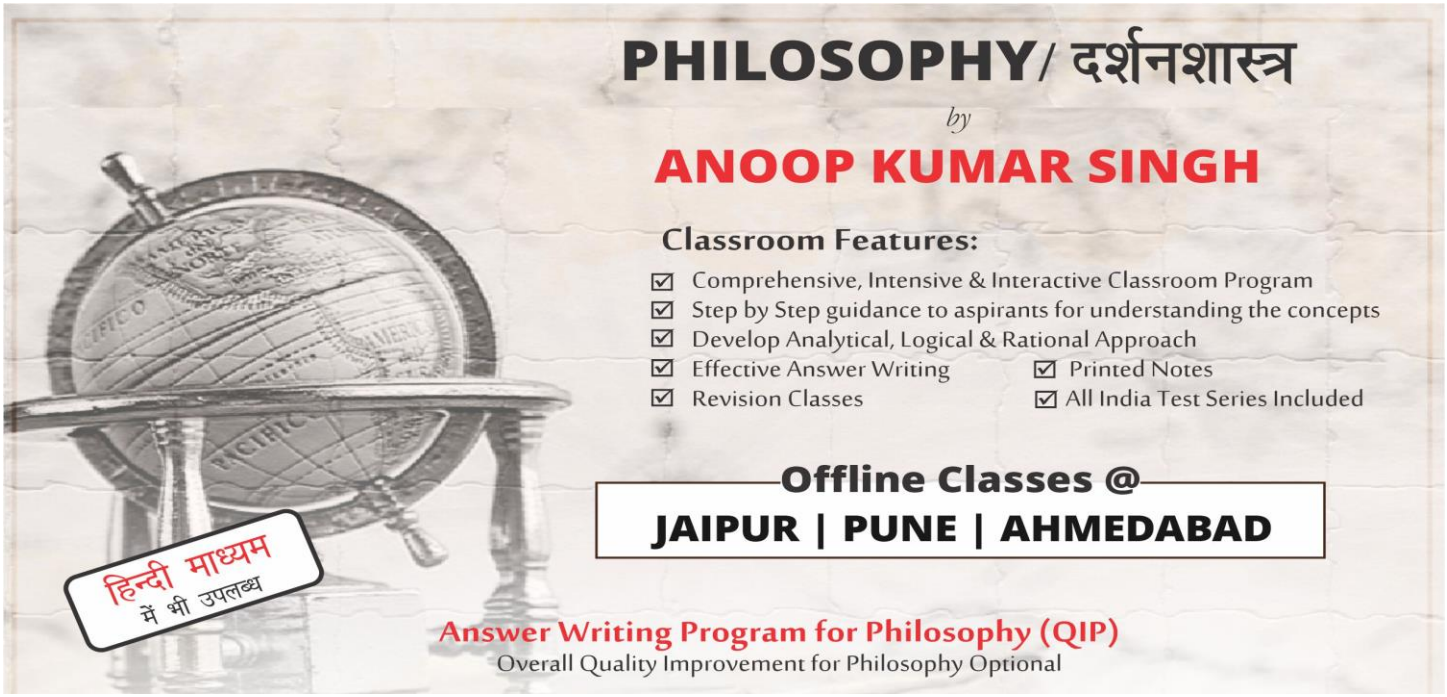

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. खुशहाली (Happiness)

प्रस्तावना

हाल ही में, **यू.एन. सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क (SDSN)** ने गैलप (Gallup) और ऑक्सफोर्ड वेलबीइंग रिसर्च सेंटर के साथ साझेदारी में **वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट (WHR) 2024** जारी की। **फिनलैंड** लगातार सातवें वर्ष रैंकिंग में शीर्ष पर रहा, जबकि **भारत 143 देशों में से 126वें स्थान पर** था।

खुशहाली की परिभाषा क्या है?

खुशहाली की कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है। हालांकि, **आनंद या परम आनंद,** भारतीय संस्कृति में गहराई से निहित एक विचार है। यह खुशहाली और कल्याण की एक गहन और बेहतर स्थिति को दर्शाता है जो क्षणिक सुखों से परे होता है। इसे ही **मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य** माना जाता है।

पैसा (Money) खुशहाली को कैसे प्रभावित करता है?

- **वित्तीय सुरक्षा बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करती है, लेकिन धन या पैसे से खुशी की पूर्ण प्राप्ति हो, यह निश्चित नहीं है।** भौतिक वस्तुओं का **वास्तविक संतुष्टि** से बहुत कमजोर संबंध है।
- **केस स्टडी:** बीसवीं सदी के उत्तरार्ध के दौरान यू.एस.ए. में संपत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसके बावजूद, सर्वेक्षणों से पता चला कि अमेरिकियों के बीच खुशहाली का औसत स्तर काफी हद तक अपरिवर्तित रहा। अत्यधिक गरीबी की स्थिति के बाद प्रति व्यक्ति आय बढ़कर लगभग 20,000 डॉलर सालाना हो जाने से व्यक्तिगत खुशहाली में काफी हद तक वृद्धि हुई। हालांकि, जब आय 50,000 डॉलर से अधिक हो गई तो व्यक्तिगत खुशहाली अपरिवर्तित रही।

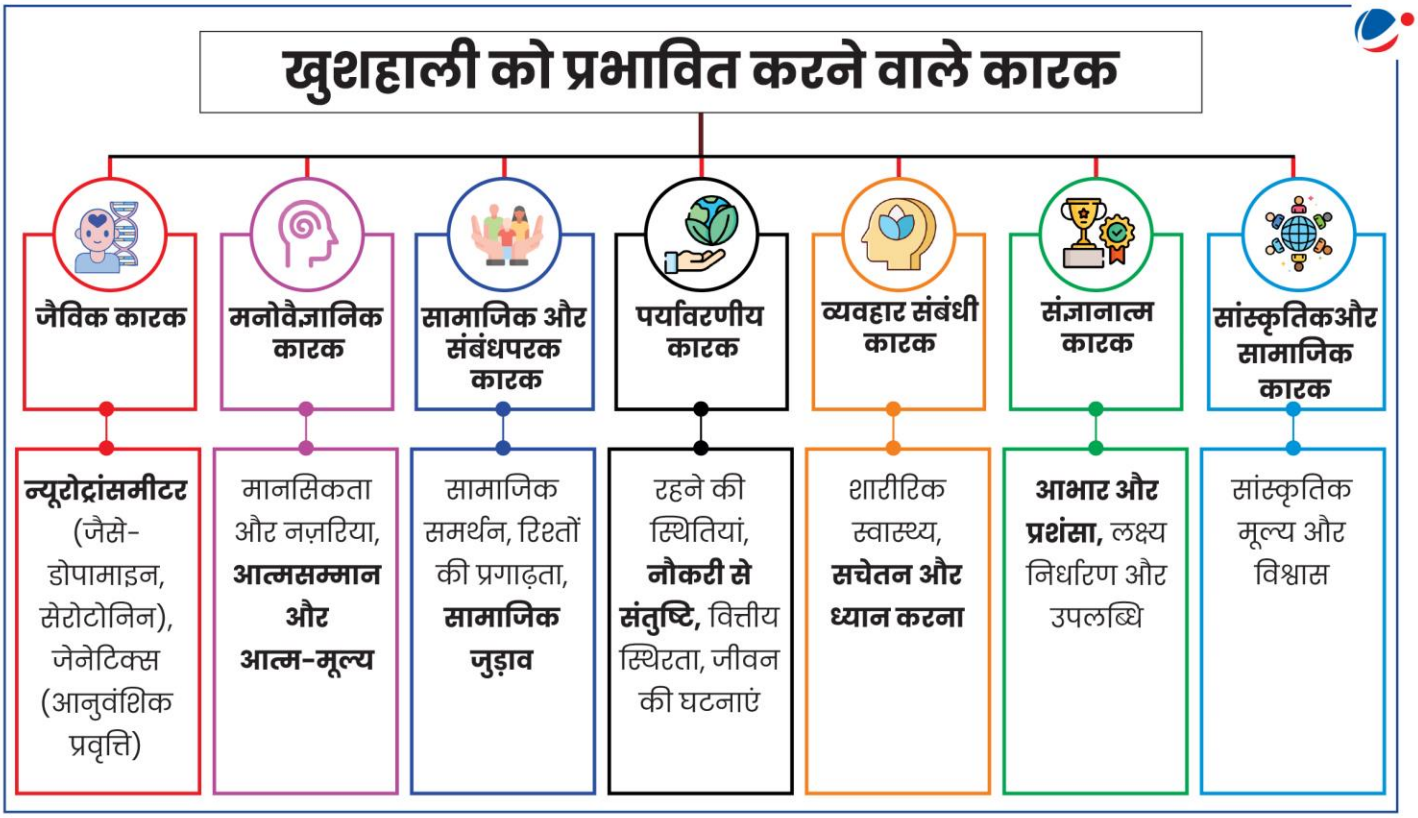

खुशहाली या खुशी की व्याख्या करने वाले विभिन्न दार्शनिक सिद्धांत

- **उपनिषद परंपरा: सत् (अस्तित्व) और चित (चेतना)** के साथ-साथ **आनंद, ब्रह्म के तीन आवश्यक पहलुओं में से एक** है। ये तीन पहलू **ब्रह्म** की प्रकृति का मूल भाग निर्मित करते हैं। इन्हें अक्सर **"सत्-चित-आनंद"** के रूप में व्यक्त किया जाता है (तैत्तिरीय उपनिषद)।
- **एपिक्यूरियनवाद (एपिकुरस):** खुशहाली वस्तुतः **शारीरिक और विशेष रूप से मानसिक पीड़ा (अटारैक्सिया) का पूर्ण अभाव** है। इस स्थिति में न तो देवताओं का भय रहता है और न ही जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के अलावा, किसी अन्य चीज की इच्छा।
- **बौद्ध धर्म:** इच्छाओं की समाप्ति और **सचेतनता (माइंडफुलनेस) एवं करुणा के अभ्यास से खुशी** प्राप्त होती है।

- **युडेमोनिज्म (अरस्तू):** वास्तविक खुशहाली एक सदाचारी और परिपूर्ण जीवन जीने तथा अपनी क्षमता को पहचानने से आती है।
- **उपयोगितावाद (जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल):** खुशहाली सर्वोच्च कल्याण का प्रतीक है। इसमें **अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख** पर बल दिया गया है।
- **शून्यवाद (Nihilism) (फ्रेडरिक नीत्शे):** खुशी एक भ्रम है और व्यक्तियों को खुशी पाने के लिए अपना स्वयं का व्यक्तिपरक औचित्य (Subjective meaning) खोजना होगा।

खुशहाली: दूरगामी प्रभावों के साथ एक बहुआयामी खोज

खुशहाली मानव द्वारा की जाने वाली एक मूलभूत खोज है। यह मानव अस्तित्व के विभिन्न स्तरों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

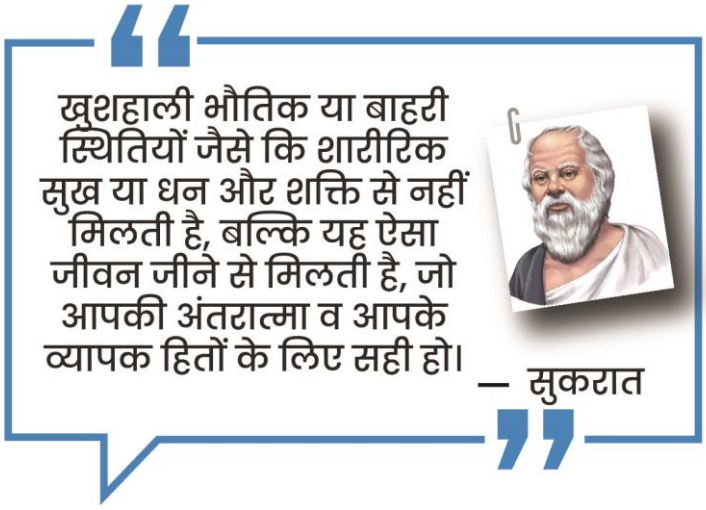

- **व्यक्तिगत स्तर पर खुशहाली के लाभ:** खुशी बेहतर मानसिक स्वास्थ्य, अधिक उत्पादकता और मजबूत एवं अधिक संतोषजनक संबंधों से निकटता से जुड़ी हुई है।
  - कई अध्ययनों के अनुसार, **खुशहाली से उत्पादकता में 12% की वृद्धि** हो सकती है। इसका **वैवाहिक जीवन में संतुष्टि के साथ सकारात्मक संबंध** है।
- **सामाजिक-स्तर पर प्रभाव:** सामाजिक स्तर पर, **खुशहाली अपनेपन और सामाजिक एकजुटता की भावना को बढ़ावा** देती है। इससे अपराध दर को कम करने में मदद मिलती है।
  - खुशहाल समुदाय राजनीतिक संस्थानों में भी उच्च स्तर की नागरिक सहभागिता और विश्वास प्रदर्शित करते हैं।
- **राष्ट्रीय स्तर के निहितार्थ:** खुशहाली राजनीतिक स्थिरता, टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने और आर्थिक विकास से जुड़ी है।
  - जिन देशों ने **"सकल राष्ट्रीय खुशहाली[216]"** से जुड़ी योजनाओं को अपनी विकास योजनाओं में एकीकृत किया है, उनके **आर्थिक प्रदर्शन में भी वृद्धि** देखी गई है।
- **वैश्विक स्तर पर व्यापक प्रभाव:** अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो, खुशहाली दुनियाभर में शांति और सहयोग बढ़ाने के साथ-साथ संसाधनों के न्यायसंगत वितरण और गरीबी को कम करने से भी जुड़ी है।
  - **वैश्विक शांति सूचकांक** से यह सुझाव मिलता है कि **जिन देशों में खुशहाली का स्तर अधिक** है, वे **शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग** के उपायों पर अधिक स्कोर प्राप्त करते हैं।

नैतिक मूल्य खुशहाली कैसे पैदा करते हैं?

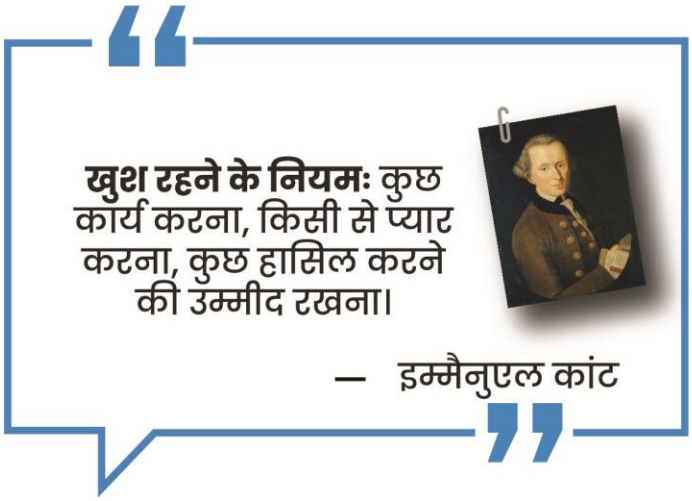

- **परोपकारिता और करुणा:** दूसरों की परवाह करने हेतु प्रेरित करने वाले नैतिक मूल्य (जैसे- परोपकारिता एवं करुणा) जीवन में **सार्थकता, लक्ष्य और कुल मिलाकर खुशहाली की भावना को बढ़ाने में मददगार** साबित हुए हैं।
- **ईमानदारी एवं प्रामाणिकता:** ईमानदारी के साथ जीवन जीने और हमारे कार्यों को हमारे मूल्यों के साथ जोड़कर देखने से **आत्म-सम्मान, आत्मविश्वास और प्रामाणिकता की भावना बढ़ती** है। इससे **जीवन में खुशहाली और संतुष्टि को बढ़ावा** मिलता है।
- **निष्पक्षता और न्याय:** निष्पक्षता, न्याय और समानता के नैतिक सिद्धांतों को कायम रखने तथा **संघर्ष, रोष और नाखुशी की संभावनाओं को कम करने से** अधिक **सामंजस्यपूर्ण और स्थिर समाज** बनाने में मदद मिलती है।
- **स्व-नियमन और अनुशासन:** आत्म-अनुशासन, आवेग नियंत्रण और भावनात्मक मूल्यों को प्रोत्साहित करने वाले नैतिक मूल्य लोगों को **उचित विकल्प चुनने एवं तनाव को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने** में मदद कर सकते हैं।

[216] Gross National Happiness

- **सकारात्मक संबंध:** नैतिक मूल्य जो **हमारे संबंधों में ईमानदारी, विश्वास और सम्मान को प्राथमिकता** देते हैं, वे अधिक **सार्थक, सहायक एवं पारस्परिक रूप से पूर्ण संबंधों को बढ़ावा** देते हैं। **हमारे संबंधों में ईमानदारी, विश्वास और सम्मान को प्राथमिकता** देने वाले नैतिक मूल्य अधिक **सार्थक, सहायक एवं पारस्परिक रूप से पूर्ण संबंधों को बढ़ावा** देते हैं।

क्षणिक संतुष्टि बनाम स्थायी खुशी

- क्षणिक संतुष्टि **क्षणभंगुर आनंद** प्रदान करती है लेकिन **स्थायी खुशी प्रदान करने में विफल** रहती है।
- वास्तविक खुशी के लिए **स्थायी संतुष्टि को अपनाने, धैर्य विकसित करने और दीर्घकालिक गतिविधियों में समय देने** की आवश्यकता होती है जो वास्तविक और स्थायी परिणाम प्रदान करते हैं।

अपनी नैतिक योग्यता का परीक्षण कीजिए

आर्थिक संवृद्धि और विकास को आगे बढ़ाने में, कई राष्ट्र मानव कल्याण एवं टिकाऊ प्रथाओं की बजाय भौतिक समृद्धि को प्राथमिकता देते हैं। यह दृष्टिकोण अक्सर व्यक्तिगत, सामाजिक और वैश्विक स्तर पर खुशहाली के व्यापक घटकों को नजरअंदाज कर देता है।

उपर्युक्त विचार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- विकास के पारंपरिक मापदंडों (उदाहरण के लिए- GDP) तथा वास्तविक खुशहाली और समृद्धि में योगदान देने वाले बहुआयामी कारकों के बीच संभावित संघर्षों का विश्लेषण कीजिए।
- एक व्यापक ढांचे का प्रस्ताव कीजिए जो सभी के लिए स्थायी खुशहाली को बढ़ावा देने की दिशा में वैश्विक विकास के प्रयासों का मार्गदर्शन करने हेतु आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक विचारों को एकीकृत करता है।

9.2. बुनियादी जरूरतें और दुर्लभ संसाधन (Bare Necessities and Scarce Resources)

प्रस्तावना

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत 80 मिलियन प्रवासियों और असंगठित श्रमिकों को राशन कार्ड जारी करने का आदेश दिया। इसका कारण यह है कि उन्हें सरकारी खाद्यान्न का दावा करने के लिए राशन कार्ड की आवश्यकता होती है। यह खाद्यान्न उनकी बुनियादी जरूरत का हिस्सा माना जाता है। हालांकि, कभी-कभी सरकारें संसाधनों की कमी के समय में बुनियादी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाती हैं, जो मानवता की सबसे बुनियादी नैतिक दुविधाओं में से एक है।

बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति में शामिल विभिन्न हितधारक

हितधारक	भूमिका/ हित	नैतिक मुद्दे
व्यक्ति और समुदाय	• **आवश्यक संसाधनों और सेवाओं** के प्राप्तकर्ता। • **अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण** के साथ जीवन की रक्षा।	• **संसाधनों की उपलब्धता में असमानता** और अन्यायपूर्ण वितरण। • मानवाधिकार और गरिमा पूर्ण जीवन जीने में बाधा।
सरकार	• बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति हेतु नीति निर्माण। • **संसाधन आवंटन** को विनियमित करना। • **आर्थिक वृद्धि** सुनिश्चित करना और **राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति** का प्रयास करना।	• निर्णय लेने में **पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव।** • राजकोषीय बाधाओं से निपटना।
नागरिक समाज	• **सहायता और प्रत्यक्ष राहत** प्रदाता। • **सरकार और कॉर्पोरेट जगत के कार्यों** की निगरानी। • बुनियादी जरूरतों की पूर्ति में विद्यमान कमी को पूरा करना।	• बाहरी फंडिंग पर निर्भरता और पूर्वाग्रह की संभावना। • दीर्घकालिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय तत्काल जरूरतों को प्राथमिकता।
निगम	• संसाधनों के उपयोग और रोजगार के अवसरों पर प्रभाव। • कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति करना।	• संसाधनों का अत्यधिक संकेंद्रण और अत्यधिक दोहन। • पर्यावरण को नुकसान।
अंतर्राष्ट्रीय संगठन	• सार्वभौमिक मानवाधिकारों को बढ़ावा देना। • दुनिया भर में असमानताओं को कम करना और बुनियादी जरूरतों की आपूर्ति सुनिश्चित करना।	• धीमी नौकरशाही प्रक्रिया। • राष्ट्रों के बीच असमान शक्ति संतुलन।

बुनियादी जरूरतें क्या हैं?

बुनियादी जरूरतें वे **मूलभूत आवश्यकताएं** हैं जो **मानव अस्तित्व और कल्याण** के लिए आवश्यक होती हैं। ये ज़रूरतें **जीवन को बनाए रखने** और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में कार्य कर सके और आगे बढ़ सके।

ये आवश्यकताएं सार्वभौमिक रूप से परिभाषित नहीं हैं तथा क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मतभेदों के कारण भिन्न-भिन्न हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में **बेयर नेसेसिटीज़ इंडेक्स (BNI)** प्रस्तुत किया था। इसमें पांच आयामों- **जल, स्वच्छता, आवास, सूक्ष्म परिवेश और अन्य सुविधाओं**[217] के आधार पर **26 संकेतकों का उपयोग** किया गया।

बुनियादी जरूरतों को उपलब्ध कराने के लिए सरकार जिम्मेदार क्यों है?

- **सामाजिक अनुबंध** का सिद्धांत यह बताता है कि सरकार का अपने नागरिकों के साथ किस प्रकार का संबंध होना चाहिए। उदाहरण के लिए- **नागरिक लोक सेवाओं और सुरक्षा के बदले में कुछ स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित** करते हैं।
- **संवैधानिक आदेश:** भारत के संविधान में सरकार को अपने **नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने** का कार्य सौंपा गया है।
    - उदाहरण के लिए- **अनुच्छेद 39(a)** राज्य को अपने नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुरक्षित करने की आवश्यकता पर बल देता है, जबकि **अनुच्छेद 47 पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने** की परिकल्पना करता है।
    - सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकार का दायरा बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए- जीवन के अधिकार का विस्तार कर इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार, भोजन के अधिकार आदि को शामिल किया गया है।
- **अधिकारों की विस्तारित प्रकृति:** बुनियादी जरूरतों की सीमा को बढ़ाने के लिए कई कानून जनसंख्या की जरूरतों के साथ विकसित हुए हैं, उदाहरण के लिए- शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, आदि।
- **अंतर्राष्ट्रीय दायित्व या प्रतिबद्धताएं:** इसका उद्देश्य अपने नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना है, जैसे- संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य (SDGs)।

- **पब्लिक गुड्स:** सरकार बुनियादी ज़रूरतें प्रदान करने में सक्षम है जिससे पूरे समाज को लाभ होता है, जैसे- **स्वच्छ जल और स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढाँचा।**

सरकार द्वारा बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के लिए नैतिक दृष्टिकोण कौन-से हैं?

- **न्याय-आधारित दृष्टिकोण:** दुर्लभ संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित करना जो यथासंभव न्यायसंगत हो और शोषण को कम करे।
- **उपयोगितावाद:** सीमित संसाधनों से प्राप्त लाभों को अधिकतम करने का लक्ष्य रखते हुए, आवश्यकता और संभावित प्रभाव के आधार पर संसाधन आवंटन को प्राथमिकता दी जाए।
- **क्षमता दृष्टिकोण:** शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने के लिए व्यक्तियों की क्षमताओं में वृद्धि को प्राथमिकता देना चाहिए तथा उन्हें गरीबी और अभाव से उबरने के लिए सशक्त बनाना चाहिए।
- **धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण:** मानवाधिकारों का सम्मान और उनकी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए।
- **अधिकार-आधारित दृष्टिकोण:** यह बुनियादी आवश्यकताओं को मौलिक मानवाधिकारों के रूप में मान्यता देता है। साथ ही, यह सरकारों और संस्थानों से इन अधिकारों को पूरा करने के लिए अपने दायित्वों को पूरा करने का आह्वान करता है।

[217] Water, sanitation, housing, micro-environment and other facilities

बुनियादी जरूरतों और दुर्लभ संसाधनों के बीच संतुलन बनाने के तरीके

- **वैश्विक सार्वजनिक वस्तुएं:** कोविड-19 महामारी, शरणार्थी संकट, जलवायु परिवर्तन आदि वैश्विक समस्याओं ने **वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक वस्तुओं की आवश्यकता** को दर्शाया है।
- **प्राथमिकता और कुशल आवंटन:** उन प्रथाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो संसाधनों की बर्बादी को कम करती हैं, संधारणीय होती हैं और प्रकृति एवं मानवीय गतिविधियों के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देती हैं।
    - इसके अलावा, संसाधन आवंटन करते समय **हाशिए पर स्थित लोगों और कमजोर आबादी की जरूरतों** पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि **गांधीजी के सर्वोदय की परिकल्पना** में भी यह विचार शामिल है।
- **बुनियादी जरूरतों को परिभाषित करने के सिद्धांत:** बुनियादी जरूरतों को परिभाषित करने के लिए, बुनियादी आवश्यकताओं के मूल समूह की पहचान करने हेतु सार्वजनिक वस्तुओं के प्रावधान के सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है।
    - नीदरलैंड सार्वजनिक वस्तुओं को उपलब्ध करवाकर मूलभूत आवश्यकताओं को परिभाषित करने का एक अच्छा उदाहरण प्रदान करता है। ये वस्तुएं सामाजिक रूप से न्यायसंगत, आर्थिक रूप से कुशल और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए।

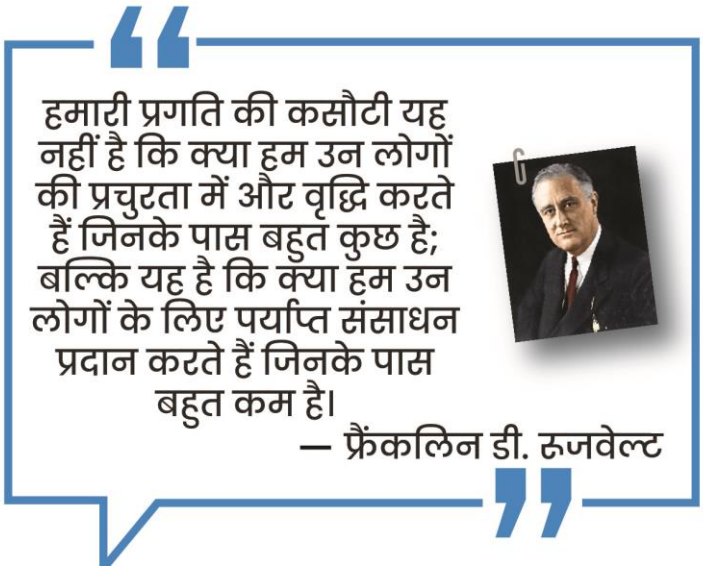

- **तकनीकी नवाचार:** संसाधन प्रबंधन में एडवांस प्रौद्योगिकी को अपनाने से सीमित संसाधनों के कुशल और प्रभावी उपयोग में मदद मिल सकती है।
- **संसाधनों का कन्वर्जेंस:** संसाधनों के प्रभावी तरीके से प्रबंधन के लिए सरकार के विभिन्न स्तरों, नागरिक समाजों, उद्योगों के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कोष और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के बीच सहयोग की आवश्यकता है।

अपनी नैतिक योग्यता का परीक्षण कीजिए

सरकार 5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा कार्ड मुहैया करा रही है। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य की लागत को कम करने और स्वास्थ्य के अधिकार को बढ़ावा देकर समाज के एक बड़े वर्ग को लाभ पहुंचाने की क्षमता है। हालांकि, कार्यक्रम गरीबों की सुरक्षा में सफल रहा है लेकिन आलोचकों का तर्क है कि बढ़ते वित्तीय बोझ से सरकार के बजट पर दबाव पड़ता है, जिससे संभावित रूप से अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए संसाधन सीमित हो जाते हैं।

उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- विभिन्न हितधारकों और उनसे जुड़े हितों पर चर्चा कीजिए।
- चर्चा कीजिए कि सरकार ऐसी स्थितियों में बुनियादी जरूरतों और दुर्लभ संसाधनों के बीच कैसे संतुलन बना सकती है।

9.3. धार्मिक विश्वास और वैज्ञानिक प्रगति (Religious Beliefs and Evolving Scientific Advancements)

प्रस्तावना

धर्म और विज्ञान के बीच संबंध काफी गतिशील है। इससे संबंधित विमर्श लंबे समय से तनाव, बहस और अक्सर संघर्ष का कारण रहा है। दोनों ही संसार और वास्तविकता या सत्य को समझने के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। धार्मिक विचारों को अक्सर ज्ञान के नए क्षेत्रों और वैज्ञानिक प्रगति से चुनौती मिलती है। इन चुनौतियों के बावजूद, धर्म लोगों के जीवन में एक अभिन्न और रचनात्मक भूमिका निभाता है। इस द्वंद्व से एक प्रश्न उठता है कि क्या धार्मिक मान्यताएं वैज्ञानिक प्रगति के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से सह-अस्तित्व में रह सकती हैं?

धार्मिक विश्वास क्या है?

- **आस्था पर आधारित:** धार्मिक विश्वास व्यक्ति की आस्था से आकार ग्रहण करता है। **अदृश्य, पारलौकिक या परमात्मा** में **गहन व व्यक्तिगत विश्वास** ही **आस्था** है।
    - यह एक मूलभूत तत्व है जो **अर्थ, उद्देश्य और पवित्रता से जुड़ाव** की भावना प्रदान करता है।
- **सामूहिक ज्ञान द्वारा व्यवहार में शामिल:** ये मान्यताएं अक्सर **प्राचीन ग्रंथों, मौखिक परंपराओं और आध्यात्मिक अनुभवों** से उत्पन्न होती हैं जिन्होंने सभ्यताओं की सामूहिक चेतना को आकार दिया है।

वैज्ञानिक प्रगति ने धार्मिक विश्वास को कैसे चुनौती दी है?

वैज्ञानिक विचारों का लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं पर बड़ा और परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ता है। इसे जीवन के कई क्षेत्रों में देखा जा सकता है-

- **जीवन और मृत्यु:** इस दुनिया में जीवन के प्रादुर्भाव की अवधारणा को जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति से चुनौती मिल रही है।
    - **जीनोम एडिटिंग** का उपयोग किसी बच्चे की आनुवंशिक विशेषताओं को बदलने के लिए किया जा सकता है। **जानवरों की क्लोनिंग** ने इस विश्वास पर आघात किया है कि जीवन और मृत्यु भगवान के हाथ में है।
- **विकास: चार्ल्स डार्विन** का **थ्योरी ऑफ इवॉल्यूशन** (प्राकृतिक चयन के विचार को बढ़ावा देने वाला सिद्धांत) पृथ्वी पर मानव जीवन की उत्पत्ति और विकास के बारे में कई धार्मिक मान्यताओं को खारिज करता है।
- **अंतरिक्ष: बिग बैंग सिद्धांत** से पता चलता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.7 अरब साल पहले एक विलक्षण घटना से हुई थी।
    - यह उस धार्मिक मान्यता के विपरीत है जो ब्रह्मांड, विशेषकर पृथ्वी के निर्माण के संबंध में विभिन्न सिद्धांतों का प्रचार करती है।

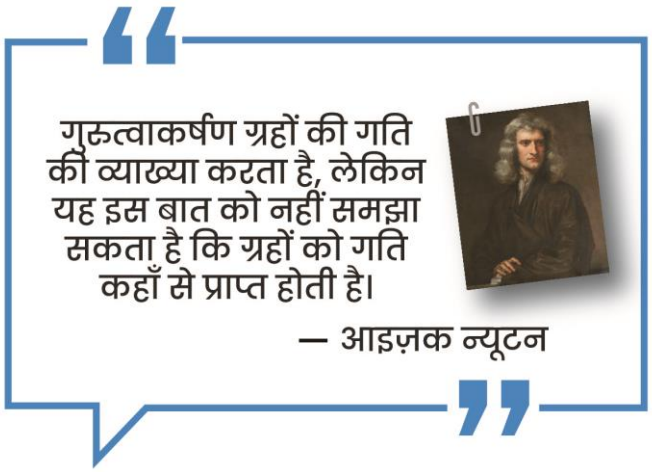

वैज्ञानिक समीक्षा/ विश्लेषण: सीमाएं और हद

- **अनुभवजन्य साक्ष्य की सीमाएं:** अनुभवजन्य साक्ष्य **विज्ञान की मूल आधारशिला** है। इसने कई नई खोजों और आविष्कारों को जन्म दिया है। हालांकि, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं।
    - उदाहरण के लिए- **चेतना, आध्यात्मिकता** जैसे विभिन्न मानव-विशिष्ट तत्वों को **वैज्ञानिक समीक्षा के द्वारा अनुभवजन्य रूप से मापा या तौला नहीं जा** सकता है।
        - इन तत्वों में **व्यक्तिगत अनुभव और व्यक्तिपरक व्याख्या** शामिल है।
- **नैतिकता और आचरण का विषय:** वैज्ञानिक घटनाक्रम कुछ कार्यों या व्यवहारों के कारण या परिणामों के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वे उनसे जुड़े नैतिक मूल्यों या नैतिक सिद्धांतों की व्याख्या नहीं कर सकते हैं।
    - जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति ने **जेनेटिक इंजीनियरिंग की सीमाओं** तथा मानव विकास और **प्राकृतिक व्यवस्था पर इसके संभावित प्रभावों** के बारे में जटिल नैतिक प्रश्न भी उठाए हैं।
    - इसके अलावा, वैज्ञानिक विकास क्रम से आज भी **आत्मा की प्रकृति, पुनर्जन्म के अस्तित्व** या **मानव अस्तित्व के अंतिम उद्देश्य** जैसे कई प्रश्नों या रहस्यों का उत्तर नहीं मिला है।

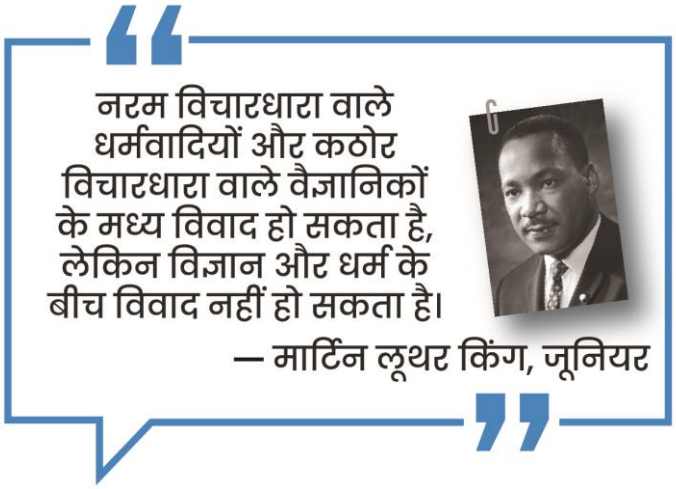

आगे की राह: आस्था और तर्क में सामंजस्य

- **बौद्धिक विनम्रता को अपनाना:** इसमें यह पहचानना शामिल है कि **किसी व्यक्ति के ज्ञान की एक सीमा है** और उसकी वर्तमान मान्यताएं गलत भी हो सकती हैं।
    - किसी भी पक्ष की सख्ती या असहिष्णुता बौद्धिक विकास को बाधित कर सकती है और सत्य की खोज में बाधा डाल सकती है।
- **संवाद और सहयोग:** इसे **समावेशिता, विविधता के प्रति सम्मान और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण** जैसे मानवतावादी सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।
    - वैज्ञानिक समुदाय को धार्मिक मान्यताओं को **सांस्कृतिक संवेदनशीलता** के साथ देखना चाहिए और व्यक्तियों एवं समाजों पर उनके गहरे प्रभाव की सराहना करनी चाहिए।
        - उदाहरण के लिए- प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तू, वैज्ञानिक विचारों में उनके योगदान के लिए सम्मानित थे,

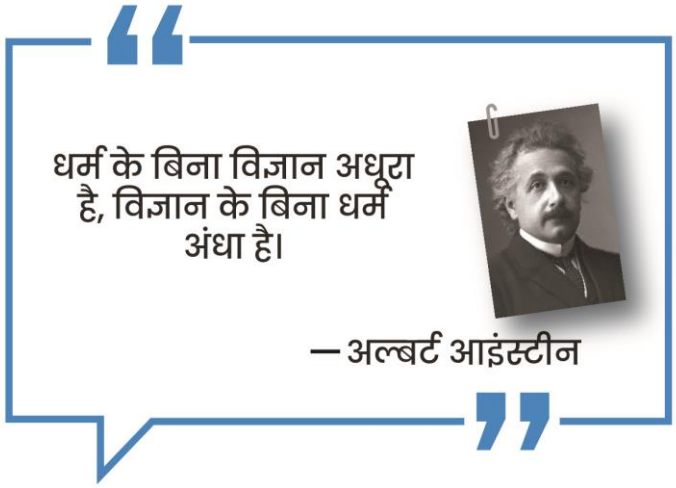

लेकिन वे एक "अनमूव्ड मूवर" के अस्तित्व में भी विश्वास करते थे। यह एक ऐसी अवधारणा थी, जो एक **दिव्य निर्माता की धारणा से जुड़ी हुई** थी।

- धार्मिक संस्थानों द्वारा वैज्ञानिक निष्कर्ष सिरे से खारिज नहीं किए जाने चाहिए। उन्हें नए साक्ष्यों के आलोक में धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं की पुनर्व्याख्या करने के अवसर तलाशने चाहिए।

- **आलोचनात्मक बुद्धि का विकास:** पाठ्यक्रम में धार्मिक मान्यताओं और वैज्ञानिक प्रगति के एक संतुलित और सूक्ष्म विश्लेषण को शामिल करते हुए शिक्षक छात्रों को ज्ञान और समानुभूति के साथ इस टकराव से निपटने हेतु आवश्यक महत्वपूर्ण वैचारिक कौशल प्रदान कर सकते हैं।

अपनी नैतिक योग्यता का परीक्षण कीजिए:

यू.एस.ए. में एक अंतरिक्ष कंपनी कुछ अनूठी सेवाएं प्रदान कर रही है जिसमें मानव अवशेषों (राख) को एक एल्यूमीनियम कैप्सूल में संग्रहित किया जाता है और उन्हें चंद्रमा के पास की कक्षा में भेजा जाता है। इसी बात को लेकर यू.एस.ए. की एक मूल जनजाति ने चिंता जताई है। उनका तर्क है कि इससे चंद्रमा कब्रिस्तान में बदल जाएगा, जिससे उनके धार्मिक रीति-रिवाज प्रभावित होंगे। दूसरी ओर, कंपनी का तर्क है कि यह व्यक्ति का अधिकार और निजी पसंद का मामला है क्योंकि अंतरिक्ष एक सामूहिक वस्तु है।

उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- इस प्रकरण से जुड़ी नैतिक दुविधाओं की पहचान कीजिए।
- यदि आपको सरकारी मध्यस्थ के रूप में उपर्युक्त मुद्दे का समाधान करने का कार्य दिया गया है, तो आपकी राय में किसके तर्क को प्राथमिकता दी जानी चाहिए- कंपनी या मूल जनजाति?

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

10.1. प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (Pradhan Mantri Anusuchit Jati Abhyuday Yojna: PM-AJAY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने PM-AJAY योजना के तहत केंद्रीय संस्थानों और राज्यों के संस्थानों में कई आवासीय छात्रावासों का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया।

प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) के बारे में

उद्देश्य	मुख्य विशेषताएं

• **अनुसूचित जाति (SC) समुदायों की गरीबी को कम** करने के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना।
• अनुसूचित जाति समुदाय के **सामाजिक और आर्थिक विकास से जुड़े संकेतकों में सुधार** लाना।
• **अनुसूचित जाति समुदाय की साक्षरता दर में वृद्धि करना।** इसके अलावा, **स्कूलों** और **उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति के बच्चों के नामांकन में बढ़ोतरी करना।**
	• **मंत्रालय:** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
	• **योजना की शुरुआत** 2021-22 में की गई थी।
	• **लाभार्थी:** अनुसूचित जाति समुदाय
	  ○ **पृष्ठभूमि:** PM-AJAY योजना को केंद्र प्रायोजित तीन योजनाओं का विलय करके शुरू किया गया है। ये तीन योजनाएं हैं;
	  ▪ **प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY),**
	  ▪ **अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (SCA to SCSP)[218],** और
	  ▪ **बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (BJRCY)**
	  ○ उपर्युक्त योजनाओं के तहत आवंटित **सार्वजनिक धनराशि को समेकित करने और संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग** करने के लिए **योजनाओं का एक में विलय कर दिया गया** है।
	• **योजना के उप-घटक:**
	  ○ अनुसूचित जाति बहुल गांवों को **"आदर्श ग्राम"** के रूप में विकसित करना।
	  ▪ **पूर्ववर्ती योजना:** प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना
	  ○ अनुसूचित जाति समुदाय के सामाजिक और आर्थिक स्तर में सुधार लाने के लिए **जिला/ राज्य-स्तर पर परियोजनाओं को सहायता अनुदान प्रदान करना।**
	  ▪ **पूर्ववर्ती योजना:** अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (SCA to SCSP)
	  ○ अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिए शैक्षिक **संस्थानों में छात्रावास का निर्माण या मरम्मत करना।**
	  ▪ **पूर्ववर्ती योजना:** बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (BJRCY)
	• **आदर्श ग्राम के बारे में:** एक "आदर्श ग्राम" में **वे सभी मूलभूत सुविधाएं और सेवाएं प्रदान की जाएंगी जो सम्मानजनक जीवन जीने** के लिए आवश्यक होती हैं।
	  ○ **पात्रता:** वे सभी गांव जिनकी **कुल आबादी 500 या उससे अधिक** हो और जिनमें **अनुसूचित जाति समुदाय की आबादी 40 प्रतिशत से अधिक हो।**
	  ▪ **एक बार जब इन गांवों को शामिल कर लिया जाएगा** तो बाद में इस योजना में **उन गांवों को भी शामिल किया जाएगा** जिनमें अनुसूचित जाति की आबादी भले ही 40 प्रतिशत से कम या उसके बराबर हो,परंतु वहां बहुत अधिक संख्या में **अनुसूचित जाति आबादी रहती हो।**

[218] Special Central Assistance to Scheduled Castes Sub Plan

	• **विकासात्मक संकेत: 10 डोमेन/ क्षेत्रों में निगरानी योग्य 50 सामाजिक और आर्थिक विकास संकेतक**; ये 10 डोमेन हैं: पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़कें और आवास, बिजली और स्वच्छ ईंधन, कृषि पद्धतियाँ, वित्तीय समावेशन, डिजिटाइजेशन तथा आजीविका एवं कौशल विकास। • **जिला/ राज्य स्तर की परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता के बारे में:** अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु प्रदत्त सहायता अनुदान के माध्यम से **लाभार्थियों/ परिवारों के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण करना तथा कौशल और अवसंरचना विकास।** ○ **पात्रता:** योजना के अंतर्गत **लाभार्थियों के लिए आय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है।** हालांकि, **उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं है।** ऐसे स्वयं सहायता समूह भी इस योजना के पात्र होंगे, **जिनमें अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या अधिक है।** ○ **अनुसूचित जाति की महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रावधान** ▪ राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को **जारी किए गए कुल अनुदान के 15 प्रतिशत का उपयोग अनुसूचित जाति की महिलाओं** के लिए आय-सृजन वाली आर्थिक विकास योजनाओं/ कार्यक्रमों में किया जाएगा। ▪ कौशल विकास कार्यक्रमों में **कम से कम 30 प्रतिशत भागीदारी महिला उम्मीदवारों की** सुनिश्चित की जानी चाहिए। ▪ कुल निधि का कम से कम 10 प्रतिशत कौशल विकास के लिए उपयोग किया जाता है। ▪ राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और विपणन में कार्य करने वाली अनुसूचित जाति की महिला सहकारी समितियों को भी बढ़ावा दे सकती हैं। • **पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान:** योजना घटक के कुल अनुमोदित बजट आवंटन का 2 प्रतिशत उपयोग पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए किया जाएगा। • इस योजना के तहत लक्षित समुदाय के कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाले **बच्चों को विशेष ट्यूशन देने के लिए कार्यक्रमों** का संचालन किया जा सकता हैं। • **कौशल विकास कार्यक्रम के विकासात्मक सूचकांक:** प्रशिक्षित व्यक्तियों का रोजगार/ स्व-रोजगार में कुल प्लेसमेंट 70 प्रतिशत होना चाहिए। • **अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए शैक्षिक छात्रावास का निर्माण/ मरम्मत:** छात्रावास के निर्माण से अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।** इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के छात्रों (विशेष रूप से लड़कियों) के **स्कूल छोड़ने की दर को रोकना और कम** करना है। ○ **पात्रता:** केंद्र/ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा वित्त-पोषित उच्च रैंक वाले **उच्चतर शिक्षण संस्थान** इस योजना के लिए पात्र होंगे। ▪ इसी प्रकार, **केंद्र/ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा वित्त पोषित और शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुशंसित स्कूल भी पात्र होंगे।** ▪ **वित्तपोषण व्यवस्था:** यह योजना **केंद्र सरकार** द्वारा **100 प्रतिशत वित्त-पोषित** है। ▪ यदि **राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश चाहें तो** वे योजना के कार्यान्वयन हेतु **अपने संसाधनों से अतिरिक्त निधि प्रदान कर सकते हैं।** ○ **कार्यान्वयन एजेंसियां:** इस योजना घटक के लिए कार्यान्वयन एजेंसियां होंगी: जिला प्रशासन/ राज्य सरकार/ केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन तथा केंद्रीय/ राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय/ संस्थान। ▪ कार्यान्वयन एजेंसियों को PM-AJAY ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्ताव भेजना होगा।

सुर्ख़ियों में रहे स्थलः भारत

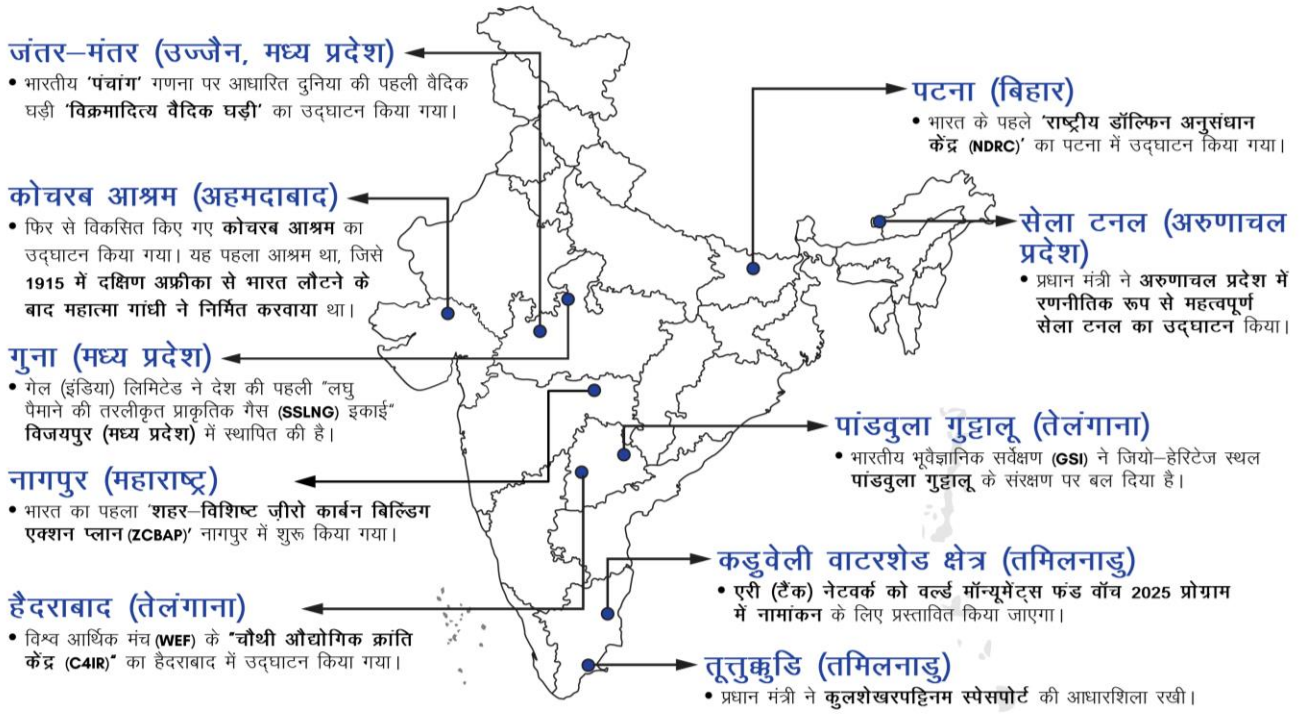

जंतर–मंतर (उज्जैन, मध्य प्रदेश)
- भारतीय **'पंचांग'** गणना पर आधारित दुनिया की पहली वैदिक घड़ी **'विक्रमादित्य वैदिक घड़ी'** का उद्घाटन किया गया।

कोचरब आश्रम (अहमदाबाद)
- फिर से विकसित किए गए **कोचरब आश्रम** का उद्घाटन किया गया। यह पहला आश्रम था, जिसे **1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने निर्मित करवाया** था।

गुना (मध्य प्रदेश)
- गेल (इंडिया) लिमिटेड ने देश की पहली "लघु पैमाने की तरलीकृत प्राकृतिक गैस **(SSLNG)** इकाई" **विजयपुर (मध्य प्रदेश)** में स्थापित की है।

नागपुर (महाराष्ट्र)
- भारत का पहला **'शहर–विशिष्ट ज़ीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान (ZCBAP)'** नागपुर में शुरू किया गया।

हैदराबाद (तेलंगाना)
- विश्व आर्थिक मंच **(WEF)** के **"चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र (C4IR)"** का हैदराबाद में उद्घाटन किया गया।

पटना (बिहार)
- भारत के पहले **'राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र (NDRC)'** का पटना में उद्घाटन किया गया।

सेला टनल (अरुणाचल प्रदेश)
- प्रधान मंत्री ने **अरुणाचल प्रदेश में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सेला टनल का उद्घाटन** किया।

पांडवुला गुट्टालू (तेलंगाना)
- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण **(GSI)** ने जियो–हेरिटेज स्थल **पांडवुला गुट्टालू** के संरक्षण पर बल दिया है।

कडुवेली वाटरशेड क्षेत्र (तमिलनाडु)
- **एरी (टैंक) नेटवर्क को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड वॉच 2025 प्रोग्राम में नामांकन** के लिए प्रस्तावित किया जाएगा।

तूत्तुक्कुडि (तमिलनाडु)
- प्रधान मंत्री ने **कुलशेखरपट्टिनम स्पेसपोर्ट** की आधारशिला रखी।

नोटः नवंबर, 2023 की मासिक समसामयिकी में टाइपोग्राफ़िकल त्रुटि के कारण गुजरात में चिन्हित स्थान धोर्डो दिया गया है। उसकी जगह सही तथ्य है "अहमदाबाद (गुजरात) में ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में घोल प्रजाति को राजकीय मछली घोषित किया गया।"

सुर्ख़ियों में रहे स्थलः विश्व

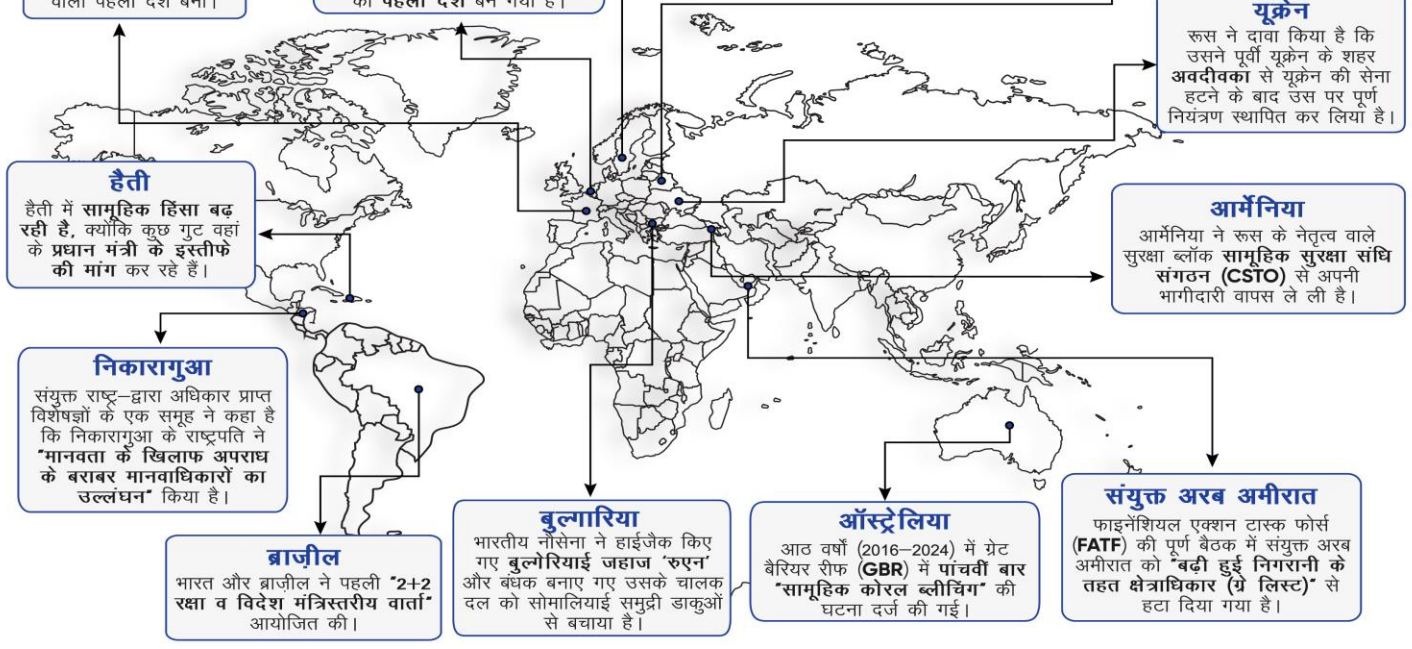

फ्रांस
फ्रांस संवैधानिक अधिकार के रूप में गर्भपात की गारंटी देने वाला पहला देश बना।

बेल्जियम
बेल्जियम **इकोसाइड या 'पारिस्थितिकी तंत्र की हत्या'** को **राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध** के रूप में स्वीकार करने वाला यूरोप का **पहला देश** बन गया है।

स्वीडन
स्वीडन आधिकारिक तौर पर **नाटो (NATO) का 32वां सदस्य** बना।

बेलारूस
बेलारूस के **विदेश मंत्री ने भारत की आधिकारिक यात्रा की।**

यूक्रेन
रूस ने दावा किया है कि उसने पूर्वी यूक्रेन के शहर **अवदीवका** से यूक्रेन की सेना हटने के बाद उस पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया है।

हैती
हैती में **सामूहिक हिंसा बढ़ रही है,** क्योंकि कुछ गुट वहां के **प्रधान मंत्री के इस्तीफे की मांग** कर रहे हैं।

आर्मेनिया
आर्मेनिया ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक **सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (CSTO)** से अपनी भागीदारी वापस ले ली है।

निकारागुआ
संयुक्त राष्ट्र–द्वारा अधिकार प्राप्त विशेषज्ञों के एक समूह ने कहा है कि निकारागुआ के राष्ट्रपति ने **"मानवता के खिलाफ अपराध के बराबर मानवाधिकारों का उल्लंघन"** किया है।

ब्राज़ील
भारत और ब्राज़ील ने पहली **"2+2 रक्षा व विदेश मंत्रिस्तरीय वार्ता"** आयोजित की।

बुल्गारिया
भारतीय नौसेना ने हाईजैक किए गए **बुल्गेरियाई जहाज 'रुएन'** और बंधक बनाए गए उसके चालक दल को सोमालियाई समुद्री डाकुओं से बचाया है।

ऑस्ट्रेलिया
आठ वर्षों (2016–2024) में ग्रेट बैरियर रीफ (**GBR**) में **पांचवीं बार "सामूहिक कोरल ब्लीचिंग"** की घटना दर्ज की गई।

संयुक्त अरब अमीरात
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स **(FATF)** की पूर्ण बैठक में संयुक्त अरब अमीरात को **"बढ़ी हुई निगरानी के तहत क्षेत्राधिकार (ग्रे लिस्ट)"** से हटा दिया गया है।

सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व

व्यक्तित्व	के बारे में	व्यक्तित्व द्वारा प्रदर्शित नैतिक मूल्य
 भीमा नायक	• हाल ही में, सरकार ने महान जनजातीय नेता **भीमा नायक** को श्रद्धांजलि अर्पित की है। • **भीमा नायक/ नाइक के बारे में:** ▸ **मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के ढाबा बावड़ी** के निवासी थे। ▸ वे **निमाड़ के भीलों के प्रमुख** नेता थे। ▸ वे **पहले क्रांतिकारी थे, जिन्हें कालापानी की सजा दी** गई थी। उनकी **मृत्यु 1876** में हुई थी। • **योगदान:** ▸ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ **1857 के विद्रोह में भील, भिलाला, मंडोई और नाइक जनजातियों के लोगों** को एकजुट किया था। उन्होंने तात्या टोपे का साथ दिया था। ▸ भीमा नायक **निमाड़ के रॉबिनहुड** के रूप में लोकप्रिय हैं। ऐसा इस कारण, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश खजाना लूटा था और उसे गरीब लोगों के बीच बांट दिया था। ▸ 1857 की **अम्बागानी लड़ाई** में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी।	**परोपकारिता और वीरता** • उन्होंने अपने समुदाय के बेहतर कल्याण के लिए गहरी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की, जो विशेष रूप से गरीबों के बीच धन के पुनर्वितरण के उनके प्रयासों में स्पष्ट होती है। • उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष में उनका नेतृत्व अन्याय का विरोध करने और अपने लोगों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के मजबूत मूल्य को दर्शाता है।
 संभुधन फोंगलो	• सरकार ने जनजातीय नायक संभुधन फोंगलो को श्रद्धांजलि अर्पित की। • **संभुधन फोंगलो के बारे में:** ▸ वे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका संबंध **असम के वर्तमान दिमा हसाओ जिले के उत्तरी कछार पहाड़ियों के लोंगखोर** से था। • **योगदान:** ▸ **1832** में कछार पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने के परिणामस्वरूप उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का निर्णय लिया। ▸ उन्होंने अंग्रेजों की **'फूट डालो और राज करो'** की नीति को समझा और उससे निपटने के लिए **दमसी युवाओं को संगठित** किया। ▸ उन्होंने अपनी सेना गठित की और **मेजर बोयाद** के नेतृत्व वाली **ब्रिटिश सेना पर हमला करके मेजर बोयाद को मार डाला।**	**एकता और नेतृत्व** • उन्होंने विशेष रूप से औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने के लिए विविध समूहों को एक साथ लाने के अपने प्रयासों में एकता को महत्त्व दिया। साथ ही, उन्होंने विभाजन की स्थिति में एकजुटता के महत्त्व को दर्शाया। • अंग्रेजों के खिलाफ अपने समुदाय को संगठित करने और उनका नेतृत्व करने की उनकी क्षमता नेतृत्व करने की उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
 गोविंद बल्लभ पंत	• प्रत्येक वर्ष 7 मार्च को गोविंद बल्लभ पंत की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। • **गोविंद बल्लभ पंत के बारे में:** ▸ वे एक **स्वतंत्रता सेनानी थे। वे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री** भी रहे थे। • **योगदान:** ▸ **सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो** आदि आंदोलनों में भाग लिया था। ▸ **काकोरी केस (1925)** में शामिल **रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और अन्य क्रांतिकारियों** के वकील बने थे। ▸ उन्होंने **केंद्रीय गृह मंत्री** के रूप में निम्नलिखित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी– ✓ **भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन** का समर्थन किया था। ✓ **हिंदी** को केंद्र सरकार और कुछ राज्यों की **राजभाषा बनाने में योगदान** दिया था। • **पुरस्कार:** उन्हें **1957 में भारत रत्न** से सम्मानित किया गया था।	**न्याय और लोक सेवा** • अदालत में क्रांतिकारियों का प्रतिनिधित्व और भारत की स्वतंत्रता के लिए आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी स्वतंत्रता आंदोलन और न्याय का समर्थन करने के उनके मूल्य को उजागर करती है। • एक एकीकृत और लोकतांत्रिक भारत के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए शासन और नीति–निर्माण में उनका योगदान, लोक सेवा एवं राष्ट्र–निर्माण के लिए समर्पित जीवन का उदाहरण है।

 पोट्टी श्रीरामुलु	• हाल ही में, देश में **पोट्टी श्रीरामुलु की जयंती** मनाई गई। • वे एक **उत्साही गांधीवादी, प्रख्यात समाज सुधारक और एक्टिविस्ट** थे। • **प्रमुख योगदानः** ▸ उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों जैसे कि **नमक सत्याग्रह (1930), व्यक्तिगत सत्याग्रह (1940), भारत छोड़ो आंदोलन (1942)** आदि में भाग लिया था। ▸ उन्होंने **दलितों को मंदिरों में प्रवेश दिलाने के समर्थन में 1946 से 1948 के दौरान तीन बार अनशन** किया था। ▸ **मद्रास प्रेसीडेंसी से एक अलग आंध्र प्रदेश राज्य** की मांग को लेकर **58 दिन तक अनशन** करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। आंध्र प्रदेश के लोगों द्वारा उनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें **'अमरजीवी'** के रूप में याद किया जाता है।	**अहिंसा और समानता** • विरोध प्रदर्शन के रूप में भूख हड़ताल का उपयोग राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के प्रयास में अहिंसा एवं शांतिपूर्ण प्रदर्शन के मूल्य का प्रतीक है। • अनुसूचित जाति के अधिकारों के लिए उनकी सक्रियता और भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का समर्थन समानता और समावेशिता के गहरे मूल्य में निहित है।
 शेर सिंह शाह	• उनका जन्म **उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग** जिले में हुआ था। वे एक **स्वतंत्रता सेनानी** थे। ▸ उनके पिता का नाम **पदम सिंह शाह और माता का नाम देवकी देवी** था। • **योगदानः** ▸ उन्होंने गुप्त रूप से **स्वतंत्रता संग्राम के लिए जागरूकता** का प्रसार किया था। ▸ उन्होंने **नाला के ललिता माई मंदिर** में शपथ लेते हुए घोषणा की थी कि वे जीवन भर देश की सेवा करेंगे। ▸ उन्होंने **केदार घाटी (उत्तराखंड) से भारत छोड़ो आंदोलन (1942) का नेतृत्व** किया था। ▸ उन्होंने **कासरगोड और बरमवाड़ी** में ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया था। • **पुरस्कारः** भारत सरकार ने उन्हें **1972 में ताम्र–पत्र** से सम्मानित किया था।	**देशभक्ति और दृढ़ता** • भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रति उनका आजीवन समर्पण उनकी गहन देशभक्ति और अपने देश के प्रति प्रेम को दर्शाता है। • जोखिमों और चुनौतियों के बावजूद, ब्रिटिश शासन के खिलाफ उनका निरंतर संघर्ष दृढ़ता और लचीलेपन के मजबूत मूल्य को दर्शाता है।
 फणीन्द्र नाथ घोष	• देश भर में फणींद्र नाथ घोष की जयंती मनाई गई। • **फणींद्र नाथ घोष के बारे में:** ▸ श्री घोष **चारुचंद्र घोष** के पुत्र थे। उनका जन्म **पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सेरामपुर** में हुआ था। • **योगदानः** ▸ उन्होंने हुगली जिले में **क्रांतिकारी आंदोलन** का नेतृत्व किया था। ▸ वे **जे. एन. लाहिड़ी के साथ युगांतर नामक क्रांतिकारी दल** में शामिल हो गए थे। ▸ वे सेरामपुर में **"गुप्त समिति"** के सक्रिय सदस्य थे। ▸ उन्होंने **1942 में भारत छोड़ो आंदोलन** के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ▸ वे **गांधीजी के दर्शन के प्रति गहनता से प्रतिबद्ध थे।** • **पुरस्कारः** भारत सरकार ने उन्हें **1972 में ताम्र–पत्र** से सम्मानित किया था। **नोटः** स्टूडेंट कृपया ध्यान दें कि ये व्यक्ति वे फणींद्र नाथ घोष नहीं हैं, जिन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देने का समर्थन किया था और जिनकी क्रांतिकारी बैकुंठ शुक्ला ने हत्या कर दी थी।	**समर्पण, साहस और सामाजिक परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता** • ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन में उनका नेतृत्व संभावित परिणामों के बावजूद, अपने विश्वासों पर दृढ़ रहने एवं उनके लिए लड़ने के उनके साहस को प्रदर्शित करता है। • भारत की स्वतंत्रता के लिए आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी और गांधीवादी सिद्धांतों का पालन सामाजिक परिवर्तन के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

अपनी तैयारी से जुड़े रहिए सोशल मीडिया पर फॉलो करें

http://bit.ly/3ueP7T7

VisionIASHindi

/VisionIAS_UPSC

vision_ias_hindi

/Vision_IAS

/visionias.upsc

www.visionias.in

लाइव / ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स 2025

प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों

दिल्ली	अवधि
14 मई | 9 AM	12–14 महीने

VisionIAS ऐप को डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

निःशुल्क काउंसिलिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

डेली MCQs और अन्य अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स में GS मेन्स के सभी चारों पेपर, GS प्रीलिम्स, CSAT और निबंध के सिलेबस को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अभ्यर्थियों के ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल पर लाइव एवं ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि वे किसी भी समय, कहीं से भी लेक्चर और स्टडी मटेरियल तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।
- इस कोर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल है।
- 2025 के प्रोग्राम की अवधि: 12–14 महीने
- प्रत्येक कक्षा की अवधि: 3–4 घंटे, सप्ताह में 5–6 दिन (आवश्यकता पड़ने पर रविवार को भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं)

नोट: अभ्यर्थी फाउंडेशन कोर्स की लाइव वीडियो कक्षाएं घर बैठे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। साथ ही, अभ्यर्थी लाइव चैट के जरिए कक्षा के दौरान अपने डाउट्स और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा, वे अपने डाउट्स और प्रश्न को नोट कर दिल्ली सेंटर पर हमारे क्लासरूम मेंटर को बता सकते हैं, जिसके बाद फोन/ मेल के जरिए अभ्यर्थियों के प्रश्नों का समाधान किया जाता है।

GS फाउंडेशन कोर्स की अन्य मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मूल्यांकन

अभ्यर्थियों को नियमित ट्यूटोरियल, मिनी टेस्ट एवं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के माध्यम से व्यक्तिगत व अभ्यर्थी के अनुरूप और ठोस फीडबैक दिया जाता है

सभी द्वारा पढ़ी जाने वाली एवं सभी द्वारा अनुशंसित

विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम द्वारा तैयार की गई मासिक समसामयिकी मैगजीन, PT 365 और Mains 365 डॉक्यूमेंट्स तथा न्यूज़ टुडे जैसी प्रासंगिक एवं अपडेटेड अध्ययन सामग्री

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन

इस कोर्स के तहत अभ्यर्थियों के डाउट्स दूर करने और उन्हें प्रेरित रखने के लिए नियमित रूप से फोन/ ईमेल/ लाइव चैट के माध्यम से "वन–टू–वन" मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़

प्रत्येक 3 सफल उम्मीदवारों में से 2 Vision IAS की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को चुनते हैं। Vision IAS के पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के तहत टेस्ट पेपर में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का विस्तार से विश्लेषण एवं समीक्षा की जाती है। यह अपनी गलतियों को जानने एवं उसमें सुधार करने हेतु काफी महत्वपूर्ण है।

कोई क्लास मिस ना करें

प्रत्येक अभ्यर्थी को एक व्यक्तिगत "स्टूडेंट पोर्टल" उपलब्ध कराया जाता है। इस पोर्टल के जरिए अभ्यर्थी किसी भी पुराने क्लास या छूटे हुए सेशन और विभिन्न रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं एवं अपने प्रदर्शन का सापेक्ष एवं निरपेक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं।

बाधा रहित तैयारी

अभ्यर्थी VisionIAS के क्लासरूम लेक्चर्स एवं विभिन्न रिसोर्सेज़ को कहीं से भी तथा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और वे इन्हें अपनी जरुरत के अनुसार ऑर्गनाईज कर सकते हैं।

Heartiest Congratulations

to all Successful Candidates

Aditya Srivastava

79 in **TOP 100** Selections in **CSE 2023**

from various programs of **Vision IAS**

Animesh Pradhan

Ruhani

Srishti Dabas

Anmol Rathore

Nausheen

Aishwaryam Prajapati

हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में

= हिंदी माध्यम टॉपर =

मोहन लाल

अर्पित कुमार

विपिन दुबे

मनीषा धार्वे

मयंक दुबे

देवेश पाराशर

39 Selections in **TOP 50** in **CSE 2022**

Ishita Kishore

Garima Lohia

Uma Harathi N

HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

DELHI

enquiry@visionias.in /c/VisionIASdelhi /visionias.upsc /vision _ias VisionIAS_UPSC

अहमदाबाद बैंगलोर भोपाल चंडीगढ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे रांची